सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या–1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या–1

विषय–सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	6
कर निर्धारण में बकाये	1.3	8
कर का अपवंचन	1.4	9
वापसी के लंबित मामले	1.5	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	10
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को निपटाने से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण	1.7	14
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन	1.8	16
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	16
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.10	17
अध्याय–II: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	2.1	19
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.2	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	19
'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' का निष्पादन लेखापरीक्षा	2.4	21
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.5	51
मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	2.6	51
ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली	2.7	52
एकमुश्त कर	2.8	53
अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि	2.9	58
अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना	2.10	59
अध्याय–III: मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	3.1	61
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.2	61
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	61
''मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण तथा संग्रहण'' की लेखापरीक्षा	3.4	63
अध्याय–IV: वाणिज्य कर		
कर प्रशासन	4.1	79
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.2	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	80
'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की संग्रहण हेतु प्रणाली' की लेखापरीक्षा	4.4	82

अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	4.5	109
बिक्री आवर्त्त का छिपाव	4.6	110
कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण	4.7	112
इनपुट टैक्स क्रेडिट	4.8	112
प्रवेश कर का गलत समायोजन	4.9	114
रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना	4.10	115
कटौतियों की गलत अनुमति/अधिक लाभ लिया जाना	4.11	116
कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण	4.12	117
भंडार अंतरण पर कटौती की अनियमित अनुमति	4.13	118
स्वीकृत कर का कम भुगतान	4.14	118
विलम्ब से कर के भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	4.15	119
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	4.16	120
अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना	4.17	120
विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना	4.18	121
आयातित मूल्य का छिपाव	4.19	121
प्रवेश कर का कम आरोपण किया जाना	4.20	122
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	4.21	123
प्रवेश कर के अन्तर्गत गलत ढंग से कटौती का लाभ लिये जाने के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	4.22	124
प्रवेश कर के तहत् निबंधन नहीं लिए व्यवसायियों से प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना	4.23	124
स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान	4.24	125
माँग पत्र के अनियमित निर्गमन के कारण प्रवेश कर का गलत समायोजन	4.25	126
विद्युत शुल्क एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	4.26	127
अध्याय–V: अन्य कर प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	129
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.2	129
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	130
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.4	132
कः भू–राजस्व		
स्थापना प्रभार का कम प्रेषण	5.5	133
सरकारी भूमि के हस्तान्तरण पर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना	5.6	134
आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली	5.7	134
लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण नहीं किया जाना	5.8	135

खः राज्य उत्पाद		
उत्पाद दुकानों के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली	5.9	136
जमानत राशि के अनियमित समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता	5.10	137
अध्याय–VI: कर भिन्न प्राप्तियाँ		
अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग		
कर प्रशासन	6.1	139
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.2	139
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	139
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	6.4	141
खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड	6.5	141
बालू घाटों की बंदोबस्ती पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	6.6	143
बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली	6.7	144
पृथक कॉरपस निधि के मद में राशि की वसूली नहीं किया जाना	6.8	145
बालू घाटों की बंदोबस्ती हेतु शर्तों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाना	6.9	146
परिशिष्ट		149

प्रस्तावना

31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्त्तों), अधिनियम, 1971 के तहत् किये गए राजस्व प्रक्षेत्र के अधीन मुख्य राजस्व उदग्रहित करने वाले विभागों की प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2015–16 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,416.97 करोड़ से सन्निहित कर, शुल्क, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का अवनिर्धारण, कम आरोपण से संबंधित 40 कंडिकाएँ हैं, जिसमें ''मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ''मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण'' तथा ''वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की वसूली हेतु प्रणाली'' पर दो लेखापरीक्षा शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे वर्णित हैं :

I. सामान्य

वर्ष 2015–16 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 96,123.10 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 25,449.18 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व के ₹ 2,185.64 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 27,634.82 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 68,488.28 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 48,922.68 करोड़ तथा सहायता अनुदानः ₹ 19,565.60 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 29 प्रतिशत था। बिक्री, व्यापार पर कर (₹ 10,603.40 करोड़) एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 971.34 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2015 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2016 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 2,008 एवं 15,426 थी, जिसमें ₹ 10,662.75 करोड़ सन्निहित थे। 1,209 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अभिलेखों की वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 2,990 मामलों में ₹ 3,663.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान विभागों ने 293 मामलों में ₹ 275.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9)

II. मोटर वाहनों पर कर

'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता की सीमा से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रोन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रोन के कण का वार्षिक औसत स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु गुणवता को अत्यधिक ''अस्वास्थ्यकर'' घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट

एयर क्वालिटी मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेवल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(कंडिका 2.4.9.1)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ो के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानक का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही है तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अधिप्रमाणित है। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्वि का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.4.9.2)

वैलिडेसन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद को अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की अखंडता एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

(कंडिका 2.4.8)

वाहन सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.10)

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 3,188 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चलाने हेतु योग्यता जाँच के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस ने इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण हाने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाईसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

(कंडिका 2.4.11)

चूंकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अंतः–जुड़ाव करने में विफल रहा, अतः बगैर परमिट के तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.4.12)

शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ की राशि, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान की अवहेलना में दो दिनों से 10 महीनों के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। पुनः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त 596 बैक ड्राफ्ट का नगदीकरण उनके वैधता अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.14)

सत्रह जिला परिवहन कार्यालयों में मार्च 2011 एवं जुलाई 2015 की अवधि के बीच 698 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 94.22 लाख के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 2.82 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई माँग निर्गत की गई थी।

(कंडिका 2.6)

पन्द्रह जिला परिवहन कार्यालयों में 5,150 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर का या तो भुगतान ही नहीं किया अथवा कम भुगतान किया। कराधान पदाधिकारियों ने ₹ 4.41 करोड़ के आरोप्य एकमुश्त कर (अर्थदण्ड सहित) का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 2.8)

III. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

''मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एंव संग्रहण'' पर एक लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

चार जिला अवर निबंधक के कार्यालयों में जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के बीच सहायक महानिरीक्षक को प्रेषित ₹ 1.65 करोड़ के मुद्रांक शुल्क से सन्निहित 93 मामले लेखापरीक्षा की तिथि तक निपटारा हेतु लंबित थे, जबकि इनका निपटारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिये था।

(कंडिका 3.4.8)

नौ निबंधन प्राधिकारियों ने छूट के दावे हेतु शर्तों को पुरा किये जाने को सुनिश्चित किये बगैर 99 मामलों में 7.57 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के छूट का अनियमित अनुमति दिया।

(कंडिका 3.4.10)

IV. वाणिज्य–कर

''वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की वसूली हेतु प्रणाली'' की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

चयनित जिलों में बकायों की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 378.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ हो गई, इस प्रकार वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 860.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

(कंडिका 4.4.9)

कर/ब्याज/अर्थदण्ड के बकायों की वसूली हेतु अधिनियम/नियमावलियों/अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन 15 अंचलों में नमूना–जाँचित 2,787 मामलों में से 230 मामलों में नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 11.64 करोड़ के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 35.86 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 223.89 करोड़ के बकायों की वसूली कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी।

(कंडिका 4.4.11)

पन्द्रह अंचलों में 31 मार्च 2016 को ₹ 3637.55 करोड़ से सन्निहित 11,497 मामलों में से ₹ 83.19 करोड़ (2.29 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 2,641 मामले ही नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे।

(कंडिका 4.4.12.1)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में माँग पत्र निर्गत करने की समय सीमा तथा मानक प्रक्रियाएँ, जैसे कि बैंक खातों की जब्ती, नीलामवाद दायर करना तथा जमानतदार पर दायित्व प्रवर्तित करना विहित नहीं था।

(कंडिका 4.4.13)

31 मार्च 2016 तक अपीलीय तथा साथ ही साथ वाणिज्य कर आयुक्त न्यायालय में 2,454 मामले लम्बित रहने के कारण ₹ 1,203.95 करोड़ के बकाये अवरूद्ध थे।

(कंडिका 4.4.21.1 तथा 4.4.21.2)

रिटर्न में घोषित आवर्त्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से लिये गये बिक्री एवं क्रय की सूचनाओं का तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 12.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 4.6)

आठ वाणिज्य कर अंचलों में आठ व्यवसायियों से संबंधित ₹ 776.12 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं के वास्तविक आयात का पता कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणास्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.20)

पटना विशेष अंचल में एक व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के भीतर विनिर्मित एवं उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के मद में प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.22)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

दो जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने अधियाची निकाय/विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 111.72 करोड़ का स्थापना प्रभार की वसूली एवं प्रेषण को सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 5.5)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने सरकारी भूमि का हस्तांतरण से संबंधित ₹ 11.68 करोड़ की वसूली अधियाची प्राधिकार से नहीं किया।

(कंडिका 5.6)

उत्पाद प्राधिकारों ने मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने पर उत्पाद दुकानों के 95 समूहों को विलम्ब से निरस्त किया तथा उत्पाद दुकानों के 33 समूहों को निरस्त ही नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 9.15 करोड़ के सरकारी बकायों की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.9)

VI. कर–भिन्न प्राप्तियाँ

अन्तरविभागीय समन्वय में कमी के कारण 20 जिला खनन कार्यालयों में खनिजो की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदको के विरूद्ध ₹ 44.69 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 6.5.1)

आवश्यक खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के उत्खनन हेतु कार्य संवेदको पर ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.5.2)

अध्याय-I
सामान्य

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका–1.1** में दिए गए हैं।

तालिका–1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	12,612.10	16,253.08	19,960.68	20,750.23	25,449.18[1]
	• कर भिन्न राजस्व	889.86	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64
	कुल	**13,501.96**	**17,388.35**	**21,505.51**	**22,308.21**	**27,634.82**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	27,935.23	31,900.39	34,829.11	36,963.07	48,922.68[2]
	• सहायता अनुदान	9,882.98	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60
	कुल	**37,818.21**	**42,178.31**	**47,413.14**	**56,109.33**	**68,488.28**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**51,320.17**	**59,566.66**	**68,918.65**	**78,417.54**	**96,123.10**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**26**	**29**	**31**	**28**	**29**

(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

---

1 इसमें कोषागार द्वारा लेखांकित 'अन्य प्राप्तियाँ' के रूप में ₹ 7.54 लाख शामिल है।

2 पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020 निगम कर (₹ 15,377.40 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 10,643.04 करोड़), 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 0.39 करोड़), 0032–सम्पत्ति पर कर (₹ 4.31 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 7,849.43 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 6,577.11 करोड़) तथा 0044–सेवा पर कर (₹ 8,430.37 करोड़) तथा 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 40.63 करोड) लघु शीर्ष 901– निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क–कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 27,634.82 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 29 प्रतिशत था।

वर्ष 2015–16 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को निम्न चित्रात्मक **चार्ट–1.1** में भी दर्शाया गया है :

चार्ट–1.1

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ 96,123.10 करोड़)

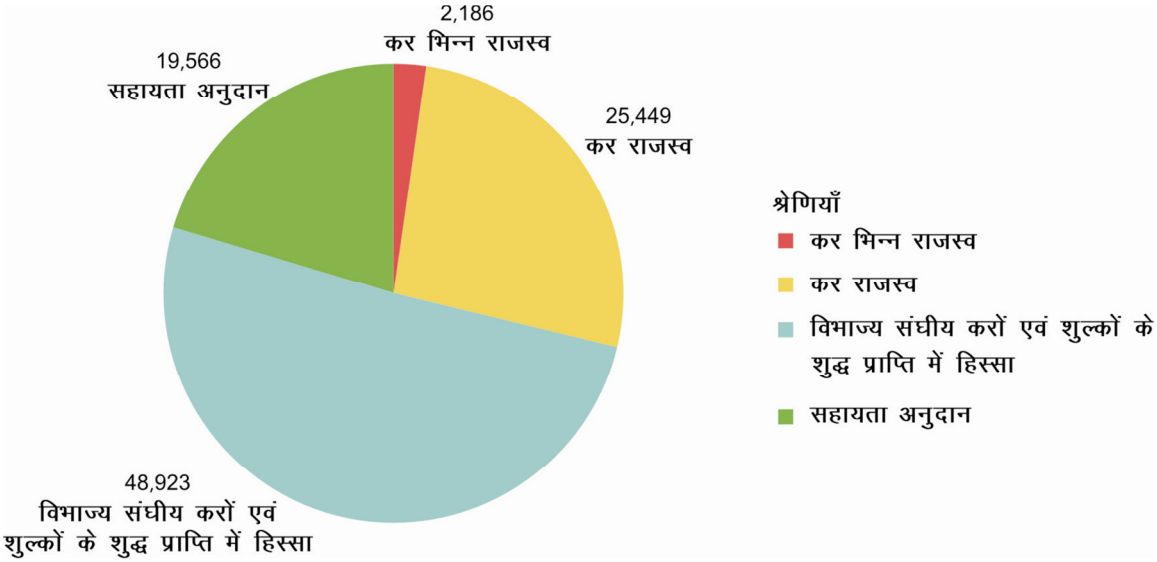

1.1.2 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका–1.2** में दिया गया है।

तालिका– 1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	निम्न की तुलना में वर्ष 2015–16 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविकी
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,508.00 7,476.36	8,071.00 8,670.79	12,324.04 8,453.02	12,820.15 8,607.16	16,025.18 10,603.40	(–) 33.83	(+) 23.19
2	माल एवं यात्रियों पर कर	1,940.00 828.30	2,800.00 1,932.12	1,192.75 4,349.00	4,117.50 4,451.25	5,146.88 6,087.12	(+) 18.27	(+) 36.75
3.	राज्य उत्पाद	1,790.00 1,980.98	2,715.00 2,429.82	3,300.00 3,167.72	3,700.00 3,216.58	4,000.00 3,141.75	(–) 21.46	(–) 2.33
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,600.00 1,480.07	1,906.00 2,173.02	3,200.00 2,712.41	3,600.00 2,699.49	4,000.00 3,408.57	(–)14.79	(+) 26.27
5	वाहनों पर कर	537.00 569.13	644.40 673.39	800.00 837.48	1,000.00 963.56	1,200.00 1,081.22	(–) 9.90	(+) 12.21
6	भू–राजस्व	125.20 167.49	185.00 205.45	205.00 201.71	250.00 277.13	300.00 695.15	(+) 131.72	(+) 150.84
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.70 54.69	60.70 102.55	66.17 141.31	82.70 374.76	102.50 297.99	(+) 190.72	(–) 20.49
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.99 25.52	41.99 28.99	34.14 50.43	48.59 105.34	45.43 69.36	(+) 52.67	(–) 34.16
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	23.30 29.56	31.00 36.95	32.59 47.60	44.00 54.96	55.00 64.55	(+) 17.36	(+) 17.45
कुल		**12,609.19** **12,612.10**	**16,455.09** **16,253.08**	**21,154.69** **19,960.68**	**25,662.94** **20,750.23**	**30,874.99** **25,449.11**	**(–)17.57**	**(+) 22.64**

{(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान सृजित कर राजस्व को निम्न चित्रात्मक चार्ट 1.2 में भी दर्शाया गया है।

चार्ट–1.2

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व (₹ 25,449.11 करोड़)

(₹ करोड़ में)

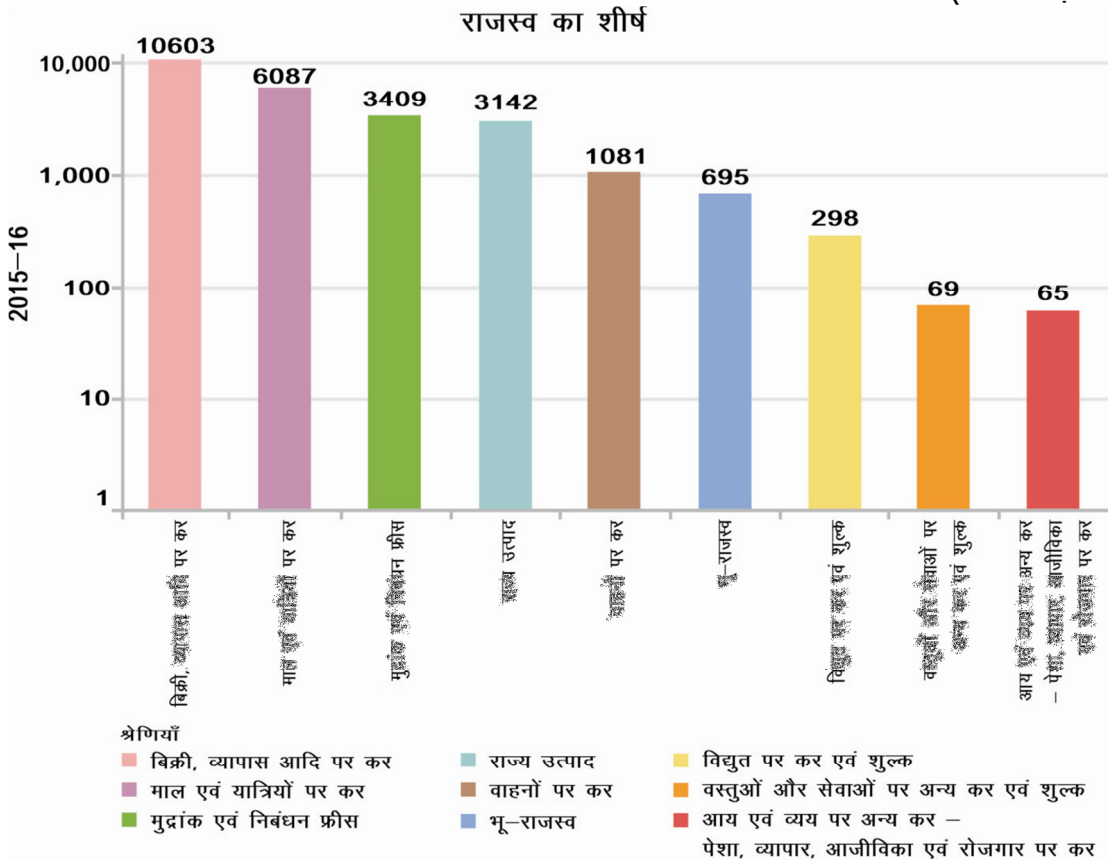

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविकी में (–) 33.83 से (+) 190.72 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वास्तविकी में (–) 34.16 प्रतिशत से (+) 150.84 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया था।

बिक्री, व्यापार आदि पर करः वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्धि (23.19 प्रतिशत) कुछ वस्तुओं (डब्बा बंद, ब्रान्डेड एवं परिरक्षित नमकीन, यू.पी.एस.; ड्राई फ्रूट, ऑटो पार्टस, बैटरी पार्टस तथा औद्योगिक इनपुट के अंतर्गत औद्योगिक केबल एवं विद्युतीय माल) पर कर के दर का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत किया जाना, अवर्गीकृत वस्तुओं पर कर दर 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया जाना, अधिभार के दर का 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ाया जाना तथा चलन्त जाँच एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किए जाने तथा कर भुगतान करने वाले निबंधित व्यवसायियों में वृद्धि के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर करः वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्धि (36.75 प्रतिशत) विद्युतीय मालों पर प्रवेश कर का दर 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढाए जाने के कारण हुई।

राज्य उत्पादः वर्ष 2015–16 के बजट आकलन की तुलना में यह कमी (21.46 प्रतिशत) का कारण मद्यनिषेध की घोषणा को ठहराया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस: वर्ष 2014–15 के वास्तविकी की तुलना में यह वृद्वि (26.27 प्रतिशत) निबंधित विलेखों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

भू–राजस्व: वर्ष 2014–15 के वास्तविकी (150.84 प्रतिशत) तथा वर्ष 2015–16 के बजट आकलन (131.72 प्रतिशत) की वृद्धि, वर्ष के दौरान भू–अर्जन से संबंधित स्थापना प्रभार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य कम्पनियों को हस्तांतरित सरकारी भूमि के मूल्य का संग्रहण तथा माँग में वृद्धि के कारण हुई।

माँगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद, परिवहन विभाग ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अक्टूबर 2016)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविकी में काफी भिन्नता पायी गयी थी।

1.1.3 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका–1.3** में दिया गया है।

तालिका– 1.3

सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	निम्न की तुलना में वर्ष 2015–16 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	280.00 443.10	470.00 511.08	641.00 569.14	750.00 879.87	1,000.00 971.34	(-) 2.87	(+) 10.40
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	370.82 573.70	263.74 167.12	338.48 269.48	202.22 344.77	312.13 583.66	(+) 86.99	(+) 69.29
3.	पुलिस	12.62 9.26	67.83 25.01	70.59 27.27	69.74 29.50	28.93 66.05	(+) 128.31	(+) 123.90
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	59.64 11.49	46.56 10.01	65.01 10.18	251.60 21.77	51.25 72.61	(+) 41.68	(+) 233.53
5.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	(-)147.69	422.05	668.26	282.07	491.98		(+) 74.42
कुल		**889.86**	**1,135.27**	**1,544.83**	**1,557.98**	**2,185.64**		**(+) 40.29**

{(स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

वर्ष 2015–16 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर भिन्न राजस्व निम्न चित्रात्मक **चार्ट–1.3** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट–1.3

वर्ष 2015–16 के दौरान सृजित कर भिन्न राजस्व (₹ 2,185.64 करोड़)

(₹ करोड़ में)

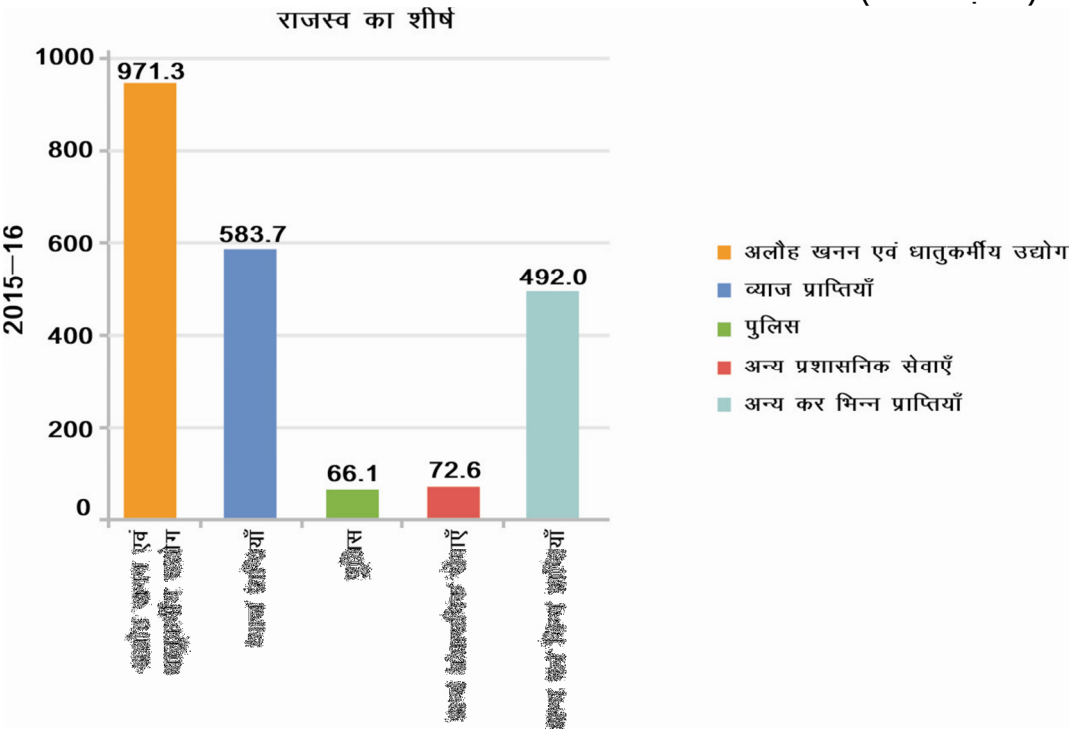

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविकी में (–) 2.87 से (+) 128.31 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः, कर भिन्न राजस्व के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वास्तविकी में (–) 10.40 से (+) 233.53 प्रतिशत तक की भिन्नता था।

संबंधित विभाग ने माँगे जाने के बावजूद (अप्रैल और जुलाई 2016) भिन्नता का कारण प्रतिवेदित (अक्टूबर 2016) नहीं किया।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2016 को बकाया राजस्व ₹ 5,728.97 करोड़ था, जिसमें से ₹ 500.03 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा **तालिका–1.4** में दिया गया है।

तालिका– 1.4

राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	लम्बन की स्थिति
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,206.42	315.95	₹ 2,206.42 करोड़ में से ₹ 309.93 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 318.44 करोड़ एवं ₹ 61.55 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी,

				₹ 76.18 लाख की राशि कर–निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 1.27 करोड़ माफी के योग्य एवं ₹ 1,514.47 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,960.94	9.98	₹ 1,960.94 करोड़ में से ₹ 76.50 लाख की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 1,738.07 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 222.10 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	891.54	2.11	₹ 891.54 करोड़ में से ₹ 20.73 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 870.81 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	राज्य उत्पाद	60.09	16.13	₹ 60.09 करोड़ में से ₹ 52.59 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 5.38 करोड़ एवं ₹ 12.54 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 13.50 लाख व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 40.35 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 1.46 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	वाहनों पर कर	192.20	उपलब्ध नहीं कराया गया	मांगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों तथा बकायों के संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किए गए थे।
6.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	9.65	8.25	₹ 9.65 करोड़ में से ₹ 8.42 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 2.40 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.20 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
7.	भू–राजस्व	142.92	उपलब्ध नहीं कराया गया	मांगे जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद पाँच वर्षों से अधिक तक के लंबित बकायों तथा बकायों के संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किए गए थे।
8.	खान एवं भूतत्व	246.62	145.89	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
9.	मुद्रांक एव निबंधन फीस	18.59	1.72	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2016 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
कुल		**5,728.97**	**500.03**	

(स्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का ब्योरा निम्न **चार्ट–1.4** दर्शाता है:

चार्ट–1.4

31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का ब्योरा (₹ 5,728.97) करोड़

(₹ करोड़ में)

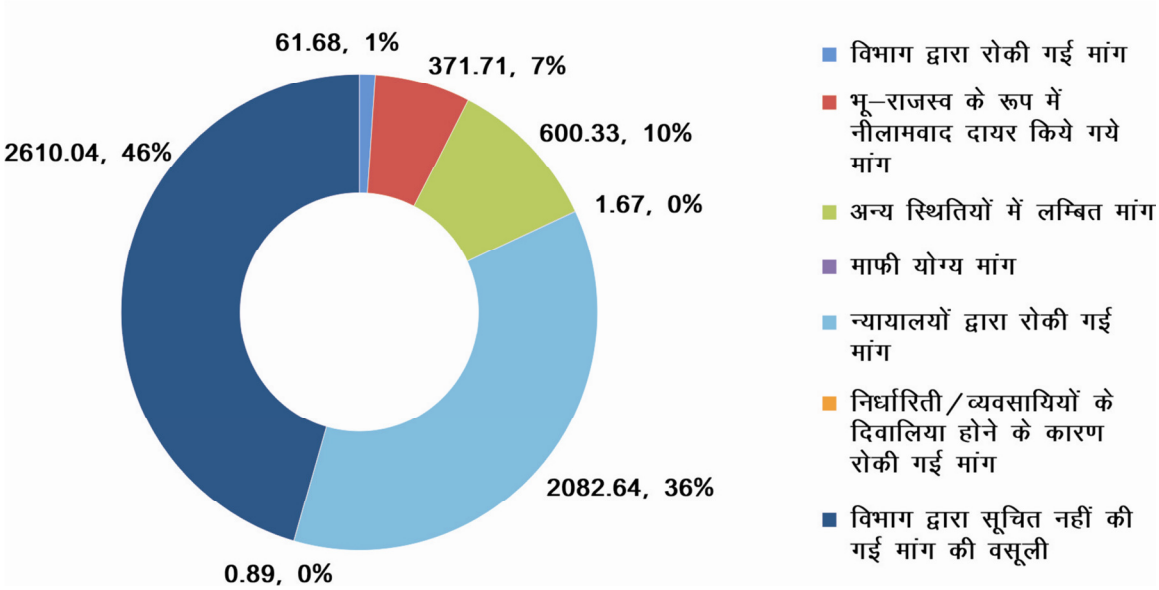

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राजस्व के कुल बकाये ₹ 5,728.97 करोड़ में से ₹ 371.71 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गये थे, ₹ 2,082.64 करोड़ एवं ₹ 61.68 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी, ₹ 89.68 लाख की राशि पर निर्धारिती/व्यवसायियों के दिवालया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 1.67 करोड़ की राशि माफी के योग्य एवं ₹ 2,610.04 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे। माँगे जाने के बावजूद चार विभागों[3] ने ₹ 600.33 करोड़ के बकाये की संग्रहण के लिए लम्बित स्थितियाँ सूचित नहीं किये थे।

राज्य मद्य निषेध नीति, 2016 के लागू होने के फलस्वरूप राज्य को अनुमानतः ₹ 4,000 करोड़[4] के राजस्व की हानि होने की संभावना है, इसलिए सरकार/विभाग को बकाये की संग्रहण की कोशिश तेज करनी चाहिए, जिससे राजस्व का कम से कम हानि हो।

1.3 कर–निर्धारण में बकाये

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से संबंधित उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों तथा वर्ष के अन्त में निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका–1.5** में दिया गया है।

[3] खान एवं खनिज विभाग, निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध (निबंधन) विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग।

[4] वर्ष 2015–16 के लिए बजट आकलन एवं वास्तविक राजस्व संग्रहण पर आधारित।

तालिका–1.5

कर–निर्धारण में बकाये

राजस्व शीर्ष	आरम्भ शेष	वर्ष 2015–16 में निर्धारण योग्य नए मामले	कुल निर्धारण येाग्य मामले	वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निष्पादन का प्रतिशतता (स्तम्भ 5 का 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	80,989	73,149	1,54,138	50,452	1,03,686	32.73
माल एवं यात्रियों पर कर	5,575	4,569	10,144	5,912	4,232	58.28
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर	2,166	766	2,932	644	2,288	21.96
विद्युत पर कर तथा शुल्क	324	55	379	72	307	19

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में वर्ष के दौरान कर–निर्धारण के निष्पादन की प्रतिशतता 19 प्रतिशत से 58.28 प्रतिशत तक थी।

1.4 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले तथा अतिरिक्त कर हेतु माँग का सृजन का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, **तालिका–1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाये मामलें	वर्ष 2015–16 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2016 तक लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की सं.	माँग की राशि	
1	वाणिज्य–कर[5]	319	1,179	1,498	1,019	21.00	479
2	राज्य उत्पाद	36	11	47	शून्य	शून्य	47
3	मुद्रांक एव निबंधन फीस	4	शून्य	4	शून्य	शून्य	4

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

[5] वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद के मामले में वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या अधिक थी, जो दर्शाता है कि कर अपवंचन के लंबित मामलों के निष्पादन में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

1.5 वापसी के लम्बित मामले

वर्ष 2015–16 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष 2015–16 के अंत में लम्बित मामले, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, **तालिका–1.7** में दिये गये है।

तालिका– 1.7

वापसी के लम्बित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,647	71.34	105	16.12	6	0.02	260	16.15
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	247	136.81	14	23.33	शून्य	शून्य	464	23.85
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	208	138.31	13	11.84	शून्य	शून्य	366	11.84
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,686	69.85	106	27.61	6	0.02	358	28.16

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 70 (1) के अनुसार अगर आधिक्य राशि को आदेश होने के 90 दिनों[6] के अंदर व्यवसायी को नहीं वापस किया जाता है तो छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतेय होगा।

वर्ष के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर के वापसी मामलों के निष्पादन की प्रगति काफी धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदनों को, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकनों का शीघ्र अनुपालन, त्रुटियों एवं चूको का सुधार तथा इसके प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के

[6] 60 दिन से विस्थापित 2016 के अधिनियम 4 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के द्वारा।

अंदर प्रारंभिक उत्तर द्वारा महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण वित्तीय त्रुटियों को विभाग एवं सरकार के प्रमुख को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2015 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से स्पष्ट था कि जून 2016 के अंत तक 2,008 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,662.75 करोड़ से सन्निहित 15,426 कंडिकाएँ लंबित थी, जैसाकि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ **तालिका–1.8** में दी गई है:

तालिका–1.8

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निष्पादन के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,806	1,790	2,008[7]
लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	27,764	13,028	15,426
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	17,825.55	9,157.77	10,662.75

1.6.1 दिसम्बर 2015 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि **तालिका–1.9** में दी गई है:

तालिका–1.9

विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	312	6,210	5,746.49
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	283	1,271	1,073.44
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	329	2,318	1,241.58
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	514	3,104	1,260.44
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	280	799	213.58
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	290	1,724	1,127.22
कुल			**2,008**	**15,426**	**10,662.75**

[7] लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006–07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

यहाँ तक कि दिसम्बर 2015 तक निर्गत किए गए 1,209 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए विचार कर सकती है जिससे लेखापरीक्षा अवलोकनों को निष्पादित किया जा सके और लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये कमियों पर सुधारात्मक कदम उठाया जा सके।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति तेज करने एवं अनुश्रवण के लिए सरकार लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करती है। वर्ष के दौरान मात्र दो लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की गई थीं जिसमें ₹ 55.28 करोड़ से सन्निहित 148 कंडिकाएँ निष्पादित की गई, जैसा कि **तालिका–1.10** में वर्णित है।

तालिका–1.10

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
वाणिज्य–कर	1	95	15.04
राज्य उत्पाद	1	53	40.24
कुल	**2**	**148**	**55.28**

पूरे वर्ष (2015–16) के दौरान सिर्फ दो लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन ने सरकार को ज्यादा संख्या में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन के अवसर से वंचित कर दिया, जैसाकि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित था।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार को नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठाना चाहिए।

1.6.3 संवीक्षा के लिए अभिलेखों के लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जाना

सामान्यतः लेखापरीक्षा के एक माह पूर्व ही स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम तैयार कर कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों को, जहाँ तक संभव हो, इसकी अग्रिम सूचना भी भेजी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सकें।

वर्ष 2015–16 के दौरान 320 कर निर्धारण संचिकाएँ, रिटर्न, वापसी, पंजियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से किसी भी मामले में सन्निहित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। इन मामलों का विवरण **तालिका–1.11** में दिया गया है:

तालिका 1.11

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें लेखापरीक्षा किए गए	मामलों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
वाणिज्य–कर	2015–16	4
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (उत्पाद)	2015–16	12
राजस्व एवं भूमि सुधार	2015–16	263
परिवहन	2015–16	8
खान एवं भूतत्व	2015–16	33
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (निबंधन)	2015–16	–
कुल		**320**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को, महालेखाकार संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों/सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने को निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के अंत में संसूचित किया जाता है।

सैंतीस प्रारूप कंडिकाओं, एक निष्पादन लेखापरीक्षा, तथा दो विषयगत लेखापरीक्षा को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को मई एवं जुलाई 2016 के बीच भेजा गया था। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य उत्पाद से संबंधित दो कंडिकाओं (एक आंशिक) तथा 'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा का उत्तर भेजा। वाणिज्य कर विभाग ने वाणिज्य कर से संबंधित दो कंडिकाओं (एक आंशिक) तथा 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु प्रणाली' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा का उत्तर भेजा। परिवहन विभाग ने एक कंडिका का आंशिक उत्तर एवं खान एवं भूत्तत्व विभाग ने छह कंडिकाओं का उत्तर भेजा। पुनः परिवहन विभाग ने 'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा का उत्तर भेजा। शेष विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने अनुरोध (मई एवं अगस्त 2016 के बीच) किये जाने के बावजूद भी उत्तर नहीं भेजा एवं इसे सरकार/विभाग के मंतव्य के बगैर ही प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों का मैनुअल (1998) उपबंधित करता है कि संबंधित विभागों के सरकार के सचिव लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के दो माह के अंदर लेखापरीक्षा में जाँच के बाद, लोक लेखा समिति के किसी बुलावे या सूचना की प्रतीक्षा किये बगैर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रावधानों के बावजूद विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब किए गए। जुलाई 2007 से मार्च 2016 के बीच वर्ष 2005–06 से 2014–15 को समाप्त होने

वाले वर्ष से संबंधित बिहार सरकार के राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कुल 322 कंडिकाएं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थी, को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2005–06 से 2014–15 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 142 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को निबटाने से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में एक विभाग से संबंधित दस वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया तथा इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विगत नौ वर्षों के दौरान राजस्व शीर्ष '0853 – अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग' के तहत् खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2007–08 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.7.1 से 1.7.3 में उल्लिखित है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति 31 मार्च 2016 तक **तालिका–1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.12

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंत शेष		
		नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	नि.प्र.	कंडिका	राशि	नि. प्र.	कंडिका	राशि
1	2007–08[8]	–	–	–	19	89	52.63	–	–	–	19	89	52.63
2	2008–09	19	89	52.63	51	237	95.74	3	5	0.15	67	321	148.22
3	2009–10	67	321	148.22	31	175	230.74	–	6	0.73	98	490	378.23
4	2010–11	98	490	378.23	27	161	281.86	–	17	1.95	125	634	658.14
5	2011–12	125	634	658.14	39	226	149.04	–	8	1.42	164	852	805.76
6	2012–13	164	852	805.76	31	225	73.88	3	31	129.82	192	1046	749.82
7	2013–14	192	1046	749.82	39	226	61.20	–	2	0.01	231	1270	811.01
8	2014–15	231	1270	881.01	51	344	184.53	–	4	0.18	282	1610	995.36

[8] लोक लेखा समिति एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों को छोड़ वर्ष 2006–07 तक के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखे जाने/समाधानित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

9	2015–16	282	1610	995.36	38	259	229.78	1	16	0.86	319	1853	1224.28

सरकार पुराने कंडिकाओं के निष्पादन हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समितियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के अन्त में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या संचयित होकर कुल 1,853 कंडिकाओं के साथ 319 हो गयी। यह इंगित करता है कि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था जिसके फलस्वरूप बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का भारी संचयन हुआ।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले एवं उनमें की गई वसूली की स्थिति **तालिका–1.13** में वर्णित है।

तालिका–1.13

स्वीकृत मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत मामलों के वसूली की संचयी स्थिति 31.03.2016 तक
2005–06	2	6.51	1	2.04	शून्य
2006–07	1(समीक्षा)	38.32	1 (आंशिक)	26.21	शून्य
2007–08	4	2.38	3	1.21	शून्य
2008–09	2	2.33	2	2.33	शून्य
2009–10	5	4.46	3+1(आंशिक)	1.80	0.64
2010–11	3	5.53	3	5.53	6.09
2011–12	6	9.04	2+1(आंशिक)	6.04	1.13
2012–13	1(समीक्षा)	23.85	1 (आंशिक)	शून्य	शून्य
2013–14	7	10.58	1	0.33	शून्य
2014–15	5	60.69	2+1(आंशिक)	1.74	0.95

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान वर्ष 2010–11 को छोड़कर स्वीकृत मामलों में भी वसूली की स्थिति काफी धीमी रही। स्वीकृत मामलों की वसूली संबंधित पक्षों से वसूलनीय बकाये के रूप में माँग की जानी थी। विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत मामलों के निराकरण से संबंधित कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। उचित तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित बकायों के निराकरण तथा उचित वसूली हेतु अनुश्रवण के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया

जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभाग/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

खान एवं भूतत्व विभाग की दो निष्पादन लेखापरीक्षा गत दस वर्षों मे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी, जिसमे आठ अनुशंसाएँ थी। तथापि अभी तक (अक्टूबर 2016) विभाग ने इन अनुशंसाओं पर कोई कारवाई नही किया था।

1.8 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के इकाई कार्यालयों को उनके राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों के पूर्व की प्रवृति तथा अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम की श्रेणी में बांटा जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को, सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मामलों एवं कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर जारी श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केन्द्र एवं राज्य) का प्रतिवेदन, करारोपण सुधार समिति की अनुशंसाओं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उगाही की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के तत्वों, पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा आच्छादन एवं इसका प्रभाव आदि के जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 1,198 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थी, जिसमें 296 इकाइयों को योजना में लिया गया तथा 269 इकाइयों[9] की लेखापरीक्षा की गई, जो कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 22.61 प्रतिशत है। विवरण **निम्न तालिका–1.14** में दर्शाये गये हैं:

तालिका–1.14

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभाग	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या	योजना में लिये गये इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या
वाणिज्य–कर	63	40	39
उत्पाद	51	39	37
भू–राजस्व	839	108	91
परिवहन	49	35	33
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	140	39	34
खान एवं भूतत्व	56	35	35
कुल	**1,198**	**296**	**269**

उपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे कर प्रशासन की प्रभावकारिता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो विषयगत लेखापरीक्षा भी की गई।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियाँ

[9] राज्य मे पंचायत चुनाव एवं राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग के बन्दोबस्ती कार्यालयों के कार्यशील नही रहने के कारण योजना मे लिये गये 27 इकाईयों का लेखापरीक्षा नही कराया जा सका।

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ से संबंधित 269 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनमें अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के कुल 2,990 मामलों, जिनमें कुल ₹ 3,663.11 करोड़ की राशि सन्निहित थी, परिलक्षित हुए। वर्ष 2015–16 के दौरान विभागों ने 293 मामलों में ₹ 275.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

1.10 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'मोटर वाहन पर कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण' एवं 'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु प्रणाली' पर दो लेखापरीक्षा सहित कुल 40 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों, जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) शामिल हैं जिसमें ₹ 1,416.97 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 796.14 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार (अक्टूबर 2016 तक) किया, जिसमें से ₹ 22.29 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष मामलों में कोई वसूली सूचित (अक्टूबर 2016) नहीं किये गये थे। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गई है।

अध्याय-II
वाहनों पर कर

अध्याय–II: वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों [1] तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है एवं मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और कर का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का उत्तरदायित्व जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन होता है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाईयों की संख्या एवं प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना संबंधित सूचना हमें अप्राप्त (अक्टूबर 2016) हैं।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 के दौरान परिवहन विभाग के अंतर्गत 49 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं, जिनमें से 35 इकाईयों को लेखापरीक्षा हेतु योजना में लिया गया तथा हमने 33 इकाईयों (डी.टी.ओः 29, आर.टी.ए.: 2, एस.टी.सीः 1 एवं पी.एस.यू: 1) की लेखापरीक्षा की। हमने ₹ 94.57 करोड़ से सन्निहित 299 मामलों में राजस्व की कम वसूली, राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–2.1** में वर्णित है।

---

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

तालिका–2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	**'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण'** का निष्पादन लेखापरीक्षा	1	39.15
2.	नये निबंधित मैक्सी/कैब से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	37	8.79
3.	निबंधन के लिए लंबित ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	59	7.96
4.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	27	4.56
5.	तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	35	3.74
6.	व्यापार प्रमाण पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	23	2.29
7.	अन्य मामले	117	28.08
कुल		**298**	**55.42**
कुल योग		**299**	**94.57**

वर्ष 2015–16 के दौरान मोटर वाहन करों पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों का लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित **चार्ट–2.1** में प्रदर्शित है:

चार्ट–2.1

लेखापरीक्षा के परिणाम (₹ 94.57 करोड़)

(₹ करोड़ में)

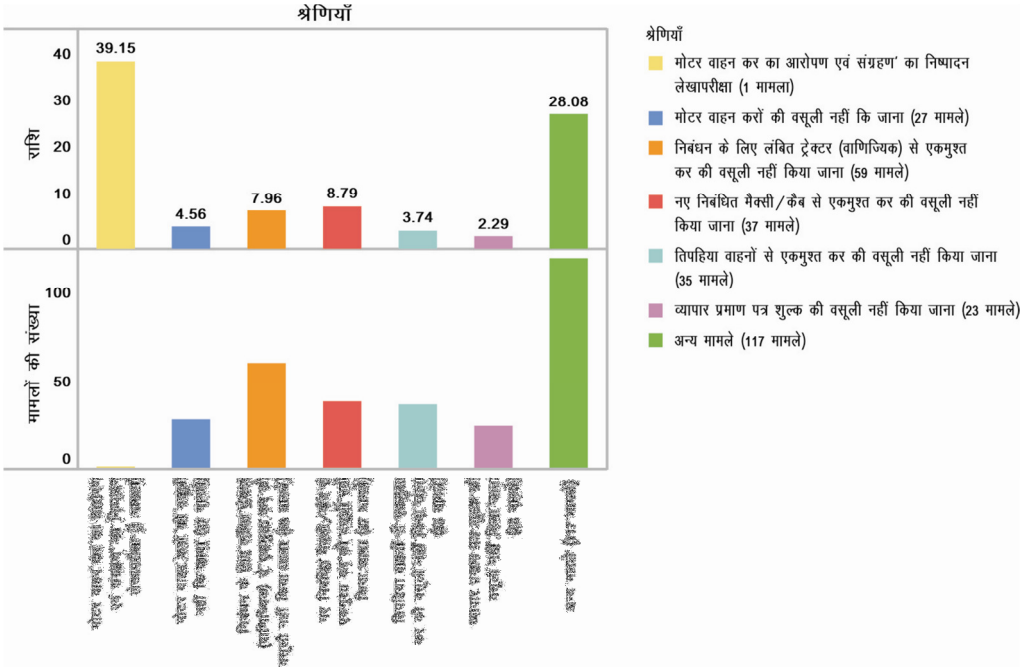

उपर्युक्त वर्णित मामलों में से विभाग द्वारा 11 मामलों में सन्निहित ₹ 7.22 करोड़ राजस्व का कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ के मामले स्वीकार किये गये, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 48.57 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित 'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा अवलोकन तथा कुछ अन्य दृष्टांतस्वरूप लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

2.4 'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' का निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु गुणवत्ता को ''अत्यधिक अस्वास्थ्यकर'' घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटि मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(कंडिका 2.4.9.1)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिशिचित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्वि का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.4.9.2)

वैलिडेसन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद को अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की अखंडता एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

(कंडिका 2.4.8)

वाहन सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का

निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.10)

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 3,188 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण होने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

(कंडिका 2.4.11)

चूंकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अंतः–जुड़ाव में विफल रहा, अतः बगैर परमिट के तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.4.12)

शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ की राशि, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान की अवहेलना करते हुये दो दिनों से 10 महीनों के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। पुनः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त 596 बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण उनके वैधता अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.14)

2.4.1 परिचय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान नियमवाली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण किया जाता है। लाइसेंस हेतु शुल्क, वाहनों का निबंधन, योग्यता प्रमाणपत्र, परमिट तथा कम्पाउडिंग अपराध हेतु दंड का आरोपण तथा वसूली, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 और उसके तहत् जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेसों का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वाहन[2] एवं सारथी[3] सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन. आई. सी.) नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य मोटर वाहनों और लाइसेसों की राज्य पंजी भी विकसित करना था। इन दोनों कम्प्यूटर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए क्रमशः मई 2008 एवं फरवरी 2009 से विभाग के कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था। सर्वर के लिए विंडो 2000 तथा सभी क्लाईंट के लिए एक्स.पी. ऑपरेटिंग प्लेटफार्म था। वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन निबंधन, वाहन निबंधन का नवीनीकरण, स्वामित्व का हस्तानांतरण, पते में बदलाव, बंधक (हाईपोथिकेशन) का निराकरण, परमिट तथा कर इत्यादि विभिन्न माड्यूल थे तथा सारथी सॉफ्टवेयर में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गमन तथा नवीनीकरण करना विभिन्न माड्यूल था।

---

[2] वाहनों के निबंधन तथा पथ कर सामाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

[3] विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार स्तर पर विभाग, प्रधान सचिव द्वारा प्रशासित है, जबकि राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार विभाग के प्रधान हैं तथा अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर इनका सहयोग दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है, जो क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के सचिव तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न **चार्ट–2.2** में दिया गया है।

चार्ट–2.2

संगठनात्मक ढांचा

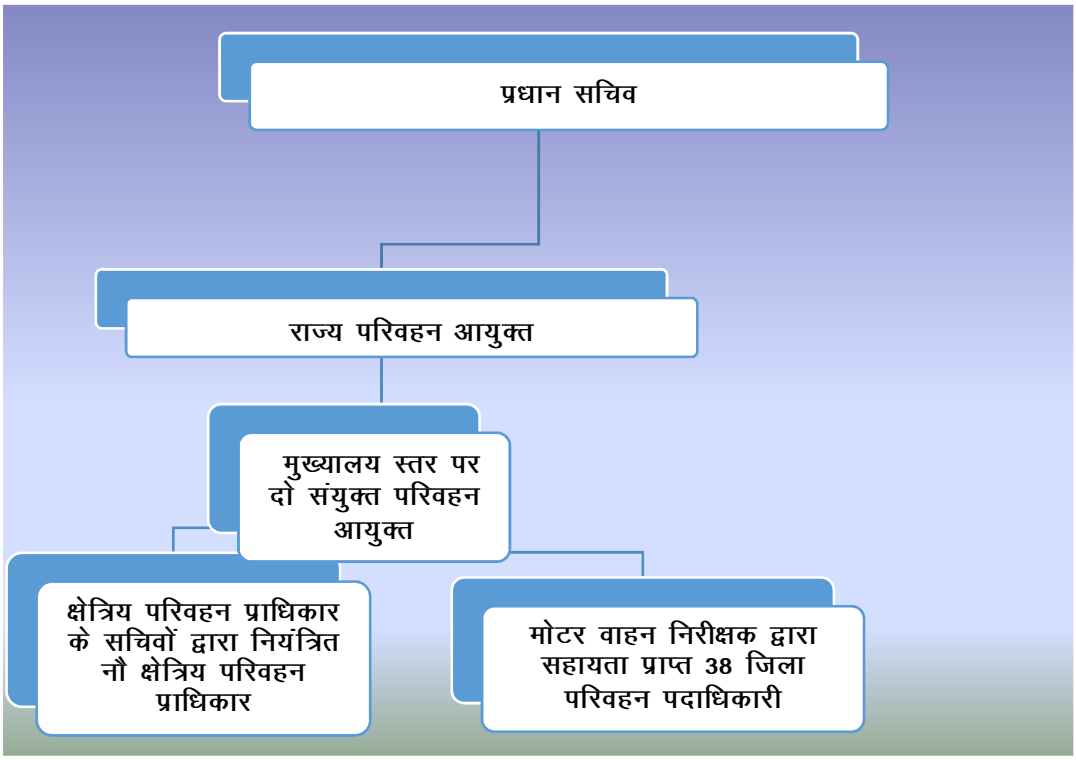

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था, कि क्याः

- मोटर वाहन करों, फीस एवं जुर्माना इत्यादि का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमावलियों तथा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं, के प्रावधान को दक्षता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से लागू किये जा रहे थे; तथा
- विभाग के पास राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण तथा इसके सरकारी खाता में प्रेषण हेतु एक प्रभावी एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था।

2.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994;
- बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992;
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्रों, कार्यकारी और विभागीय आदेशों और निर्देशों;
- बिहार तथा ओड़ीशा लोक माँग और वसूली अधिनियम, 1914;
- बिहार बजट प्रक्रिया; और
- बिहार वित्तीय नियमावली ।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन मार्च से जुलाई 2016 के दौरान किया गया। 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से 10[4], जिसमें तीन चेक पोस्ट[5] शामिल हैं तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में से दो (मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) का चयन रैण्डम रूप से इंटरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन विश्लेषण के माध्यम से वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान सृजित राजस्व के आधार पर किया गया। दो जिला परिवहन कार्यालयों (कैमुर और सहरसा) को विभाग के अनुरोध पर चयनित किया गया। इसके अलावा राज्य परिवहन आयुक्त, जो मुख्यालय स्तर पर नियंत्री कार्यालय है, को भी निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में अभिलेखों की जाँच, विभाग से आँकड़े प्राप्त करना, लेखापरीक्षा ज्ञाप एवं प्रश्नावली निर्गत करना और लेखापरीक्षित कार्यालयों से निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जवाब प्राप्त करना शामिल था। 29 मार्च, 2016 को आरंभिक सम्मेलन का आयोजन राज्य परिहवन आयुक्त के साथ की गयी, जिसमे लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्य–पद्धति तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य, जिसमें नमूने प्राप्ति की विधि सम्मिलित है, के बारे में विभाग को बताया गया। 6 अक्टूबर, 2016 को एक अंतिम सम्मेलन का आयोजन, राज्य परिवहन आयुक्त के साथ किया गया, जिसमें इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा की गयी। उनकी टिप्पणियों को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.4.6 स्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

2.4.7 राजस्व की प्रवृत्ति

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार, राजस्व और प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष भर के अंदर वसूलनीय राशि को दिखाना चाहिए। आने वाले वर्ष के लिए स्थायी

---

[4] बेगुसराय, किशनगंज, कटिहार, गया, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली और पश्चिमी चम्पारण।

[5] दालकोला (पूर्णिया), डोभी (गया) तथा कर्मनाशा (कैमुर)।

राजस्व के प्राक्कलन में, गणना वास्तविक माँग के आधार पर होना चाहिए जिसमें विगत वर्षों का बकाया और वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावनाओं को समाहित किया जाना चाहिए। बकाए और वर्तमान माँग को अलग–अलग दिखाना चाहिए और यदि पूर्ण वसूली की संभावना नहीं हो तो कारण बताना चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में, प्राक्कलन, विगत तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

पुनः बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 37 यह उपबंधित करता है कि विभागीय पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वह यह देखें कि सरकार को देय राशि नियमित और शीघ्रता से निर्धारित एवं वसूली कर लिया गया है और लोक लेखा में जमा कर दिया गया है तथा इसकी मिलान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के अभिलेखों से यह देखने के लिये कर ली गयी है कि वसूल की गई राशि लोक लेखा में जमा हो गई है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन के विस्तृत ब्यौरों और वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) निम्न **तालिका–2.2** में प्रदर्शित है:

तालिका–2.2

राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वित्त लेखा के अनुसार प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट प्राक्कलन (3–2) में भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता	वित्त लेखा के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों / विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता
1	2	3	4	5	6	7
2011–12	537.00	569.13	557.48	32.13	5.98	11.65
2012–13	644.40	673.39	669.30	28.99	4.50	4.09
2013–14	800.00	837.48	835.51	37.48	4.68	1.97
2014–15	1000.00	963.56	966.46	(–)36.44	(–)3.64	(–)2.90
2015–16	1200.00	1081.22	1070.97	(–)118.78	(–)9.90	(–)10.25

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की वास्तविक प्राप्तियों (वित्त लेखा के अनुसार) के साथ–साथ बजट प्राक्कलन को निम्न **चार्ट–2.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट–2.3

राजस्व की प्रवृति

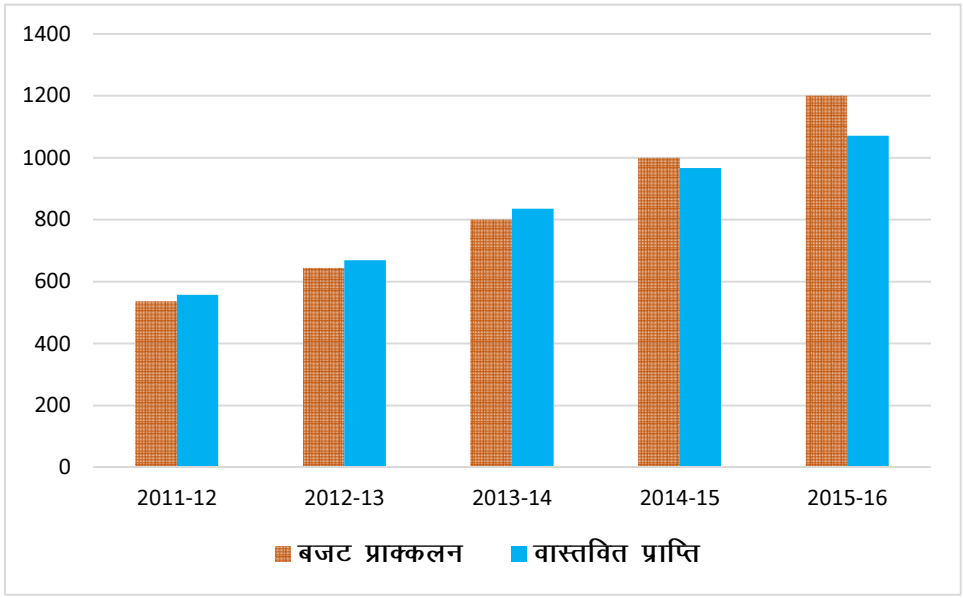

उपरोक्त तालिका संसूचित करता है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से अधिक था। यद्यपि वर्ष 2015–16 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन से 9.90 प्रतिशत तक घट गया था जो चिंता का विषय है और जिसे विभाग द्वारा विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। पुनः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राप्तियों में भिन्नता ₹ (–) 10.25 करोड़ और ₹ 11.65 करोड़ के बीच थी जो इंगित करता है कि समय पर मिलान नहीं किया गया था। महालेखाकार (ले0 एवं ह0) द्वारा मार्च 2016 में सूचित करने के बावजूद विभाग ने अपने राजस्व संग्रहण आँकड़ों का मिलान नहीं किया। हमने यह भी पाया कि सभी 12 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में करो के संग्रहण एवं लेखांकन हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। इसके बावजुद अधिकांश लाभार्थी अपने कर/शुल्क का भुगतान पारंपरिक तौर पर जिला परिवहन कार्यालयों के काउन्टर पर ही कर रहे हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वर्ष 2015–16 में प्राप्तियों में कमी, पदाधिकारियों के विधान सभा चुनाव में व्यस्तता के कारण आयी।

अनुशंसा–1: सरकार/विभाग को राजस्व संग्रहण के आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं ह0)के लेखे के साथ आवधिक मिलान यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिये कि वसूल की गई राजस्व का सही लेखांकन तथा कोषागार में जमा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जिला परिवहन कार्यालयों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों और राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने कई अनियमितताओं/त्रुटियों को पाया जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

2.4.8 सरकारी राजस्व का गबन

वैलिडेशन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद का अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। इन अनियमिततओं के कारण ₹ 20.63 लाख के सरकारी राजस्व का गबन हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 में प्रावधान है कि सभी लेन–देन बिना किसी विलम्ब से खाते में दर्ज कर दिया जाना है तथा प्राप्त राशि को सरकारी खाते में जमा कर देनी है।

- नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में मैन्युअल कैश बुक[6] के साथ वाहन सॉफ्टवेयर से लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश बुक की तिर्यक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में वाहन डाटाबेस के दैनिक कैश रिपोर्ट के जनित प्रति में दर्शायी गई राशि, उसी खास दिन के मैन्युअल कैश बुक में प्रविष्ट की गई राशि से अधिक थी। हमने पुनः पाया कि लेखापरीक्षा के दौरान 30 सितम्बर 2014 से 4 मई 2016 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा जनित दैनिक कैश रिपोर्ट में लेन–देन की वास्तविक तिथि के बाद 35 लेन–देन किये गये थे। इन लेन–देनों में से दो लेन–देन आगे आने वाले तिथि, अर्थात् 8 दिसम्बर 2016 को प्रविष्ट किये गये थे। इसके फलस्वरूप ₹ 11.41 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट**– I में वर्णित है।

- चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[7] में 81 वाहनों से मई 2011 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान ₹ 19.20 लाख के कर का संग्रहण प्रारंभ में किया गया था, परन्तु बाद में उनके रसीद रद्द पाये गये थे। इसके विरूद्ध ₹ 16.47 लाख के 63 रद्द रसीदों के मामले में ₹ 9.98 लाख की कम राशि की नई रसीद निर्गत किये गये थे तथा ₹ 2.73 लाख से सन्निहित शेष 18 रद्द रसीदों के मामलों में कोई नई रसीद जनित नहीं किये थे, लेकिन इन सभी 81 वाहनों के मामलों में वाहन डाटाबेस में कर (त्रैमासिक/एकमुश्त कर) का चुका दिया जाना तथा लेखापित कर दिया जाना/स्मार्ट कार्ड निर्गत प्रदर्शित था। इसके फलस्वरूप ₹ 9.22 लाख (₹ 19.20 लाख–₹ 9.98 लाख) की राशि के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट**–II में वर्णित है।

मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है (मई 2016) एवं पश्चिमी चम्पारण में संबंधित कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विभाग ने पुनः कहा (अगस्त 2016) कि ऐसे कदाचार को रोकने हेतु वाहन एवं सारथी डाटाबेस के अनुश्रवण एवं सुरक्षा के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश निर्गत कर दिया गया है।

अनुशंसा–2: सरकार/विभाग को डाटा की अखंडता एवं सर्वर की सुरक्षा हेतु वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक पासवर्ड तथा आवश्यक वैलिडेशन जाँच को सुनिश्चित करना चाहिये।

---

6 मैन्युअल कैश बुक में लेन–देन की तिथि को जनित कैश रिपोर्ट के अनुसार राशि की प्रविष्टि की जाती है।

7 कटिहार, कैमुर, पुर्णिया, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

2.4.9 वाहन प्रदूषण एवं उत्सर्जन स्तर की जाँच

2.4.9.1 पटना में वाहन प्रदूषण में वृद्धि

पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रॉन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रॉन के कण का स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु घातीय को ''अत्यधिक अस्वास्थ्यकर'' घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट एयर क्वालिटि मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पस्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2.4.9.2 प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों के राज्य डाटाबेस का अभाव

राज्य परिवहन आयुक्त राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों तथा उनके द्वारा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का डाटाबेस संधारित नहीं कर रहे थे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ों के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानकों का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिशिचित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अभिप्रमाणित हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव, पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्वि का कारण हो सकता है।

2.4.9.3 प्रदूषण जाँच उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रदूषण पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर को आठ जिला परिवहन पदाधिकारियों[8] और 22 मोटर वाहन निरीक्षकों को निर्गत किया गया था (मार्च 2009 तथा जून 2012 के बीच), ताकि वे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किये जाने की जाँच कर सके और निर्धारित शुल्क[9] लेकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करें। हालाँकि हमने पाया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने यह जाँच करने के लिए कि मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन तथा प्रदूषण नियंत्रण मानक को पूरा कर रहे हैं, जाँच संचालित नहीं किया, जबकि उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये थे। इसका कारण प्राशिक्षित कर्मियों की कमी का होना था। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गई गैस एनालाइजर/स्मोक मीटर का उपयोग नहीं किया गया था एवं वे अक्रियाशील रखे गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

2.4.9.4 नवीनीकरण शुल्क की हानि

राज्य परिवहन आयुक्त, प्रदूषण जाँच केन्द्रों का राज्य डाटाबेस संधारित नहीं कर रहे थे, अतः 106 प्रदूषण जाँच केन्द्रों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.30 लाख के नवीनीकरण शुल्क की वसूली नही हुई थी।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 6(i) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को जारी किया गया लाइसेंस दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा ₹ 5000 के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान करने पर अगले दो वर्षो के लिए पुनः नवीकृत किया जा सकता है।

---

[8] भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा एवं सारण।

[9] प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क दो पहिया/ऑटो रिक्शा के लिए ₹ 30, हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 50 तथा अन्य वाहनों के लिए ₹ 75 है।

राज्य परिवहन आयुक्त, राज्य में प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित करने में विफल रहे, अतः हमने पाया कि प्रदूषण पंजी में दर्ज 256 प्रदूषण जाँच केन्द्रों में से 106 जाँच केन्द्रों के लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित प्रविष्टि जुलाई 2007 और जनवरी 2016 के बीच नहीं पाई गयी। इसके फलस्वरूप ₹ 11.30 लाख के नवीनीकरण शुल्क की हानि हुई।

2.4.9.5 प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा रिटर्न जमा नहीं किया जाना

प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या तथा संग्रहित राजस्व से संबंधित रिटर्न जमा नहीं किया गया था।

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 163 ई के उपनियम 8 (बी) के अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मासिक रिटर्न अनुवर्ती माह के 5 वीं तिथि तक लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को जमा करना होगा, जिसमें जाँचे गए वाहनों की संख्या, जाँच का परिणाम तथा निर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की संख्या का ब्योरा देना होगा।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार पटना के प्रदूषण पंजी की संवीक्षा से हमने पाया कि प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। रिटर्न के अभाव में इन केन्द्रों द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या, संग्रहित राजस्व तथा सरकारी खाते में जमा किये गये राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा–3: सरकार/विभाग को प्रदूषण जाँच केन्द्रों का एक राज्य डाटाबेस संधारित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही हैं तथा प्रमाणपत्र निर्गत करने के समय विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह विभाग को पटना एवं राज्य में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।

2.4.10 वाहनों का निबंधन

वाहन साफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.4.10.1 वाहनों का घटे हुए बिक्री मूल्य पर निबंधन

घटे हुए बिक्री मूल्य पर 132 निजी वाहनों का निबंधन किये जाने से ₹ 13.75 लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के प्रावधान, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित है (1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी), के अंतर्गत निजी वाहनों के निबंधन के समय बिक्री कर को छोड़ वाहनों के मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर पर एकमुश्त कर वाहन के पुरे जीवन काल के लिए आरोपित किया जाना है। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बिहार अधिनियम 6) के द्वारा एकमुश्त कर के दर को चार लाख रूपये मूल्य तक के वाहनों के लिए छः प्रतिशत तथा चार लाख रूपये से अधिक मूल्य के वाहनों के लिए सात प्रतिशत, जिसमें बिक्री कर शामिल नहीं है, संशोधित किया गया। 1 अप्रैल 2013 से पुनः संशोधित कर सभी निजी वाहनों हेतु कर के दर को सात प्रतिशत किया गया। पुनः परिवहन विभाग ने जुलाई 2013 में यह

निर्देश निर्गत किया कि जिला परिवहन पदाधिकारी कर का संग्रहण, व्यवसायियों द्वारा दिये गये वाहन के मूल्य के साथ बिक्री प्रमाण पत्र (प्रपत्र–21) की सत्यापन के बाद ही करें।

नमूना–जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस में प्रविष्ट बिक्री राशि का वाहनों के वास्तविक बिक्री राशि के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों[10] में 132 निजी वाहनों के वाहन डाटाबेस में दर्शायी गयी बिक्री राशि वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि[11] से कम थी। चूंकि संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के साथ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वाहनों के व्यवसायियों के बिक्री/विक्रय मूल्य के डाटाबेस के साथ अन्तः–सम्बद्धता नहीं थी, अतः लागत मूल्य के इस अंतर का पता नहीं चल सका। तद्नुसार घटे हुए बिक्री राशि पर कर की गणना की गयी थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 13.75 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट**–III में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

2.4.10.2 बिक्री की वास्तविक तिथि के बाद अन्य जिलों में वाहनों का निबंधन

बिक्री की वास्तविक तिथि के बाद तथा घटे हुए बिक्री मूल्य पर वाहनों का दूसरे जिलों में अनियमित निबंधन किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 47 प्रावधित करता है कि नए वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन उस निबंधन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है जिनके क्षेत्र में आवेदक का निवास हो अथवा जहाँ उसका व्यवसाय हो एवं वाहन साधारणतया रखा जाता हो। यात्रा की अवधि को छोड सुपर्दगी की तिथि के सात दिनों के अंदर निबंधन के लिए प्रपत्र 20 में आवेदन देना है। इसे नियमानुसार आवश्यक कागजातों के साथ समर्पित किया जाना है।

जिला परिवहन कार्यालयों, सारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास के निबंधन अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 52 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने नवम्बर 2011 से जून 2014 के बीच निबंधन हेतु आवेदन दिया था लेकिन इन वाहनों का निबंधन अबतक लंबित था। जिला परिवहन कार्यालयों, वैशाली, पूर्वी चम्पारण और कैमूर के वाहन डाटाबेस के आँकडों के विश्लेषण से हमने पाया कि वही 52 वाहन (इनके चेसिस नंबर समान थे) इन जिला कार्यालयों में निबंधित थे। यद्यपि इनकी खरीद की तिथि वास्तविक खरीद की तिथि से बाद की थी और घटे हुए बिक्री मूल्य पर थी, जैसा कि पूर्व के जिला परिवहन कार्यालयों में दर्ज था। इस प्रकार, जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अंतः–सम्बद्धता के अभाव के कारण इन 52 वाहनों का निबंधन अन्य जिला परिहवन कार्यालयों में घटे हुए बिक्री मूल्य पर तथा खरीद की वास्तविक तिथि के बाद

---

10 कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा।

11 डाटाबेस में मोटर साइकिल का बिक्री मूल्य केवल ₹ 125 दर्ज था और कर मात्र ₹ 9 आरोपित किया गया था, लेकिन मोटर साइकिल का वास्तविक मूल्य ₹ 46,839 था और कर ₹ 3,279 आरोपित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार मारूति स्विफ्ट (चार पाहिया) का मूल्य डाटाबेस में मात्र ₹ 38,965 दर्ज था और कर मात्र ₹ 2,728 आरोपित किया गया था, लेकिन कार का वास्तविक मूल्य ₹ 3,93,984 था एवं ₹ 27,579 का कर आरोप्य था। वाहनों की वास्तविक बिक्री राशि समान निर्माता कंपनी के उक्त अवधि में डाटाबेस में इसी मॉडल की कारों के मूल्य पर आधारित था, जिसे कुछ एजेन्सियों से सत्यापित भी कर लिया गया था।

हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि **तालिका–2.3** में नीचे वर्णित है।

तालिका–2.3

वाहनों का अनियमित निबंधन

क्र0सं0	जिलों का नाम, जहाँ वाहन निबंधित पाए गए	वाहनों की संख्या	निबंधन की अवधि	जिलों का नाम, जहाँ पूर्व में निबंधन हेतु आवेदन दिया गया था	राशि (₹ लाख में)
1	पूर्वी चंपारण	9	नवंबर 2011 और मई 2013 के बीच	पश्चिमी चम्पारण	1.41
2	वैशाली	36	मार्च 2013 और जून 2014 के बीच	सारण	6.33
3	कैमूर	7	मई 2012 और मई 2014 के बीच	रोहतास	0.37
		52			**8.11**

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी और आगे कहा कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर डाटाबेस में छेड़छाड़ को रोकने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत (अगस्त 2016) कर दिए गए हैं।

2.4.10.3 समान निबंधन संख्या वाले वाहनों का परिचालन

विभिन्न जगहों पर समान निबंधन संख्या वाले वाहनों का परिचालन हो रहा था, जो कानून–व्यवस्था के लिए एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 46 के अनुसार किसी भी राज्य में निबंधित मोटर वाहन को भारत में किसी दूसरे जगह निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे वाहनों से संबंधित निर्गत निबंधन प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण के साथ जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के वाहन डाटाबेस के 'ऑनर टेबुल' के तिर्यक जाँच से हमने पाया (मई 2016) कि निबंधन प्राधिकारी, पूर्वी चंपारण ने तीन मामलों में दो वाहनों को समान निबंधन संख्या आवंटित किया था। इनमें से तीन वाहन पथ कर का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण में कर रहा था, जबकि शेष तीन वाहन, जो समान निबंधन संख्या के थे, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चंपारण के कर तालिका में दर्ज पाए गए। हालाँकि, इन मामलों में चेसिस/इंजन संख्या भिन्न था, जैसा कि **परिशिष्ट**–IV में वर्णित है।

चूँकि कम्प्यूटर प्रणाली में स्वचालित वैलिडेशन जाँच नहीं था, अतः समान निबंधन वाले वाहनो का परिचालन विभिन्न जगहों पर हो रहा था। यह न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर सुरक्षा का मुद्दा है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने (अक्टूबर 2016) कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मँगायी जा रही है।

2.4.10.4 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी

बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी के परिणामस्वरूप शुल्क के रूप में ₹ 17.66 लाख की हानि हुई तथा साथ ही दंड के रूप में ₹ 3.89 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ था।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 42 के अनुसार वाहन का कोई भी व्यवसायी खरीददार को अनिबंधित मोटर वाहन नहीं सौपेंगे। वे सिर्फ उन्हीं वाहनों को सौपेंगे जिनका निबंधन जिला परिवहन कार्यालयों में अस्थायी/स्थायी रूप से हो गया है। पुनः मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 प्रावधित करता है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक अनिबंधित वाहन का उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं देगें तथा कोई भी व्यक्ति उस मोटर वाहन को नहीं चला सकता है, जिसका निबंधन नहीं हुआ है। बिना अस्थायी या स्थायी निबंधन के मोटर वाहन को खरीददार को सुपर्द करना उपरोक्त अधिनियम की धारा 39 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 44 के तहत् अपेक्षित परिणाम अपरिहार्य है। परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में निर्देश जारी (28 जुलाई 2009) कर दिया है। पुनः इन प्रावधानो का अनुपालन नहीं किए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानो के तहत् ₹ 2000 का न्यूनतम दंड आरोपित किया जाना है।

चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मई एवं जून 2016 के बीच) कि चार जिला परिवहन कार्यालयों[12] में दोपहिया/चार पहिया वाहनों के 16 वैध व्यवसायियों ने अगस्त 2005 और मार्च 2016 के बीच 19,447 वाहन बिना निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया। उपरोक्त नियमावली के उल्लंघन में संबंधित निबंधन प्राधिकारियों ने इन मोटर वाहनों को निबंधन चिह्न जारी कर दिया, जिन्हें बिना स्थायी अथवा अस्थायी निबंधन के खरीददारों को सौंप दिया गया था। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उन व्यवसायियों के विरूद्ध संबंधित निबंधन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पुनः इन वाहनों के मालिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत् दंड का भुगतान हेतु दायी थे। इस प्रकार अस्थायी निबंधन फीस के रूप में ₹ 17.66 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा साथ ही ₹ 3.89 करोड़ का दंड भी आरोपित नहीं किया गया, जैसा कि निम्न **तालिका–2.4** में वर्णित है:

तालिका 2.4
बिना अस्थायी निबंधन के वाहनों की सुपुर्दगी

(₹ लाख में)

क्र0सं0	जिलों का नाम	व्यवसायियों की संख्या	वाहनों की बिक्री की अवधि	कुल निबंधित वाहनों की संख्या	शुल्क एवं देय कर	दंड का आरोपित नहीं किया जाना
1	पश्चिमी चम्पारण	4	अगस्त 2005 और मार्च 2016 के बीच	138	0.12	2.76
2	कैमूर	2	अप्रैल 2011 और फरवरी 2016 के बीच	7,048	6.34	140.96
3	रोहतास	6	जुलाई 2013 और मार्च 2016 के बीच	4,801	4.49	96.02

[12] कैमुर, किशनगंज, रोहतास एवं पश्चिमी चम्पारण।

4	किशनगंज	4	अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच	7,460	6.71	149.20
कुल		**16**		**19,447**	**17.66**	**388.94**

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यवसायियों से अस्थायी निबंधन फीस वसूलने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। पुनः जिला परिवहन पदाधिकारियों को अनिबंधित वाहनों का परिचालन रोकने के लिए भविष्य में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यवसायी वाहनों के बिना निबंधन, चाहे स्थायी या अस्थायी, सुपुर्दगी ना करें।

2.4.10.5 परिवहन वाहन (मालवाहक) के रूप में बगैर ट्रेलर के ट्रैक्टर का निबंधन

ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के मालवाहक (परिवहन वाहन) के रूप में किये जाने के कारण ₹ 19.89 करोड़ का कर एवं ₹ 6.72 करोड़ का परमिट शुल्क की वसूली नहीं हुई थी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 यह प्रावधित करता है कि ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन ही परिवहन वाहन होगा। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 66 प्रावधित करता है कि कोई भी मोटर वाहन का मालिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त परमिट के बगैर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है अथवा इसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है।

बारह जिला परिवहन कार्यालयों[13] के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा से हमने पाया (अप्रैल और जुलाई 2016 के बीच) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के बीच 46,806 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन किया गया था। जिसमे से 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के रूप में किया गया था। इस प्रकार 32,797 ट्रेलर का निबंधन किये बगैर तथा उन ट्रैक्टर को मालवाहक के रूप में अनुमति दिये जाने के कारण ₹ 19.89 करोड़ का कर तथा ₹ 6.72 करोड़ के परमिट शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निबंधित ट्रैक्टर की तुलना में ट्रेलर का निबंधन कम होने के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई थी। हालाँकि, एकमुश्त कर की दर को संशोधित (19 सितम्बर 2014) करके ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन के लिए ट्रैक्टर के मूल्य का 4.5 प्रतिशत किया गया है।

परन्तु तथ्य यह है कि बगैर ट्रेलर के ट्रैक्टर को मालवाहक के रूप में अनुमति दिये जाने से कर एवं परमिट शुल्क के रूप में राजस्व से सरकार वंचित रह गया।

2.4.10.6 डीलर प्वाईन्ट निबंधन

व्यवसायियों द्वारा बिना क्रमानुसार निबंधन चिह्न का आवंटन, अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किए बगैर निर्गत किए जाने के कारण ₹ 53.10 लाख की कम वसूली हुई तथा व्यवसायियों द्वारा ₹ 38.67 लाख के संग्रहित कर एवं शुल्क 50 से 1,488 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया गया।

[13] बेगुसराय, गया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश (28 जुलाई 2009) के अनुसार वाहनों का निबंधन संख्या उनके विक्रय बीजक के क्रमानुसार ही निर्गत किया जाना है। उपलब्ध संख्या के अतिरिक्त व्यवसायी ₹ 5000 के अतिरिक्त शुल्क की वसूली कर इच्छानुसार कोई अन्य संख्या आवंटित कर सकता है। पुनः व्यवसायियों द्वारा डीलर प्वाईन्ट निबंधन के तहत् संग्रहित शुल्क/कर/दस्तावेज को संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में अगले कार्य दिवस में जमा कर दिया जाना है।

- नमूना–जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में डीलर प्वाईन्ट निबंधन की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (मई और जुलाई 2016 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों[14] मे नवम्बर 2012 और मार्च 2016 के बीच 93 व्यवसायियों ने 1,062 निबंधन संख्या (कुल 1,17,416 निबंधन संख्या में से) खरीददारों को बगैर विहित शुल्क प्रभारित किये ही अनुक्रम[15] से बाहर की संख्या आवंटित किया। इसके फलस्वरूप कुल ₹ 53.10 लाख की राशि की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को क्रम से बाहर के निबंधन संख्या केवल निर्धारित शुल्क की वसूली करने के बाद ही जारी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है (सितम्बर 2016)। विभाग ने पुनः कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है तथा ₹ 1.20 लाख की राशि की वसूली कर ली गयी है।

- नमूना–जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस में डीलर प्वाईन्ट रजिस्ट्रेशन की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जून और जुलाई 2016 के बीच) कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों[16] मे 21 व्यवसायियों ने 891 निबंधन संख्या नए वाहनों के खरीददारों को आवंटित किया था। व्यवसायियों ने 891 वाहनों के मालिकों से ₹ 38.67 लाख के निबंधन शुल्क एवं कर का संग्रहण किया था लेकिन संग्रहित राशि को लगभग दो माह से चार वर्षो के विलंब से जमा किया। इस प्रकार व्यवसायियों ने सरकारी राशि का अस्थायी तौर पर दुरूपयोग किया। सरकार उस ब्याज से भी वंचित रह गया जिसे प्राप्त किया जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारियों को संग्रहित राजस्व की राशि को 15 दिनों के भीतर जमा कराने हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय आदेश (जुलाई 2009) के अनुसार शुल्क/कर सहित दस्तावेजों को संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में अगले कार्य दिवस में जमा करना था, ताकि वाहनों के मालिक अपने निबंधन प्रमाणपत्र क्रय की तिथि के एक सप्ताह के अंदर पा सकें।

अनुशंसा–4: सरकार/विभाग को सभी जिला परिवहन कार्यालयों तथा वाहनों के व्यवसायियों के बीच अन्तः–सम्बद्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वाहनों का निबंधन वास्तविक मूल्य पर तथा वाहनों की बिक्री की तिथि के आधार पर हो सके। पुनः सरकार/विभाग को यह भी सुनिशचित करना चाहिए कि कोई भी वाहन निबंधन के बगैर परिचालित न हो तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध

---

14 बेगुसराय, गया, कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

15 जिला परिवहन कार्यालय, नालन्दा में 30 मार्च 2015 को संख्या बी.आार. 21 एल. 0989 आवंटित किया गया था जबकि उसके बाद का संख्या बी.आार. 21 एल. 0990 पूर्व तिथि 24 मार्च 2015 को ही आवंटित कर दिया गया था।

16 बेगुसराय, कटिहार एवं पूर्णिया।

कार्यवाई प्रारंभ की जाए, जो बिना निबंधन के वाहनो के परिचालन की अनुमति दिये थे।

2.4.11 लाइसेंस निर्गत करना

2.4.11.1 बिना जाँच किये ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाना

मोटर वाहन चलाने हेतु योग्यता जाँच के बगैर ही 3,188 अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस इंगित किया कि लाइसेंस, जाँच उत्तीर्ण हाने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इससे दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक ड्राइविंग के सक्षम जाँच हेतु उपस्थित नहीं हो सकता है जब तक उसके पास कम से कम 30 दिनों कि अवधि हेतु लर्नर लाइसेंस न हो। किसी भी व्यक्ति को सक्षमता जाँच में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा सकता है।

पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[17] द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा ड्राइविंग जाँच पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2016) कि जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 2,428 आवेदक समान श्रेणी के वाहन चलाने हेतु जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच सफल घोषित किए गए लेकिन उसी अवधि में 5,616 लाइसेंस निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, यह प्रमाणित करता है कि मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच किए बिना ही 3,188 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस ने इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण हाने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण से सूचना मँगायी जा रही है।

अनुशंसा–5: सरकार/विभाग को मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच तथा उसके परिणाम से संबंधित सही आँकड़े दर्ज किये जाने एवं बगैर ड्राइविंग जाँच के वाहन चालकों को लाइसेंस निर्गत नहीं किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.11.2 ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क की अधिक वसूली

ड्राइविंग लाइसेंस ₹ 40 की अतिरिक्त राशि की वसूली कर निर्गत किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के शुल्क की अधिक वसूली हुई।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 14 के साथ पठित नियम 32 के अनुसार प्रपत्र–7 में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु ₹ 200 का शुल्क प्रभारित किया जाना है, जिसमें कंप्यूटराइज्ड चिप की लागत भी शामिल है। पुनः यह प्रावधित करता है कि वाहन चलाने हेतु सक्षमता की जाँच के लिए ₹ 50 प्रभारित होगा। बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना (अक्टूबर 1996) के अनुसार ₹ 50 का अधिभार भी ऐसे जाँच के लिए आरोपित किया जाएगा।

[17] बेगुसराय, नालन्दा, पटना, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

आठ जिला परिवहन कार्यालयों[18] में सारथी सॉफ्टवेयर के आँकड़ो के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2015 के बीच लाइसेंसिग प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्र–7 में सभी ड्राइविंग लाइसेंस (गैर–परिवहन) ₹ 40 की अतिरिक्त राशि की वसूली कर आवेदकों को निर्गत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के शुल्क की अधिक वसूली की गयी, जैसा कि निम्न **तालिका–2.5** में नीचे वर्णित है:

तालिका 2.5

ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क की अधिक वसूली

(राशि ₹ में)

उद्देश्य	**लाइसेंसिग प्राधिकारियों द्वारा प्रभारित राशि**	**नियम के अनुसार आरोप्य राशि**	**अप्रैल 2011 और दिसम्बर 2015 के बीच निर्गत कुल ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन) की संख्या**
प्रपत्र–7 में निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस	200	200	4,11,275
प्रत्येक श्रेणी के लिए वाहन चलाने के लिए सक्षमता जाँच हेतु	100	50+50 (आधिभार)	
अधिक प्रभारित	एकल/द्वितीय वर्ग श्रेणी के लिए ₹ 40	फीस विहित नहीं	
कुल अधिक वसूली– 4,11,275 X ₹ 40			**1,64,51,000**

31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था तथा विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया था। इसके बावजूद, आवेदकों से ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क की अधिक वसूली जारी थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा था (नवम्बर 2011) कि इस संदर्भ में गजट अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

2.4.11.3 ड्राइविंग स्कूलों को लाइसेंस की अनियमित अनुमति

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा सात मोटर ड्राइविंग स्कूलों को अनियमित रूप से लाइसेंस निर्गत किए गये थे।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली का नियम 24 प्रावधित करता है कि लाइसेंसिग प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने उपनियम (3) की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है, ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस निर्गत अथवा नवीकृत कर सकते हैं। इस नियम के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 213 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिला दंडाधिकारी को लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी घोषित (दिसम्बर 1992) किया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के मोटर ड्राइविंग स्कूलों से संबंधित पंजी तथा प्रासंगिक संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी

[18] गया, कैमूर, किशनगंज, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, वैशाली एंव पश्चिमी चम्पारण।

द्वारा वर्ष 2013 से 2015 (अक्टूबर 2015 तक) की अवधि के दौरान सात मोटर ड्राइविंग स्कूलों[19] हेतु लाइसेंस निर्गत किया गया था, जबकि ऐसे लाइसेंस की अनुमति हेतु शक्ति संबंधित जिला दंडाधिकारियों में समाहित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से पूर्व प्रभाव से अनुमोदन लेने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2016) किया।

2.4.12 परमिट निर्गत करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 प्रावधित करता है कि वाहनों के मालिक किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में किसी वाहन का उपयोग अथवा उसके उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है, चाहे ऐसा वाहन वास्तव में निर्गत परमिट की शर्तो के अनुसार यात्री अथवा मालों की ढुलाई कर रहा हो अथवा नहीं। उपरोक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के तहत् निर्गत अस्थायी परमिट के अलावे एक परमिट पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

2.4.12.1 हल्के मालवाहकों को परमिट की अनियमित अनुमति

अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये हल्के मालवाहकों से ₹ 15.25 लाख की परमिट शुल्क की अनियमित वसूली हुई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 (3) (बी) (i) के अनुसार कोई भी वाहन जो सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस उद्देश्यों तथा माल वाहक, जिसका कुल वजन 3,000 किलो ग्राम से ज्यादा नहीं हो, के लिए उपयोग किया जाता है, तब वह परमिट की आवश्यकता से मुक्त होगा।

चयनित दो जिला परिवहन प्राधिकारियों (मुजफ्फरपुर और पूर्णिया) के स्थायी परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये 744 हल्के माल वाहकों, जिसका कुल वजन 3,000 किलो ग्राम से ज्यादा नही था, के लिए प्रति ₹ 2,050 की परमिट शुल्क की वसूली कर परमिट निर्गत किया गया था। इस तरह के परमिट की वैधता पाँच वर्षो के लिए थी। इससे ₹ 15.25 लाख के परमिट शुल्क की अनियमित वसूली हुई, जैसा कि निम्न **तालिका–2.6** में प्रदर्शित है:

तालिका–2.6

हल्के मालवाहकों को परमिट की अनियमित अनुमति

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का नाम	स्वीकृत परमिट की संख्या	अवधि, जिसमें परमिट निर्गत किये गये	प्रभारित परमिट शुल्क	कुल संग्रहित परमिट शुल्क	अभ्युक्ति
			(राशि ₹ में)		
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर	669	जनवरी 2015 से मार्च 2015	2050	13,71,450	मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 3000 किलो ग्राम

[19] आंनद मोटर ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, मुजफ्फरपुर; जय जगदीश मोटर ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, हाजीपुर; कृष्णा मोटर ड्राईविंग स्कूल, रक्सौल; ओम मोटर ड्राईविंग स्कूल, मुजफ्फरपुर; रिषभ मोटर ट्रेनिग स्कूल हाजीपुर; एस.सी. मोटर वेहिकल ट्रेनिग स्कूल, हाजीपुर एवं श्री राम वेहिकल ट्रेनिंग बेतिया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया	75	जनवरी 2016 से मार्च 2016		1,53,750	वजन तक के हल्के मालवाहक परमिट फीस से मुक्त है
कुल	**744**			**15,25,200**	

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा, हालाँकि इससे राजस्व की हानि नहीं हुई थी। तथ्य यह है कि विभाग ने संबंधित अधिनियमों/नियमावली में किसी प्रावधान के बगैर ही परमिट शुल्क का संग्रहण किया था।

2.4.12.2 तिपहिया वाहनों का परिचालन

आवश्यक परमिट के बगैर वाहनों का परिचालन हो रहा था, जिसके परिणास्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी।

चार जिला परिवहन कार्यालयों[20] के वाहन डाटाबेस में तिपहिया वाहनों के निबंधन अभिलेखों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (पटना और पूर्णिया) के परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सितंबर 2014 और मार्च 2016 के बीच 5,453 तिपहिया वाहनों का निबंधन हुआ था। इनमें से केवल 595 वाहनों का स्थायी परमिट सितंबर 2014 और मार्च 2016 के बीच निर्गत किया गया था। इस प्रकार 4,858 तिपहिया वाहनों के लिए स्थायी परमिट नहीं लिया गया था। अतः परमिट शुल्क के रूप में ₹ 77.73 लाख की वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिना वैध परमिट के वाहनों के परिचालन के मामले में विभाग का प्रवर्तन शाखा, चूककर्त्ता वाहन मालिकों पर दंड का आरोपण किया है।

हालाँकि तथ्य यह है कि प्रवर्तन शाखा पर्याप्त निरीक्षण नहीं कर सका एवं उन वाहनों का पहचान नहीं कर सका जिनके परमिट कालातीत हो चुके थे एवं उन पर आवश्यक जुर्माना आरोपित नहीं कर पाये।

2.4.12.3 ट्रैक्टर ट्रेलर का परिचालन

चार जिला परिवहन कार्यालयों[21] के वाहन डाटाबेस तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (पटना और पूर्णिया) के परमिट पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जून 2016) कि जनवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच 3,860 ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन का निबंधन किया गया था एवं मालवाहकों के रूप में कर का भुगतान किया गया था। इनमें से केवल 92 ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन के मालिकों ने संबंधित प्राधिकारियों से परमिट प्राप्त किया था। इस प्रकार 3,768 ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन बिना किसी स्थायी परमिट के परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप परमिट शुल्क के रूप में ₹ 77.24 लाख की वसूली नहीं हुयी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिना वैध परमिट के वाहनों के परिचालन के मामलो में विभाग का प्रवर्तन शाखा, चूककर्त्ता वाहन मालिकों पर दंड का आरोपण किया है।

[20] कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया एवं रोहतास।
[21] कैमूर, कटिहार, पूर्णिया एवं रोहतास।

हालाँकि तथ्य यह है कि प्रवर्तन शाखा पर्याप्त निरीक्षण नहीं कर सका एवं उन वाहनों का पहचान नहीं कर सका जिनके परमिट कालातीत हो चुके थे एवं उन पर आवश्यक जुर्माना आरोपित नहीं कर पाये।

2.4.12.4 शैक्षणिक संस्थानों के बसों का परिचालन

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु परमिट पंजी के साथ जिला परिवहन कार्यालय, पटना के वाहन डाटाबेस के निबंधन अभिलेखों की तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया कि जुलाई 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान 186 बसें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर पटना में निबंधित हुये थे। इनमें से केवल 149 बसों के लिये ही परमिट लिया गया था। पुनः, शेष 37 में से 15 बसों के मालिकों ने अगस्त 2015 और अक्टूबर 2016 के बीच कर का भुगतान करना बंद कर दिया था। इस प्रकार कुल ₹ 2.48 लाख (करः ₹ 1.71 लाख तथा परमिट शुल्कः ₹ 0.78 लाख) की वसूली नहीं हुयी।

इसे इंगित किये जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, पटना ने कहा (अगस्त 2016) कि मामले की जाँच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

चूँकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः–सम्बद्धता में विफल रहा, अतः बगैर वैध परमिट के 4,858 तिपहिया वाहनों, 3,768 ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन तथा 37 शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

अनुशंसा–6ः सरकार/विभाग को जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः–सम्बद्धता के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित परमिट निर्गत किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.13 कर/शुल्क का आरोपण

2.4.13.1 एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

10 जिला परिवहन कार्यालयों में 2,329 वाहनों के मालिकों ने या तो एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया अथवा कम किया। करारोपण पदाधिकारी ने ₹ 3.77 करोड़ के आरोप्य एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया था।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7, जो बिहार वित्त अधिनियमों द्वारा समय–समय पर संशोधित है, विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए एकमुश्त कर का दर प्रावधित करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के अनुसार कर के भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलंब के लिए देय कर का 25 प्रतिशत से लेकर उसके दुगुना तक अर्थदण्ड लिया जाना है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 8 प्रावधित करता है कि जब मोटर वाहन के कर को संशोधित किया जाता है, तब उस अवधि के लिए जिसमें उच्च दर पर कर भुगतेय है, वाहन के मालिक करारोपण पदाधिकारी को अन्तर राशि का भुगतान करेंगें।

नमूना–जाँचित 12 जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबुल की डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 10 जिला परिवहन कार्यालयों[22] में 2,329 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का भुगतान या तो नहीं किया था अथवा कम किया। करारोपण पदाधिकारी ने आरोप्य एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया था तथा बकाये की वसूली हेतु माँग पत्र भी निर्गत नहीं किया था। इस प्रकार ₹ 2.63 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.77 करोड़ के एकमुश्त कर की राशि अवसूलित रह गयी, जैसा कि **परिशिष्ट–V** में वर्णित है।

निम्न चार्ट वाहनों से एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड की कम वसूली, एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना तथा अन्तर कर की राशि की वसूली नहीं किया जाना प्रदर्शित करता है:

चार्ट–2.4

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली

(₹ करोड़ में)

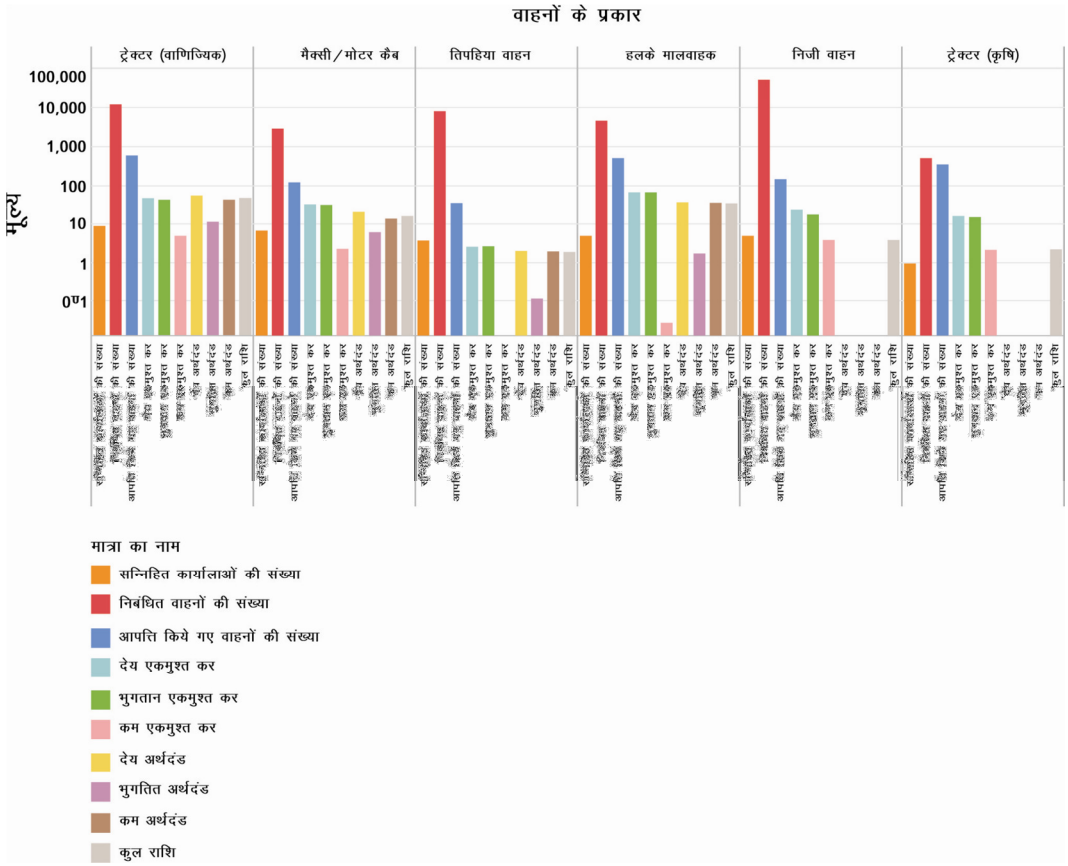

[22] बेगुसराय, कैमुर, कटिहार, किशनगंज, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

चार्ट–2.5

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

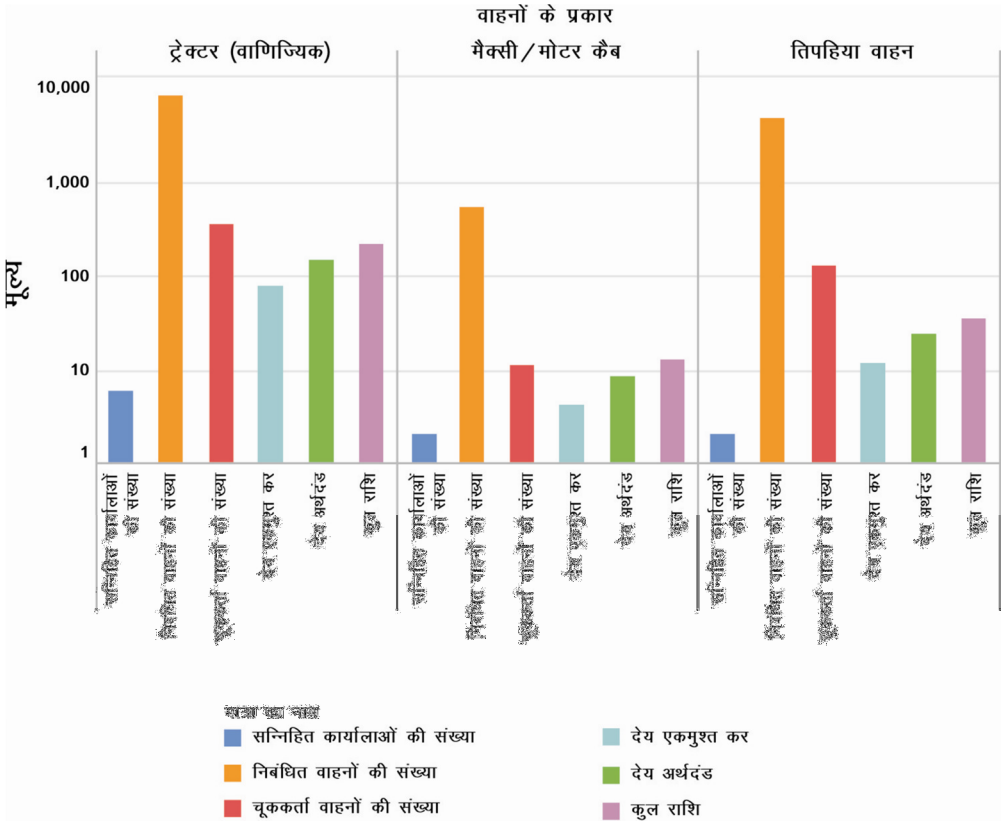

चार्ट–2.6

कर की अंतर राशि की वसूली नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

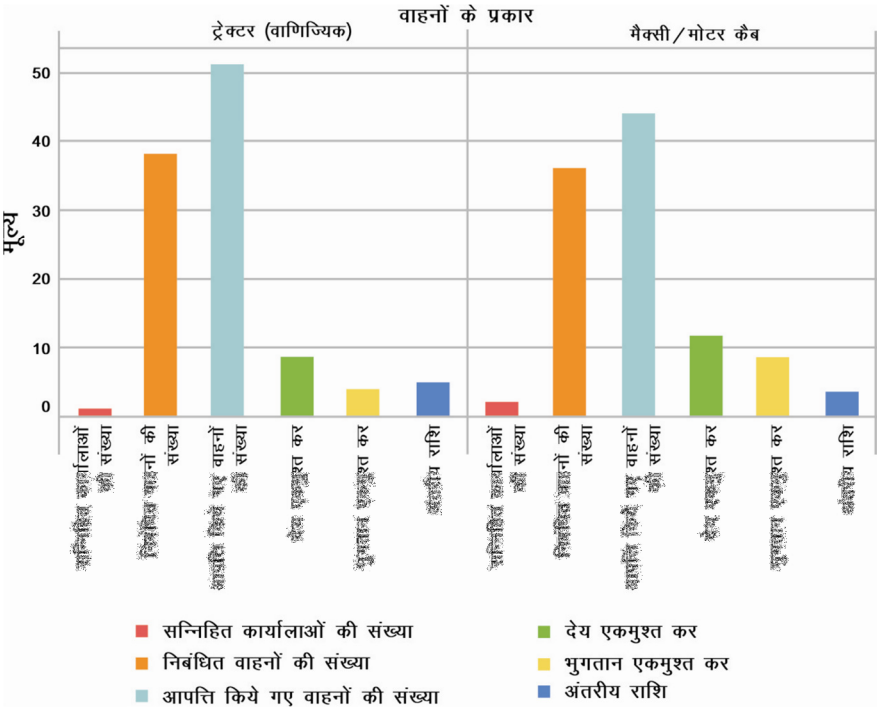

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मंगायी जा रही है।

2.4.13.2 निर्माण उपकरणों/आपातकालीन वाहनों पर कर का अनियमित आरोपण

191 निर्माण उपकरणों/आपातकालीन वाहनों पर कर का अनियमित आरोपण किये जाने के कारण ₹ 6.24 लाख की राशि अधिक संग्रहित की गई।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, ''एम्बुलेंस'' का अर्थ वह वाहन है जिसे विशेष रूप से अभिकल्पित, निर्मित अथवा परिवर्तित एवं सुसज्जित किया गया है तथा वैसे व्यक्तियों का आपातकालीन परिवहन करने हेतु उपयोग में लाया जाता है, जो बीमार, घायल, अथवा अन्य प्रकार से असहाय हैं। एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहनों के श्रेणी में आते हैं। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 2 (सी.ए.) के अनुसार एक्सकैवेटर (जे.सी.बी.) एवं लोडर ''निर्माण उपकरण वाहन'' है तथा ऐसे वाहन गैर परिवहन वाहन होगें। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित अनुसूची–I के भाग 'ग' का क्रम संख्या 7 इन वाहनों पर विहित दर से कर आरोपित किया जाना प्रावधित करता है।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (पटना एवं वैशाली) के वाहन सॉफ्टवेयर में एम्बुलेंस तथा निर्माण उपकरण वाहनों के निबंधन अभिलेखों तथा कर संग्रहण की संवीक्षा के दौरान हमने फरवरी एवं अगस्त 2016 के बीच पाया कि टैक्सी हेतु विहित कर एम्बुलेंस पर आरोपित किया जा रहा था तथा माल वाहकों हेतु विहित कर निर्माण उपकरण वाहनों पर आरोपित किया जा रहा था। इस प्रकार, कर के दर का गलत आरोपण किये जाने के कारण 191 वाहनों (एम्बुलेंस, क्रेन, जे.सी.बी. तथा लोड़र) से ₹ 6.24 लाख की राशि अधिक संग्रहित की गई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कर आरोपित किये जाने हेतु निदेश निर्गत (सितम्बर 2016) कर दिये गये हैं।

2.4.13.3 स्टेज कैरेज से कर की कम वसूली

बैठने की क्षमता के अनुरूप बस का गलत वर्गीकरण किये जाने के कारण ₹ 4.20 लाख की राशि का कम आरोपण किया गया था।

बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (14 सितम्बर, 2014 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार स्टेज कैरेज पर कर की गणना इसके श्रेणी (साधारण, सेमी डिलक्स तथा डिलक्स) एवं यात्रियों हेतु सीट की संख्या के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त अधिनियम का प्रावधान पुनः विहित करता है कि स्टेज कैरेज में यात्रियों की संख्या इसके व्हील बेस तथा स्टेज कैरेज की श्रेणी पर आधारित है।

चयनित 12 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन सॉफ्टवेयर के ऑनर टेबुल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि तीन जिला परिहवन कार्यालयों[23] में 54 स्टेज कैरेज पर इसे साधारण श्रेणी के तहत् मानते हुए सीट की संख्या के आधार पर कर आरोपित किया गया था। लेकिन इन स्टेज कैरेज के सीट की संख्या उनके व्हील बेस के आधार पर निर्धारित सीट की संख्या से कम थी। इसके फलस्वरूप ₹ 4.20 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

[23] नालन्दा, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा ₹ 2.94 लाख हेतु मांग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना मंगायी जा रही है।

2.4.13.4 ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली

मोटर वाहन के व्यवसायियों के मात्र एक ट्रेड सर्टिफिकेट के विरूद्ध 18,784 वाहन थे। इस प्रकार ₹ 11.06 लाख के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली नहीं हुई थी।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली की धारा 33 प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने अथवा नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहनः ₹ 50 प्रत्येक वाहन के लिए, अन्यः ₹ 200 प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 में उल्लेखित है।

जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय में ट्रेड टैक्स पंजी के साथ संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जुलाई 2016) कि वास्तविक व्यवसायियों को ट्रेड सर्टिफिकेट दिये गये थे। इनमें से चार व्यवसायियों की संचिकाओं की संवीक्षा की गई तथा हमने पाया कि व्यवसायियों ने जनवरी 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान मात्र एक ट्रेड सर्टिफिकेट के विरूद्ध 18,784 वाहन (दोपहियाः 17,668; चार पहियाः 1,116) प्राप्त किये थे, जिसका प्रमाण व्यवसायियों द्वारा दाखिल किया गया घोषणा था। इस प्रकार, ₹ 11.06 लाख[24] के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग के कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से सूचना की माँग की गई है।

2.4.13.5 अतिभारित मालवाहकों पर जुर्माना का कम आरोपण

अतिभारित मालवाहकों पर जुर्माना कम आरोपित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.79 लाख की हानि हुई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 113, 114 अथवा 115 के प्रावधानों, जो वजन की सीमा तथा वाहन के उपयोग को रोकने हेतु शक्ति प्रावधित करता है, की अवहेलना करते हुये कोई मोटर वाहन चलाता है अथवा चलाने की अनुमति देता है, तब ₹ 2000 के न्यूनतम जुर्माना तथा अधिक भार के लिये प्रति टन ₹ 1000 की अतिरिक्त राशि के साथ दंडित किया जाना है। पुनः यह उपबंधित करता है कि परिवहन करने वाले की लागत पर अधिक भार को कम किया जायेगा।

---

[24] संगणनाः
दो पहियाः 17,665 (17,668–3) x ₹ 50 = ₹ 8,83,250
चार पहियाः 1,115 (1,116–1) x ₹ 200 = ₹ 2,23,000
कुलः ₹ 11,06,250

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में जब्ती पुस्तक तथा मनी रसीद की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि 15 प्रवर्त्तन पदाधिकारियों ने जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान 345 अतिभारित माल वाहकों को जब्त किया था लेकिन अतिभारित मात्रा के अनुरूप जुर्माना का आरोपण नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 3.79 लाख के जुर्माना का कम आरोपण हुआ। पुनः अतिभारित ट्रक का भार कम किये जाने को सुनिशिचित नहीं किया जा सका, क्योंकि लेखापरीक्षा को दस्तावेज मुहैया नहीं कराये गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि उत्तर भेज दिया जाएगा, हालाँकि उतारे गये मालों को सुरक्षित रखने हेतु जगह उपलब्ध कराने हेतु जिला दण्डाधिकारियों से अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2016)।

2.4.13.6 कृषि ट्रैक्टर से एकमुश्त कर का अधिक संग्रहण

वाणिज्यिक ट्रैक्टर हेतु कर का विहित दर 94 कृषि टैक्टर पर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.29 लाख का अधिक संग्रहण किया गया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उपधारा (7) के अनुसार कृषि उत्पाद के परिवहन हेतु उपयोग में लगाये गये ट्रैक्टर एंव ट्रेलर एकमुश्त कर के उद्देश्य से एक साथ संयोजित कर दिया जायेगा तथा 25 एच.पी. क्षमता तक के ट्रैक्टर तथा ट्रेलर जिसकी क्षमता तीन टन से अधिक न हो, के मामले में प्रति टैक्टर–ट्रेलर ₹ 3000 की दर एवं 25 एच.पी. से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर तथा ट्रेलर जिसकी क्षमता पाँच टन से अधिक न हो, के मामले में प्रति ट्रैक्टर–ट्रेलर ₹ 5000 की दर पर कर आरोपित किया जायेगा।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (किशनगंज एवं पश्चिमी चम्पारण) में वाहन डाटाबेस के ऑनर टेबुल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि नवम्बर 2012 एवं जनवरी 2016 के बीच निबंधित 523 कृषि ट्रैक्टर में से कृषि प्रयोजन हेतु निबंधित 94 ट्रैक्टर से वाणिज्यिक ट्रैक्टर हेतु विहित कर (अप्रैल 2013 से वाहन की लागत का दो प्रतिशत तथा सितम्बर 2014 से 4.5 प्रतिशत) आरोपित किये जाने के कारण एकमुश्त कर की अधिक वसूली की गयी थी। इस प्रकार करारोपण पदाधिकारी ने 94 ट्रैक्टर के मालिकों से ₹ 1.29 लाख की राशि का अधिक संग्रहण किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

अनुशंसा–7: सरकार/विभाग को वाहन सॉफ्टवेयर में कर के दर के प्रावधानों का समय पर तथा सही निरूपण, कर रसीद को मैन्युअल निर्गत करना बंद किये जाने तथा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देय कर का भुगतान कर दिये जाने के बाद ही कर रसीद जनित किये जाने को सुनिशिचित करना चाहिये।

2.4.14 सरकारी खाते में राजस्व का प्रेषण

2.4.14.1 सरकारी खाते में राजस्व का विलम्ब से जमा किया जाना

सरकारी खाते में ₹ 10.10 करोड़ की संग्रहित शुल्क दो से 297 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया था।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों का यह देखना कर्त्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से तथा शीघ्रता से निर्धारित, वसूली एवं लोक लेखा में जमा हो रही है। एक माह के

दौरान प्राधिकृत बैंक द्वारा संग्रहित शुल्क एवं कर अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कोषागार चालान के माध्यम से ''0041–वाहनों पर कर'' शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया जाना अपेक्षित है तथा मार्च के माह में संग्रहित राशि 31 मार्च तक अंतरित कर देना है, ताकि एक वित्तीय वर्ष में संग्रहित सभी राशि सरकारी खाते में अंतरित हो जाये।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा जिला परिवहन कार्यालय, गया के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ दो दिनों से 10 महिनों तक के विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किये गये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संग्रहित राजस्व को 15 दिनों के भीतर अंतरित किये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिये गये हैं। विभाग ने पुनः कहा कि सरकारी खाते में राजस्व के ऑन–लाईन जमा किये जाने हेतु *ई–कुबेर* प्रणाली प्रस्तावित है।

2.4.14.2 संग्रहित ड्राफ्ट का नहीं भुनाया जाना

विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट फीस के रूप में प्राप्त 596 बैंक ड्राफ्ट को नहीं भुनाया गया था।

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत् सभी लेन–देन बिना किसी विलम्ब के खाते में ले लिया जाना है तथा प्राप्त राशि तत्काल सरकारी खाते में जमा कर देना है। पुनः 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक की वैधता उसके निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक है।

राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट पंजी की बैंक स्क्रोल के साथ तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2016) कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट फीस के रूप में प्राप्त (जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच) 596 बैंक ड्राफ्ट भुनाये जाने हेतु बैंक में जून 2015 तक जमा नहीं किये गये थे। चुंकि इन ड्राफ्टों को भुनाये जाने हेतु विहित तीन महिने का समय 30 जून 2015 को समाप्त हो चूका था, ये बैंक ड्राफ्ट कालातीत हो गये थे तथा इन्हे पुनः वैध किये जाने की आवश्यकता थी। इनमें से 149 बैक ड्राफ्टों का मुद्रा मूल्य ₹ 2.48 लाख थी तथा शेष 447 बैंक ड्राफ्टों के मुद्रा मूल्य अभिलेख पर नहीं पाये गये।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि 11,409 ड्राफ्ट कालातीत हो गये थे, जिन्हें पुनः वैध किये जाने हेतु संबंधित बैंकों में भेजे गये हैं। इनमें से ₹ 3.62 लाख से सन्निहित 134 बैंक ड्राफ्ट की राशि सरकारी लेखे में जमा कर दी गई है।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 4.2.11.2 में यह अनुशंसा की गई थी कि बैंक ड्राफ्ट का निष्पादन एवं लेखांकन के अनुश्रवण हेतु प्रणाली विहित किया जाये। हालाँकि यह अनियमितता अभी भी जारी है।

अनुशंसा–8: सरकार/विभाग को सरकारी राजस्व के कोषागार में प्रेषण से संबंधित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किये जाने को सुनिश्चित करना चाहिये।

2.4.15 राजस्व के बकाये

2.4.15.1 संग्रहण हेतु लम्बित बकाये

बकाये की राशि 11 प्रतिशत बढ़कर 1 अप्रैल 2011 के ₹ 173.15 करोड़ से 31 मार्च 2016 तक ₹ 192.20 करोड़ हो गयी।

जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के वर्षो हेतु आरंभिक शेष, माँग का सृजन, संग्रहण तथा सग्रहण हेतु लम्बित राजस्व निम्न **तालिका–2.7** में दर्शायी गई है:

तलिका–2.7

संग्रहण हेतु लम्बित बकाये

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		योग		कुल		निपटान		अन्तशेष		निपटान की प्रतिशतता
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	राशि के संदर्भ
2011–12	26301	173.15	1723	13.43	28024	186.58	220	1.39	27804	185.19	0.74
2012–13	27887	180.61	1735	7.83	29622	188.44	298	2.77	29324	185.67	1.47
2013–14	29295	187.27	681	10.96	29976	198.23	104	0.53	29872	197.70	0.26
2014–15	29458	191.33	155	1.88	29613	193.21	150	0.92	29463	192.29	0.47
2015–16	29397	191.57	46	93.07	29443	284.64	142	30.55	29301	192.20	0.48

(स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अन्तशेष के आँकड़ें अनुवर्ती वर्षो के आरंभ शेष के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे, जो इन आँकड़ों की सत्यता को संदिग्ध बना दिया। बकाये की राशि 11 प्रतिशत बढ़कर 1 अप्रैल 2011 के ₹ 173.15 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 192.20 करोड़ हो गई। सन्निहित राशि के मामले में बकाये के निष्पादन का दर 0.26 प्रतिशत से 1.47 प्रतिशत के बीच थी, जो काफी कम वसूली तथा अनुश्रवण के अभाव को संसूचित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला दण्डाधिकारियों के साथ पत्राचार किया गया है।

2.4.15.2 राजस्व वसूली हेतु नीलामवाद मामले

संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पंजी–9 की प्रविष्टियों को पंजी–10 के आँकड़ों के साथ आवधिक मिलान नहीं किया गया था। पुनः 146 मामलों में अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि में ₹ 1.04 करोड़ की राशि वसूली हेतु लम्बित थे।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के तहत् अभुगतेय पड़े कोई कर अथवा अर्थदण्ड भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है। बिहार एवं ओड़िसा लोक माँग एवं वसूली (पी.डी.आर.), अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारी नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजते हैं तथा इन मामलों के विवरणों की प्रविष्टि पंजी–9 में करते हैं। आगे

बकाये की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करने के लिए नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी–10 में इसकी प्रविष्टि की जाती है। पी.डी.आर. अधिनियम के तहत् बोर्ड के अनुदेशों की कंडिका 46 के अनुसार पंजी–9 का मिलान प्रत्येक महिने नीलामवाद पदाधिकारी के पंजी–10 से किया जाना है।

- **पंजी–9 का मिलान पंजी–10 से नहीं किया जाना**

छः जिला परिवहन कार्यालयों[25] में पंजी–9 की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पंजी–9 की प्रविष्टि को आवधिक रूप से पंजी–10 के साथ मिलान नहीं किया गया था। जिसके कारण पंजी–9 से नीलामवाद मामलों के निष्पादन की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को पंजी–9 का मिलान पंजी–10 से किये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिया गया है।

- **नीलामवाद मामले आरंभ नहीं किया जाना**

दो जिला परिवहन पदाधिकारियों (वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण) के कार्यालयों में राजस्व के बकायों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी एवं मई 2016) कि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि हेतु ₹ 1.04 करोड़ की राशि से सन्निहित 146 मामले वसूली हेतु लंबित थे। किसी भी मामले में राजस्व के बकाये की वसूली हेतु बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित पी.डी. आर. अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के अनुरूप नीलामवाद मामले आरंभ किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वाहन डाटाबेस में वाहन मालिकों के विवरणों की प्रविष्टि तथा चूककर्त्ताओं को समय पर माँग पत्र निर्गत करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को निदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अनुशंसा–9: सरकार/विभाग को लंबित नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु नीलामवाद पदाधिकारी के साथ समन्वय में प्रभावी उपाय करनी चाहिये।

2.4.16 मानव बल प्रबंधन

विभाग में काफी संख्या में रिक्तियाँ थी, जिसने राजस्व के संग्रहण को प्रभावित किया।

विभाग के संवर्ग–वार स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल (31 मार्च 2016 को) नीचे **तालिका–2.8** में उल्लेखित है:

तालिका–2.8

स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति (कोष्ठक में प्रतिशतता)
1	जिला परिवहन पदाधिकारी	37	31	06 (16.21)
2	सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी	14	02	12 (85.71)

[25] बेगुसराय, गया, कटिहार, किशनगंज, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

3	करारोपण पदाधिकारी	06	01	05 (83.33)
4	मोटर वाहन निरीक्षक	67	32	35 (52.23)
5	प्रवर्तन पदाधिकारी	10	0	10 (100)
6	प्रवर्तन निरीक्षक	25	02	23 (92)
7	प्रवर्तन अवर निरीक्षक	61	41	20 (32.78)
8	मोबाईल एस्क्वाएड कॉस्टेबल	35	04	31 (88.57)

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक तथा करारोपण पदाधिकारी, जो विभाग के संचालन क्रियाकलापों हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है, के संवर्ग में काफी संख्या में रिक्तियाँ थी, जो राजस्व के संग्रहण तथा राज्य में वाहनों के अवैध परिचालन के रोक को प्रभावित कर सकती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संवर्ग नियमावली तैयार की जा रही है।

2.4.17 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.4.17.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग अपने कार्यकलापो में कमियों का पता नही लगा सका।

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है तथा जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

हमने पाया कि परिवहन विभाग में अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) परिवहन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान वित्त विभाग ने नमूना –जाँचित कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्त (लेखापरीक्षा) को अधियाचना भेज दी गई है (फरवरी 2016) तथा वित्त विभाग द्वारा अगले लेखापरीक्षा चक्र से निरीक्षण किया जायेगा।

2.4.17.2 विभागीय मैन्युअल का अभाव

विभाग में मैन्युअल के अभाव में अपेक्षित नियंत्रण नहीं किया जा सका

विभाग के विभिन्न स्कन्धों के समुचित क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि एक विभागीय मैन्युअल तैयार किया जाये, जिसमे कर्मियों के विभिन्न स्तरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण हो।

हमने पाया कि विभाग में ऐसा कोई मैन्युअल नहीं था। विभाग में मैन्युअल के अभाव में उच्च प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियंत्रण नहीं रखा जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि वाहन तथा सारथी डाटाबेस के उपयोग ने मैन्युअल की आवश्यकता को कम कर दिया है। हालाँकि यह कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में संबंधित आदेशों की संवीक्षा की जा रही है तथा इस संदर्भ में तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

2.4.18 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्न प्रकटित कियाः–

- वैलिडेसन जाँच तथा उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण राजस्व के गबन के मामले तथा अनियमित निबंधन के मामले।
- राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य का डाटाबेस संधारित नहीं किये जाने के कारण प्रदूषण जाँच केन्द्रों का लाइसेंस नवीकृत नहीं किये जाने के मामले।
- जिला परिवहन कार्यालयों तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के बीच अन्तः–सम्बद्धता के अभाव के कारण वाहनों का अनियमित निबंधन तथा बगैर वैध परमिट के वाहनों का परिचालन के मामले।
- कर का गलत आरोपण, निजी वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का कम आरोपण के मामले।

2.4.19 अनुशंसाओं का सार

सरकार/विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए किः

- **राजस्व संग्रहण के आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे के साथ आवधिक मिलान यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिये कि वसूल की गई राजस्व का सही लेखांकन कोषागार में कर दी गई है।**
- **डाटा की अखंडता एवं सर्वर की सुरक्षा हेतु वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक पासवर्ड तथा आवश्यक वैलिडेशन जाँच को सुनिश्चित करना चाहिये तथा सभी जिला परिवहन कार्यालयों तथा वाहनों के व्यवसायियों के बीच अन्तः–सम्बद्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वाहनों का निबंधन वास्तविक मूल्य पर तथा वाहनों की बिक्री की तिथि के आधार पर हो सके। पुनः सरकार/विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वाहन निबंधन के बगैर परिचालित न हो तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कर्रवाई प्रारंभ की जाए, जो बिना निबंधन के वाहनो के परिचालन की अनुमति देते हैं।**
- **प्रदूषण जाँच केन्द्रों का एक राज्य डाटाबेस संधारित करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही है तथा प्रमाणपत्र निर्गत करने के समय विहित प्रक्रिया अपनायी गयी है। यह विभाग को पटना एवं राज्य में वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।**
- **मोटर वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच तथा उसके परिणाम से संबंधित सही आँकड़े दर्ज किये जाने एवं बगैर ड्राइविंग जाँच के वाहन चालकों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाए।**

- **जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अन्तः–सम्बद्धता के द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित परमिट निर्गत किया जाए।**
- **वाहन सॉफ्टवेयर में कर के दर के प्रावधानों का समय पर तथा सही निरूपण, कर रसीद को मैन्युअल निर्गत किये जाने को बंद किये जाये तथा वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देय कर का भुगतान कर दिये जाने के बाद ही कर रसीद जनित किये जाये।**
- **सरकारी राजस्व के कोषागार में प्रेषण से संबंधित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाए।**
- **लंबित नीलामवाद मामलों के निष्पादन हेतु नीलामवाद पदाधिकारी के साथ समन्वय में प्रभावी उपाय करनी चाहिये।**

2.5 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- *वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;*
- *निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा*
- *यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्थदण्ड।*

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 2.6 से 2.10 में वर्णित है, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 9.42 करोड़ के कर का कम आरोपण, कर, फीस इत्यादि की कम वसूली हुई। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करें ताकि इन चूकों को रोका जा सके।

2.6 मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र के अभाव के फलस्वरूप 17 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 2.82 करोड़ के मोटर वाहन करों की वसूली नहीं हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तो को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित, उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का विधान है।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यदि कर या अर्थदण्ड अथवा दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है तो पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक से नीचे के स्तर का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्त्ता वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों[26] के वर्ष 2014–15 की अवधि के कराधान पंजी एवं वाहन डाटाबेस/टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जनवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच) कि 17 जिला परिवहन कार्यालयों[27] में 3,662 नमूना–जाँचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन वाहनों की कुल संख्याः 51,010) में से 698 वाहन के मालिकों ने मार्च 2011 एवं जुलाई 2015 के बीच की अवधि का ₹ 94.22 लाख के कर का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्त्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों के विरूद्ध बकाया की वसूली हेतु माँग पत्र निर्गत किया था। किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने हेतु दस्तावेजों के अभ्यर्पण संबंधी सूचना अभिलेख पर नहीं पाये गये। इस प्रकार ₹ 94.22 लाख के कर एवं ₹ 1.88 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–VI** में वर्णित है। यह वाहन डाटाबेस के पुनरीक्षण में जिला परिवहन पधिकारियों की उदासीनता तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण तंत्र को प्रदर्शित करता है, यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में हमने इसे बार–बार इंगित किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने मई 2016 में जिला परिवहन कार्यालय, सीवान के 17 मामलों में ₹ 5.75 लाख की वसूली तथा शेष वाहन मालिकों को ₹ 19.19 लाख का मांग पत्र निर्गत किया जाना प्रतिवेदित किया, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने फरवरी एवं नवम्बर 2015 के बीच कहा की बकायों की वसूली हेतु वाहन मालिकों के विरूद्ध मांग पत्र निर्गत की जाएगी एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अगस्त 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

2.7 ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली

व्यवसायियों के स्वामित्व में रखे गये सभी मोटर वाहनों हेतु ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली निबंधन प्राधिकारियों ने सुनिश्चित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली कम हुई।

[26] अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, पश्चिमी चम्पारण और वैशाली (हाजीपुर)।

[27] अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), शेखपुरा, सीतामढ़ी और सीवान।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकेगा जब तक कि वाहन निबंधित न हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का नियम 33 यह प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। उपरोक्त नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहनः ₹ पचास प्रत्येक वाहन के लिए, अन्यः ₹ दो सौ प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 में उल्लेखित है।

पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 37 के अधीन व्यापार प्रमाण पत्र, उसके निर्गत या नवीकरण की तिथि से 12 माह तक प्रभावी होगा तथा उपरोक्त नियमावली के नियम 41 के अधीन उल्लेखित उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2014–15 की अवधि से संबंधित ट्रेड टैक्स पंजियों, संचिकाओं एवं वाहन डाटाबेस तथा वाहनों की प्राप्ति से संबंधित व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणी की संवीक्षा की तथा पाया (फरवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों[28] में नमूना जाँच किये गये 109 वाहन के व्यवसायियों (236 व्यवसायियों में से) को अप्रैल 2012 एवं जुलाई 2015 के बीच की अवधि के दौरान 180 ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किये गये थे, जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 2,04,759 वाहन प्राप्त किये थे, जैसाकि उनके द्वारा प्रपत्र बी–2 में दाखिल घोषणा से सुस्पष्ट था। यद्यपि निबंधन प्राधिकारियों को उनके स्वामित्व में रखे गये वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 2,04,579 वाहनों हेतु चूककर्त्ता व्यवसायियों के विरूद्ध ट्रेड सर्टिफिकेट फीस के लिये माँग सृजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया था, जैसा कि उपरोक्त नियमावली के तहत् अपेक्षित है। अतः इस चूक के कारण ₹ 1.30 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

2.8 एकमुश्त कर

2.8.1 एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

पन्द्रह जिला परिवहन कार्यालयों में 5,150 वाहन मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान या तो नहीं किया अथवा कम किया। कराधान पदाधिकारी ₹ 4.41 करोड़ के आरोप्य एकमुश्त कर/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किए।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 7, जैसा कि वित्त अधिनियमों (2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014) द्वारा संशोधित है, वैयक्तिक वाहनों, ट्रैक्टर, मैक्सी/कैब, तिपहिया एवं हल्के माल वाहकों पर एकमुश्त कर आरोपित किया जाना प्रावधित करता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के तहत् कर का भुगतान 15 दिनों से अधिक तक के विलम्ब के लिये देय कर का 25 प्रतिशत से लेकर देय कर की राशि का दुगुने तक अर्थदण्ड का विधान है।

[28] औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चाम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, जमुई, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी एवं सीवान।

पुनः बिहार मोटर कराधान अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी मोटर वाहन, जिसका किसी अवधि के लिए, कर का भुगतान कर दिया गया है, उस अवधि में कर संशोधित हो गया हो, तब वाहन मालिक, कराधान पदाधिकारी को कर के अंतर राशि का भुगतान करेंगें, जो भुगतान किये गये कर एवं संशोधन के कारण वैसे वाहनों पर उस अवधि के लिए उच्च दर पर भुगतेय कर का अंतर राशि के समतुल्य होगा।

हमने जनवरी एवं नवम्बर 2015 के बीच 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा पाया कि 15 जिला परिवहन कार्यालयों[29] के कराधान पदाधिकारियों ने मई 2010 एवं जुलाई 2015 के बीच निबंधित 34,939 वाहनों (सभी नमूना जाँचित) में से 5,150 वाहनों (ट्रैक्टर, तिपहिया, मैक्सी/मोटर कैब तथा हल्के माल वाहकों) के मालिकों से ₹ 4.41 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं की, जैसा कि निम्न **तालिका–2.9** में दर्शाया गया है :

तालिका–2.9

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

वाहन के प्रकार	सन्निहित कार्यालय की संख्या	एकमुश्त कर/अर्थदण्ड की राशि (₹ लाख में)	एकमुश्त कर का लागू दर	लेखापरीक्षा अवलोकन
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	10 जिला परिवहन कार्यालय[30]	88.61	9.4.2010 से एक प्रतिशत; 1.4.2013 से दो प्रतिशत तथा 19.9.2014 से 4.5 प्रतिशत	मई 2010 एवं जुलाई 2015 के बीच निबंधित 17,650 ट्रैक्टरों में से 147 ट्रैक्टरों के मालिकों ने ₹ 87.75 लाख के एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया तथा 16 ट्रैक्टर के मामले में ₹ 0.86 लाख के एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का कम भुगतान किया।
	नौ जिला परिवहन कार्यालय[31]	50.22	तथैव	सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच निबंधित 580 ट्रैक्टरों में से 410 ट्रैक्टरों के मालिकों से वाहन डाटाबेस में संशोधित दर के निरूपण (मैपिंग) में विलम्ब के कारण पूर्व संशोधित दर पर ही एकमुश्त कर की वसूली की गई। इस प्रकार ₹ 50.22 लाख के कर की अंतर राशि की वसूली नहीं हुई।
तिपहिया वाहन	पाँच जिला परिवहन कार्यालय[32]	22.01	₹ 6,000 (पाँच सीट के लिये 10 वर्षों हेतु), ₹ 9,000 (पाँच सीट के लिये 15 वर्षो हेतु), ₹ 9,000 (सात	सितम्बर 2011 एवं जुलाई 2015 के बीच निबंधित 5,508 तिपहिया वाहनों में से 74 तिपहिया वाहनों के मालिकों ने ₹ 22.01 लाख के एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया।

[29] अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चाम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर एवं सीतामढ़ी।

[30] भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चाम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं शिवहर।

[31] अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, दरंभगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं शेखपुरा।

[32] बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर।

	चार जिला [33] परिवहन कार्यालय	132.26	सीट के लिये 10 वर्षो हेतु), ₹ 13,500 (सात सीट के लिये 15 वर्षो हेतु)	अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के बीच 5,070 निबंधित नये तिपहिया वाहनों में से 4,233 वाहनों को 15 वर्षो के बजाए 10 वर्षो हेतु निबंधन की वैधता प्रदान की गई थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ की कम वसूली हुई।
मैक्सी/ मोटर कैब	आठ जिला परिवहन कार्यालय[34]	121.96	1.4.2013 से पाँच प्रतिशत तथा 19.9. 2014 से सात प्रतिशत	जनवरी 2013 एवं जून 2015 के बीच निबंधित 2,254 मैक्सी/मोटर कैब मे से 171 मैक्सी/मोटर कैब के मालिकों ने ₹ 1.22 करोड़ के एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया।
	दो जिला परिवहन कार्यालय (भागलपुर एवं दरभंगा)	3.80		सितम्बर 2014 एवं मई 2015 के बीच निबंधित 765 मैक्सी/मोटर कैब मे से 46 मैक्सी/मोटर कैब के वाहन मालिकों से वाहन डाटावेस में संशोधित दर के निरूपण (मैपिग) में विलम्ब के कारण पूर्व संशोधित दर पर ही एकमुश्त कर की वसूली की गई। इस प्रकार ₹ 3.80 लाख के कर की अंतर राशि की वसूली नहीं हुई।
हल्के माल वाहक	पाँच जिला परिवहन कार्यालय[35]	21.98	1 अप्रैल 2011 के प्रभाव से ₹ 7,700 (1,000 किलोग्राम सकल वाहन भार तक) तथा 1,000 किलोग्राम से अधिक तथा 3,000 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार हेतु ₹ 5500 प्रति 1,000 किलोग्राम	मार्च 2011 एवं जनवरी 2015 के बीच निबंधित 3,112 हल्के माल वाहकों (3,000 कि0ग्रा0 तक के सकल वाहन भार वाले) में से 53 हल्के माल वाहकों के मालिकों ने ₹ 21.98 लाख के एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया।
कुल		**440.84**		**5,150 वाहन**

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किये जाने तथा कम आरोपण निम्न चार्ट में दर्शाया गया है।

[33] औरंगाबाद, जमुई, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी।
[34] अरवल, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं शिवहर।
[35] औरंगाबाद, दरंभगा, पूर्वी चाम्पारण, जहानाबाद, एवं सीतामढ़ी।

चार्ट–2.7

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

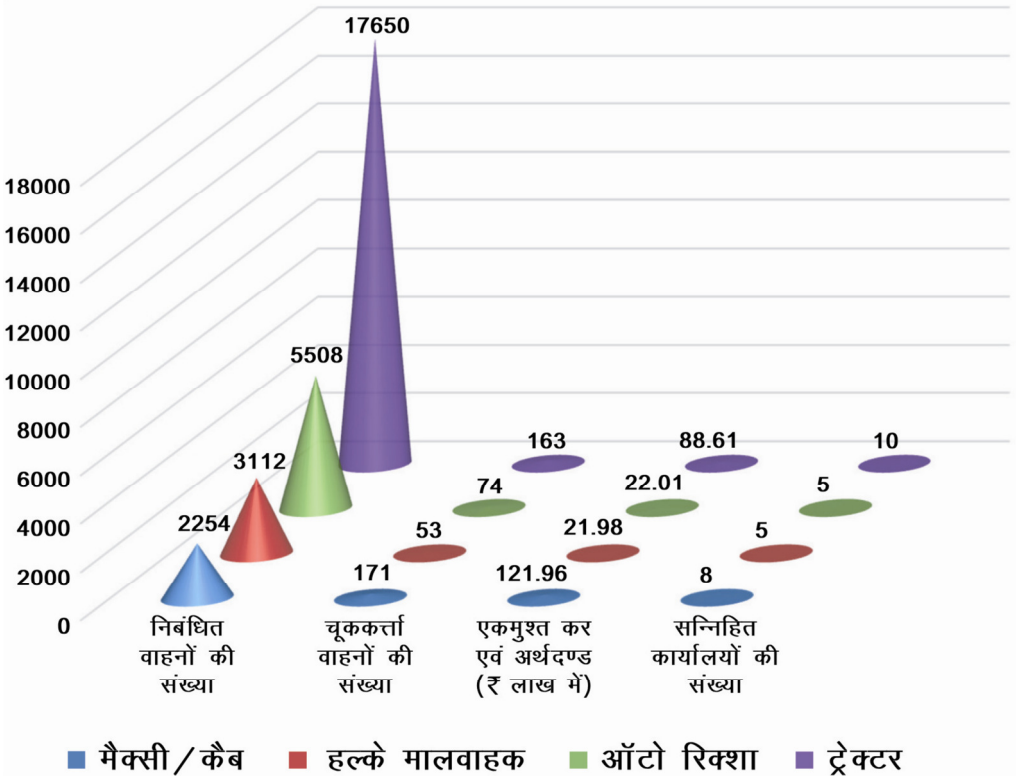

चार्ट–2.8

एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण कम किया जाना

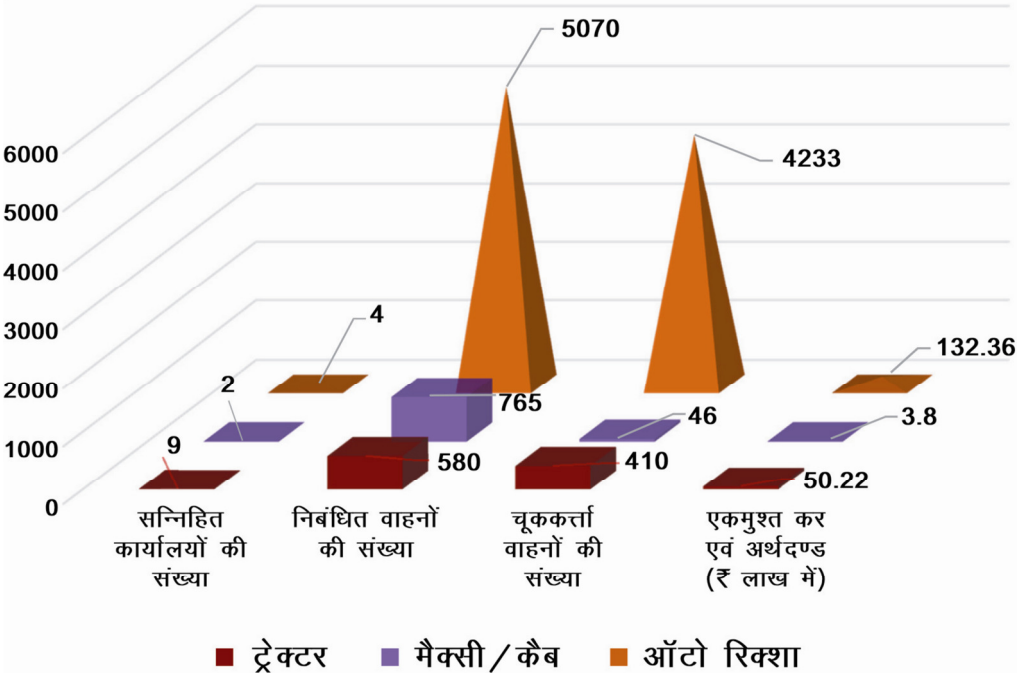

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने फरवरी एवं दिसम्बर 2015 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत की जायेगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

2.8.2 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 42.89 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा मार्च एवं दिसम्बर 2015 के बीच पाया कि चार जिला परिवहन कार्यालयों[36] के कराधान पदाधिकारियों ने मई 2010 एवं अगस्त 2015 के बीच निबंधित 4,125 वाहनों (सभी नमूना जाँचित) में से 428 वाहनों (ट्रैक्टर एवं मैक्सी/कैब) के मालिकों से एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 42.89 लाख अर्थदण्ड की वसूली नहीं की, जैसा कि निम्न **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है:

तालिका–2.10

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण

वाहन के प्रकार	चूककर्त्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालय	(अर्थदण्ड ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	264	जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर	11.88	मई 2010 एवं जनवरी 2014 के बीच निबंधित 2,618 वाहनों में से 264 वाहनो के मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान 17 से 437 दिनों के विलम्ब से किया था। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 11.88 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया।
मैक्सी/मोटर कैब	164	जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं सारण	31.01	जनवरी 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच निबधित 1,507 वाहनों में से 164 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान 20 से 747 दिनों के विलम्ब से किया था। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 31.01 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया।
कुल	**428**		**42.89**	

एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना, निम्न **चार्ट–2.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.9

[36] पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सारण और शिवहर।

एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण

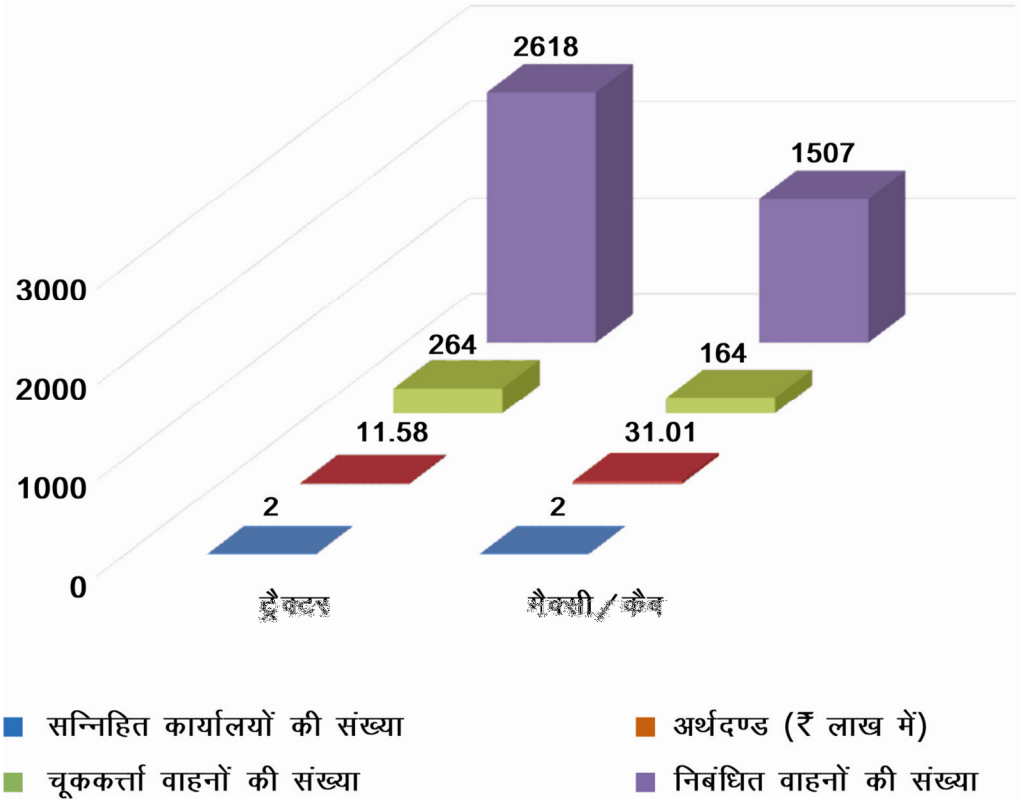

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत की जायेगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

सरकार/विभाग को एकमुश्त कर का आरोपण कम किये जाने हेतु दोषी जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.9 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को वाहनों की सुपुर्दगी के फलस्वरूप ₹ 33.70 लाख की हानि हुई।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार, व्यापार प्रमाण पत्र धारक, बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को खरीददार को नहीं सौपेंगे। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में धारित किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन प्रमाण प्रत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3415 दिनांक 28 जुलाई 2009 से भी यह स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी, व्यवसायी एजेंसियों को उनके मांग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक उपलब्ध कराएँगें।

हमने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2014–15 अवधि के वाहन डाटावेस के ऑनर टेबल/निबंधन अभिलेखों की संवीक्षा की तथा तीन जिला परिवहन कार्यालयों[37] में पाया (मई और अगस्त 2015 के बीच) कि अप्रैल 2014 एवं मार्च 2015 के बीच 36,983 वाहनों (हल्के मोटर वाहनः 824 एवं दो पहियाः 36,159) का निबंधन किया गया था (सभी नमूना जाँचित) तथा व्यापार प्रमाण पत्र धारकों ने अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान क्रेताओं को सभी वाहन बिना अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये सौंप दिया था। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया जिन्हें अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को सौंप दिया गया था, जो उपरोक्त अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेश का उल्लंघन था। इसके परिणास्वरूप ₹ 33.70 लाख की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून एवं अगस्त 2015 के बीच कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर और नवम्बर 2015 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें अभी तक उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

2.10 अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना

विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली किये बिना क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर का निबंधन संख्या आवंटित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 11.40 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1992 के तहत् निर्गत अधिसूचना (जून 2003) के अनुसार अगर किसी वाहन का मालिक अनुक्रम के बाहर की विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु आवेदन करता है, तब ₹ 5000 का अतिरिक्त निबंधन फीस प्रभारित होगा। विभाग ने व्यवसायियों के बिक्री बीजक के क्रमानुसार निबंधन संख्या के आवंटित ब्लॉक से निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु भी निदेशित (28 जुलाई 2009) किया था।

दो जिला परिवहन कार्यालयों (बक्सर एवं पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन पंजी तथा वाहन डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच पाया कि 7 व्यवसायियों, जिन्हें डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन के तहत् निबंधन चिह्न निर्गत किए गए थे, ने क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर 228 निबंधन संख्या (कुल 25,348 निबंधित एवं नमूना–जाँचित वाहनों में से) आवंटित किया था, जिस पर विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने विशिष्ट निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु व्यवसायियों से फीस की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। इस प्रकार ₹ 11.40 लाख के अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई, जैसा कि निम्न **तालिका–2.11** में वर्णित हैः

[37] भागलपुर, भोजपुर (आरा) और दरभंगा।

तालिका–2.11

अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	निबंधित वाहनों की संख्या (सभी नमूना जाँचित) चूककर्त्ता वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिन्हें विशिष्ट निबंधन संख्या आवंटित किये गये थे	बिक्री की अवधि	₹ 5,000 प्रति वाहन के दर पर भुगतेय फीस	भुगतान किया गया फीस	अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं
1	बक्सर	7,856 2	98	फरवरी 2012 से मार्च 2014	4,90,000	0	4,90,000
2	पूर्वी चम्पारण	17,492 5	130	जनवरी 2012 से अप्रैल 2014	6,50,000	0	6,50,000
कुल		**25,348 7**	**228**		**11,40,000**	**0**	**11,40,000**

इसे इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने मार्च 2015 में कहा कि मांग हेतु सूचना निर्गत की जाएगी जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर ने फरवरी 2015 में कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

अध्याय-III
मुद्रांक एवं निबंधन फीस

अध्याय–III : मुद्रांक एवं निबंधन फीस

3.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के प्रधान सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक, 83 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक ईकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2016) के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के एक इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी तथा नौ कंडिकाओं से सन्निहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत कर दी गई थी।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध (निबंधन) विभाग के अंतर्गत 140 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं, जिसमे से 39 इकाईयाँ वर्ष 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा योजना में ली गई। हमने वर्ष की अवधि में 34 इकाईयों की लेखापरीक्षा किया तथा ₹ 61.42 करोड़ से सन्निहित 98 मामलों में राजस्व की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका–3.1** में वर्णित है :

तलिका–3.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
1.	**'मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण'** पर लेखापरीक्षा	**1**	**30.25**
2.	अनियमित छूट दिये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	25	8.40
3.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध रहना	24	5.70
4.	अन्य मामले	48	17.07
कुल		**97**	**31.17**
कुल योग		**98**	**61.42**

वर्ष 2015–16 के दौरान मुद्रांक तथा निबंधन फीस पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित **चार्ट–3.1** में प्रदर्शित किया गया है :

चार्ट–3.1

(₹ करोड़ में)

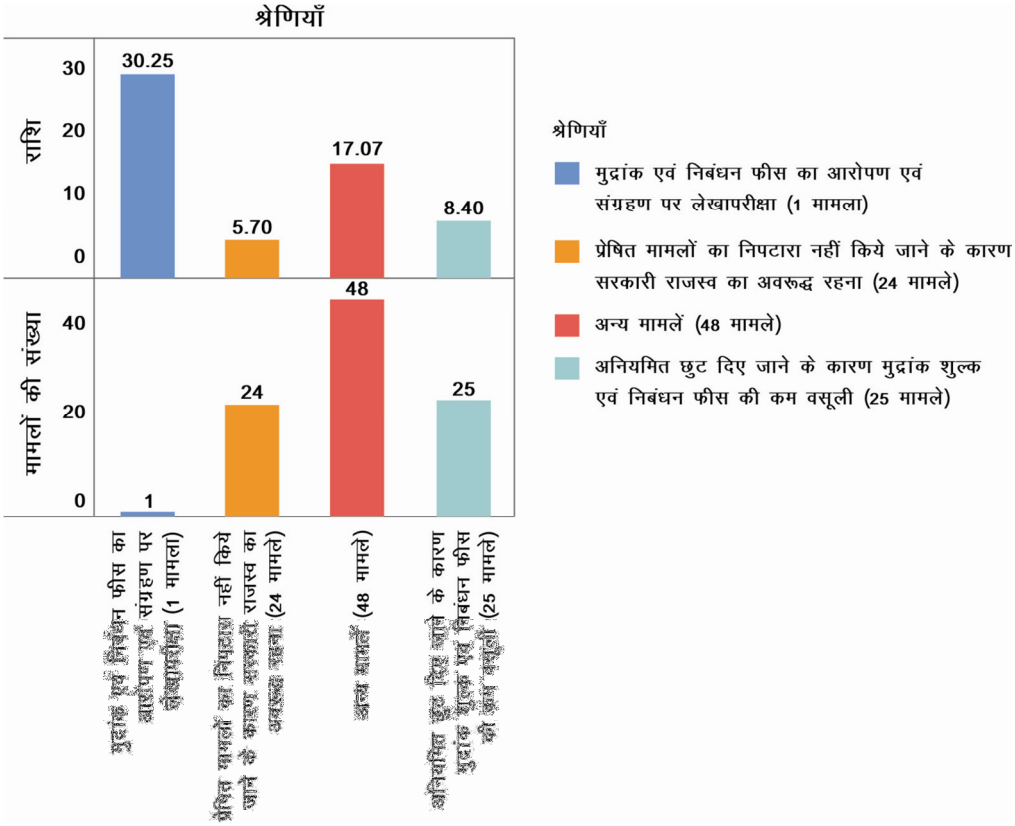

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध (निबंधन) विभाग ने 56 मामलों में सन्निहित ₹ 38.18 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 26.89 करोड़ से सन्निहित नौ मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 30.25 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.4 ''मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण तथा संग्रहण'' की लेखापरीक्षा

3.4.1 परिचय

राज्य में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से प्राप्तियाँ, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत् विनियमित होता है। मुद्रांक शुल्क, दस्तावेज के कार्यान्वयन पर आरोप्य है तथा निबंधन फीस दस्तावेजों के निबंधन पर भुगतेय होती है। मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की आय को ''0030–मुद्रांक तथा निबंधन फीस'' शीर्ष के अधीन सरकारी लेखा में विप्रेषित की जाती है।

अधिनियमों तथा नियमावलियों के अधीन मुद्रांक शुल्क, निबंधन फीस, जुर्माना तथा अन्य बकायों का आरोपण तथा संग्रहण, बिहार सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

अधिनियमों तथा नियमावलियों के अधीन मुद्रांक शुल्क, निबंधन फीस, जुर्माना तथा अन्य बकायों का आरोपण तथा संग्रहण निबंधन विभाग द्वारा प्रशासित हैं, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के प्रधान सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक, 83 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक ईकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

3.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाये नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया था; तथा
- मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व के रिसाव की सुरक्षा के लिए विभाग के पास एक सुदृढ़ अनुश्रवण तंत्र था।

3.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से ली गई है:

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908;
- बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991;

- बिहार मुद्रांक (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995;
- बिहार बजट प्रक्रिया;
- बिहार निबंधन नियम पुस्तिका; तथा
- समय–समय पर जारी विभागीय निदेश, परिपत्र तथा कार्यकारी आदेश।

3.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यपद्धति

वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिए यह लेखापरीक्षा फरवरी से जुलाई 2016 के बीच संचालित की गयी थी। राजस्व संग्रहण के आधार पर आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए यादृच्छिक पद्धति द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 38 जिलों में से 10[1] का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति में चयनित जिलों के जिला अवर निबंधकों के कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच के लिए क्षेत्र दौरा शामिल था। विक्रय, सम्पत्ति के पट्टे, जिसमें खास महल भूमि, गिरवी, मुख्तारनामा इत्यादि शामिल है, से संबंधित विभिन्न प्रकृति के दस्तावेजों की नमूना जाँच के आधार पर लेखापरीक्षा ज्ञापन तथा प्रश्नावली संबंधित जिला अवर निबंधक तथा निबंधन महानिरीक्षक को जारी किया गया था तथा लेखापरीक्षा अवलोकन एवं निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जवाब प्राप्त किया गया था।

सहायक महानिरीक्षक (मुख्यालय), निबंधन विभाग के साथ 4 अप्रैल 2016 को आरंभिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, पद्धति तथा लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, जिसमें अपनाये गये नमूना तकनीक शामिल है, विभाग को स्पष्ट किया गया था। निबंधन महानिरीक्षक के साथ 26 अक्टूबर 2016 को एक अंतिम सम्मेलन हुआ, जिसमें निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। उनकी टिप्पणियों को उचित रूप से संबंधित कंडिकाओं में समाविष्ट कर लिया गया है।

3.4.6 स्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में निबंधन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

'मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण तथा संग्रहण' की लेखापरीक्षा ने काफी संख्या में कमियों को उजागर किया, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित है।

3.4.7 राजस्व की प्रवृति

बजट का प्रतिपादन

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के प्रावधानों के तहत् राजस्व तथा प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष के अंदर वसूल की जाने वाली प्रत्याशित राशि दिखानी चाहिए। बकाया तथा वर्तमान माँगों को पृथक रूप से दिखाया जाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली प्रत्याशित नहीं हो सकती है तो कारण दिया जाना चाहिए तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, बिहार बजट प्रक्रिया प्रावधित करता है कि बजट बनाये जाने में सटीकता, प्राक्कलन के निचले स्तर से उपर की ओर प्रारंभ होना चाहिए। सभी प्राक्कलन पदाधिकारियों के लिए नियम होना चाहिए कि सभी चीजों, जिसका अनुमान

[1] भागलपुर, बक्सर, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहार शरीफ), पटना, पुर्णिया, सीवान और वैशाली (हाजीपुर)।

पहले से ही लगाया जा सके, हेतु बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रदान किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लिए मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस के संबंध में वित्त लेखा के अनुसार बजट प्राक्कलन/संशोधित बजट प्राक्कलन तथा राजस्व की वास्तविक वसूली की तुलना **तालिका–3.2** में दी गयी है।

तालिका 3.2

राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ –साथ कुल कर प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
2011–12	1,600.00	1,480.07	(–) 119.93	(–) 7.50	12,612.10	11.73
2012–13	1,906.00	2,173.02	(+) 267.02	(+) 14.01	16,253.08	13.36
2013–14	3,200.00	2,712.41	(–) 487.59	(–) 15.24	19,960.68	13.58
2014–15	3,600.00	2,699.49	(–) 900.51	(–) 25.01	20,750.23	13.00
2015–16	3,450.00	3,408.57	(–) 41.43	(–) 1.20	25,449.11	13.39

{स्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

संशोधित बजट प्राक्कलनों के साथ साथ राज्य की वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति निम्न **चार्ट–3.2** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 3.2

संशोधित बजट प्राक्कलन यथा वास्तविक प्राप्तियाँ

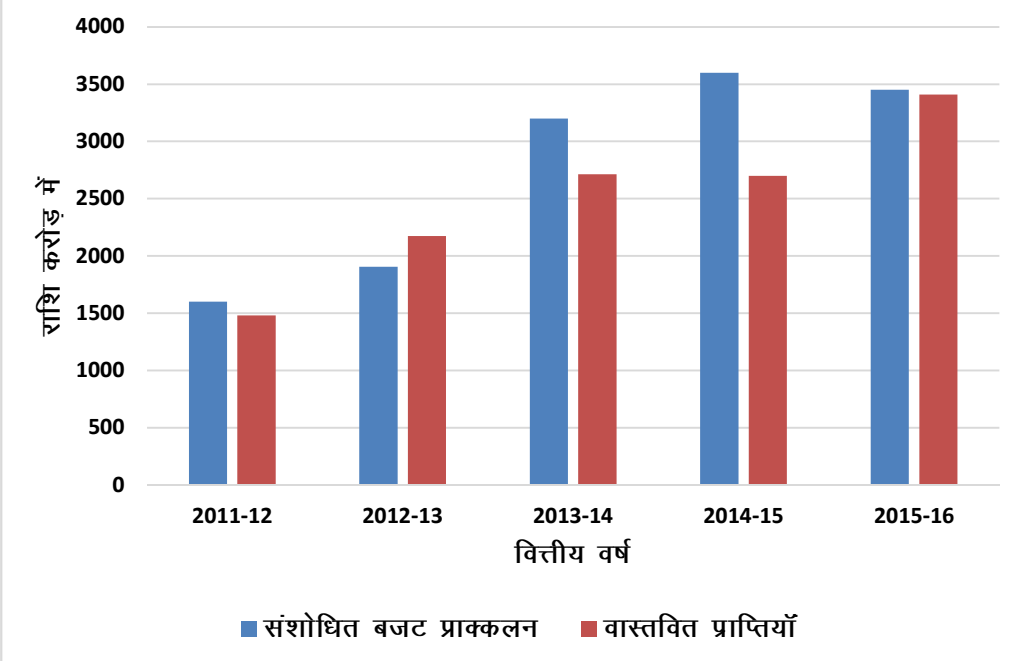

उपर्युक्त तालिका संसूचित करता है कि वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में संशोधित बजट प्राक्कलन का क्रमशः 7.50 प्रतिशत एवं 25.01

प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में बजट प्राक्कलन से 14.01 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वर्ष 2014–15 के दौरान अपार्टमेन्ट के नक्शे के अनुमोदन में देरी तथा तदन्तर अपार्टमेन्ट के निर्माण तथा खरीद/बिक्री में देरी के कारण प्राप्तियों का संग्रहण प्रभावित हुआ।

पुनः, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व की उत्पलावकता अनुपात **तालिका–3.3** में दी गयी है:

तालिका 3.3

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की प्रवृत्ति

ब्योरे	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,43,269	2,93,616	3,43,663	4,02,283	4,86,430
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	19.51	20.70	17.05	17.06	20.92
मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व (₹ करोड़ में)	1,480.07	2,173.02	2,712.41	2,699.49	3,408.57
मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व की वृद्धि दर	34.71	46.82	24.82	(–) 0.48	26.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व की उत्पलावकता अनुपात	1.78	2.26	1.46	(–) 0.03	1.26

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से राजस्व की उत्पलावकता अनुपात 1.26 तथा 2.26 के बीच थी सिवाय वर्ष 2014–15 के जब उत्पलावकता अनुपात ऋणात्मक था।

3.4.8 संदर्भित मामलों का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना

सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा 93 संदर्भित मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.65 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के राजस्व का अवरोधन हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के प्रावधान के तहत् जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है, तब उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकता है। पुनः, आयुक्त तथा सचिव–सह–महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ने सभी निबंधन पदाधिकारियों को मामलों को 90 दिनों के अंदर त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भेजने हेतु निर्देश (मई 2006) दिया।

वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि हेतु चार जिला अवर निबंधक के कार्यालयों[2] के संदर्भित मामलों की पंजियों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी तथा जून 2016 के बीच) कि वर्ष 2013 से 2016 से संबंधित 293 मामले, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के अधीन सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के बीच सहायक निबंधन महानिरीक्षक को संदर्भित किया गया था। जिनमें से 200 मामलों को निष्पादित किया गया था तथा ₹ 1.65 करोड़ के मुद्रांक शुल्क से सन्निहित शेष 93 मामले निपटारा हेतु लेखापरीक्षा की अवधि तक लंबित थे, जबकि उन्हें 90 दिनों के भीतर निपटाया जाना था। संबंधित पक्षों द्वारा उत्तर नहीं/विलंब से दिया जाना, संबंधित जिला अवर निबंधक द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं करना, संबंधित अंचल पदाधिकारियों से वांछित सूचनाओं की विलंब से प्राप्ति आदि संदर्भित मामलों के निष्पादन न होने के कारण थे।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संदर्भित मामलों के त्वरित निपटारा हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। संबंधित सहायक निबंधक महानिरीक्षक ने बताया (दिसम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद उपरोक्त 93 मामलों में से 69 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है।

3.4.9 निष्पादित संदर्भित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना

जिला अवर निबंधकों ने उन मामलों में जहाँ कम आरोपित मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र शुरू नहीं किया जिससे ₹ 1.23 करोड़ के सरकारी राजस्व का वसूली नहीं की गयी।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 प्रावधित करता है कि भुगतान किए जाने वाले आवश्यक सभी मुद्रांक शुल्कों, जुर्मानों की वसूली संबंधित व्यक्ति, जिससे यह बकाया है, की चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री द्वारा या भू–राजस्व के बकाये हेतु उस समय लागू किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, समाहर्ता–सह–जिला निबंधक/जिला अवर निबंधक को निबंधन के सचिव–सह–महानिरीक्षक द्वारा जारी (जनवरी 2007) निदेश के अनुसार, यदि कोई पक्ष निष्पादित संदर्भित मामलों में मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें एक नोटिस दी जा सकती है तथा 30 दिनों के बाद मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की वसूली के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में उनके नाम के प्रकाशन के पश्चात् लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (पी.डी.आर., अधिनियम) के अधीन राजस्व वसूली नीलामवाद मामले दर्ज किए जाएगें।

जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए छः जिला अवर निबंधक[3] द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं संदर्भित मामलों की पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकन किया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के अधीन 229 संदर्भित मामलों को निष्पादित किया गया था। पुनः इन सभी मामलों की जाँच करने पर हमने पाया कि सहायक महानिरीक्षक ने मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 1.23 करोड़ की राशि निर्धारित की जो इन सभी मामलों में कम आरोपित की गयी थी तथा जनवरी 2013 एवं दिसम्बर 2015 के बीच माँग पत्र निर्गत की गयी थी। हालाँकि, सरकार के निदेशानुसार (जनवरी 2007) ₹ 1.23 करोड़ के सरकारी बकायों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए निर्धारित 60 दिनों के बीत जाने पर भी जिला अवर निबंधक ने न तो कम आरोपित मुद्रांक शुल्क की वसूली की और न ही संबंधित पक्षों के विरूद्ध राजस्व वसूली नीमालवाद मामले ही दर्ज किया ।

[2] बक्सर, मुजफ्फरपुर, पटना तथा सीवान।

[3] भागलपुर, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा तथा पटना।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि जिला अवर निबंधक भागलपुर, गया तथा मुजफ्फरपुर से संबंधित 114 मामलों में ₹ 1.58 करोड़ की राशि की वसूली कर ली गयी है तथा शेष मामलों में राजस्व की वसूली के लिए पी. डी. आर. अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई कर दी गयी है। हालाँकि, जिला अवर निबंधक, गया के 110 मामलों में ₹ 1.58 करोड़ की राशि की वसूली लेखापरीक्षा में बताये गये मामलों से अलग थी, अतः लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किया गया राजस्व अवसूलित है।

3.4.10 मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की अनियमित छूट

छूट के दावे के लिए शर्तों को पूरा किये जाने को सुनिश्चित किए बिना 99 मामलों में ₹ 7.57 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की अनियमित छूट दी गयी।

राज्य सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से तथा जिला निबंधक ने अपनी दिशानिर्देश पंजी के तहत् मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस पर छूट के दावे के लिए शर्ते निर्धारित की।

हमने नौ निबंधन प्राधिकारियों[4] के कार्यालयों के अभिलेखों से पाया (फरवरी तथा जून 2016 के बीच) कि 3,750 नमूना–जाँचित दस्तावेजों (निबंधन दस्तावेजों की कुल संख्या 11,00,557) में से 99 मामलों में दावे की शर्तों को पूरा किये जाने को सुनिश्चित किए बिना ₹ 7.57 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की छूट दी गयी, जैसाकि निम्नलिखित **तालिका–3.4** में वर्णित है।

तालिका 3.4

मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की अनियमित छूट

(राशि ₹ में)

क्रमांक संख्या	दस्तावेज का प्रकार	जिला अवर निबंधक / अवर निबंधक का नाम	मामलों की संख्या	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की अनियमित छूट	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की छूट की शर्त	अभ्युक्ति
1	पट्टा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	सिवान	22	10,01,707	अधिसूचना सं. 1 एम / 117 / 2010–75 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1 ए के अनुच्छेद 33 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पक्ष में निबंधित दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क तथा निबंधित फीस से छूट है।	उन मामलों में जहाँ राज्यपाल के पक्ष में दस्तावेज निबंधित नहीं किए गए, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस में छुट दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.90 लाख का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–VII)**। जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा बताया कि घटे हुए मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की वसूली के लिए सीवान तथा पटना सिटी के मामले में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।
		दानापुर	8	3,80,000		
		पटना सिटी	3	2,07,813		
				15,89,520		

[4] जिला अवर निबंधक – भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, मुजफ्फरपुर, पटना तथा सीवान; अवर निबंधक – बिक्रम, दानापुर तथा पटना सिटी।

2	**<u>पट्टा</u>** बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा)	मुजफ्फरपुर	36	4,39,38,949	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (अधिनियम सं. एस.ओ.सं.–1/एम 190/3216, 3217 दिनांक 24 अक्टूबर 2011) निर्धारित करता है कि मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस पर छूट उद्योग विभाग द्वारा जारी प्राधिकार के प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जाना है।	उद्योग विभाग से इस संबंध में जारी प्राधिकार प्राप्त किए बिना मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस पर छूट दी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.42 करोड़ का कम आरोपण हुआ। (**परिशिष्ट–VIII**)। जवाब में, विभाग ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना सिटी, बिहार शरीफ तथा बिक्रम से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा बताया कि घटे हुए मुदांक शुल्क तथा निबंधन फीस की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।
		भागलपुर	8	40,66,400		
		पटना सिटी	14	49,35,874		
		बिहार शरीफ	5	9,41,743		
		गया	1	87,209		
		बिक्रम	1	1,87,200		
				5,41,57,375		
3	**<u>विक्रय</u>** धनराज टावर	पटना	1	1,99,61,000	डेवलपमेंट एकरारनामें के माध्यम से विकसित बहुमंजली इमारत का मूल्यांकन एमवीआर की फ्लैट के लिए प्रावधित दर आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन समिति की अनुशंसा (15 मई 2013) संदर्भित करती है कि बिना छत की संरचना को अपूर्ण संरचना माना जाएगा तथा मूल्यांकन एमवीआर की आधी दर पर किया जाएगा।	फ्लैट के लिए विहित दर पर संम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया था। चुँकि सम्पत्ति का विकास, डेवलपमेंट एकरारनामा के माध्यम से किया गया था, इसलिए सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए फ्लैट के लिए प्रावधित दर प्रभावी थी। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण संरचना के लिए छूट की (एमवीआर की आधी दर) अनुमति दी गयी, जबकि छत का निर्माण पूर्ण था। जवाब में विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया था तथा तदनुसार मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस वसूल किया गया था। निम्नलिखित कारणों से जवाब स्वीकार्य नहीं है: 1. चुँकि सम्पत्ति का विकास डेवलपमेंट एकरारनामा के माध्यम से किया गया था, फ्लैट के लिए प्रावधित दर सम्पति के मूल्याकंन के लिए लागू थी। 2. केवल बिना छत की संरचना पर छूट की अनुमति है तथा इस मामले में संरचना पूरी थी।
कुल		**99**		**7,57,07,895**		

अनुशंसा–1: सरकार/विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये त्रुटियों/विचलनों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए। भारतीय मुद्रांक अधिनियम तथा इसके अधीन जारी अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस से छूट के मामलों की समीक्षा के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

3.4.11 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

3.4.11.1 खनन पट्टों में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली

जिला अवर निबंधक, गया ने खनन पट्टों के प्रतिभूति राशि पर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का गलत दर लगाया जिसके फलस्वरूप ₹ 15.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 35 (ख) प्रावधित करता है कि जहाँ पट्टे को जुर्माना या प्रीमियम पर या अग्रिम धन पर दिया गया हो तथा कोई किराया आरक्षित नहीं किया गया हो, तब इसे विक्रय मानते हुए प्रीमियम मूल्य पर छः प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस देय होगा।

पुनः, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1 ए के लेख पत्र संख्या 57 के विवरणों के अनुसार प्रतिभूति बॉण्ड अथवा बंधक पत्र, किसी कार्यालय के कार्यान्वयन हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रियान्वयन अथवा किसी राशि या उसके बदले प्राप्त कोई अन्य सम्पति अथवा किसी संविदा के निष्पादन की सुरक्षा हेतु जमानतदार द्वारा क्रियान्वयन पर तीन प्रतिशत का मुद्रांक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिए जिला अवर निबंधक, गया के कार्यालय में पट्टा दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2016) कि खनन पट्टे के लिए बिहार के राज्यपाल के पक्ष में जिला समाहर्त्ता, गया द्वारा छः पट्टा दस्तावेज क्रियान्वित किए गये थे। प्रत्येक पट्टेधारी को पाँच वर्षों के लिए 12.5 एकड़ जमीन प्रदान की गयी थी। छः पट्टा दस्तावेजों में से मात्र एक मामले में नीलामी राशि का छः प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस का भुगतान किया गया था। यद्यपि, इस दस्तावेज में प्रतिभूति जमा पर कोई मुद्रांक शुल्क भुगतान नहीं किया गया था। शेष पाँच पट्टा दस्तावेजों में प्रीमियम राशि पर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस क्रमशः छः प्रतिशत तथा दो प्रतिशत के स्थान पर प्रतिभूति जमा पर तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा एक प्रतिशत की दर से निबंधन फीस का आरोपण किया गया था। इस प्रकार पाँच मामलों में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का गलत आधार मूल्य तथा गलत दर लगाया गया था तथा एक मामले में प्रतिभूति जमा पर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का भी आरोपण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप **₹** 15.99 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई, जैसाकि **परिशिष्ट**–IX में वर्णित है।

इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अक्टूबर 2016) किया तथा कहा कि मामलों को जब्त कर लिया गया है तथा कम वसूल की गयी राशि की वसूली के लिए जून 2016 में समाहर्त्ता को भेज दिया गया है।

3.4.11.2 सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली

तीन जिला अवर निबंधकों द्वारा ₹ 58.16 करोड़ से सम्पत्ति के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ की मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी (फरवरी तथा जुलाई 2013) अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) पर आधारित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस आरोपित किया जायेगा।

तीन जिला अवर निबंधक के कार्यालयों[5] में निबंधित पट्टा दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी 2016 एवं मई 2016 के बीच) कि जिला अवर निबंधकों ने पाँच मामलों में सम्पत्तियों के बाजार मूल्य की गणना करते समय भूमि पर खड़ी संरचना के मूल्य पर विचार नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य का ₹ 58.16 करोड़ से अवमूल्यन हुआ तथा फलस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ। इन मामलों का विवरण निम्न **तालिका–3.5** में दिया गया है।

तलिका 3.5

सम्पत्तियों का अवमूल्यन

क्र. सं.	जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक का नाम	दस्तावेज का टोकन संख्या/ वर्ष	भूमि पर संरचना का वास्तविक मूल्यांकन/जिला अवर निबंधक के अनुसार मूल्यांकन	कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली	अभ्युक्ति
1.	पटना	11973/2013	34,82,27,250 शुन्य	34,82,27,250	1,39,29,090	जवाब में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कानूनी पहलुओं की जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
		5562/2015	25,01,975 शुन्य	25,01,975	1,00,080	
		12053/2015	2,32,18,000 शुन्य	2,32,18,000	2,78,616	
2.	गया	17146/2013	12,60,00,000 शुन्य	12,60,00,000	50,40,000	जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा बताया कि राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गयी थी।
3.	वैशाली	1011/2014	14,96,86,200 6,80,00,000	8,16,86,200	5,13,686	
कुल			**64,96,33,425** **6,80,00,000**	**58,16,33,425**	**1,98,61,472**	

3.4.11.3 सम्पत्तियों के मूल्यांकन में गलत दर लगाये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली।

जिला अवर निबंधक, पटना द्वारा सम्पत्ति के मूल्यांकन में गलत दर लगाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 54.75 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

[5] गया, पटना तथा वैशाली।

जिला मूल्यांकन समिति, पटना की अनुशंसा के अनुसार बहुमंजिली/वाणिज्यिक इमारतों में द्वितीय तल से ऊपर कार्यालय स्थान माना जाएगा तथा तदनुसार दरें सम्पत्ति के मूल्यांकन में लागू होनी चाहिए।

जिला अवर निबंधक, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से हमने पाया (फरवरी 2016) कि बहुमंजिली इमारतों (सूर्य प्रभा मेनसन तथा नूतन टावर) के दो मामलों में निचले भू–तल का मूल्याकंन दुकान हेतु दर के स्थान पर कार्यालय के स्थान हेतु दर पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.48 करोड़ की सम्पत्ति का अवमूल्यन हुआ तथा फलस्वरूप ₹ 54.75 लाख[6] के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सूर्य प्रभा मेन्सन के मामले में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शनों का अनुपालन सम्भव नहीं था। विभाग का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शनों का इन सभी मामलों में अनुपालन किया जाना है। विभाग ने पुनः कहा कि नूतन टावर (क्रिश हुन्डयी) का मामला अगस्त 2016 में पुनर्मुल्यांकन के लिए सहायक महानिरीक्षक को संदर्भित किया गया था।

3.4.11.4 पट्टा दस्तावेजों के मामलों में गलत दर लगाये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण

पट्टा दस्तावेजों के मूल्यांकन में गलत दर लगाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.98 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

अधिसूचना सं. 1026 दिनांक 15 फरवरी 2013 के अनुसार, पट्टा दस्तावेजों पर पट्टा की आवधिकता के अनुसार सम्पत्ति के मूल्याकंन के छः प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया जाना था। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या 1810 दिनांक 26 जुलाई 2013 के अनुसार पट्टे की सम्पत्ति के मूल्यांकन के दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस का भुगतान किया जाना था।

- अवर निबंधक कार्यालय, बिक्रम में निबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2015) कि 231.25 डिसमिल के दो पट्टे दस्तावेज, चावल मिल की अधिष्ठापन तथा स्कूल खोलने के लिए 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिए गए थे, परन्तु इन पट्टों पर 30 वर्ष से कम पर विचार करते हुए अवर निबंधक के द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.95 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर अवर निबंधक, बिक्रम ने बताया (दिसम्बर 2015) कि माँग पत्र जारी की जाएगी।

[6] गणना:

सम्पत्ति का नाम	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	लगाया जाने वाला दर/लगाया गया दर	सम्पत्ति का अवमूल्यन	आरोप्य मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस/आरोपित मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस	कम शुल्क एवं निबंधन फीस
सूर्य प्रभा मेन्सन	2,400	10,000/7,500	60,00,000	24,00,000/18,00,000	6,00,000
नूतन टावर	7,500	14,000/7,500	4,87,50,000	1,05,00,000/56,25,000	48,75,000
कुल			**5,47,50,000**	**1,29,00,000/74,25,000**	**54,75,000**

- जिला अवर निबंधक, पटना के कार्यालय में निबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी 2016) कि एक वाणिज्यिक दुकान हेतु 12 वर्षो के लिए एक पट्टा दस्तावेज निष्पादित किया गया था। यद्यपि, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु वाणिज्यिक दर लागू नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, सम्पत्ति का अवमूल्यन हुआ तथा फलस्वरूप ₹ 3.03 लाख के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर जिला अवर निबंधक, पटना ने कहा (अगस्त 2016) कि मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की वसूली के लिए माँगपत्र जारी (जुलाई 2016) की जा चुकी थी।

3.4.12 अतिरिक्त अन्तरीय मुद्रांक शुल्क की वसूली नही किया जाना

बिहार राज्य से बाहर सम्पादित मुख्तारनामें में ₹ 21.67 लाख के अतिरिक्त अन्तरीय मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

सरकार ने अधिसूचना (मार्च तथा अक्टूबर 2012) के तहत् राज्य से बाहर सम्पादित मुख्तारनामें के मामले में अन्तरीय मुद्रांक शुल्क (बिहार राज्य में आरोप्य मुद्रांक शुल्क तथा बिहार राज्य से बाहर भुगतान किए गए मुद्रांक शुल्क के बीच अंतर) वसूल करने का निदेश दिया।

वर्ष 2013 से 2016 की अवधि के लिए जिला अवर निबंधक, बक्सर के कार्यालय में विक्रय दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (जून 2016) कि अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान पश्चिम बंगाल में मुख्तारनामा के चार दस्तावेज निष्पादित किए गये थे परन्तु संबंधित पक्षों से अंतरीय राशि की वसूली नहीं की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.67 लाख[7] के मुद्रांक शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एक मामले में ₹ 4.87 लाख के मुद्रांक शुल्क की वसूली की गई है। शेष मामलों में जवाब प्रतिक्षित थे (अक्टूबर 2016)।

3.4.13 भूमि के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण सम्पत्ति का अवमूल्यन

पाँच जिला अवर निबंधक द्वारा भूमि के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सम्पत्तियों का ₹ 19.76 करोड़ से अवमूल्यन हुआ तथा फलस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) के प्रावधान के अनुसार प्रधान मुख्य सड़कों के दोनों ओर स्थित भूमि को वाणिज्यिक भूमि माना जाएगा तथा तदनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग को प्रधान सड़क माना जाएगा।

[7]

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	टोकन सं.	दस्तावेज सं.	तिथि	मूल्यांकन	छः प्रतिशत की दर से वांछित मुद्रांक शुल्क
1	12,322	11,922	23.10.2013	95,00,000	5,70,000
2	12,729	12,311	04.11.2013	95,00,000	5,70,000
3	13,023	12,605	14.11.2013	90,00,000	5,40,000
4	2,871	2,779	20.03.2014	81,15,000	4,86,900
			कुल	**3,61,15,000**	**21,66,900**

पाँच जिला अवर निबंधक के कार्यालयों[8] में विक्रय तथा पट्टे के दस्तावेजों की संवीक्षा (फरवरी तथा जून 2016 के बीच) के दौरान हमने पाया कि 10 मामलों में सम्पत्तियों के बाजार मूल्य की गणना निम्न दरों पर की गयी थी, यद्यपि ऐसी सम्पत्तियाँ वैसे स्थान पर अवस्थित थी, जहाँ उच्चतर दरें लागू थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.76 करोड़ तक सम्पत्तियों का अवमूल्यन हुआ तथा फलस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ, जैसाकि नीचे **तालिका–3.6** में वर्णित है:

तालिका–3.6

भूमि के त्रुटिपुर्ण वर्गीकरण के कारण सम्पत्ति का अवमूल्यन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला अवर निबंधक / अवर निबंधक का नाम	दस्तावेज का टोकन सं.	भूमि का वास्तविक मूल्यांकन / जिला अवर निबंधक के अनुसार मूल्यांकन	कम मूल्यांकन	कम मुंद्राक शुल्क एवं निबंधन फीस	अभ्युक्ति
1.	बिक्रम	5985 / 2014	4,84,50,000 64,60,000	4,19,90,000	31,00,800	भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित था तथा इसलिए वाणिज्यिक दर लागू था, परन्तु जिला अवर निबंधक ने कम दर लगाया। जवाब में, विभाग ने में बिक्रम के एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 47 (क) के अधीन मूल्यांकन के लिए सहायक महानिरीक्षक को संदर्भित कर दिया, जबकि दूसरे मामले में विभाग ने कहा कि मामले की पुनः जाँच की जायेगी।
		3278 / 2015	2,78,43,750 50,62,500	2,27,81,250	18,19,500	
2.	बक्सर	10015 / 2013	1,54,25,760 34,43,000	1,19,82,760	4,78,029	भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित था परन्तु जिला अवर निबंधक ने वाणिज्यिक / औद्योगिक क्षेत्र के स्थान पर विकासशील क्षेत्र का दर लगाया। जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा कहा कि माँग पत्र जारी कर दी गयी है।

[8] बिक्रम, बक्सर, पटना, सिवान तथा वैशाली।

		9840 / 2013	2,80,00,000 68,25,000	2,11,75,000	16,94,000	भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित था और इसलिए वाणिज्यिक दर लागू होना चाहिए था, परन्तु जिला अवर निबंधक ने निम्न दर लगाया। जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले की पुनः जाँच की जायेगी।
3.	पटना	3789 / 2014	4,07,23,150 2,60,36,000	1,46,87,150	14,68,715	भूखण्ड प्रधान सड़क पर अवस्थित था और इसलिए वाणिज्यिक दर लागू था, परन्तु जिला अवर निबंधक ने निम्न दर लगाया। जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मामले को जिला मूल्याकंन समिति को संदर्भित किया जाएगा।
		5024 / 2015	9,59,98,500 7,38,45,000	2,21,53,500	2,61,981	भूखण्ड प्रधान सड़क पर स्थित था और इसलिए वाणिज्यिक दर लागू था परन्तु जिला अवर निबंधक ने निम्न दर लगाया। जवाब में, विभाग ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि माँग पत्र जारी कर दी गयी है।
4.	सीवान	11259 / 2014	7,79,67,015 4,58,62,950	3,21,04,065	3,70,964	जिला अवर निबंधक ने वाणिज्यिक दर के बदले आवासीय दर लगाया। जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि इस मामले को जब्त कर दी गयी है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए समाहर्त्ता को भेज दिया गया है।
5.	वैशाली	2934 / 2014	2,69,60,000 67,40,000	2,02,20,000	8,08,800	पट्टा दस्तावेज का विवरण इंगित किया कि भू–खण्ड वाणिज्यिक वर्ग का हैं, परन्तु जिला अवर निबंधक ने निम्न दर लगाया। जवाब में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि माँग पत्र जारी कर दी गयी है।
		5867 / 2014	1,41,00,000 54,05,000	86,95,000	1,04,320	भूखण्ड प्रधान सड़क पर स्थित था तथा इसलिए वाणिज्यिक दर लागू होना चाहिए था, लेकिन जिला अवर निबंधक ने निम्न दर

		695 / 2014	27,90,000 10,23,000	17,67,000	69,640	लगाया। जवाब में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और कहा कि एक मामले में ₹ 1.14 लाख का घटा हुआ मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस वसूल कर लिया गया है और दूसरे मामले में माँग पत्र जारी कर दी गयी है।
कुल			**37,82,58,175** **18,07,02,450**	**19,75,55,725**	**1,01,76,749**	

3.4.14 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

3.4.14.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

हमने पाया कि निबंधन विभाग में कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) निबंधन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के रूप में कार्य करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका का अनुपालन उपलब्ध कराने का अनुरोध करने पर विभाग ने जवाब दिया (मई 2016) कि वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) ने वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान निबंधन विभाग का लेखापरीक्षा संचालित नहीं किया था (वहीं वित्त विभाग, लेखापरीक्षा कोषांग द्वारा दी गयी प्रतिवेदन के अनुसार वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान तीन इकाईयों तथा वर्ष 2014–15 के दौरान दो इकाईयों की लेखापरीक्षा संचालित की गयी थी)।

वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग का विरोधाभासी जवाब, कमजोर नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) तथा आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

3.4.14.2 अपर्याप्त निरीक्षण

वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान निरीक्षण के लिए आवश्यक 1,395 कार्यालयों के विरूद्ध, निरीक्षण प्राधिकरियों द्वारा केवल 548 कार्यालयों (39 प्रतिशत) का निरीक्षण किया गया था।

विभाग के लिए निर्धारित नियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के हाथों में निरीक्षण, आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण औजार है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि राजस्व का संग्रहण उचित रूप से किया गया है तथा कोई रिसाव नहीं हुआ है। बिहार निबंधन मैनयुअल में जिला अवर निबंधक, जिला निबंधक, सहायक महानिरीक्षक तथा महानिरीक्षक निबंधन द्वारा निबंधन कार्यालयों के निरीक्षण का प्रावधान है। जिला अवर निबंधक वर्ष में साधारणतः दो बार प्रत्येक अवर निबंधक कार्यालयों की तथा वर्ष में एक बार अपने कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। जिला निबंधक / सहायक महानिरीक्षक को वर्ष में कम से कम एक बार जिला कार्यालय सहित

अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए। महानिरीक्षक, निबंधन को जिला अवर निबंधक के कार्यालयों का 50 प्रतिशत तथा अपने सुविधानुसार जितने कार्यालय हो सके, का निरीक्षण करना चाहिए।

बिहार निबंधन मैन्युअल द्वारा वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा 1,395 कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि से संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार हमने पाया कि निरीक्षण हेतु आवश्यक 1,395 कार्यालयों के विरूद्ध निरीक्षण प्राधिकारियों के द्वारा केवल 548 कार्यालयों (39 प्रतिशत) का निरीक्षण किया गया था, जिसका विवरण **तालिका–3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7

निरीक्षण की कम संख्या

वर्ष	निरीक्षण किये जाने वाले कार्यालयों की संख्या	निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2013–14	465	145	320	68.81
2014–15	465	182	283	60.86
2015–16	465	221	244	52.47
कुल	**1,395**	**548**	**847**	

वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान जिला अवर निबंधक के अलावे उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आंकड़े, जैसे कि निबंधित दस्तावेजों की संख्या जिसमें भूमि की श्रेणी के साथ ही संपति के मूल्य की तिर्यक जाँच की गई, मामलों की संख्या, जहाँ कम मूल्यांकन पाया गया तथा कम वसूली की गई, निरीक्षण प्राधिकारी के निर्देश पर वसूली की गई राशि, अनुरोध किये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः उच्च प्राधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की प्रभाविता तथा उनके द्वारा निबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की जांच के मामले लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

यद्यपि विभाग द्वारा यह कहा गया (मई 2016) कि किसी शिकायत के मामले के अलावा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा निबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग ने पुनः कहा (सितम्बर 2016) कि भविष्य में सभी अधीनस्थ कार्यालयों का विहित मानकों के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा।

अनुशंसा–2: आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा इसकी प्रभाविता को सुदृढ़ करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों की समीक्षा तथा आवधिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु सरकार/विभाग को उचित कदम उठाना चाहिए।

3.4.15 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से इंगित होता था कि मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस के आकलन, आरोपण तथा संग्रहण हेतु विभाग द्वारा स्थापित प्रणाली का पालन ईमानदारी से नहीं किया गया था। निबंधन होने वाले दस्तावेजों की संख्या की समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए विभाग अन्य विभाग/लोक कार्यालयों के साथ समन्वय करने में असफल रहा, जिससे मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

3.4.16 अनुशंसाओं का सार

सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकती है:

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों/विचलनों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के तहत् मुदांक शुल्क तथा निबंधन फीस से छूट के मामलों की समीक्षा सुनिश्चित करना।

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा इसकी प्रभाविता सुदृढ़ करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों की समीक्षा तथा आवधिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

अध्याय-IV
वाणिज्य–कर

अध्याय–IV : वाणिज्य–कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य–कर[1] का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमावलियों के प्रावधानों द्वारा शासित हैः

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

यह वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित हैं, जिसके प्रमुख वाणिज्य–कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य–कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ[2] प्रशासनिक प्रमंडलों, सात[3] अपीलीय प्रमंडलों एवं चार[4] लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य–कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

---

1 वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

वित्त विभाग द्वारा दी गई (अगस्त 2016) सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान उसने वाणिज्य–कर विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य–कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं, जो वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग ने 2015–16 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित 63 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 39 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से हमने ₹ 2,916.12 करोड़ से सन्निहित 1,492 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका–4.1** में वर्णित है।

तालिका–4.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण' का लेखापरीक्षा**	**1**	**231.91**
	क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर		
1.	आवर्त्त का छिपाव	380	1328.68
2.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	74	64.76
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	258	61.00
4.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	10	14.51
5.	कर का गलत दर लगाया जाना	44	11.87
6.	रियायती कर के दर की अनियमित अनुमति	8	9.87
7.	आवर्त्त के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	19	8.86
8.	कर का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	16	8.29
9.	अन्य मामले	449	83.30
	कुल	**1,258**	**1,591.14**
	ख : प्रवेश कर		
1.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	36	984.61
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	27	4.30
3.	अन्य मामले	166	35.80
	कुल	**229**	**1,024.71**
	ग : विद्युत शुल्क		
1.	विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	0.88
	कुल	**2**	**0.88**
	घ : मनोरंजन/विलासिता कर		
1.	मनोरंजन कर का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	67.47
	कुल	**2**	**67.47**
	कुल योग	**1,492**	**2,916.12**

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा के परिणाम में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर एवं प्रवेश कर पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों को निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–4.1

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

(₹ करोड़ में)

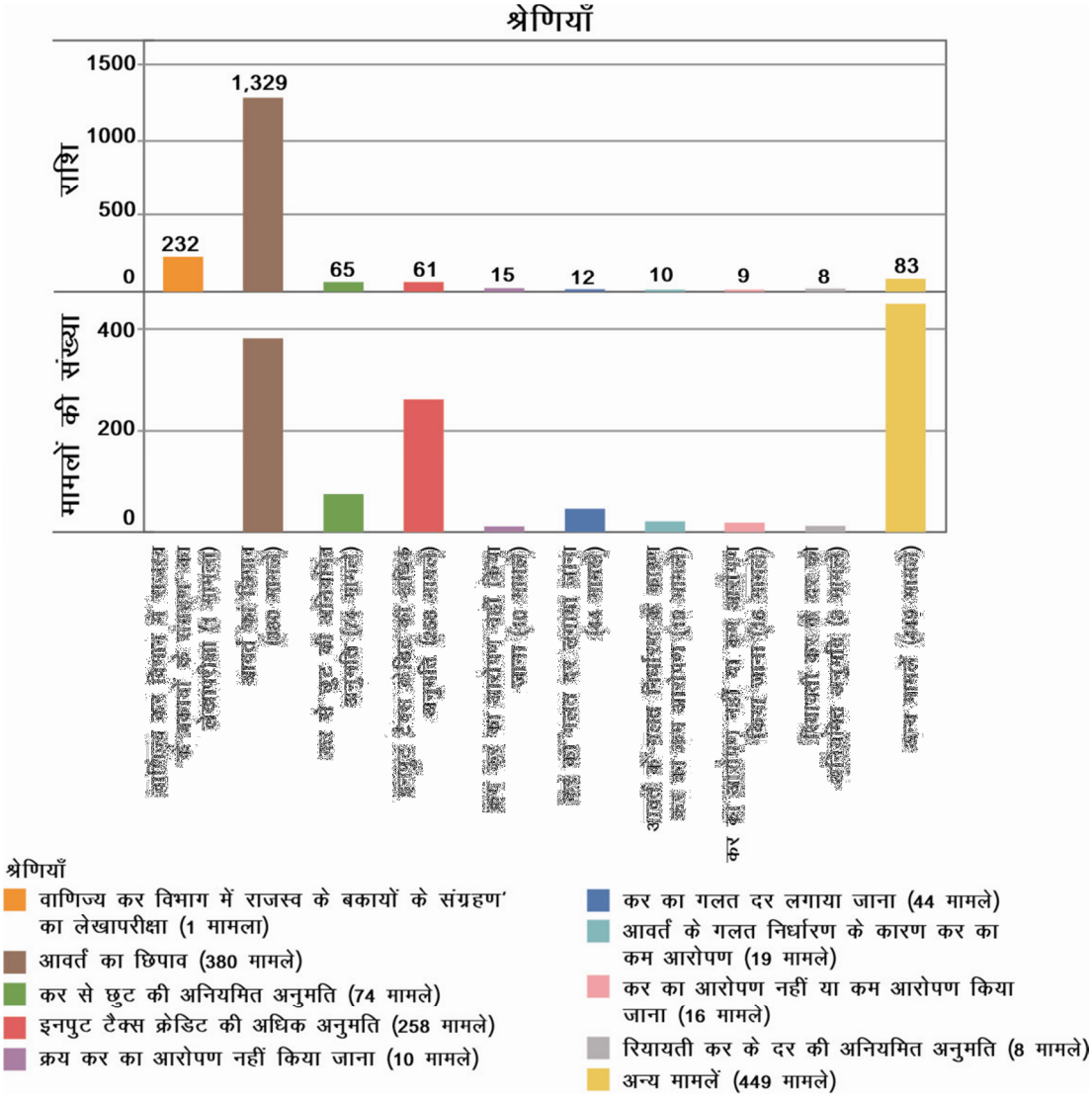

चार्ट–4.2

ख : प्रवेश कर

(₹ करोड़ में)

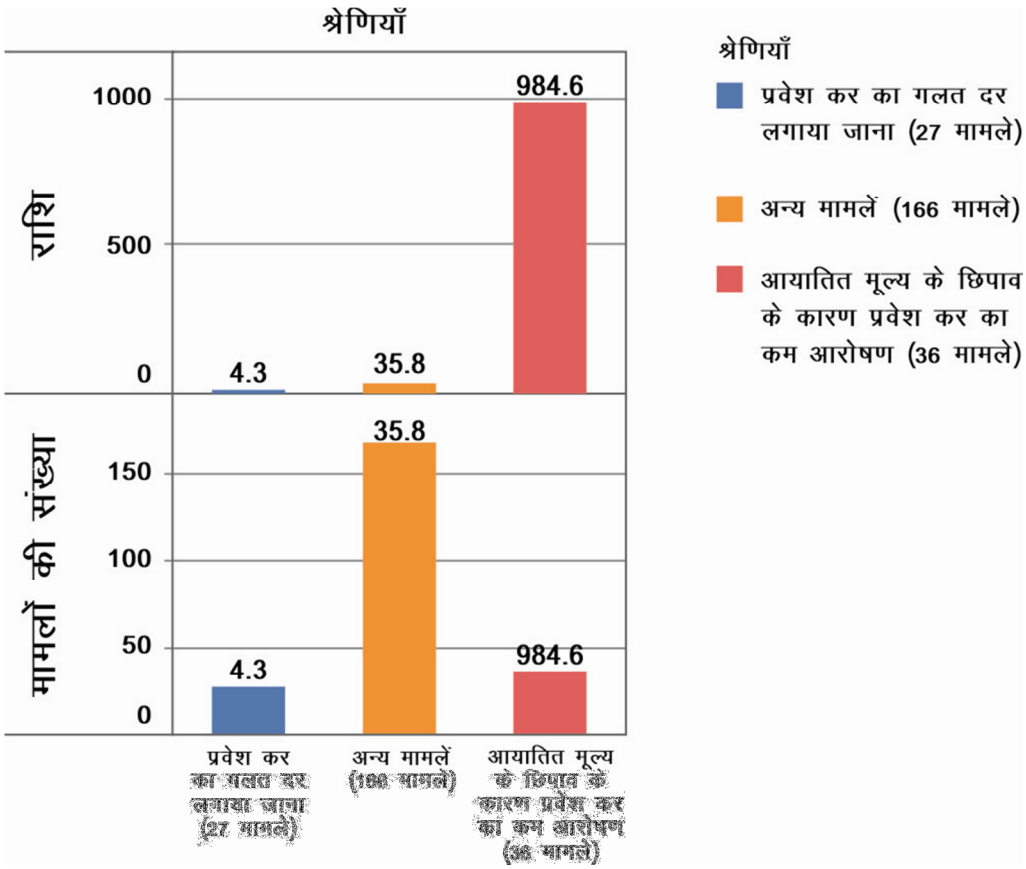

उपर्युक्त वर्णित मामलों में से विभाग ने 170 मामलों में सन्निहित ₹ 159.78 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 103.94 करोड़ से सन्निहित सात मामले इस वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। पुनः विभाग ने प्रतिवेदित किया कि 64 मामलों में ₹ 2.18 करोड़ की वसूली हुई थी, जो कि वर्ष 2009–10 से 2014–15 के बीच इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 1102.33 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

4.4 वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की संग्रहण हेतु प्रणाली की लेखापरीक्षा

4.4.1 परिचय

राज्य में वाणिज्य–कर का आरोपण तथा संग्रहण, वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित किये जाते हैं जिसे आठ संविधि यथा, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948; बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948; बिहार विज्ञापन कर अधिनियम 2007; बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988; बिहार स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993 तथा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है।

वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार के कर राजस्व का लगभग दो तिहाई योगदान करता है। स्वीकृत/निर्धारित कर का भुगतान निर्धारिती द्वारा माँग पत्र में विनिर्दिष्ट तरीके तथा समय के भीतर किया जाता है। कर का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में कर–निर्धारण प्राधिकारी कर के राशि के अलावे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण करते हैं। कोई कर अथवा अर्थदण्ड/ब्याज, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, कर का बकाया होता है तथा भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय होगा।

4.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

उच्च स्तर पर प्रधान सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग के प्रधान होते हैं। वे विभाग में अधिनियम तथा नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। अपने कार्य के निर्वहन में आयुक्त, वाणिज्य–कर को अन्वेषण ब्यूरो सहित मुख्यालय स्तर पर पाँच अपर आयुक्त वाणिज्य–कर, तीन संयुक्त आयुक्त वाणिज्य–कर, 10 उपायुक्त वाणिज्य–कर/सहायक आयुक्त वाणिज्य कर तथा पाँच वाणिज्य–कर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नौ प्रशासनिक प्रमंडलों, सात अपील प्रमंडलों एवं चार लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभक्त है, जिसके प्रमुख संयुक्त आयुक्त वाणिज्य–कर होते हैं। इसके अतिरिक्त, नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में बांटा गया है, जिसके प्रमुख उपायुक्त, वाणिज्य–कर/सहायक आयुक्त, वाणिज्य–कर होते हैं, जिन्हें वाणिज्य–कर पदाधिकारियों का सहयोग मिलता है। अंचल, विभाग के आधारभूत गतिविधि का केन्द्र है जहाँ निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण/संवीक्षा की जाती है तथा माँग सृजित/राजस्व की वसूली की जाती है।

4.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह जाँच करने के उद्देश्य से किया गया, कि क्याः

- राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु नियम एवं प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी है;
- राजस्व के बकायों की वसूली में अधिनियम/नियमावलियों तथा निर्देशों के प्रावधानों का अनुसरण किया जा रहा है; तथा
- विभाग का आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रणाली मजबूत तथा राजस्व के बकायों के संग्रहण में प्रभावी था।

4.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया है–

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- इसके तहत् बनाये गये नियमावली, समय–समय पर जारी कार्यपालक तथा विभागीय आदेश तथा निदेश; तथा
- बिहार तथा ओड़िशा लोक माँग एवं वसूली (पी0डी0आर0) अधिनियम, 1914।

4.4.5 कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा का आयोजन फरवरी 2016 तथा जून 2016 के बीच किया गया। वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय तथा राज्य के 50 अंचलों में से 15 अंचलों[5] के अभिलेखों का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर के प्रयोग से यादृच्छिक (रैण्डम) नमूना के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की परीक्षा हेतु क्षेत्र दौरा, आंकड़ों का संग्रहण, लेखापरीक्षा ज्ञापन, प्रश्नावली निर्गत करना तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए लेखापरीक्षा इकाईयों से उत्तर प्राप्त करना सम्मिलित है।

अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर के साथ 8 अप्रैल 2016 को एक आरम्भिक सम्मेलन (ईंट्री कॉन्फ्रेन्स) का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्य प्रणाली तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य की व्याख्या की गई। अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर के साथ 6 अक्टूबर 2016 को एक अंतिम सम्मेलन (एक्जिट कॉन्फ्रेन्स) का आयोजन किया गया। विभाग की प्रतिक्रिया/उत्तर उचित खंडन के साथ सम्मिलित किया गया है।

4.4.6 स्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्य–कर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

4.4.7 राजस्व एवं बकाये की प्रवृत्ति

बकाये की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 941.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 438.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था।

बकाये की वर्ष–वार स्थिति तथा वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में उसकी वसूली नीचे **तालिका–4.2** में दी गई है:

तालिका–4.2

राजस्व तथा बकाये की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग की प्राप्तियाँ	बकाये का आरम्भ शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल बकाया	बकाये की वसूली	बकाये के वसूली की प्रतिशतता	बकाये का अंत शेष
2011–12	8,414.43	941.61	532.99	1,474.60	258.18	17.50	1,216.42
2012–13	10,771.40	1,216.42	800.19	2,016.61	944.84	46.80	1,071.77
2013–14	13,041.36	1,071.77	1,581.71	2,653.48	467.57	17.60	2,185.91
2014–15	13,593.47	2,185.91	2,106.06	4,291.97	1,509.97	35.18	2,782.00
2015–16	17,122.42	2,782.00	3,054.47	5,836.47	767.92	13.16	5,068.55

(स्रोतः वित्त लेखा, बिहार सरकार तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

[5] भभुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णिया, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

कुल प्राप्ति के साथ–साथ बकायों के लम्बन तथा इसकी वसूली की स्थिति निम्न दंड चित्र में दर्शाया गया है।

चार्ट–4.3

राजस्व तथा बकाये की प्रवृत्ति

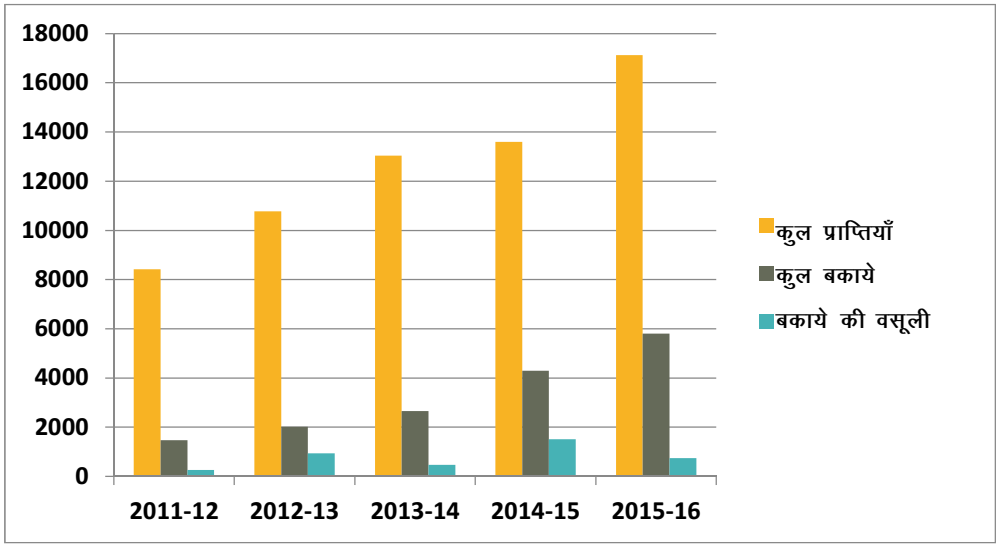

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व का बकाया 1 अप्रैल 2011 के ₹ 941.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ हो गया, इस प्रकार 438.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विभाग की कुल प्राप्तियाँ ₹ 8,414.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 17,122.42 करोड़ हो गई, इस प्रकार केवल 103.49 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई। बकाये की वसूली की दर केवल 13.16 प्रतिशत से 46.80 प्रतिशत के बीच रही। यह इंगित करता है कि राजस्व बकाये की वसूली की गति संचित हो रहे बकाये की तुलना में धीमी थी।

बकाये की आयु–वार स्थिति

विभाग द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का आयु–वार विवरण निम्न **तालिका–4.3** में प्रदर्शित है:

तालिका–4.3

बकाये की आयु–वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

आयु	राशि	बकाये की प्रतिशतता
सात वर्ष या अधिक पुराना	214.29	4.23
पाँच वर्ष या अधिक परंतु सात वर्षों से कम पुराना	121.99	2.41
तीन वर्ष या अधिक परंतु पाँच वर्षों से कम पुराना	263.57	5.20
तीन वर्षों से कम पुराना	4,468.70	88.16
कुल	**5,068.55**	**100**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बकायों का 88.16 प्रतिशत तीन वर्षों से कम पुराना था। विभाग को उसकी त्वरित वसूली हेतु प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अधिक पुराना होने पर उन बकायों की वसूली में कठिनाई होगी।

4.4.8 बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व बकाये को ध्यान में नहीं रखा जाना

बकाये के वृहत विलंबन, जो कुल प्राप्तियों की 9.95 से 29.60 प्रतिशत के बीच थी, के बावजूद बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व बकाये को ध्यान में नहीं रखा गया।

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार राजस्व तथा प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष के अन्तर्गत अपेक्षित वसूलनीय राशि को प्रदर्शित करना चाहिए। आगामी वर्ष हेतु नियत राजस्व का प्राक्कलन करते समय गत वर्ष में देय कोई बकाया तथा वर्ष के दौरान उसके वसूली की संभावनाएँ सहित वास्तविक माँग के आधार पर संगणित होनी चाहिए। बकायों तथा चालू माँग को अलग–अलग दर्शाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली अपेक्षित नहीं है तो कारण बताना चाहिए। अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन गत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बजट प्राक्कलन, कुल प्राप्तियाँ तथा राजस्व का बकाया एवं उनका संग्रहण नीचे **तालिका–4.4** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.4

वास्तविक प्राप्ति के साथ साथ राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्तियाँ	कुल बकाया	वसूल की गई राजस्व के बकाये	बकाये का अंतशेष	प्राप्तियों की तुलना में बकाये के अंतशेष की प्रतिशतता	कुल प्राप्तियों में वसूली की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2011–12	8,414.43	1,474.60	258.18	1,216.42	14.46	3.07
2012–13	10,771.40	2,016.61	944.84	1,071.77	9.95	8.77
2013–14	13,041.36	2,653.48	467.57	2,185.91	16.76	3.58
2014–15	13,593.47	4,291.97	1509.97	2,782.00	20.46	11.10
2015–16	17,122.42	5,836.47	767.92	5,068.55	29.60	4.48

(स्रोतः वित्त लेखा, विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

जून 2016 में आयुक्त, वाणिज्य–कर के कार्यालय में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के बजट प्राक्कलन संचिकाओं के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि राजस्व बकाये के वृहत् विलम्बन के बावजूद बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व के बकाये को

ध्यान में नहीं रखा गया, जो कुल प्राप्तियों के 9.95 तथा 29.60 प्रतिशत के बीच थी तथा बकायों की वसूली का योगदान कुल प्राप्तियों के 3.07 से 11.10 प्रतिशत के बीच रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन, राजस्व के पूर्व वर्ष के संग्रहण में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जोड़ कर तैयार की गई थी तथा पूर्व वर्ष के राजस्व में राजस्व के बकाये का संग्रहण भी शामिल है।

विभाग का उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करता है कि बकाये की वास्तविक प्रमात्रा का पृथक विश्लेषण क्यों नहीं किया गया क्योंकि बकाये की प्रमात्रा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लगभग पाँच गुणा बढ़ गई थी। बकायों की वसूली का प्राक्कलन बजट प्राक्कलन में पृथक रूप से दर्शाया जाने पर बकायों की वसूली हो सकती थी/प्रभावी रूप से इसका अनुश्रवण किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.4.9 चयनित अंचलों में बकाया लंबित रहना

चयनित अंचलों में बकाया की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 378.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ हो गई, इस प्रकार 860.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 14 नमूना–जाँचित अंचलों (दरभंगा को छोड़कर[6]) में राजस्व बकाये की स्थिति निम्न **तालिका–4.5** में दर्शाई गई है:

तालिका 4.5

बकाया लंबित रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष		वर्ष के दौरान जुड़े राजस्व के बकाये		वसूल किये गये बकाये की राशि		अंत शेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2011–12	10,286	378.60	2,151	379.37	3,410	183.03	9,027	574.94
2012–13	9,027	574.94	1,879	481.56	2,765	788.97	8,141	267.53
2013–14	8,141	267.53	2,276	1,309.13	2,392	211.75	8,025	1,364.91
2014–15	8,025	1,364.91	2,574	1,311.92	2,131	1,143.13	8,468	1,533.70
2015–16	8,468	1,533.70	7,242	2,654.42	4,213	550.57	11,497	3,637.55

(स्रोतः अंचलों द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त सूचनाओं के विश्लेषण से हमने पाया कि वर्ष 2011–12 के आरंभ में ₹ 378.60 करोड़ का बकाया बढ़कर वर्ष 2015–16 के अंत में ₹ 3,637.55 करोड़ हो गया जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बकायों के लंबित रहने में 860.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह दर्शाता है कि वसूली की गति बकायों के संचयन से बहुत कम थी। पुनः, 31 मार्च 2016 को लंबित बकायों के चरण–वार विश्लेषण करने

[6] राजस्व बकाये के मामलों के आंकड़े तथा सन्निहित राशि का संधारण दरभंगा अंचल में उचित रूप से नहीं किया गया था तथा अंचल द्वारा प्रदत्त सूचना प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता था।

पर हमने पाया कि बकायों का 54.24 प्रतिशत विभिन्न न्यायिक प्राधिकरियों के न्यायालयों में लंबित था तथा 44.02 प्रतिशत वसूली की अन्य चरणों पर थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकायों की वसूली के लिए जुलाई 2016 में अंचलों को निर्देश जारी कर दिये गये थे।

अनुशंसा–1: सरकार/विभाग बकायों के भुगतान हेतु कर चूककर्त्ताओं को स्मार–पत्र जनित करने हेतु स्वचालित प्रणाली लाये तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे बकायों की वसूली/विलम्बन, कर निर्धारण प्राधिकारी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में प्रदर्शित हो।

4.4.10 लेखापरीक्षा तथा रिमांड मामलों के कारण हुए अनुसारी कर निर्धारण में बकाया लंबित रहना

लेखापरीक्षा/रिमांड मामलों के कारण ₹1,781.45 करोड़ की माँग सृजित की गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 1,186.02 करोड़ लंबित थे।

चयनित 15 नमूना–जाँचित अंचलों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा, रिमांड मामले तथा मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी किये गये कर निर्धारण के कारण माँग सृजन की स्थिति, इसकी वसूली तथा वसूली हेतु लंबित राजस्व के बकाये, जैसाकि इन अंचलों द्वारा उपलब्ध कराया गया था, नीचे वर्णित हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के अनुसारी कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 1,258 मामलों में ₹ 1,377.22 करोड़ की माँग सृजित की गई, जिसमें से वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान मात्र ₹ 261.43 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 1,115.79 करोड़ की माँग लंबित थी और इसमें से ₹ 727.30 करोड़ का बकाया माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था।

रिमांड मामलों के कर निर्धारण[7] के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि अपीलीय न्यायालयों के निर्णय/निर्देश के अनुसारी किये गये प्रत्यावर्तित मामलों के कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 423 मामलों में ₹ 401.43 करोड़ की माँग सृजित की गई। इसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 67.70 करोड़ की माँग लंबित थी।

मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 1,248 मामलों में ₹ 2.80 करोड़ की माँग सृजित की गई। इसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 2.53 करोड़ की माँग लंबित थी।

बकायों का लंबित रहना विभाग में नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र में कमी को प्रदर्शित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकायों की वसूली हेतु जुलाई 2016 में अंचलों को निदेश जारी कर दिया गया था।

[7] अपीलीय न्यायालयों द्वारा रिमांड किये गये मामलों का कर निर्धारण।

4.4.11 कर/ब्याज/अर्थदण्ड के बकायों की वसूली नहीं किया जाना

पन्द्रह अंचलों में नमूना–जाँचित 2,787 मामलों में से 230 मामलों में अधिनियम/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आरोप्य ₹11.64 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 35.86 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 223.89 करोड़ के बकायों की वसूली नहीं हुई, जैसाकि अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

4.4.11.1 बकायों की वसूली नहीं किया जाना

एक व्यवसायी के मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने राज्य सरकार को ₹ 123.23 करोड़ के बकाये के भुगतान हेतु औद्योगिक प्रतिपूर्ति भुगतान करने का निदेश दिया। परंतु व्यवसायी से वसूली हेतु ₹ 81.73 करोड़ लंबित था। इसके अतिरिक्त, ₹ 37.99 करोड़ के स्वीकृत कर के बकाया का भी भुगतान नहीं किया गया था।

पटना विशेष अंचल में हमने जुलाई 2016 में पाया कि एक व्यवसायी, जिसके विरूद्ध ₹ 123.23 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था, वह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पहुँचा था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय के अनुसार जुलाई 2011 में उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने व्यवसायी द्वारा किये गये मूल्यवर्द्धित कर भुगतान के 80 प्रतिशत की दर से 1 अक्टूबर 2009 से 7.5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति करने का निर्णय, इस शर्त्त पर लिया कि कंपनी विहित समय सीमा के भीतर स्वीकृत कर का भुगतान करेगी, ताकि वह अपने बकायों का भुगतान कर सके। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन स्कीम (डी.आर.एस) में दिये कैश फ्लो के अनुसार बकायों की वसूली होगी।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान किये गये बकाये की वसूली तथा औद्योगिक प्रतिपूर्ति का भुगतान नीचे **तालिका–4.6** में दिया गया है:

तालिका 4.6

बकायों की वसूली

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रतिपूर्ति की राशि	वसूली, जैसाकि डी0 आर0 एस0 में विचार किया गया	वसूली गई राशि	बकाये की कम वसूली
2009–10 से 2011–12 तक	50.74	36.59	21.31	15.28
2012–13	21.90	14.48	14.48	–
2013–14	20.71	14.48	5.71	8.77
2013–14 तक कुल	**93.35**	**65.55**	**41.50**	**24.05**
2014–15	–	14.48	–	–
2015–16	–	18.11	–	–
2016–17	–	25.09	–	–
कुल		**123.23**		

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित डी0आर0एस0 के अनुसार वर्ष 2013–14 तक ₹ 65.55 करोड़ के बकाये की वसूलनीय राशि के विरूद्ध व्यवसायी से केवल ₹ 41.50 करोड़ की वसूली की गई थी,

जबकि प्रतिपूर्ति का भुगतान ₹ 93.35 करोड़ का किया गया, जो कि उपर वर्णित बकाये के भुगतान हेतु था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार बकाये की वसूली नहीं किये जाने का कारण संचिकाओं में दर्ज नहीं पाया गया। इस प्रकार, ₹ 24.05 करोड़ के राजस्व के बकायों की वसूली वर्ष 2013–14 तक नहीं हुई थी।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के दौरान व्यवसायी ने ₹ 19.99 करोड़ तथा ₹ 18.00 करोड़ का स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान नहीं किया था, जिससे वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान वसूल किये जाने वाले ₹ 57.68 करोड़ के शेष बकाये की वसूली की संभावना भी प्रभावित हुआ। इस प्रकार, लेखापरीक्षा तिथि तक उपर वर्णित ₹ 123.23 करोड़ के बकाये के विरूद्ध ₹ 81.73 करोड़ (₹ 24.05 करोड़+ ₹ 57.68 करोड़) लंबित था तथा वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के स्वीकृत कर के बकाये के विरूद्ध ₹ 37.99 करोड़ लंबित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने आदेश में कहा था कि ''चूँकि कोई भी प्रतिरोधी कार्रवाई पुनरूत्थान प्रयासों को संकट में डाल देगी, अतः बिहार सरकार को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुमति के बिना देय की वसूली हेतु किसी प्रतिरोधी उपाय का सहारा नहीं लेना चाहिए''। विभाग का उत्तर औद्योगिक प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के वाबजूद डी.आर.एस. अनुसूची के अनुसार ₹ 24.05 करोड़ के बकाये, जिसकी वसूली वर्ष 2013–14 तक नहीं हुई थी, के कारणों को स्पष्ट नही करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर की वसूली नहीं करने के कारण को भी स्पष्ट नहीं किया, क्योकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का आदेश केवल ₹ 123.23 करोड़ के पुराने बकायों की वसूली हेतु लागू था। विभाग को ₹ 37.99 करोड़ के स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर की वसूली हेतु उचित उपायों का सहारा लेना चाहिए। साथ ही शेष बकाये के वसूली हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए इस संबंध में बिहार सरकार या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से कोई पत्राचार नहीं किया गया।

4.4.11.2 स्वीकृत कर के बकायों का न तो भुगतान किया गया न ही माँग की गयी

पंद्रह अंचलों में 98 व्यवसायियों ने ₹ 556.18 करोड़ के स्वीकृत कर देयता के विरूद्ध केवल ₹ 515.82 करोड़ के कर का ही भुगतान किया था। इस प्रकार, ₹ 2.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 42.75 करोड़ के कर बकाया की वसूली नहीं हुई।

चयनित 15 अंचलों में हमने पाया कि 2,722 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 98 व्यवसायियों ने ₹ 556.18 करोड़ के स्वीकृत कर के विरूद्ध केवल ₹ 515.82 करोड़ के कर का भुगतान किया, जैसाकि उनके रिटर्न में दर्शाया गया था। इस प्रकार वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान व्यवसायियों ने ₹ 40.36 करोड़ के स्वीकृत कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1)(डी) के प्रावधान के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी को कर भुगतान के प्रमाण जाँच करने हेतु रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा तदनुसार व्यवसायियों को सूचना निर्गत करनी थी, परंतु रिटर्न की संवीक्षा करने में कर निर्धारण

प्राधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 2.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज के अलावे ₹ 40.36 करोड़ का स्वीकृत कर के बकायों की वसूली नहीं हुई, जैसाकि **परिशिष्ट–X** में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इस संबंध में कर एवं ब्याज की वसूली हेतु वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा जुलाई 2016 में निदेश निर्गत किये गये थे।

अनुशंसा–2: व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुरूप स्वीकृत कर का भुगतान नहीं करने के मामले में सरकार/विभाग को अलर्ट जारी करने/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

4.4.11.3 बकाये पर ब्याज तथा अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

दस अंचलों में ₹ 47.65 करोड़ के कर के बकायों का भुगतान नहीं करने के कारण 94 व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 29.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोप्य था, परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई ब्याज/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) प्रावधित करता है कि यदि कोई व्यवसायी अथवा व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट अवधि तक कर का भुगतान करने में असफल होता है तब व्यवसायी प्रति माह अथवा उसके किसी भाग के लिये डेढ़ प्रतिशत की दर पर संगणित साधारण ब्याज का भुगतान करेगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(5) के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अथवा कोई व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक कर अथवा ब्याज का भुगतान करने में असफल होता है, तब विहित प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि व्यवसायी पाँच प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का भुगतान करे। जनवरी 2014 में वाणिज्य–कर आयुक्त ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(5) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवसायी, जिसके विरूद्ध राजस्व के बकाया लंबित था, पर अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया था।

हमने 10 अंचलों[8] में पाया कि 265 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 94 व्यवसायियों ने लेखापरीक्षा की तिथि तक वर्ष 2001–02 से 2014–15 तक की अवधि से संबंधित ₹ 47.65 करोड़ के निर्धारित कर का बकाया जमा नहीं किया था। उनके विरूद्ध ₹ 47.65 करोड़ का राजस्व का बकाया लंबित था, जिस पर व्यवसायियों के विरूद्ध बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (3) के अंतर्गत कर भुगतान नहीं करने के कारण ब्याज तथा धारा 39 (5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोप्य था। परंतु कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों में ब्याज/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया, यद्यपि ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 29.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोप्य था, जैसाकि **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि ब्याज तथा अर्थदण्ड का आरोपण हेतु वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा जुलाई 2016 में सभी अंचल प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश निर्गत कर दिया गया था।

[8] भभुआ, भागलपुर, दानापुर, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।

4.4.11.4 विभाग में समन्वय की कमी के कारण बकाया लंबित रहना

विभाग में समन्वय की कमी के कारण ₹ 7.36 करोड़ के राजस्व के बकाये की वसूली नहीं हुई थी।

मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल में हमने जून 2016 में पाया कि एक व्यवसायी के विरूद्ध ₹ 7.36 करोड़ का बकाया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत अंचल ने उसके बैंक खाते को जब्त कर बकाये की वसूली का प्रयास किया परंतु वसूली करने में असफल रहा क्योंकि उसके बैंक खाते में राशि नहीं थी। कर–निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल ने अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर तथा वाणिज्य–कर उपायुक्त पटना मध्य अंचल को मामले की जाँच करने का अनुरोध किया तथा पटना मध्य अंचल से व्यवसायी का ब्योरा प्रदान करने का आग्रह किया, जहाँ व्यवसायी ने नये नाम से निबंधन प्राप्त किया था। हालाँकि, पटना मध्य अंचल अथवा मुख्यालय कार्यालय का उत्तर अभिलेख पर नहीं पाया गया। हमने पुनः नवम्बर 2016 में पटना मध्य अंचल में व्यवसायी के स्थायी निबंधन अभिलेख की जाँच की तथा पाया कि इस संबंध में पटना मध्य अंचल द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग में समन्वय की कमी के कारण ₹ 7.36 करोड़ के राजस्व का बकाया लंबित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि मे0 स्पीड क्राफ्ट के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वाणिज्य–कर आयुक्त के न्यायालय में मामले का निपटारा कर दिया गया है। हालाँकि, विभाग ने पुनः कहा कि भविष्य में राजस्व की वसूली के लिए सरकारी तंत्र में समन्वय स्थापित की जाएगी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग उच्च न्यायालय के उपर वर्णित निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में पहले ही चुनौती दे चुका है।

4.4.11.5 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वसूली प्रकिया आरंभ नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यवसायी के विरूद्ध लागू वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व का बकाया लंबित रहा।

हमने जून 2016 में पाया कि दानापुर अंचल में नमूना–जाँचित 265 मामलों में से एक व्यवसायी के विरूद्ध ₹ 3.92 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था, जैसाकि नीचे **तालिका–4.7** में दर्शाया गया है:

तालिका–4.7

वसूली हेतु लंबित बकाये का ब्योरा

वर्ष	धारा जिसके अंतर्गत आदेश जारी किया गया/आदेश की तिथि	निवल माँग की राशि (राशि ₹ में)	माँग सूचना तामील करने की तिथि
2010–11	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 31/12 नवम्बर 2013	29,30,640	व्यवसायी द्वारा माँग सूचना प्राप्त करने से इंकार करने के कारण तामील नहीं की गई
	बिहार मूल्यवर्द्धित	14,47,073	तथैव

	कर अधिनियम का 25(2)/12 नवम्बर 2013		
2011–12	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 32/23 नवम्बर 2013	2,85,86,174.94	तथैव
	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 25(2)/23 नवम्बर 2013	62,82,675	तथैव
कुल		3,92,46,562.94	

उपरोक्त अवधियों के लिये व्यवसायी के कर–निर्धारण अभिलेखों की जाँच करने के दौरान हमने देखा कि जाली प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करने तथा सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने हेतु व्यवसायी के विरूद्ध 4 नवम्बर 2013 को आर्थिक अपराध इकाई के थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था। परंतु धारा 47 के अंतर्गत कर की वसूली का विशेष प्रक्रिया अपनाकर अथवा धारा 39(6) के अंतर्गत नीलामवाद दायर कर ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 48 के अंतर्गत कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जमानतदारों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज मामलों की स्थिति भी अभिलेख पर नहीं पाया गया। इस प्रकार, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत लागू वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व के बकाये का विलंबन हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु वसूली की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अपनाये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिया गया है।

4.4.11.6 लापता व्यवसायियों से राजस्व के बकायों की वसूली नहीं किया जाना

₹ 1.76 करोड़ के राजस्व के बकाये की वसूली दो लापता व्यवसायियों से नहीं की गई थी।

हमने जून 2016 में पाया कि दानापुर अंचल में नमूना–जाँचित 265 व्यवसायियों में से दो व्यवसायियों के विरूद्ध वर्ष 2012–13 की अवधि से संबंधित ₹ 1.76 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था। परंतु व्यवसायिक स्थल को बंद कर दिये जाने के कारण माँग पत्र तामिल नहीं की जा सकी तथा तब से व्यवसायियों का पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि झारखंड राज्य में अवस्थित व्यवसायी के स्थायी पते पर सूचना भेजी गई परंतु व्यवसायी द्वारा सूचना लेने से इंकार करने के कारण वापस आ गया। जिसके कारण ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की क्षति हो सकती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में कहा कि बकाये की वसूली के लिए सभी संभावित उपाय किये गये थे। विभाग को चाहिए था कि चूककर्त्ता व्यवसायियों का विवरण, झारखंड स्थित स्थायी पता का जिक्र करते हुये, स्थानीय दैनिक अखबार में सूचना प्रकाशित करे।

4.4.11.7 राजस्व के बकाये का भुगतान बिना ब्याज के किया जाना

आठ अंचलों में, 20 व्यवसायियों ने ₹ 27.14 करोड़ के स्वीकृत/निर्धारित कर के बकाये का भुगतान विलंब से किया था, परंतु कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 68.07 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया था।

हमने आठ अंचलों[9] में पाया कि नमूना–जाँचित 2,722 व्यवसायियों में से, 20 व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 27.14 करोड़ के स्वीकृत/निर्धारित कर के बकाये का भुगतान एक दिन से 22 माह 11 दिन के विलंब से किया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के अंतर्गत व्यवसायियों ने न तो आरोप्य डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज का भुगतान किया न ही करों के बकाये के विलंब भुगतान के लिए कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 68.07 लाख के ब्याज का आरोपण किया, जैसाकि **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इस संबंध में ब्याज की वसूली के लिए निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

4.4.11.8 गलत माँग सृजित किया जाना

कर निर्धारण/संवीक्षा के दौरान गलत माँग सृजित किये जाने के कारण ₹ 8.41 करोड़ के बकाये का कम सृजन हुआ।

दो अंचलों (दानापुर तथा समस्तीपुर) में नमूना–जाँचित 265 व्यवसायियों में से तीन व्यवसायियों के मामले में हमने मई तथा जून 2016 के बीच पाया कि वर्ष 2012–13 तथा 2014–15 से संबंधित ₹ 2.71 करोड़ का बकाया तीन व्यवसायियों के विरूद्ध वसूली हेतु लंबित था। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि गलत संवीक्षा/कर–निर्धारण के कारण कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 8.41 करोड़ के राजस्व का माँग कम किया था, फलस्वरूप ₹ 8.41 करोड़ के वसुली हेतु माँग नहीं की गयी, यद्यपि ऐसे माँग हेतु व्यवसायियों की देयता थी जिसमें बिहार मूल्यवर्द्धित कर/बिहार प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसके फलस्वरूप ₹ 8.41 करोड़ के कर–देयता का कम सृजन हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु संबंधित अंचलों को निदेश निर्गत कर दिया गया था।

4.4.11.9 सुविधा का उपयोग करते हुये आयातित कोयला पर व्यवसायियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाना

चार अंचलों में 10 व्यवसायियों से आरोप्य ₹ 14.82 लाख के ब्याज एवं ₹ 1.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.40 करोड़ हेतु माँग तथा वसूली नहीं की गयी थी।

हमने चार अंचलों[10] में पाया कि नमूना–जाँचित 2,722 व्यवसायियों में से 10 व्यवसायियों ने ऑनलाईन 'सुविधा' का उपयोग कर राज्य के बाहर से ₹ 12.19 करोड़ के कोयले का आयात किया था परंतु उनमें से किसी ने भी अपने रिटर्न में क्रय को नहीं दर्शाया था।

---

9 दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

10 दानापुर, दरभंगा, गया तथा समस्तीपुर।

इस प्रकार, वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान इन व्यवसायियों द्वारा ₹ 12.19 करोड़ के माल का आयात मूल्य का छिपाव किया गया। तब से सभी व्यवसायियों ने अपना व्यापार समाप्त कर दिया था। इस प्रकार, कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उन व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न को 'सुविधा' के साथ तिर्यक जाँच नहीं करने के कारण आरोप्य ₹ 14.82 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.40 करोड़ के कर की वसूली हेतु माँग सृजित नहीं किया जा सका, जिसके कारण राजस्व बकाये का सृजन हुआ। यह कर भुगतान तथा 'सुविधा' के सत्यापन के प्रति विभाग के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है, जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** में प्रदर्शित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जांचोपरान्त व्यवसायियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.4.12 नीलामवाद मामलों से संबंधित मुद्दे

4.4.12.1 नीलामवाद मामला कम दायर करना

पंद्रह अंचलो में 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ के बकाये के 11,497 मामलों में से ₹ 83.19 करोड़ (2.29 प्रतिशत) के केवल 2,641 मामले ही नीलामवाद से आच्छादित थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(6) प्रावधित करता है कि उपधारा (2), (4) तथा (5) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कर, अर्थदण्ड के साथ ब्याज की राशि, जो उपधारा (2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में निर्दिष्ट तिथि के बाद भी भुगतान नहीं किया गया हो अथवा उपधारा (5) के अंतर्गत अर्थदण्ड लगाया गया हो तथा भुगतान नहीं किया गया हो तो वसूली की अन्य प्रक्रियाओं के पक्षपात के बगैर भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जाएगी।

चयनित 15 अंचलों में हमने पाया कि 31 मार्च 2016 को बकायों की वसूली हेतु ₹ 3,637.55 करोड़ के 11,497 मामलों में से केवल ₹ 83.19 करोड़ के 2,641 मामले ही 31 मार्च 2016 तक नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे। यह स्पष्ट था कि 31 मार्च 2016 को राजस्व के कुल बकाये का मात्र 2.29 प्रतिशत ही नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे क्योंकि ऐसे मामलों को दायर करने के लिए कोई समय सीमा/दिशा निर्देश विहित नहीं किये गये थे। यद्यपि ₹ 30.09 करोड़ राशि के 86 नीलामवाद मामले, नौ नमूना–जाँचित अंचलों[11] में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान दायर किये गये थे, जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान छह अंचलों[12] में 3,009 मामलों में ₹ 2,704.57 करोड़ के राजस्व बकाया लंबित रहने के बावजूद कोई भी नीलामवाद मामला दायर नहीं हुआ था। विवरण नीचे **तालिका–4.8** में दर्शाया गया है।

---

[11] भभुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पूर्णिया, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

[12] हाजीपुर, किशनगंज, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष।

तालिका–4.8

नीलामवाद मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष		वर्ष के दौरान दायर नीलामवाद मामलों की सं0		वसूली की गयी बकायों की राशि		अंत शेष	
	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि
2011–12	2,679	85.79	3	0.03	9	1.12	2,673	84.70
2012–13	2,673	84.70	1	0.68	15	2.05	2,659	83.33
2013–14	2,659	83.33	3	0.12	80	6.28	2,582	77.17
2014–15	2,582	77.17	50	5.09	8	1.19	2,624	81.07
2015–16	2,624	81.07	29	24.16	12	22.04	2,641	83.19
कुल			**86**	**30.09**	**124**	**32.68**		

पुनः हमने पाया कि दायर नीलामवाद मामलों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी, ताकि इसमें सन्निहित राजस्व की वसूली की जा सके।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने नीलामवाद मामले दायर करने हेतु सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों/संयुक्त आयुक्त को जुलाई 2016 में निर्देश जारी किया, जहाँ बकाये की वसूली लंबे अवधि से लंबित थे तथा दायर नीलामवाद मामलों का आवश्यक अनुश्रवण किया जाना था।

4.4.12.2 नीलामवाद पदाधिकारी की निहित शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46(1) के अनुसार बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त सभी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली के उद्देश्य हेतु वही शक्ति होगी जैसा कि बिहार तथा ओड़िशा लोक माँग तथा वसूली (पी डी आर) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नीलामवाद पदाधिकारी को प्रदत्त है।

नमूना–जाँचित अंचलों में हमने पाया कि कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली के उद्देश्य से किसी भी विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के शक्ति का उपयोग वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नहीं किया गया था, जबकि लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत नीलामवाद पदाधिकारी के समान उन्हें शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बजाय उन्होंने नीलामवाद पदाधिकारियों के समक्ष नीलामवाद दायर करने हेतु अनुरोध पत्र, जैसा कि कंडिका 4.4.12.1 में दर्शाया गया है, भेजा।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

4.4.12.3 नीलामवाद मामलों को समाप्त किये जाने के कारण राजस्व की हानि

नीलामवाद मामलों को समाप्त किये जाने के कारण 75 मामलों में ₹ 5.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

एक बार आरंभ होने के पश्चात् नीलामवाद कार्यवाही को समाप्त करने का प्रावधान लोक माँग वसूली अधिनियम में नहीं है। अधियाची पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि चूककर्त्ता का सही पता प्रदान करें, जिनके विरूद्ध नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद दायर होना था।

दानापुर अंचल में नीलामवाद मामलों की पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने जून 2016 में पाया कि जिला नीलामवाद पदाधिकारी, पटना ने नीलामवाद कार्यवाही को समाप्त कर दिया तथा ₹ 5.70 करोड़ से सन्निहित 75 नीलामवाद मामलों को सितम्बर 2013 में अंचल को लौटा दिया था, जिसका कारण कर चूककर्त्ताओं का पता नहीं लग पाना था, अतः सूचना भेज पाना संभव नहीं हो रहा था। इससे फलस्वरूप ₹ 5.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में कहा कि व्यापार बंद होने के कारण व्यवसायियों का पता नहीं चल पाया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन व्यवसायियों को उनके स्थायी पते पर खोजने का प्रयास करना चाहिए था।

प्रणालीगत मामले

4.4.13 वसूली को सरल बनाने हेतु समय सीमा एवं अन्य मानक प्रक्रियाओं का विहित नहीं होना

माँग–पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा तथा बैंक खाते की जब्ती, नीलामवाद दायर करना तथा जमानतदारों पर उत्तरदायित्व लागू करने जैसे मानक प्रक्रियायें, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में विहित नहीं की गयी थी।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(2) प्रावधित करता है कि व्यवसायी द्वारा भुगतेय कर, ब्याज, जुर्माना अर्थदण्ड की राशि विहित प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य से निर्गत सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक तथा ऐसी रीति से जो विहित किया जाए, व्यवसायी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा निर्दिष्ट तिथि साधारणतया ऐसी सूचना तामील होने की तिथि से तीस दिनों से कम नहीं होनी चाहिए।

हमने पाया कि यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा नियमावली, भुगतान तिथि, जो माँग पत्र तामील होने की तिथि से एक माह से कम न हो, निर्धारित करते हुए माँग पत्र निर्गत करना प्रावधित करता है, लेकिन कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् माँग पत्र निर्गत करने हेतु कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया है।

इसके फलस्वरूप हमने पाया कि 15 चयनित अंचलों में 265 नमूना–जाँचित मामलों में से चार अंचलों[13] के 46 मामलों में वर्ष 2009–10 से 2014–15 से संबंधित ₹ 15.46 करोड़ की माँग पत्र जारी की गई जो आदेश तिथि से सात दिनों से 11 माह तक के विलंब से व्यवसायियों को निर्गत एवं तामील कराया गया था। हमने पुनः पाया कि नौ अंचलों[14] के 78 मामलों में वर्ष 2007–08 से 2014–15 से संबंधित ₹ 28.42 करोड़ का माँग पत्र भुगतान हेतु किसी निर्धारित तिथि का उल्लेख किये बिना व्यवसायियों को तामील कराया गया था।

---

13 दानापुर, हाजीपुर, पटना दक्षिणी एवं समस्तीपुर।

14 भभुआ, दानापुर, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णियां एवं समस्तीपुर।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(6) बकाये के वसूली के लिए व्यवसायी के विरूद्ध पी डी आर अधिनियम, 1914 के प्रावधान के अंतर्गत नीलामवाद दायर करना प्रावधित करता है, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 47 में व्यवसायी का बैंक खाता जब्त करने का प्रावधान है तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 में व्यवसायी के विरूद्ध राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू सभी प्रक्रियाओं को जमानतदारों पर भी लागू करने का प्रावधान है।

परंतु उपरोक्त वसूली प्रक्रियाओं को आरंभ करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावाली में या वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा कोई मानक प्रक्रिया तथा समय सीमा विहित नहीं की गई थी, जिस प्रकार की प्रक्रिया अपने बकाये की वसूली हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी जाती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि माँग पत्र में भुगतान की तिथि का उल्लेख सख्ती से करने के लिए जुलाई 2016 में एक परिपत्र जारी किया गया था। ''विभिन्न वसूली प्रक्रिया के आरंभ करने हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा/मानक प्रक्रियाओं का अभाव'' से संबंधित आपत्ति की प्रतिक्रिया में विभाग ने उत्तर दिया कि माँग पत्र, कर–निर्धारण आदेश का एक भाग है, अतः माँग पत्र जारी करने हेतु कोई समय सीमा विहित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि उन्होने स्वीकार किया कि बैंक खाता की जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करने तथा जमानतदारों पर देयता लागू करने जैसे अन्य वसूली प्रक्रिया हेतु कोई समय सीमा विहित नहीं है।

माँग पत्र संबंधी विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि माँग पत्र जारी करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत कोई समय सीमा/मानक प्रक्रिया विहित नहीं था।

अनुशंसा–3: सरकार/विभाग को माँग पत्र जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने, बैंक खाता जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करना तथा जमानतदारों पर वसूली की प्रक्रियाओं को समय पर लागू करने से संबंधित मानक प्रक्रियाओं को विहित करने पर विचार करना चाहिए, जैसाकि बैंकों द्वारा अपनाया जाता है।

4.4.14 सभी व्यवसायियों के लिए जमानत प्राप्त करने का प्रावधान अनिवार्य नहीं बनाया गया

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं बनाया गया था, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु योग्य थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की उचित वसूली हेतु विहित प्राधिकारी किसी व्यवसायी को ऐसे जमानत निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जो विहित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 6 के प्रावधान के अनुसार अंचल प्रभारी किसी व्यवसायी को जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं जो साधारणतः व्यवसायी द्वारा भुगतेय प्राक्कलित कर की राशि, जो किसी वर्ष के एक तिमाही की अवधि से अधिक न हो, के समतुल्य होगी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 के परन्तुक के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यवसायी भी निबंधन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति से निबंधन हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा जब तक कि आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ विहित

प्रपत्र एवं रीति से जमानत राशि, जो कि दस हजार रूपये के बराबर हो, के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा ।

- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली में अनिवार्य रूप से उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करने का प्रावधान है जो कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं हैं परंतु कोई अनिवार्य प्रावधान उन व्यवसायियों के लिए नहीं बनाया गया जो इस प्रावधान के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं ताकि कर तथा बकाये की वसूली उचित रूप से हो सके। वैसे मामलों में जमानत प्राप्त करना कर निर्धारण प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। पुनः हमने पाया कि इस संबंध में उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किया गया था, जो कर भुगतान हेतु उत्तरदायी थे ताकि विवेकाधिकार का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा सके।

चयनित 15 अंचलों में से नौ अंचलों[15] में हमने 134 व्यवसायियों के स्थायी अभिलेखों की जाँच की तथा पाया कि 48 मामलों में कोई जमानत प्राप्त नहीं की गयी थी, यद्यपि दो अंचलों (हाजीपुर तथा पटना विशेष) के चार ऐसे व्यवसायियों (48 मामलो में से) के विरूद्ध ₹ 3.94 करोड़ का बकाया लंबित था। हाजीपुर अंचल के दो मामलों में जमानत के साथ व्यक्तिगत बॉण्ड प्राप्त किया गया जो बिना किसी मूल्य का था। पटना विशेष अंचल के पाँच मामलो में नौ लाख रूपये के बैंक प्रतिभूति के रूप में जमानत लिया गया था, परंतु सभी पाँच मामलों में बैंक प्रतिभूति की वैधता समाप्त हो गयी थी, यद्यपि इन व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 21.87 करोड़ का बकाया लंबित था। परंतु बैंक प्रतिभूति का पुनः वैधीकरण नहीं पाया गया, इस प्रकार जमानत प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि न तो एक तिमाही की कर देयता का प्राक्कलन हुआ था और न ही एक तिमाही के कर के समतुल्य जमानत किसी मामले में लिया गया था।

- चार अंचलों[16] में हमने पाया कि उपर वर्णित प्रावधान के अनुसार केवल ₹ 10,000 का जमानत प्राप्त कर वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 6,428 व्यवसायियों को निबंधन प्रमाणपत्र प्रदान किये गये यद्यपि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ व्यवसायी कर भुगतान के लिए योग्य थे तथा निबंधन के तुरंत बाद ही रिटर्न जमा करना शुरू कर दिये थे। इस प्रकार, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 6 के अनुसार पर्याप्त जमानत प्राप्त करने के बदले ₹ 10,000 की मामूली राशि की जमानत प्राप्त करने के बाद कर भुगतान करने हेतु योग्य व्यवसायियों को निबंधन प्रदान करना, राजस्व की वसूली के लंबित रहने के जोखिम से भरा था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जमानत प्रस्तुत करने की बाध्यता व्यापार पर प्रतिकूल असर डालेगा। उन्होने पुनः कहा कि शीघ्र ही 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर' लागू होने की संभावना है अतः वर्तमान समय में जमानत प्रस्तुत करने की बाध्यता संबंधी नियम बनाना प्रासंगिक नहीं है।

विभाग का उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि कर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यवसायियों के निबंधन के मामले में ₹ 10,000 की जमानत पहले ही अनिवार्य है। इसलिए विभाग को उपरोक्त नियमावली के अनुरूप कर के भुगतान हेतु योग्य व्यवसायियों के लिए अनिवार्य जमानत पर विचार करना चाहिए क्योंकि यही वे व्यवसायी हैं जिनके विरूद्ध बकाया लंबित है।

---

15 भभुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णिया।

16 दरभंगा, हाजीपुर, किशनगंज एवं समस्तीपुर।

अनुशंसा–4: राजस्व की सुरक्षा हेतु कर एवं बकाये की उचित वसूली के लिए सभी व्यवसायियों हेतु पर्याप्त जमानत राशि प्राप्त करने की अनिवार्य प्रणाली प्रदान करने हेतु सरकार/विभाग को विचार करना चाहिए।

4.4.15 जमानत के जब्ती के लिए प्रावधान का अभाव

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत बकाये की राशि की वसूली हेतु व्यवसायी से प्राप्त जमानत को जब्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 52 के प्रावधान के अनुसार यदि धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त निबंधन का प्रमाणपत्र रद्द हो जाता है, तब व्यवसायी प्रस्तुत जमानत की वापसी हेतु संबंधित अंचल प्रभारी को आवेदन देगें। अंचल प्रभारी जमानत की राशि वापस कर देगें, परन्तु पूर्व विधि अथवा अधिनियम के अंतर्गत यदि आवेदक के पास अभुगतित कर दायित्व की देयता हो तो ऐसी देयता का समायोजन पहले जमानत से किया जाएगा तथा ऐसे समायोजन के बाद ही शेष राशि, यदि हो, वापस की जाएगी।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत व्यवसायी से वसूलनीय राजस्व बकाये की कोई राशि की वसूली/सामंजन हेतु, व्यवसायी से लिये गये जमानत को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 52 के अतंर्गत बकाए की वसूली के लिये जमानत की जब्ती हेतु प्रावधान है।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के नियम 52(2) में निबंधन प्रमाणपत्र को रद्द किये जाने की स्थिति में ही केवल जमानत की वापसी तथा समायोजन का प्रावधान है न कि चालू अथवा बंद व्यापार से राजस्व के बकायों की वसूली करने हेतु।

अनुशंसा–5: सरकार/विभाग को बकाया की देयता को समायोजित करने हेतु जमानत का जब्त किया जाना विहित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.16 वसूली कोषांग का गठन नहीं किया जाना

अधिनियम में संशोधन के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार/विभाग ने वसूली कोषांग के गठन हेतु विभागीय गजट में प्रकाशित होने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया था।

बिहार वित्त अधिनियम 2015 (बिहार अधिनियम 9, 2015) के द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में एक नई धारा 46ए समाविष्ट किया गया, जिसमें प्रावधान है कि विभागीय गजट में आदेश प्रकाशित कर राज्य सरकार को बकाये के वसूली हेतु आवश्यक वसूली कोषांगों का गठन करना था।

जून 2016 में वाणिज्य–कर आयुक्त, के कार्यालय में हमने पाया कि अधिनियम में संशोधन के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वसूली कोषांग का गठन करने तथा कोषांगों में परिनियोजित कार्मिकों एवं पदाधिकारियों की संख्या विनिर्दिष्ट करने, उनके कार्य, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य, साथ ही पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का पदानुक्रम के लिए सरकार/विभाग ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया था। इस प्रकार, ऐसे वसूली कोषांगों के सृजन हेतु अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य पुरा नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि पदों का सृजन किया गया है तथा वसूली कोषांग का गठन किया गया है एवं प्रमंडल–वार वसूली कोषांगों में पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। तथापि, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46 (ए) की उप धारा (2) (3) तथा (4) के अधीन कोषांग के कार्य एवं उत्तरदायित्व हेतु आदेश जारी किया जाना है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में जून 2016 में हमारे अवलोकन के उपरांत केवल पदाधिकारियों की पदस्थापना का यह मतलब नहीं है कि उपरोक्त वसूली कोषांग का गठन हो गया। उपरोक्त अधिनियम की धारा 46ए के प्रावधान के अनुसार इसके गठन हेतु गजट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

4.4.17 स्रोत पर कर की कटौती प्रमाणपत्र (सी–II) के सत्यापन हेतु प्रणाली का अभाव

स्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से भुगतान के दावे को समर्थित करने के लिये 'सी–II' अपलोड करने का कोई तंत्र नहीं था, अतः भुगतान के दावे की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं हो पाती है, जिसके कारण परिहार्य बकायों का सृजन हो सकता है।

हमने छह अंचलों[17] में पाया कि 2,722 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 55 व्यवसायियों ने वर्ष 2013–14 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 19.51 करोड़ की अपनी कर देयता के भुगतान का दावा भुगतानकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा स्रोत पर की गई कर की कटौती की राशि से किया। परंतु विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती के दावे को समर्थित करने हेतु रिटर्न अपलोड करते समय ''सी–II'' (कर कटौती प्रमाणपत्र) को अपलोड करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। ''सी–II'' के अभाव में भुगतान के दावे की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी, जिससे राजस्व के बकाये का परिहार्य रूप से सृजन हो सकता था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अगस्त 2016 में कहा कि ''वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर'' जल्द ही लागू होने की संभावना है, जिसमें इस मुद्दे को संबोधित कर लिया जाएगा।

4.4.18 बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बकाये का समाधान

₹ 2,782.01 करोड़ के कुल देय बकाया में से ₹ 3.40 करोड़ (0.12 प्रतिशत) की मामूली राशि की वसूली मात्र 50 व्यवसायियों से इस समाधान योजना के अर्न्तगत किया गया था।

वाणिज्य–कर विभाग के अंतर्गत राजस्व के बकायों के समाधान हेतु एकमुश्त समाधान योजना'' बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015'' के रूप में अगस्त 2015 में लायी गई जो 19 अगस्त 2015 से 18 नवम्बर 2015 की अवधि हेतु प्रभावी था तथा वर्ष 2010–11 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न हुए विवादों पर लागू थी।

वाणिज्य–कर आयुक्त, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हमने पाया कि योजना के अंतर्गत समाधान हेतु 86 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 50 मामले स्वीकार किये गये तथा व्यवसायियों से समाधान राशि के रूप में केवल ₹ 3.40 करोड़ की वसूली हुई, जो कि 31 मार्च 2015 को ₹ 2,782.01 करोड़ के कुल बकाये राशि का मामूली प्रतिशत (0.12 प्रतिशत) था।

[17] दानापुर, दरभंगा, हाजीपुर, किशनगंज, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकमुश्त समाधान योजना राजस्व के बकाये के समाधान हेतु प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। योजना का लाभार्थियों के बीच प्रभावी रूप से प्रचार–प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि इसे केवल एक ही बार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि चुनाव हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण प्रथम कर समाधान योजना का वृहत् प्रचार–प्रसार नहीं किया जा सका था। इसके बाद द्वितीय बार इस योजना का विस्तृत रूप से प्रचार–प्रसार किया गया था।

4.4.19 कर भुगतान प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

एक व्यवसायी को कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जबकि उसने ₹ 1.07 करोड़ के स्वीकृत कर का बकाया का भुगतान नहीं किया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 42 के अनुसार माल की बिक्री अथवा आपूर्ति से संबंधित कोई भी संविदा किसी भी व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्रीय सरकार अथवा किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम अथवा सरकार के स्वामित्व वाले अन्य निकाय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी तथा किसी व्यक्ति को व्यापार अथवा कारोबार जारी रखने हेतु तब तक लाइसेंस प्रदान नहीं की जाएगी जब तक वह विहित प्राधिकारी द्वारा निर्गत कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र किसी भी वैसे निबंधित व्यवसायी को प्रदान नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड अथवा ब्याज के भुगतान में चूक किया हो।

हमने मई 2016 में गया अंचल में पाया कि एक व्यवसायी को कर भुगतान प्रमाणपत्र जुलाई 2015 में प्रदान किया गया था, यद्यपि वर्ष 2014–15 से संबंधित ₹ 1.07 करोड़ का स्वीकृत कर का भुगतान जुलाई 2015 तक उसके द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार, कर एवं बकाया का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बिना ही कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जुलाई 2016 में इस संबंध में सभी अंचलो को निर्देश जारी कर दिया गया था।

4.4.20 जमानतदारों को उत्तरदायी बनाते हुए बकाये की वसूली

बकाये की वसूली हेतु जमानतदारों की देयता लागू करने की कार्रवाई 15 चयनित अंचलों में से किसी भी अंचल द्वारा नहीं की गई थी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जमानतदारों की देयता, जमानत राशि के उस हद तक चूककर्त्ता व्यवसायी के साथ सह विस्तृत होगी तथा व्यवसायी के विरूद्ध लागू होने वाले वसूली के सभी प्रक्रिया विहित प्राधिकारी द्वारा जमानतदारों के विरूद्ध लागू की जायेगी।

हमने चयनित 15 अंचलो में पाया कि 265 नमूना–जाँचित मामलों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजस्व बकाये की राशि वसूली हेतु जमानतदारों की देयता लागू करने की कार्रवाई वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान किसी भी अंचल द्वारा नहीं की गई थी। दानापुर अंचल के सिवाय किसी मामले में जमानतदारों की देयता निर्धारित नहीं की गयी थी, जहाँ ₹ 68.10 लाख के बकाये की वसूली हेतु एक मामले में जमानतदार को सूचना जारी की गई थी, परन्तु वसूली नहीं की जा सकी तथा दानापुर अंचल के एक दूसरे मामले में जमानतदार को सूचना, सही पता के अभाव में नहीं तामील किया जा सका था।

4.4.21 विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े रहने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध रहना

4.4.21.1 अपीलीय न्यायालय

31 मार्च 2016 को अपीलीय न्यायालयों में 1,719 मामलों के लंबित रहने के कारण ₹ 922.11 करोड़ का बकाया अवरूद्ध था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 72 के प्रावधान के अनुसार कोई व्यवसायी अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जो अपीलकर्त्ता तथा उस प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, को सुनने का उचित अवसर देने के बाद आदेश पारित करेगा।

विभिन्न अपील प्रमंडलों के अपीलीय मामलों के मासिक प्रतिवेदन के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ₹ 922.11 करोड़ की राशि से सन्निहित 1,719 मामले 31 मार्च 2016 को अपीलीय न्यायालयों में लंबित थे, जिसका विवरण नीचे **तालिका–4.9** में दिया गया है:

तालिका 4.9
अपीलीय न्यायालयों में लंबित मामले

अपील प्रमंडल के नाम	अंत शेष		अभियुक्ति
	मामलों की सख्या	राशि (₹ लाख में)	
तिरहुत तथा सारण प्रमंडल मुजफ्फरपुर	212	1,170.71	मार्च 2016 के मासिक प्रतिवेदन के अनुसार।
दरभंगा प्रमंडल	54	1,976.70	
पटना पूर्वी तथा पश्चिमी प्रमंडल	364	10,203.41	
भागलपुर प्रमंडल	85	432.62	
केंद्रीय प्रमंडल, पटना	380	76,057.48	
पूर्णिया प्रमंडल	274	985.58	प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार (8 जून 2016)।
गया प्रमंडल	350	1,384.10	प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार (21 जून 2016)।
कुल	**1,719**	**92,210.60**	

अपीलीय प्रमंडलों में लंबित मामले वर्ष 2011–12 में ₹ 623.92 करोड़ की राशि से सन्निहित 953 मामलों से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 922.10 करोड़ की राशि से सन्निहित 1,719 मामले हो गये। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अपीलीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लगभग दुगुनी हो गयी।

4.4.21.2 वाणिज्य–कर आयुक्त का न्यायालय

31 मार्च 2016 को वाणिज्य–कर आयुक्त न्यायालय में 735 मामले लंबित रहने के कारण ₹ 281.84 करोड़ के बकाये अवरूद्ध थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 74 के अधीन वाणिज्य–कर आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कार्यवाही के अभिलेख की माँग एवं जाँच स्वप्रेरणा से कर सकते हैं।

जून 2016 में वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय में स्वप्रेरित पुनरीक्षण मामलों की पंजी एवं विवरणी की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि ₹ 281.84 करोड़ से सन्निहित 735 मामले 31 मार्च 2016 तक निष्पादन हेतु लंबित थे। लंबित मामलों का समय–वार विश्लेषण नीचे **तालिका–4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10

वाणिज्य–कर आयुक्त न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

बकाये की आवधिकता	मामलों की संख्या	बकाये की राशि
10 वर्ष तथा उससे अधिक पुराने	22	0.18
पाँच वर्ष या उससे अधिक परंतु 10 वर्षों से कम पुराने	27	5.23
पाँच वर्षों से कम पुराने	686	276.43
कुल	**735**	**281.84**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹ 281.84 करोड़ से सन्निहित 735 मामलों में से ₹ 276.43 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से कम पुराने थे। आगे हमने पाया कि स्वप्रेरित मामलों के निष्पादन हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अधीन कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है, जिससे मामले लंबित रहे।

- हमने पुनः पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 73(7) में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष दर्ज अपील मामलों के निष्पादन हेतु छह माह की समय सीमा विहित है, परंतु संयुक्त आयुक्त, अपील तथा वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा अपील मामले के निष्पादन हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी।

अनुशंसा– 6: राजस्व एवं असंतुष्ट व्यवसायियों के हित में सरकार/विभाग को अपीलीय न्यायालय तथा आयुक्त के न्यायालय में मामलों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.21.3 विवादित राशि का एक अंश जमा करने हेतु प्रावधान की कमी

हमने पाया कि वैसे व्यवसायियों द्वारा विवादित राशि के किसी अंश को जमा करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, जो कर, अर्थदण्ड तथा ब्याज के आरोपण हेतु किसी आदेश को वाणिज्य–कर आयुक्त न्यायालय में धारा 74 के अधीन पुनरीक्षण हेतु चुनाव करते हैं, चुंकि वाणिज्य–कर आयुक्त का न्यायालय व्यवसायियों को एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। इसलिए, उस हद तक कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आयुक्त (अपील) तथा न्यायाधिकरण के मामलों की तरह विवादित राशि के किसी अंश को जमा करने हेतु प्रावधान लाने की आवश्यकता थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर' लागू होने के बाद आंतरिक न्यायिक प्रणाली के प्रावधान परिवर्तित हो जाएँगे, अतः वर्त्तमान समय में इस संबंध में संशोधन प्रासंगिक नहीं हो सकता है। जहाँ तक वाणिज्य–कर आयुक्त न्यायालय में लंबित मामलों का प्रश्न है, विभाग द्वारा यह उत्तर दिया गया कि मुख्यालय स्तर पर पर्याप्त संख्या में अपर आयुक्तों की पदस्थापना की गयी है तथा यथाशीघ्र निष्पादन के लिए लंबित मामलों को उनके बीच वितरित कर दिया गया है।

4.4.21.4 वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण

31 मार्च 2016 को वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण में 2,196 मामलों के लंबित रहने के कारण ₹ 2,995.74 करोड़ का बकाया अवरूद्ध रहा।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 73 यह प्रावधित करता है कि किसी आदेश से असंतुष्ट व्यवसायी अथवा कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील करने का चुनाव कर सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक व्यवसायी द्वारा विवादित राशि का 20 प्रतिशत न्यायाधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से जमा नहीं किया जाए। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 73 की उप धारा (7) यह प्रावधित करता है कि न्यायाधिकरण में दर्ज अपील का यथा संभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा तथा अपील की प्राप्ति तिथि से छह माह के भीतर अपील के निष्पादन हेतु प्रयास किये जाऐंगे।

- विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की सूचना का विश्लेषण करने पर हमने पाया कि ₹ 2,995.74 करोड़ से सन्निहित 2,196 मामले 31 मार्च 2016 को न्यायाधिकरण में लंबित थे। इनमें से ₹ 1,359.79 करोड़ के 424 मामले एक साल से अधिक पुराने थे तथा सबसे पुराना मामला वर्ष 1995 से संबंधित था यद्यपि एक वर्ष से अधिक पुराने इन मामलों को छह माह की विहित समय सीमा के भीतर निष्पादन कर देना चाहिए था।

- दानापुर अंचल में हमने जून 2016 में पाया कि 265 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी के विरूद्ध वर्ष 2001–02 से संबंधित ₹ 1.25 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था, परंतु व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेख की जाँच से प्रकट हुआ कि न्यायाधिकरण में यह अगस्त 2010 से लंबित था। आगे हमने पाया कि व्यवसायी का अभिलेख न्यायाधिकरण को मई 2016 में प्रदान किया गया यद्यपि इसकी माँग वर्ष 2010 में की गयी थी तथा कई स्मारपत्र भी दिए गए थे। इस प्रकार, न्यायाधिकरण को मामले का अभिलेख प्रदान करने में करीब छह वर्षों का विलंब हुआ फलस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ का बकाया लंबित रहा।

4.4.21.5 उच्चतर न्यायालयों में लंबित बकाया मामलों का निपटारा हेतु त्रुटिपूर्ण तंत्र

वाणिज्य–कर आयुक्त, कार्यालय में हमने जून 2016 में पाया कि विभाग ने उच्चतर न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों के अनुश्रवण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं से युक्त पंजी विहित/संधारित नहीं किया था।

इसके फलस्वरूप हमने पाया कि 31 मई 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित राजस्व मामलों से संबंधित 14 विशेष अनुमति याचिकाओं (एस. एल. पी.) में से तीन मामलों में विभाग द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था यद्यपि ये मामले वर्ष 2012 से 2014 से संबंधित थे। इसी प्रकार सी. डब्ल्यू. जे. सी. मामलों में से भी 72 मामलों में, जिसमें ज्यादातर राजस्व मामले शामिल थे, लेखापरीक्षा की तिथि तक माननीय उच्च न्यायलय में विभाग द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि विभाग में न्यायालीय मामलों की जाँच करने हेतु एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र की कमी थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि विधि कोषांग को निदेश दिये गये थे तथा प्रासंगिक पंजी का संधारण अब किया जा रहा था। विभाग ने पुनः कहा कि न्यायालय के निर्णय की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गयी है, जो सुधारात्मक कदम लेने में सहायक होगी।

अनुशंसा– 7 : सरकार/विभाग को राजस्व के बकाये की ससमय वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उन मामलों के उचित अनुश्रवण हेतु दिशा–निर्देश विहित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.22 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण वह प्रणाली है जो किसी भी प्रणाली के संदर्भ में नियमों, विधि तथा कार्यपालक आदेशों आदि के अनुपालन का प्रर्याप्त आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक नियंत्रण उच्च प्राधिकारियों द्वारा आवधिक बैठकों/समीक्षा तथा आवधिक प्रतिवेदनों एवं रिटर्न के साथ–साथ ही आवश्यक पंजी एवं संचिकाओं के संधारण की अभेद्य प्रणाली के जरिये सुनिश्चित किए जाते हैं।

वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय तथा 15 चयनित अंचलों में लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रण तंत्र में निम्न कमियाँ पाई गई :

4.4.22.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है तथा किसी भी विभाग को यह आश्वस्त करता है कि विहित प्रणालियाँ समुचित ढंग से कार्य कर रही हैं।

वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) राज्य सरकार के विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है। उनके द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 15 नमूना–जाँचित अंचलों में लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।

4.4.22.2 नियंत्रण पंजियों का संधारण नहीं किया जाना/अनुचित रूप से किया जाना

वाणिज्य–कर आयुक्त, द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद भी 15 नमूना–जाँचित अंचलों में से 10 अंचलो में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

- वाणिज्य–कर आयुक्त ने मई 2015 में विहित प्रपत्र में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण करने का निदेश जारी किया ताकि किए गए माँग का सृजन, उसका संग्रहण तथा वसूली योग्य बकाये राशि का प्रभावी रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

नमूना–जाँचित 15 वाणिज्य–कर अंचलों में हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि वाणिज्य–कर आयुक्त के उपरोक्त निदेश के बाद भी 10 वाणिज्य कर अंचलो[18] में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। शेष पाँच अंचलों में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण मई 2015 के बाद से ही किया गया था। मई 2015 से पूर्व माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी के अभाव में बकाया की सत्यता, उसका समय पर अनुश्रवण तथा राशि की वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 3(6) के अनुसार व्यवसायी द्वारा पंजीयन हेतु दिए गए आवेदन में दी गई पूर्ण सूचना प्रपत्र वी. आर.–I (पंजीयन हेतु आवेदन की पंजी) में दर्ज होनी चाहिए।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों[19] में संधारित वी. आर.–I की जाँच के दौरान पाया कि वी. आर.–I में महत्वपूर्ण सूचनाओं, जैसे कि स्थायी पता, स्थायी संपत्ति का विवरण,

[18] भभुआ, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।

[19] गया, किशनगंज और समस्तीपुर।

प्रतिभूति का विवरण अभिलिखित नहीं था जिससे कि चूककर्त्ता व्यवसायियों के मामले में बकाये की वसूली के साधन के रूप में इनका उपयोग किया जा सके।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि सभी अंचलों को ऐसे नियंत्रण पंजी के समुचित संधारण तथा निर्गत निदेश को कठोरता से पालन करने के लिए जुलाई 2016 में निदेश जारी किया गया था। यह भी कहा गया कि मई 2016 से माँग पत्र ऑन–लाईन जारी किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप बैक–एण्ड–डाटा द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन एम. आई. एस. पर उपलब्ध है। पंजियों का उचित संधारण क्यों नहीं हो रहा था तथा मई 2016 से पूर्व के बकाये के आंकड़े कैसे सुनिश्चित किये जा सके जबकि पंजी का संधारण नहीं हो रहा था, इस प्रश्न पर विभाग चुप था।

4.4.22.3 पंजी–9 तथा पंजी–10 का मिलान नहीं किया जाना

लोक माँग एवं वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के निर्देश की कंडिका 46 के प्रावधान के अनुसार सभी अधियाची पदाधिकारियों के पंजी–9[20] का मिलान प्रत्येक माह पंजी–10[21] से अवश्य होनी चाहिए, ताकि इन दोनो पंजियों पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तथा यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नीलामवाद के लिए आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई तथा इन आवेदनों से संलग्न मुद्रांक से छेड़–छाड़ नहीं की गई।

पन्द्रह अंचलों में हमने पाया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान पंजी–9 तथा 10 का या तो मिलान नहीं किया गया था अथवा कुछ ही बार मिलान किया गया था, यद्यपि इसका मिलान प्रत्येक माह में किया जाना आवश्यक था। इसके फलस्वरूप, जिला नीलामवाद पदाधिकारी के पास इन नीलामवाद मामलों के अधियाचनाओं का उचित अनुपालन नहीं हो रहा था। यह नीलामवाद मामलों के जरिये राजस्व के बकाये की शीघ्र वसूली करने में विभाग के निम्न नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

4.4.22.4 प्रतिवेदन एवं रिटर्न

वाणिज्य–कर आयुक्त को अंचलों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन/रिटर्न से संबंधित संचिकाओं की जाँच के दौरान हमने मार्च तथा जून 2016 के बीच पाया कि राजस्व के बकाये की स्थिति शामिल करते हुये एक मासिक राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं एक वार्षिक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किये जाते थे तथा विभाग को भेजा जाता था, जिसमें बकाये के आंकड़े समाविष्ट रहते थे। हालाँकि, बकाये की राशि तथा अन्य ब्योरों से युक्त बकाये के पृथक मामले विभाग को नहीं भेजे जा रहे थे ताकि व्यवसायी–वार बकाया मामलों का अनुश्रवण तथा उसकी वसूली विभाग द्वारा किया जा सके। जनवरी 2014 में अपर आयुक्त, बिहार द्वारा इस संबंध में निदेश जारी करने के बावजूद वाणिज्य–कर आयुक्त को इनका ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

4.4.22.5 राजस्व के बकायों की उचित वसूली हेतु निर्गत कार्यकारी आदेशों का अपर्याप्त अनुपालन

जून 2016 में वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि राजस्व के बकायों की उचित वसूली के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/कार्यकारी आदेशों का कई मामलों में उचित अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा नीचे वर्णित है:

---

[20] पंजी–9 अधियाचना का एक पंजी है जो अधियाची पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

[21] पंजी–10 नीलामवाद पंजी है जो नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जाएगा।

- वाणिज्य–कर आयुक्त ने मूल्यवर्द्धित कर लेखारीक्षा के फलस्वरूप बकायों की उचित अनुश्रवण के लिए संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) द्वारा सृजित माँगों हेतु एक पृथक पंजी का संधारण करने के लिए सभी अंचल प्रभारियों को निदेश दिया (सितम्बर 2009), परन्तु किसी भी नमूना–जाँचित अंचलों में ऐसे किसी पृथक पंजी का संधारण नहीं पाया गया।

- वाणिज्य–कर आयुक्त ने जनवरी 2014 में राजस्व के बकायों के मामलों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए पाँच अपर आयुक्तों को मनोनीत किया तथा प्रत्येक को 8–10 अंचलों का प्रभार सौंपते हुए इन अंचलों में राजस्व के बकायों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। नमूना–जाँचित 15 अंचलों में लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि उनके द्वारा या तो अंचल में या मुख्यालय स्तर पर कोई पर्यवेक्षण या निरीक्षण नोट जारी/प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो विभाग में कमजोर नियंत्रण तंत्र का सूचक है।

इस प्रकार विभाग में उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में, बकायों की वसूली के लिए इसके परिपत्रों/आदेशों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि मई 2016 से सभी अंचलों द्वारा सभी माँग ऑन–लाइन जारी किए जा रहे थे तथा इसके प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही थी तथा बैक–एन्ड–डाटा द्वारा तैयार प्रतिवेदन एम.आई.एस. पर उपलब्ध है। हालाँकि नियंत्रण पंजी को संधारित करने के लिए सभी अंचलो को जुलाई 2016 में निर्देश जारी कर दिये गए थे। उन्होने पुनः कहा कि वाणिज्य–कर आयुक्त स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक भी अनुश्रवण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग था।

अनुशंसा–8: सरकार/विभाग को बकाया मामलों, विशेष कर बड़े मामले तथा उनकी वसूली की सतत निगरानी रखने के लिए वाणिज्य–कर आयुक्त स्तर तक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.23 निष्कर्ष

बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप देते समय राजस्व के बकायों पर विचार नहीं किया गया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् विभिन्न वसूली प्रक्रियाओं के लिए मानक प्रक्रियाओं का अभाव था, जिससे विभिन्न स्तरों पर वसूली प्रक्रिया में विलम्ब होती थी, फलस्वरूप बकाये के संचयन में बढ़ने की प्रवृत्ति थी तथा बकायों की काफी कम प्रतिशतता नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे। बकाये कर का न तो माँग किया गया न उनका भुगतान हुआ। स्वीकृत/निर्धारित करों के भुगतान नहीं होने/विलम्ब से होने पर ब्याज तथा अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। राजस्व की बड़ी राशि वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में अवरूद्ध पड़ा था, जो विभाग द्वारा उन मामलों का अनुश्रवण नहीं किया जाना इंगित करता था। विभाग का आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली कमजोर था क्योंकि जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा था। महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजियाँ या तो विहित नहीं की गई थी या उनका संधारण उचित तरीके से नहीं हो रहा था।

4.4.24 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार को विचार करना चाहिए कि :

- **बकायों के भुगतान हेतु कर चूककर्त्ताओं को स्मार–पत्र जनित करने हेतु स्वचालित प्रणाली लाये तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे**

बकायों का वसूली/विलम्बन, कर निर्धारण प्राधिकारी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में प्रदर्शित हो।

- व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुरूप स्वीकृत कर का भुगतान नहीं करने के मामले में अलर्ट जारी करने/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक प्रणाली स्थापित किया जाए।
- माँग पत्र जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने, बैंक खाता जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करना तथा जमानतदारों पर वसूली की प्रक्रियाओं को समय पर लागू करने से संबंधित मानक प्रक्रियाओं को विहित किया जाए, जैसाकि बैंकों द्वारा अपनाया जाता है।
- बकाये की उचित वसूली के लिए सभी व्यवसायियों हेतु पर्याप्त जमानत राशि प्राप्त करने की अनिवार्य प्रणाली प्रदान करना एवं बकाया की देयता को समायोजित करने हेतु जमानत को जब्त किया जाना विहित किया जाए।
- राजस्व एवं असंतुष्ट व्यवसायियों के हित में अपीलीय न्यायालय तथा आयुक्त के न्यायालय में मामलों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाए।
- राजस्व के बकाये की ससमय वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उन मामलों के उचित अनुश्रवण हेतु दिशा–निर्देश विहित किया जाए।
- बकाया मामलों, विशेष कर बड़े मामले तथा उनकी वसूली की सतत निगरानी रखने के लिए वाणिज्य–कर आयुक्त स्तर तक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाए।

4.5 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के खपत, उपयोग एवं बिक्री पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत् निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- *व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;*
- *बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा अर्थदण्ड; तथा*
- *कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।*

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 870.41 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिका 4.6 से 4.26 में वर्णित हैं, जो कि विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

4.6 बिक्री आवर्त्त का छिपाव

अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त क्रय एवं विक्रय की सूचना एवं व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ रिटर्न में घोषित आवर्त्त के तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 12.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत् कर योग्य कोई आवर्त्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय के अन्दर तथा विहित तरीके से, धारा 24 की उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि (क) संगणना गणितीय रूप से सही है, (ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय कर एवं ब्याज, अगर कोई हो, की संगणना सही एवं उचित रूप से की गई है, (ग) सही दर पर कर लगाया गया है, (घ) कर भुगतान एवं देय ब्याज, यदि कोई हो, से संबंधित विहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (ड़) दावा की गई कटौतियाँ, अधिनियम के तहत् अथवा उस समय लागू अन्य कानून के अंतर्गत विहित तरीके से साक्ष्य द्वारा समर्थित है तथा (च) इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित रिटर्न में किये दावों के समर्थन में ऐसी सूचना एवं साक्ष्य जैसा कि विहित किया जाये ऐसे विहित तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में, रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का विशेष रूप से प्रावधान नहीं था। यह प्रणाली में कमी को प्रदर्शित करता है।

4.6.1 विक्रय आवर्त्त का छिपाव

तीन वाणिज्य–कर अंचलों[22] में हमने जनवरी एवं मार्च 2016 के बीच पाया कि 555 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 102.58 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री की, जैसाकि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट[23], विक्रय विवरणी एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये त्रैमासिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 11.22 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री का छिपाव करते हुए मात्र ₹ 91.36 करोड़ ही लेखापित किया था। चूँकि विभाग ने सूचना के तिर्यक जाँच हेतु निर्देश निर्गत नहीं किया था एवं तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव में कर–निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं कर पाये । इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.56 लाख के ब्याज एवं ₹ 2.16 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट–XV** में वर्णित है।

---

22 भभुआ, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना विशेष।

23 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट– प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने (अक्टूबर 2016) कहा कि पटना विशेष अंचल के मामले में ₹ 33.42 लाख के माँग के लिये सूचना निर्गत किया गया एवं कर–निर्धारण प्राधिकारी, भभुआ अंचल ने (सितम्बर 2016) कहा कि एक मामला में ₹ 1.27 करोड़ के माँग के लिये सूचना निर्गत किया गया। हम पटना सिटी पूर्वी अंचल के मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को मई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.6.2 क्रय आवर्त्त का छिपाव

सात वाणिज्य कर अंचलों[24] में हमने सितम्बर 2013 एवं मार्च 2016 के बीच पाया कि 1,075 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से नौ स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के अवधि में ₹ 36.33 करोड़ के वस्तुओं का क्रय किया था, जैसाकि उनके द्वारा प्रस्तुत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सुविधा विवरणी एवं त्रैमासिक/वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 12.96 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय का छिपाव करते हुए ₹ 23.37 करोड़ के क्रय को ही लेखापित किया। चूँकि विभाग ने सूचना के तिर्यक जाँच हेतु कोई निर्देश निर्गत नहीं किया था एवं तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव में कर–निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.99 लाख के ब्याज एवं ₹ 2.41 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.48 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, जमुई ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार किया एवं ₹ 94.26 लाख का माँग सृजित किया। कर–निर्धारण प्राधिकारी पटना पश्चिमी ने दिसम्बर 2015 में कहा कि सूचना निर्गत किये जायेंगे जबकि शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी एवं मार्च 2016 के बीच कहा कि मामलों की जाँच की जायेगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.6.3 क्रय एवं विक्रय आँकड़े की तिर्यक जाँच के दौरान पता लगे बिक्री आवर्त्त का छिपाव

हमने नवम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच आठ वाणिज्य कर अंचलों[25] में पाया कि नमूना जाँचित 1270 व्यवसायियों में से 11 स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 52.45 करोड़ के वास्तविक बिक्री के बदले ₹ 36.52 करोड़ की बिक्री ही लेखापित किये थे तथा इस प्रकार ₹ 15.93 करोड़ के बिक्री आवर्त्त का छिपाव किया था। इसका पता व्यवसायियों द्वारा अपने रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये बिक्री की सूचना के साथ क्रेता व्यवसायी के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये क्रय की सूचनाओं के तिर्यक जाँच से लगा। इस प्रकार की तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप ₹ 5.81 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में वर्णित है।

---

[24] भभुआ, गोपालगंज, जमुई, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना पश्चिमी, सासाराम एवं सीवान।

[25] दानापुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना सिटी पूर्वी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, सारण एवं सासाराम।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.7 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

संवीक्षा नहीं अथवा त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/कर–निर्धारण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.21 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी करों का दर सही रूप से लगाये जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधान के अंतर्गत भुगतेय कर पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आरोप्य है।

हमने छः वाणिज्य–कर अंचलों[26] में जून 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच पाया कि 880 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से, आठ व्यवसायियों (कर–निर्धारितः 2 संवीक्षितः 1 तथा स्व–कर निर्धारितः 5) ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 38.79 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर 4 से 13.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से पाँच प्रतिशत की कम दर पर कर का निर्धारण किया। संवीक्षा करने में विफलता/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/कर–निर्धारण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.21 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारियों/वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जुलाई 2015 में दो अंचलों[27] के दो व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 1.04 करोड़ तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग सृजित किया। शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.8 इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने एवं व्यवसायियों के खरीद एवं बिक्री आँकड़ों के तिर्यक जाँच के प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 4.89 करोड़ का अधिक/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत् कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट कर के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, यदि मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में

[26] दानापुर, कदमकुआँ, कटिहार, पटना मध्य, पटना विशेष एवं समस्तीपुर।
[27] दानापुर एवं समस्तीपुर।

की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची–IV के वस्तुओं के अलावे) के विनिर्माण में खपत की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) (एफ) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी रिटर्न में दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित दावे के सर्मथन में सूचनाएँ एवं साक्ष्य, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे विहित तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीके से संवीक्षा करेंगे।

4.8.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

हमने आठ वाणिज्य–कर अंचलों[28] में अक्टूबर 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच 1,148 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से नौ व्यवसायियों (कर–निर्धारितः 1 एवं स्व–कर निर्धारितः 8) के वार्षिक रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि से पाया कि उन्होंने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 149.66 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 8.71 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यवसायी इन खरीदों पर मात्र ₹ 8.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने कम्पाउंडिंग/अनिबंधित व्यवसायियों से मालों की खरीद, आटे की खरीद, अनुसूची–IV के वस्तुओं के विनिर्माण हेतु मालों की खरीद, कंज्यूमेबल्स (उपभोज्य) एवं स्कीम के तहत् प्राप्त वस्तुओं, जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे हेतु मान्य नहीं थे, पर ₹ 42.76 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया। इस अधिक दावे हेतु ₹ 1.22 करोड़ का अर्थदण्ड तथा उसपर ₹ 12.38 लाख का ब्याज संगणित की गई। व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर–निर्धारण प्राधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके। यह दर्शाता है बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत् संवीक्षा के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 1.77 करोड़ का था, जैसाकि **परिशिष्ट-XIX** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जून 2014 में कहा कि कदमकुआँ अंचल के एक व्यवसायी से संबंधित ₹ 4.05 लाख की माँग सृजित की गयी है, जबकि शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को मार्च 2014 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

[28] बिहारशरीफ, दानापुर, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना विशेष, सासाराम एवं समस्तीपुर।

4.8.2 क्रय एवं विक्रय आँकडों के तिर्यक जाँच के दौरान पाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

दस वाणिज्य–कर अंचलों [29] में अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2016 के बीच 1,742 नमूना–जाँचित में से 12 स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों द्वारा दर्शाए गए क्रय की सूचनाओं का विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित बिक्री सूचनाओं के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया की इन व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 11.75 करोड़ के मालों का अधिक क्रय दर्शाया था एवं उस पर ₹ 72.58 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया था, जबकि विक्रेता व्यवसायियों ने या तो रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं किया था अथवा उन्होंने ऐसी बिक्री नहीं दर्शायी थी। ऐसी तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 3.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-XX** में वर्णित है।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.9 प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला जिसके फलस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.39 करोड़ के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4 (ए) के तहत् कोई व्यवसायी जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, उसकी यदि आयातित अधिसूचित मालों की ब्रिकी अथवा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

परंतु विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में उपरोक्त कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी।

4.9.1 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

पाँच वाणिज्य–कर अंचलों[30] में दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 1,114 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से आठ स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 404.83 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन अपने मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व से किया था। हालाँकि व्यवसायी मात्र ₹ 399.01 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिये जाने के लिए विहित मानदंड[31] को पूरा नहीं करते थे।

---

29 भभुआ, दानापुर, पटना गाँधी मैदान, खगड़िया, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पाटलिपुत्र एवं शाहाबाद (आरा)।

30 कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

31 (i) आयातित वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की गयी थी। (ii) मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था।

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के प्रति ₹ 5.82 करोड़ के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 1.81 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.62 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि **परिशिष्ट-XXI** में वर्णित है।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.9.2 केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

तीन वाणिज्य–कर अंचलों[32] में मार्च एवं दिसम्बर 2015 के बीच हमने पाया कि 579 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना में ₹ 59.13 लाख के प्रवेश कर का समायोजन अपने केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से किया था। कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के प्रति ₹ 59.13 लाख के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 17.92 लाख के ब्याज सहित ₹ 77.05 लाख के केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि **परिशिष्ट-XXII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी ने मार्च 2015 में कहा कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार प्रवेश कर के भुगतान से मूल्यवर्द्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर दोनों ही समायोजन हेतु उपलब्ध हैं। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर के भुगतान से केवल मूल्यवर्द्धित कर दायित्व ही समायोजन के लिए उपलब्ध है तथा उसमे केन्द्रीय बिक्री कर दायित्व के समायोजन का कोई वर्णन नहीं है। कर–निर्धारण प्राधिकारी, पटना पश्चिमी ने दिसम्बर 2015 में कहा कि सूचना निर्गत कर दिया जाएगा, जबकि कर–निर्धारण प्राधिकारी, पटना मध्य ने दिसम्बर 2015 में कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम मामलों में आगे की उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.10 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किए जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.79 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गयी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत् एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट करेगा जब वह वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा या अनूसूची–I में विर्निदिष्ट वस्तु के अलावे इनपुट से अनुसूची–I के वस्तु का विनिर्माण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किये गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट की राशि को घटाने के बाद की जायेगी। पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत दावा पर ब्याज के अलावे दावा किये गये अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

[32] मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य एवं पटना पश्चिमी।

तीन वाणिज्य–कर अंचलों[33] में सितम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 514 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि में कर योग्य विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के इनपुट का क्रय राज्य के अन्दर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया गया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 1.90 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की गणना कर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि से घटाना चाहिए था, व्यवसायियों द्वारा ₹ 41.41 लाख के रिवर्स क्रेडिट की गणना या तो नहीं की गई थी अथवा कम संगणित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 13.06 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.79 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई, जैसाकि **परिशिष्ट–XXIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने मई 2016 में कहा कि शाहाबाद अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 2.45 लाख का माँग सृजित किया गया एवं राशि की वसूली कर ली गयी है, जबकि शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच में कहा कि मामलों की जाँच की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.11 कटौतियों की गलत अनुमति/अधिक लाभ लिया जाना

कार्य संवेदकों द्वारा अमान्य कटौतियों की गलत दावों/स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.84 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत् एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी अन्य प्रकार के प्रभार, जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किए गए भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्चे, संवेदक द्वारा मजदूरी की आपूर्ति एवं सेवाओं पर अर्जित लाभ तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत् छूट प्राप्त मालों अथवा लेन–देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

पाँच वाणिज्य–कर अंचलों[34] में अगस्त 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने 772 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से छः कार्य संवेदकों (कर निर्धारितः 1 तथा स्व–कर निर्धारितः 5) के रिटर्न/लाभ एवं हानि खाते से पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 288.62 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था, जबकि वे मजदूरी एवं सेवाओं, मजदूरी एवं सेवाओं से संबंधित स्थापना की लागत, ओवरहेड, विभागीय कटौतियाँ एवं सकल लाभ पर कटौतियों हेतु मात्र ₹ 243.91 करोड़ के ही हकदार थे। हालाँकि कर–निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित मामले में भी अमान्य कटौतियों के दावों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.84 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना ₹ 288.62 करोड़ की कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री एवं मजदूरी तथा सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित ₹ 44.71 करोड़ के सामग्री अवयव पर की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट–XXIV** में वर्णित है।

---

[33] पटना मध्य, पटना विशेष एवं शाहाबाद (आरा)।

[34] बिहारशरीफ, कटिहार, पटना मध्य, पटना विशेष एवं सासाराम।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2014 में एक व्यवसायी के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए ₹ 47.35 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी 2015 और जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.12 कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण

किसी अन्य व्यवसायी के पक्ष में निर्गत 'सी–II' प्रपत्र पर कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावे के फलस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि कर के भुगतान एवं ब्याज, अगर कोई हो, से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि विहित है, प्रस्तुत की गई है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली का नियम 29 (4) प्रावधित करता है की कार्य संवेदक, जिनके विपत्र से कटौतियाँ की गई हैं, वे उपरोक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत दाखिल रिटर्न के साथ स्रोत पर कटौती द्वारा कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रपत्र 'सी–II'[35] की 'मूल प्रति' कर–निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

सासाराम वाणिज्य–कर अंचल में अगस्त 2013 में हमने पाया कि 153 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी (मे0 विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, टिन –10241669050) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में अग्रिम कटौतियों के रूप में क्रमशः ₹ 1.37 करोड़ एवं ₹ 90.69 लाख के कर का भुगतान का दावा किया था। व्यवसायी ने विभिन्न कर कटौती प्राधिकारियों द्वारा की गई कर के भुगतान की कटौती के साक्ष्य के रूप में प्रपत्र 'सी–II' प्रस्तुत किया। प्रपत्र 'सी–II' की संवीक्षा से हमने पाया कि 2009–10 एवं 2010–11 के लिए क्रमशः ₹ 96.82 लाख के चार प्रपत्र 'सी–II' एवं ₹ 23.02 लाख के दो प्रपत्र 'सी–II' उस व्यवसायी के पक्ष में निर्गत नहीं थे, बल्कि ये उसी अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी (मे0 एन0सी0सी0–भी0सी0एल, जे0वी0; टिन–10244981018) के पक्ष में निर्गत थे। अतः व्यवसायी इस कटौती के दावे के हकदार नहीं थे क्योंकि राशि सरकारी कोषागार में उनके पक्ष में जमा नहीं किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत इन 'सी–II' प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.20 करोड़ (₹ 96.82 लाख + ₹ 23.02 लाख) के कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावा किया, तथा वह ब्याज के अलावे ₹ 1.20 करोड़ के कर का भुगतान हेतु दायी था।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2014 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए ₹ 1.20 करोड़ का माँग सृजित किया।

मामला सरकार/विभाग को मार्च 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

[35] कार्य संवेदको से कर की कटौती का प्रमाण–पत्र।

4.13 भंडार अंतरण पर कटौती की अनियमित अनुमति

गलत घोषणा प्रपत्रों के आधार पर भंडार अंतरण हेतु कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 94.25 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 ए के प्रावधान के अनुसार जब कोई व्यवसायी यह दावा करता है कि उसके द्वारा मालों का स्थानांतरण अन्य स्थान पर उसके किसी व्यवसाय अथवा उसके एजेन्ट अथवा प्रधान, जैसा भी मामला हो, के कारण मालों का पारगमन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया है, तथा उसकी बिक्री नहीं की गई है, तब वे कर–निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय–सीमा के भीतर अन्य स्थान के व्यवसाय के प्रधान अधिकारी द्वारा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा के साथ–साथ मालों के प्रेषण का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 प्रावधित करता है कि धारा 6 ए के उपधारा (1) में संदर्भित घोषणा प्रपत्र 'एफ' में होगा।

पटना दक्षिणी वाणिज्य कर अंचल में हमने जनवरी 2015 में पाया कि 259 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी (मे0 तिरूपति ईन्टरप्राइजेज, टिन–10120975151) ने वर्ष 2010–11 एव 2011–12 के दौरान ₹ 1.55 करोड़ एवं ₹ 3.06 करोड़ के मालों का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण के मद में कटौती का लाभ लिया था, जिसके विरूद्ध दावे के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' में क्रमशः आठ एवं 11 घोषणा अभिलेख पर पाया गया। हालाँकि यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये ये सभी घोषणा प्रपत्र बिहार राज्य से ही संबंधित थे, जबकि घोषणा प्रपत्रों पर अन्य विवरण झारखंड राज्य से संबंधित थे। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुसार ये प्रपत्र अन्तरिती राज्य द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए था तथा इस प्रकार इन प्रपत्रों के आधार पर छूट का लाभ लिया जाना गलत था एवं इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार व्यवसायी ₹ 33.55 लाख के ब्याज सहित ₹ 94.25 लाख के कर का भुगतान हेतु दायी है।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.14 स्वीकृत कर का कम भुगतान

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण ब्याज सहित ₹ 4.87 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि से इसके भुगतान की नियत तिथि तक देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर (रिटर्न से संबंधित वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) तथा विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज के भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गए साक्ष्य जैसा विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु धारा 24 के उपधारा (1) एवं (3) के तहत् दाखिल किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

चौदह वाणिज्य कर अंचलों[36] में नवम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 2,212 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से 26 स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 23.34 करोड़ के स्वीकृत कर के विरूद्ध ₹ 19.61 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार ₹ 3.73 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ। यद्यपि कर–निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा करनी थी एवं कर के भुगतान के साक्ष्य को देखना था तथा तद्नुसार व्यवसायी को सूचना जारी करना था, परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई संवीक्षा किया जाना नहीं पाया गया, जो कि विभाग के नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 4.87 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXV** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, शाहाबाद ने जून 2016 में एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार करते हुए ₹ 2.58 लाख का माँग सृजित किया एवं ₹ 1.84 लाख की वसूली की। शेष संबंधित कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.15 विलम्ब से कर के भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 57.94 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि से इसके भुगतान की नियत तिथि तक देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा। पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 39(4) यह प्रावधित करता है कि अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी किसी भी कार्यवाही के तहत् स्वीकृत कर राशि के अतिरिक्त कर भुगतान हेतु दायी है तब भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर (रिटर्न से संबंधित वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) तथा विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज के भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गए साक्ष्य जैसा विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु धारा 24 के उपधारा (1) एवं (3) के तहत् दाखिल किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

पाँच वाणिज्य–कर अंचलों[37] में अक्टूबर 2014 एवं दिसम्बर 2015 के बीच हमने पाया कि 923 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से आठ व्यवसायियों (संवीक्षितः 1 एवं स्व–कर निर्धारितः 7) ने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान स्वीकृत कर का भुगतान तीन से 578 दिनों के विलम्ब से किया था। यहाँ तक कि संवीक्षित मामलों में भी कर–निर्धारण प्राधिकारी ने विलंम्बित भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया। इस प्रकार ₹ 57.94 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXVI** में वर्णित है।

---

[36] औरंगाबाद, बिहारशरीफ, कदमकुआँ, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी, सासाराम, शाहाबाद एवं सिवान।

[37] कदमकुआँ, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी एवं शाहाबाद।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.16 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने दो अंचलों में तीन व्यवसायियों के मामले में ब्याज सहित ₹ 86.26 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी जो वैसे परिस्थितियों में मालों का क्रय करता है जिस पर कोई बिक्री कर भुगतेय नहीं है या ऐसे वस्तुओं के बिक्री मूल्य पर कर नहीं दिया गया है तथा बिक्री के लिए अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में खपत करता है या अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री अथवा राज्य में बिक्री के अलावे अन्य तरीकों से उस माल का निपटारा करता है तो उस माल के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन मालों के विक्रय मूल्य पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत कर आरोप्य है।

दो वाणिज्य–कर अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 430 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से तीन व्यवसायियों (संवीक्षितः 1 एवं स्व–कर निर्धारितः 2) ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान राज्य के अन्दर अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 53.90 करोड़ का कर देय वस्तुओं की खरीद की और उसका उपयोग वस्तुओं के विनिर्माण में किया। यह क्रय कर को आकर्षित करता हैं, परन्तु व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में क्रय कर स्वीकृत नहीं किया था, जिसका पता संवीक्षित मामले में भी कर–निर्धारण प्राधिकारी को नहीं लगा। इस प्रकार ब्याज सहित ₹ 86.26 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट–XXVII** में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.17 अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने छः अंचलों के नौ व्यवसायियों के मामले में तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर ₹ 59.63 लाख का अधिभार आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3–ए के प्रावधान के तहत् प्रत्येक व्यवसायी जो अधिनियम के तहत् कर का भुगतान हेतु दायी है, वे भुगतेय कर के अलावे अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर अधिभार का भी भुगतान करेंगे। सरकार ने तम्बाकू उत्पादों पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार निर्धारित किया है।

छः वाणिज्य कर अंचलों[38] में सितम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच 971 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से नौ व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) की रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि की जाँच से हमने पाया कि उन्होंने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 13.26 करोड़ के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जिस पर उन्होंने ₹ 3.98 करोड़ का कर स्वीकार किया। लेकिन उनके द्वारा कोई अधिभार स्वीकृत एवं भुगतान नहीं किया गया था यद्यपि इस अवधि के दौरान तम्बाकू उत्पादों पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोप्य था। इस प्रकार व्यवसायी ₹ 59.63 लाख के अधिभार का भुगतान हेतु उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट–XXVIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2016 में कहा कि पटना विशेष अंचल के एक व्यवसायी के मामले में अद्यतन ब्याज सहित

[38] कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष, पटना दक्षिणी एवं समस्तीपुर।

₹ 34.57 लाख का माँग सृजित किया गया जबकि शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने सितम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.18 विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर ₹ 71.61 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.94 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड सी) (IV) के प्रावधान के अनुसार बिक्री का अर्थ सभी व्याकरणिक भिन्नताओं एवं सजातीय भावों के साथ नकद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा किसी मूल्यवान प्रतिफल के लिए मालों के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण है तथा जिसमें नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु किसी भी उद्देश्य (किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा नहीं) से किसी भी मालों के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

पटना विशेष वाणिज्य कर अंचल में हमने फरवरी 2015 में पाया कि 183 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से दो स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों[39] ने वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत मीटर, सर्विस लाइन एवं ट्रांसफॉर्मर से संबंधित ₹ 18.67 करोड़ का किराया प्रभार प्राप्त किया था। हालाँकि व्यवसायियों ने किराया प्रभार के विरूद्ध कर स्वीकार नहीं किया था जबकि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह बिक्री में शामिल करने योग्य था। इस प्रकार 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ₹ 71.61 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.94 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 2.94 करोड़ के लिए माँग सृजित किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

ख : प्रवेश कर

4.19 आयातित मूल्य का छिपाव

व्यवसायियों द्वारा आयातित मूल्य के छिपाव का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं लगा, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 2 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में मालों की

[39] संगणना:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यवसायियों का नाम/टीन	अवधि	मीटर के किराये के रूप में प्राप्त राशि	आरोप्य कर	ब्याज	कुल
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क0 लि.0	2012–13	1012.61	120.44	38.84	159.28
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क0 लि.0	2012–13	854.22	101.60	32.77	134.37
कुल			**1866.83**	**222.04**	**71.61**	**293.65**

बिक्री अथवा क्रय पर कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर कर–निर्धारण अथवा पुनर्कर–निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबुझ कर गलती किये जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज के अलावे वंचित निर्धारित कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमलोगो ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में, रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय अन्य अभिलेखों, जैसे कि सुविधा विवरणी, क्रय विवरणी, साथ ही साथ मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत दाखिल रिटर्न अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का विशेष रूप से प्रावधान नहीं था। यह प्रणाली में कमी को प्रदर्शित करता है।

सात वाणिज्य–कर अंचलों[40] में अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच सुविधा विवरणी[41], क्रय विवरणी, मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न इत्यादि की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि 955 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से नौ स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 20.52 करोड़ की अधिसूचित वस्तुओं के आयात मूल्य की वास्तविक राशि, जैसा कि सुविधा विवरणी, क्रय विवरणी, मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न इत्यादि में दर्शाया गया था के बदले अपने रिटर्न में ₹ 6.96 करोड़ ही दर्शाया था एवं इस प्रकार ₹ 13.56 करोड़ के अधिसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 50.02 लाख के प्रवेश कर का दायित्व कम प्रदर्शित किया था, जिसका पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXIX** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2016 में कहा कि पटना विशेष अंचल के मामले में ₹ 15.41 लाख की वसूली कर ली गयी है जबकि शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को दिसम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.20 प्रवेश कर का कम आरोपण किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी अनुसूचित वस्तुओं के वास्तविक आयातित मूल्य का पता नहीं लगा सके जिसके फलस्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा।

पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले जमा करेगा।

---

40 भागलपुर, दानापुर, कटिहार, खगड़िया, पटना विशेष, पूर्णिया एवं सहरसा।

41 सिम्पलीफाइड यूजेज ऑफ व्हेकिल इनफॉरमेशन डाटा हार्मोनाईज्ड एप्लीकेशन।

आठ वाणिज्य–कर अंचलों[42] में अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 1,473 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से आठ स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 776.12 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था जिस पर ₹ 79.43 करोड़ का प्रवेश कर आरोप्य था। परन्तु उन्होंने वास्तविकता में केवल ₹ 1.16 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया जिसका पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXX** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त/कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल एवं सितम्बर 2015 में तीन अंचलों[43] के तीन व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 48.76 करोड़ का माँग सृजित किया। शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.21 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

दर के लागू करने की जाँच के तंत्र के अभाव के फलस्वरूप ₹ 77.26 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा। परंतु कि विभिन्न अधिसूचित मालों का राज्य सरकार भिन्न–भिन्न दर विनिर्दिष्ट कर सकता है।

चार वाणिज्य–कर अंचलों[44] में फरवरी एवं अगस्त 2015 के बीच हमने पाया कि 536 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से चार (संवीक्षितः 1 एवं स्व–कर निर्धारितः 3) व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 24.14 करोड़ की अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अधिनियम द्वारा विहित दर से कम दर पर स्व–कर निर्धारित किया। इस अवधि के दौरान दर के लागू करने की जाँच के तंत्र के अभाव के कारण इन मामलों का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.26 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXI** में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

---

42 भभुआ, गया, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

43 पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

44 औरंगाबाद, बाढ़, पटना विशेष एवं शाहाबाद।

4.22 प्रवेश कर के अन्तर्गत गलत ढंग से कटौती का लाभ लिये जाने के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित वस्तुओं के विर्निमाण अथवा उत्पादन के मद में प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारी नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनिययम की धारा 2 (1) (सी), दिनांक 29 अगस्त 2006 से यथा संशोधित, के प्रावधान के अनुसार सभी व्याकरणीय भिन्नताओं एवं अन्य सजातीय भावों के साथ ''मालों का प्रवेश'' से तात्पर्य है; (i) ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित कोई स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, (ii) राज्य के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में (iii) भारत के भू–भाग के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, उपभोग, उपयोग तथा बिक्री के लिए मालों का प्रवेश।

पटना विशेष वाणिज्य–कर अंचल में मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 183 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी मे0 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (टिन–वैट–10010116082/ई0टी0– 10010116276), जो कि एक तेल विपणन कम्पनी है, ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित वस्तुओं के क्रय अथवा प्राप्ति, जिसका विर्निमाण अथवा उत्पादन स्थानीय क्षेत्र के अंदर हुआ था, के मद में ₹ 38,148.33 करोड़ के प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिया था। परन्तु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान व्यवसायी वास्तव में उक्त पेट्रोलियम उत्पादों, जिसका निर्माण अथवा उत्पादन बरौनी रिफाइनरी (अन्य स्थानीय क्षेत्र) में हुआ था तथा जो मार्केटिंग डिविजन (विभिन्न मार्केटिंग टर्मिनल पर) में बिक्री के लिए प्राप्त किया गया था, पर प्रवेश कर का भुगतान हेतु दायी था। पुनः हमने पाया कि उक्त मालों में से व्यवसायी ने ₹ 4,629.38 करोड़ का पेट्रोल/डीजल मार्केटिंग डिविजन के पटना टर्मिनल में, बरौनी रिफाइनरी से उक्त अवधि में प्राप्त किया था, जिसपर उसका ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर की देयता बनती थी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस गलत कटौती का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण ₹ 740.70 करोड़[45] के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के विभाग ने अगस्त 2016 में मामले को स्वीकार किया तथा वर्ष 2013–14 से संबंधित ₹ 413.81 करोड़ का माँग सृजित किया। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा वर्ष 2012–13 से संबंधित मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

4.23 प्रवेश कर के तहत् निबंधन नहीं लिए व्यवसायियों से प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के आयात का पता नहीं लगा सके एवं इस प्रकार अर्थदण्ड सहित ₹ 76.40 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

[45] संगणना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कटौतियों का लाभ लिया गया	मूल्य जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया	सामग्री	प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	आरोप्य प्रवेश कर
2012–13	32,608.52	2,043.06	पेट्रोल/ डीजल	16	326.89
2013–14	5,539.81	2,586.32			413.81
कुल	**38,148.33**	**4,629.38**			**740.70**

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी, जो अनुसूचित वस्तुओं के आयात के कारण प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु दायी हैं, उन्हें कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अंचल के प्रभारी पदाधिकारी को निबंधन हेतु एक आवेदन देना होगा। पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल रहा, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि, अगर कोई हो, का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी कर की निर्धारित राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

छः वाणिज्य–कर अंचलों[46] में नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच 856 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से आठ व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) जो कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर–अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे, के रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सुविधा इत्यादि के जाँच से हमने पाया की इन्होंने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 7.67 करोड़ के विभिन्न अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था। जबकि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं करवाया, यद्यपि वे ऐसा करने हेतु उत्तरदायी थे। कर–निर्धारण प्राधिकारी उन अनिबंधित व्यवसायियों का पता नहीं लगा सके, यद्यपि उनके निबंधन के उत्तरदायित्व से संबंधित सूचना मूल्यवर्द्धित कर अभिलेखों में कर–निर्धारण प्राधिकारियों के पास उपलब्ध थी, जो कि कर–निर्धारण प्राधिकारियों के अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुपालन में उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रकार ₹ 54.34 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 76.40 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि **परिशिष्ट-XXXII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने गाँधी मैदान अंचल के दो मामलों को स्वीकार (अक्टूबर 2015) करते हुए ₹ 16.93 लाख का माँग सृजित किया। शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.24 स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर के कम भुगतान किये जाने का पता नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप ₹ 5.80 करोड़ के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर आगामी माह के पन्द्रहवें तिथि को या उसके पहले जमा करेगा।

पाँच वाणिज्य–कर अंचलों[47] में नवम्बर 2014 एवं मई 2015 के बीच हमने पाया कि 829 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से छः व्यवसायियों (संवीक्षितः 2 एवं स्व–कर निर्धारितः 4) ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 1,340.60 करोड़ के आयातित वस्तुओं के विरूद्ध भुगतेय प्रवेश कर ₹ 102.95 करोड़ स्वीकार किया,

[46] भभुआ, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, कटिहार, पटना मध्य एवं सासाराम।

[47] बाढ, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, मोतिहारी एवं पाटलिपुत्र।

परन्तु वास्तविकता में उन्होंने केवल ₹ 97.15 करोड़ के प्रवेश कर का ही भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.80 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की कम वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण प्राधिकारी, फारबिसगंज एवं गाँधी मैदान प्रत्येक ने एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) करते हुए ₹ 40.86 लाख का माँग सृजित किया, जिसमें से फारबिसगंज अंचल के मामले में ₹ 11.19 लाख की वसूली कर ली गई है। शेष कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.25 माँग पत्र के अनियमित निर्गमन के कारण प्रवेश कर का गलत समायोजन

कर–निर्धारण प्राधिकारी कर–निर्धारण के समय प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ के प्रवेश कर का अधिकाई माँग हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4 (क) प्रावधित करता है कि कोई व्यवसायी, जो अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, उसकी यदि आयातित अधिसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर के भुगतान की देयता बनती है तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में 378 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी मे0 महिन्द्रा लिमिटेड (जीप डिविजन) जिसका टिन 10050023046 है, के प्रवेश कर अभिलेखों के जाँच (नबम्वर 2014) के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2011–12 में व्यवसायी को ₹ 8.14 करोड़ का अधिकाई माँग सृजित कर दिया गया थां पुनः यह देखा गया कि प्रवेश कर के अंतर्गत ₹ 8.14 करोड़ के अधिकाई माँग सृजन करते समय, 2010–11 की अवधि से संबंधित अधिकाई जमा ₹ 3.81 करोड़ का अनियमित सामंजन/मिन्हा दे दिया गया क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली में किसी वर्ष के दौरान अधिकाई जमा को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित करने संबंधी कोई भी प्रावधान/नियम नहीं हैं (अंतिम भंडार से संबंधित कर को छोड़कर) वर्ष 2010–11 के अंतिम भंडार से संबंधित असमायोजित प्रवेश कर का समायोजन व्यवसायी को पहले हीं दे दिया गया था। कर–निर्धारण पदाधिकारी द्वारा प्रवेश कर का अनियमित समायोजन कर–निर्धारण के दौरान पता नहीं लगा पाने के फलस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ के प्रवेश कर का अधिकाई माँग निर्गत किया गया।

इसं इंगित किये जाने के बाद कर–निर्धारण पदाधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अक्टूबर 2016) किया एवं ₹ 3.81 करोड़ तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग सृजित किया।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

गः विद्युत शुल्क

4.26 विद्युत शुल्क एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अभिलेखों के तिर्यक जाँच से बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं लिये हुये एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री का पता चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 70.55 लाख के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 6 ए (5) प्रावधित करता है कि किसी सूचना अथवा अन्य तरह से यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाते है; कि किसी निर्धारिती अथवा उसके अलावे कोई व्यक्ति जो किसी अवधि से संबंधित शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी है तथा जानबूझकर निबंधन लेने में विफल रहा है, तब विहित प्राधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती या कोई व्यक्ति से उस अवधि अथवा आगे की अवधियों से संबंधित शुल्क की देय राशि, यदि कोई है, का निर्धारण अपने स्वविवेक से करेंगे तथा विहित प्राधिकारी, निर्धारित शुल्क के अलावे निबंधन हेतु आवेदन देने में अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति के विफल रहने की अवधि के प्रत्येक दिवस के लिये पचास रूपये की राशि अथवा निर्धारित शुल्क की राशि के समतुल्य राशि, जो भी कम हो, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु उस निर्धारिती अथवा कोई अन्य व्यक्ति को निर्देश देंगे।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) उपबंधित करता है कि संचरण अथवा रूपांतरण में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, या तो इकाईयों पर अथवा खपत या बिक्री की गई उर्जा के मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरों पर एक शुल्क आरोपित होगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

पटना पश्चिमी वाणिज्य कर अंचल में अक्टूबर 2014 में हमने पाया कि 190 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से विद्युत उत्पादन में संलग्न स्व–कर निर्धारिती (मे0 बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड; टिन– 10140501057 वैट) वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के तहत् न तो अपना निबंधन करवाया था और न ही रिटर्न दाखिल या शुल्क का भुगतान किया था। परन्तु लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 ने उसी अवधि में अपने वार्षिक लेखे में बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड से रूपये 11.76 करोड़ के मूल्य का 46.83 मिलियन किलोवाट उर्जा का क्रय दर्शाया था। अतः यह स्पष्ट है कि व्यवसायी ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उर्जा की बिक्री किया था, जिसपर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार, शुल्क आरोप्य था। इस प्रकार, व्यवसायी छः प्रतिशत की दर पर ₹ 70.55 लाख के शुल्क की राशि का भुगतान करने हेतु दायी है। इसके अलावे उपरोक्त अधिनियम के तहत् निबंधन नहीं लेने हेतु अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

मामला सरकार/विभाग को दिसम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

अध्याय-V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय–V: अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

(क) राज्य में भू–राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली[1] के तहत् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रशासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव–सह–आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, उप समाहर्त्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक इकाई है जो भू–राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

(ख) उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमावली के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार प्रमंडलीय मुख्यालयों[2] में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्त्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा विक्रेताओं को सभी प्रकारों के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2016) के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 12 इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी तथा 73 कंडिकाओं से सन्निहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत कर दी गई थी। वर्ष

---

1 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1908; बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) हस्तक, 1953।

2 भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।

2015–16 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 839 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ एवं निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग के अंतर्गत 51 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ हैं जिसमें से 108 एवं 39 इकाईयाँ वर्ष 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा योजना में ली गई। इसके विरुद्ध हमने वर्ष की अवधि में क्रमशः 91 एवं 37 इकाईयों की लेखापरीक्षा किया। हमने ₹ 361.22 करोड़ से सन्निहित 840 मामलों में राजस्व की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–5.1** में वर्णित है :

तालिका–5.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
कः भू–राजस्व			
1.	पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना	1	138.28
2.	स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं किया जाना तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/ कम किया जाना	1	83.53
3.	कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना	48	13.13
4.	सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना,	1	11.68
5.	सर्वे नही किया जाना एवं गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना	10	1.03
6.	अन्य मामले	517	63.31
कुल		**578**	**310.96**
खः राज्य उत्पाद			
1.	उत्पाद दुकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	56	10.26
2.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	34	18.32
3.	अन्य मामले	172	21.68
कुल		**262**	**50.26**
कुल योग		**840**	**361.22**

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान भू–राजस्व एवं राज्य उत्पाद पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम निम्न चार्ट में प्रदर्शित हैः

चार्ट–5.1

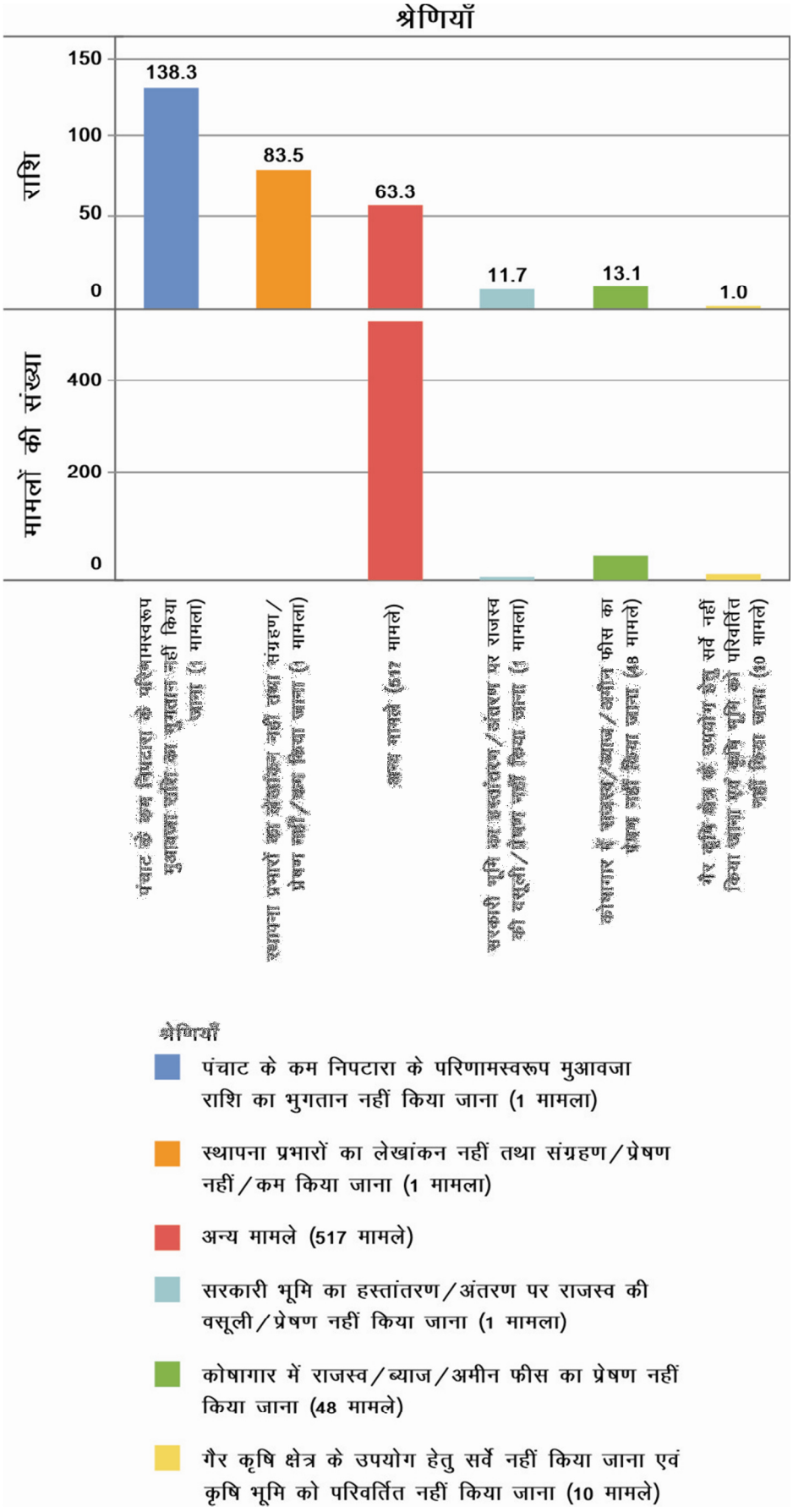
श्रेणियाँ
राशि
150
100
50
0
138.3
83.5
63.3
11.7
13.1
1.0
मामलों की संख्या
400
200
0
पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना (1 मामला)
स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/कम किया जाना (1 मामला)
अन्य मामले (517 मामले)
सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना (1 मामला)
कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना (48 मामले)
गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु सर्वे नहीं किया जाना एवं कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना (10 मामले)
श्रेणियाँ
पंचाट के कम निपटारा के परिणामस्वरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना (1 मामला)
स्थापना प्रभारों का लेखांकन नहीं तथा संग्रहण/प्रेषण नहीं/कम किया जाना (1 मामला)
अन्य मामले (517 मामले)
सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अंतरण पर राजस्व की वसूली/प्रेषण नहीं किया जाना (1 मामला)
कोषागार में राजस्व/ब्याज/अमीन फीस का प्रेषण नहीं किया जाना (48 मामले)
गैर कृषि क्षेत्र के उपयोग हेतु सर्वे नहीं किया जाना एवं कृषि भूमि को परिवर्तित नहीं किया जाना (10 मामले)

चार्ट–5.2

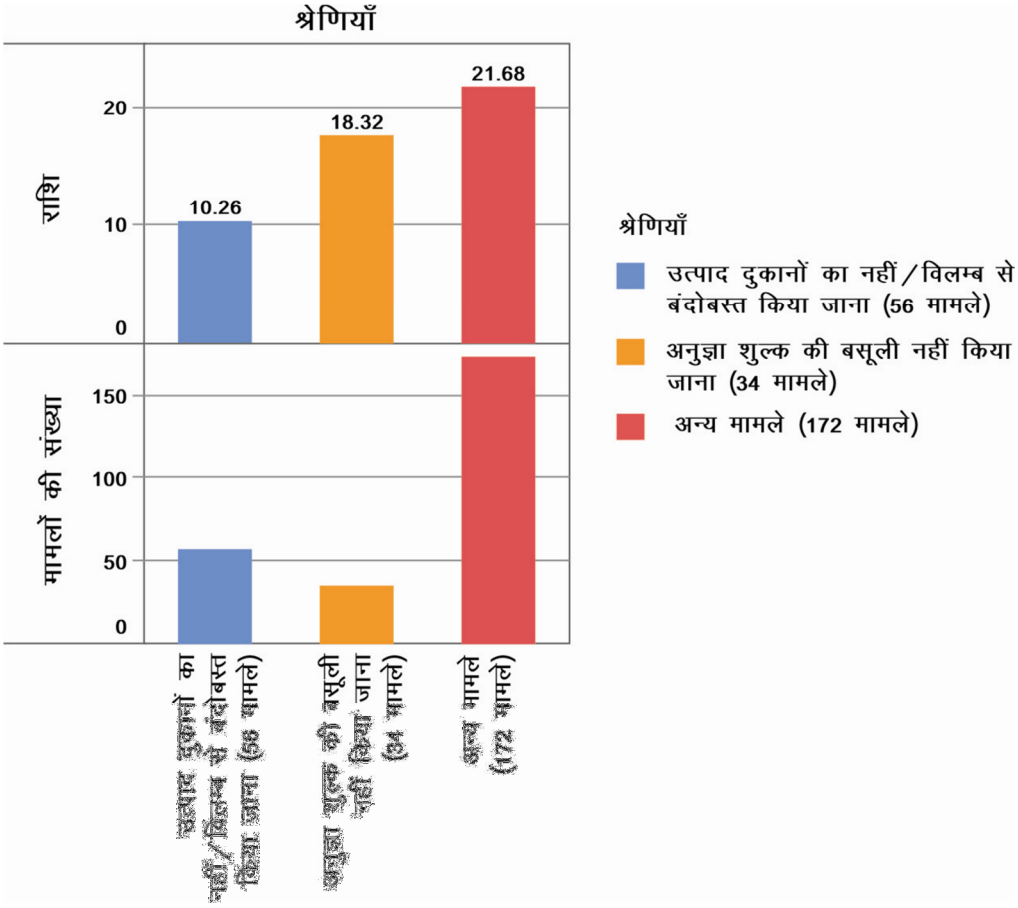

(क) वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 10 मामलों में सन्निहित ₹ 60.84 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, जो पूर्व के वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

(ख) वर्ष 2015–16 की अवधि में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग ने आठ मामलों में सन्निहित ₹ 41.24 लाख के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 8.19 लाख से सन्निहित दो मामले वर्ष 2015–16 के दौरान एवं शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने आठ मामलों में ₹ 41.24 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 के बीच की अवधि के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 134.77 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

5.4 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अपर/उप समाहर्त्ता, भू–राजस्व एवं सहायक आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इनमें से कुछ चूकों को पूर्व में हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा

किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

कः भू–राजस्व

5.5 स्थापना प्रभार का कम प्रेषण

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने, अधियाची निकाय/विभागों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 111.72 करोड़ के स्थापना प्रभार की वसूली एवं प्रेषण को सुनिश्चित नहीं किया।

बिहार भूमि अधिग्रहण मैन्युअल के नियम 139 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 15/डीएलए पॉलिसी 01/04–1250 रेवेन्यू दिनांक 15 मई 2006 के माध्यम से निर्गत सरकारी आदेश प्रावधित करता है कि निकाय/सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करने से पहले जिला भू–अर्जन पदाधिकारी अधियाची निकाय/विभाग से अधिग्रहित भूमि हेतु मुआवजा की निर्धारित सीमा पर निर्धारित दर[3] से स्थापना प्रभार आरोपित एवं संग्रहित करेंगें।

हमने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर एवं भोजपुर के कार्यालयों में वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि से संबंधित 18 में से पाँच परियोजनाओं, जिनके लिये चार अधियाची प्राधिकारों[4] हेतु भूमि (रैयती/सरकारी) का अधिग्रहण किया गया था, से संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं की संवीक्षा (दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच) की तथा पाया कि वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए ₹ 856.68 करोड़ के मुआवजा राशि पर स्थापना प्रभार के रूप में 170.86 करोड़ का आरोपण एवं संग्रहण किया जाना था (अनुमोदित मौजा–वार प्राक्कलन के आधार पर संगणित), जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 59.14 करोड़ ही कोषागार में प्रेषित की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 111.72 करोड़ के स्थापना प्रभार का कम प्रेषण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXIV** में वर्णित है।

हमने पुनः पाया (अगस्त 2016) कि मार्च 2011 एवं अगस्त 2015 के बीच कुल मुआवजा राशि ₹ 955.49 करोड़ प्राप्त हुये थे। चूंकि संबंधित जिला भू–अर्जन कार्यालयों में स्थापना प्रभार का कोई पृथक लेखा संधारित नहीं था, अतः मुआवजा राशि के उपरोक्त कुल प्राप्ति में से प्रत्येक परियोजना के विरूद्ध स्थापना प्रभार का वास्तविक संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद, भू–अर्जन पदाधिकारी भोजपुर (आरा) ने कहा (अप्रैल एवं अगस्त 2016) कि लेखापरीक्षा के द्रष्टव्य पर तीन परियोजनाओं से संबंधित ₹ 14.49 करोड़ की राशि कोषागार में प्रेषित कर दी गई है, जबकि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर ने कहा (जनवरी एवं अगस्त 2016) कि प्रत्येक परियोजना हेतु स्थापना प्रभार के व्यय का एक पृथक लेखा संधारित की जायेगी तथा शेष राशि को यथाशीघ्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने पुनः सूचित किया (मई 2016) कि पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के एक मामले में ₹ 7.35 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा कोषागार में जमा करा दी गई है।

---

[3] 15 मई 2006 से पहले स्थापना प्रभार का दर मुआवजा राशि का 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तथा उसके बाद 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत।

[4] बिहार राज्य विद्युत बोर्ड; नेशनल हाइवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया; बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 तथा बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.6 सरकारी भूमि के हस्तान्तरण पर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

सरकारी भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित ₹ 11.68 करोड़ की राशि की वसूली अधियाची प्राधिकारी से नहीं किया गया था।

बिहार सरकार एस्टेट (खासमहाल) मैन्युअल, 1953 के नियम 171 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (मार्च 1991) प्रावधित करता है कि बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार इत्यादि के साथ वाणिज्यिक प्रयोजन हतु सरकारी भूमि की बंदोबस्ती, सलामी के रूप में भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य तथा 25 वर्षों तक सलामी के पाँच प्रतिशत के दर पर वार्षिक लगान की संचित मूल्य के भुगतान पर, की जायेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के संचिकाओं, अभिलेखों तथा संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा से हमने पाया (जनवरी 2016) कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी को ₹ 11.68 करोड़ के सलामी तथा लगान की संचित मूल्य के भुगतान पर 20.825 एकड़ सरकारी भूमि[5] के हस्तान्तरण की स्वीकृति (अक्टूबर 2014) प्रदान किया। इस भूमि का हस्तांतरण (23 नवम्बर 2015) स्वीकृति के 12 माह बीत जाने पर भी बगैर राशि की वसूली किये अधियाची प्राधिकारी को कर दी गई। हालाँकि, समाहर्ता ने 1.62 एकड़ जमीन से संबंधित एक मामले में ₹ 1.31 करोड़ का माँग पत्र निर्गत किया (सितम्बर 2016)।

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा (जनवरी 2016) कि सरकारी भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित राशि की वसूली हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी। पुनः उत्तर प्रतीक्षित है।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.7 आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली

सरकारी संकल्प के प्रावधान के उल्लंघन में ₹ 60.35 लाख के आकस्मिक प्रभार का अधिक संग्रहण किया गया।

बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत् जारी सरकारी संकल्प (फरवरी 2007) के अनुसार अधियाची प्राधिकारी को परियोजना के लिए अधिग्रहण किये जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम ₹ 2 लाख तक, आकस्मिक प्रभार का भुगतान पुनर्वास, सर्वे, अनुश्रवण, लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय, जैसे वाहन तथा कम्प्यूटर का आउटसोर्सिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन ड्राफ्ट्मैन इत्यादि हेतु करना है।

[5] सरकारी भूमि का विवरण :

(राशि ₹ में)

मौजा	थाना सं0/खाता सं0	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वसूलनीय राशि
हरिनकोल	81/684	19.205	10,37,07,000
सिरमतपुर	78/2649	1.620	1,31,22,000
कुल		**20.825**	**11,68,29,000**

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर एवं भोजपुर के कार्यालयों में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित चार परियोजनाओं के भूमि की लागत का प्राक्कलन तथा संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं से दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु अधियाची प्राधिकारों से वर्ष 2010–11 एवं 2015–16 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 68.35 लाख का आकस्मिक प्रभार भू–अर्जन पदाधिकारियों ने संग्रहित किया था। परियोजनाओं की भूमि का प्राक्कलन मौजा–वार विभक्त किये गए थे तथा तदनुसार आकस्मिक प्रभार का आरोपण किया गया था। हालाँकि इन चार परियोजनाओं में प्रति परियोजना ₹ 2 लाख की दर पर ₹ 8 लाख का आकस्मिक प्रभार लिया जाना था। इस प्रकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ने सरकारी संकल्प के प्रावधान की अवहेलना करते हुये ₹ 60.35 लाख के आकस्मिक प्रभार का अधिक संग्रहण किया, जैसा कि **परिशिष्ट–XXXV** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा (जनवरी 2016) कि विभाग के साथ परामर्श के बाद उचित कार्रवाई की जायेगी जबकि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर ने कहा (अप्रैल 2016) कि ग्राम–वार राजस्व प्राक्कलन के आधार पर नियमानुसार 0.5 प्रतिशत की दर पर कटौती की गयी है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि उपरोक्त संकल्प के अनुसार आकस्मिक प्रभार का संग्रहण परियोजनावार किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

5.8 लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण नहीं किया जाना

अधिग्रहण के अधीन भूमि का 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर प्रतिशतता के रूप में ₹ 18.71 लाख का उपकर निर्धारित/आरोपित नहीं की गई थी।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम,1950 की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (जून 2000) के प्रावधान के अनुसार 25 वर्षों के लिये भूमि के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य का 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत क्रमशः शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, कृषि विकास उपकर तथा सड़क उपकर के रूप में वसूली की जानी है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर, भोजपुर तथा पटना के कार्यालयों में हमने पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच) कि वर्ष 2000–01 से 2015–16 की अवधि के दौरान 49 परियोजनाओं के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इनमें से हमने 16 परियोजनाओं (3,596.62 एकड़ भूमि) के परियोजना प्राक्कलन एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की तथा पाया कि अधिग्रहण के अधीन भूमि के 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर संबंधित परियोजनाओं के प्राक्कलन तैयार करते समय उपकरों का निर्धारण नहीं किया था। इस प्रकार, ₹ 12.91 लाख के लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर के रूप में ₹ 18.71 लाख की राशि का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने कहा (जुलाई 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच) कि विभाग के साथ परामर्श के बाद उपकर की वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। आगे उत्तर प्रतीक्षित है।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं अप्रैल 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

खः राज्य उत्पाद

5.9 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

उत्पाद प्राधिकारियों ने मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर उत्पाद दुकानों के 95 समूहों को विलम्ब से निरस्त किया तथा 33 समूहों को निरस्त ही नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 9.15 करोड़ के बकाए सरकारी राशि की वसूली नहीं हुई।

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली 2007 का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग प्रतिभूति राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा समतुल्य राशि अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14(बी) के साथ पठित उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान का वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 वें तारीख तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

5.9.1 अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

हमने 22 जिला उत्पाद कार्यालयों[6] की बन्दोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी तथा प्रतिभूति जमा पंजी का संवीक्षा किया तथा पाया (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 95 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने के कारण, अगस्त 2013 एवं अक्टूबर 2015 के बीच की अवधि में निरस्त कर दिये गये थे। पुनः हमने पाया कि इन उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति 16 दिनों से पाँच माह तक के विलम्ब से निरस्त किये गये थे, जबकि इसे चूक के माह के 20 वें तिथि के बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार दुकानों के विलम्ब से निरस्तीकरण के कारण लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 6.95 करोड़ अवसूलित रह गये। सरकारी राजस्व की वसूली हेतु उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि 16 जिलों[7] के मामलों में चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नीलामवाद दायर कर दिया गया है, अररिया जिलें में चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है तथा दो जिलों (बेगुसराय एवं नवादा) में नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जायेगी। औरंगाबाद एवं मधेपुरा जिलों के मामले में विभाग ने कहा कि बकाए अनुज्ञा शुल्क का

---

6 अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), नवादा, पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

7 भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

समायोजन उपलब्ध प्रतिभूति जमा के साथ कर दी गई है तथा शेष बकाए अनुज्ञा शुल्क के लिये नीलामवाद दायर कर दिया गया है। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि चूक के मामले में उपरोक्त नियमावली के प्रावधान के तहत् प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाना चाहिए था।

5.9.2 उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति निरस्त नहीं किये गये मामलों में अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

हमने पुनः अगस्त 2015 में पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिला उत्पाद कार्यालय में बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी से पाया कि उत्पाद दुकानों के 33 समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच की अवधि से मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करना बंद कर दिया था लेकिन उत्पाद प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी संबंधित उत्पाद दुकानों को निरस्त नहीं किया था, जबकि इन दुकानों को चूक के माह के 20 वें तिथि के बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) ने कहा (जून 2016) कि एक समूह के अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 2.45 लाख की वसूली कर ली गई है तथा शेष अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध नीलामवाद प्रारंभ की गई है।

5.10 जमानत राशि के अनियमित समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

उत्पाद दुकानों के बकाए मासिक अनुज्ञा भुल्क के विरूद्ध जमानत राशि का अनियमित समायोजन किया गया था।

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली 2007 का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग प्रतिभूति राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा समतुल्य राशि अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान का वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 वें तारीख तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 21 उपबंधित करता है कि इस नियमावली के नियम 15 में संदर्भित प्रतिभूति राशि की वापसी बन्दोबस्ती अवधि के बाद की जानी है, अगर बन्दोबस्त दुकानों से संबंधित राज्य सरकार के सभी बकाए एवं दावों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कर दी गई हो।

5.10.1 उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय की बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी 2015) कि उत्पाद दुकानों के छः समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 की अवधि के मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण 6 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2014 के बीच निरस्त कर दिये गये थे। हमने पुनः पाया कि जमा प्रतिभूति राशि का समायोजन

बकाये राशि से किया गया था। बकाए राशि के विरूद्ध ₹ 20.48 लाख के प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जाना उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में प्रतिभूति राशि को जब्त करना उपबंधित करता है। इसके फलस्वरूप न केवल ₹ 20.48 लाख के प्रतिभूति राशि का अनियमित समायोजन हुआ, बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि जमानत राशि का समायोजन बकाए अनुज्ञा शुल्क के साथ की गई थी। यद्यपि तथ्य यह है कि चूक के मामले में जमानत राशि को जब्त करने के बजाय बकाए अनुज्ञा शुल्क के साथ अनियमित समायोजन की गई थी।

5.10.2 पुनः उत्पाद अधीक्षक, कटिहार के कार्यालय की बन्दोबस्ती संचिका तथा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की संवीक्षा में हमने पाया (अक्टूबर 2015) कि उत्पाद दुकानों के 26 समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 की अवधि के लिए मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया था, लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने मासिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक हेतु इन दुकानों के अनुज्ञप्ति को निरस्त नहीं किया। हालाँकि उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बकाये राशि से समायोजित किया गया था, जो मासिक अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में चूक के मामले में उत्पाद दुकानों का निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाना उपबंधित करता है। इसके फलस्वरूप न केवल ₹ 1.22 करोड़ के प्रतिभूति राशि का अनियमित समायोजन हुआ, बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (जून 2016) कि 17 मामलों में माह जनवरी 2015 का बकाया अनुज्ञा शुल्क ₹ 87.51 लाख चालान द्वारा जमा कर दिया गया था तथा राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी। यद्यपि हमने पाया कि इन मामलों में फरवरी 2015 के बकाए अनुज्ञा शुल्क के विरूद्ध प्रतिभूति राशि का समायोजन किया गया था, जो अनियमित था। विभाग ने एक मामले में बकाए अनुज्ञा शुल्क को प्रतिभूति राशि से समायोजित किये जाने को स्वीकार किया।

अध्याय-VI
खनन एवं खनिज

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि बाकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्त्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार की विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना (अगस्त 2016) के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान उसने खान एवं भूतत्व विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

अनुशंसाः विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्त विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना भेजा जाए ताकि नियमित रूप से आंतारिक लेखापरीक्षा किया जा सके।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य 56 इकाईयों में से 35 इकाईयों को वर्ष 2015–16 के लेखापरीक्षा योजना में ली गई और हमने इस अवधि में योजना में लिये गये सभी 35 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया। हमने ₹ 229.78 करोड़ से सन्निहित 261 मामलों में राजस्व का कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका–6.1** में वर्णित हैः

तालिका–6.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	33	65.14
2.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	19	56.11
3.	ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	36	23.55
4.	ईंट मिट्टी के अवैध निष्कासन हेतु अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाना	27	16.35
5.	बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं/अनियमित बंदोबस्ती किये जाने के कारण निविदा राशि का आरोपण कम/नहीं किया जाना	5	12.53
6.	खनिज योजना के अनुमोदन के बिना खनिज उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2	7.06
7.	अन्य मामले	139	49.04
कुल		**261**	**229.78**

वर्ष 2015–16 के दौरान खान एवं खनिज से प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों के मामले में लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित **चार्ट–6.1** में प्रदर्शित है:

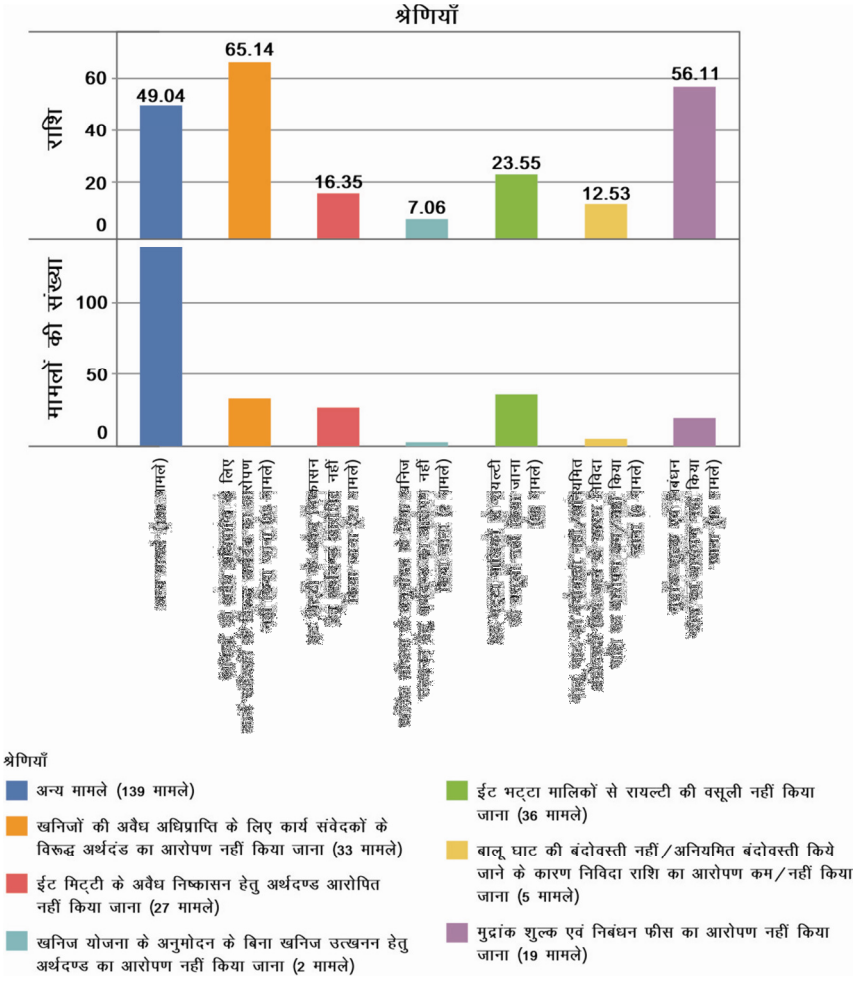

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग ने 38 मामलों में सन्निहित ₹ 8.97 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 4.46 करोड़ से सन्निहित चार मामले वर्ष 2015–16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने एक मामले में ₹ 5.61 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की, जिसे वर्ष 2014–15 के दौरान इंगित किया गया था।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 101.05 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

6.4 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपानल नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये इनमें से कुछ चूकों को लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में भी इंगित किए गये थे परन्तु ये अनियममितताएँ न केवल निरंतर होती रहीं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक पता नहीं लगा। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार लाए।

6.5 खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड

6.5.1 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव के फलस्वरूप खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 44.69 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 40 (10) प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे तथा कोई भी कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। विभाग ने यह भी अधिसूचित किया था (जनवरी 2006) कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के प्रस्तुति के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त विपत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे प्रपत्रों एवं विवरणों की छायाप्रति संबंधित खनन पदाधिकारी को भेजे। यदि संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र/शपथपत्र के जाँचोपरान्त यह पता चलता है कि खनिज किसी प्राधिकृत पट्टाधारी से क्रय नहीं किए गये थे तो यह समझा जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन से प्राप्त किया गया था और उस परिस्थिति में उक्त संबंधित खनन पदाधिकारी शपथ पत्र बनाने वाले के विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई करेंगे।

पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है और साथ ही उस व्यक्ति से, उस अवधि

हेतु जिसके दौरान वह जमीन ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना कोई कानूनी प्राधिकार के कब्जे में था, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, भी वसूल कर सकती है।

मार्च 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच 20 खनन कार्यालयों[1] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से हमने पाया कि 33 कार्य विभागों[2] द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 के बीच की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में कुल ₹ 44.69 करोड़ की कटौती कर शीर्ष ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'' के अंतर्गत जमा किया गया था। कार्य विभागों ने संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को जाँच हेतु संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों[3] का विवरणी भी नहीं भेजा था। बल्कि कार्य विभागों ने, यद्यपि वे इसके लिए प्राधिकृत नहीं थे, कार्य संवेदकों के विपत्र से उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों के विरूद्ध रायल्टी की कटौती की। यह इंगित करता है कि खनिज प्राधिकृत व्यवसायी/अनुज्ञप्तिधारी से क्रय नहीं किया गया था। पुनः खनन पदाधिकारियों ने, कार्य विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, अवैध खनन रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 44.69 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्युनतम अर्थदण्ड का मांग कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरुद्ध नहीं किया।

इस प्रकार अन्तर विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य प्रमंडलों को पत्र निर्गत (मई 2002 एवं मई 2012 के बीच) किया था तथा निदेशित किया था कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्रस्तुत किए बगैर किसी भी विपत्र का भुगतान नहीं किया जाएगा। पुनः मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अनुमोदनोपरांत खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में सभी कार्य प्रमंडलों/निगमों को निदेश निर्गत (जनवरी 2016) किया था। विभाग ने पुनः कहा कि इसे और सख्त बनाने के लिए नये नियम बनाये जा रहे हैं तथा कार्य विभाग पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, कि संवेदक प्राधिकृत खानों से ही खनिजों की अधिप्राप्ति करें।

6.5.2 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

आवश्यक उत्खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के निष्कासन हेतु कार्य संवेदकों पर ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट

---

1 अररिया, दरभंगा, गया, कैमुर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान एवं पश्चिमी चम्पारण।

2 **ग्रामीण कार्य विभाग**– अररिया, बेनीपट्टी (मधुबनी), बेतिया, भभुआ, दरभंगा–II, गया पश्चिमी, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मनीहारी, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर– I, II, एवं पश्चिमी, पालीगंज (दानापुर), पटना, पूर्णिया, रोहतास– I एवं II, समस्तीपुर, सारण (छपरा)– I एवं II, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं सीवान; **लोक निर्माण विभाग–पथ प्रमंडल**–दरभंगा एवं पटना; **नेशनल हाईवे प्रमंडल**–गया एवं मधेपुरा; **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड**–दरभंगा एवं सीतामढ़ी तथा **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम**– कार्य II–पटना।

3 स्टोन, सैंड, स्टोन चिप्स, मुरम इत्यादि।

अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया, जिसे पुनरीक्षित (जनवरी 2012) कर ₹ 22 प्रति घनमीटर किया गया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के अनुसार किसी भी उत्खनन की क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40 (1) आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जो छः महीने तक विस्तारित हो सकता है अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दोनों विहित करता है। पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता हैं जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो, की वसूली शामिल है।

आठ जिला खनन कार्यालयों[4] में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट पंजी के अवलोकन से हमने फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच पाया कि 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 7.80 करोड़ की कटौती/जमा की गई थी। पुनः हमने पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने उक्त कार्य हेतु आवश्यक उत्खनन परमिट नहीं लिया था। अतः संवेदकों ने मिट्टी का निष्कासन अवैध रूप से किया था जिसके लिए उपरोक्त नियमावली के तहत् वे कम से कम ₹ 7.80 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी थे। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के तहत् कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्रवाई आरम्भ की।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2016) कि यह आपत्ति नियम 40 (8) के आलोक में नहीं उठानी चाहिए थी, बल्कि इसे नियम 40 (10) के साथ पढ़ा जाना चाहिए था, जिसमें खनन पदाधिकारी के स्वविवेक पर है कि अगर कार्य संवेदक रॉयल्टी का भुगतान कर देते हैं तब कोई अन्य दण्डात्मक कार्रवाई नहीं करें।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40(10) उसी मामले में लागू है, जहाँ कार्य संवेदक प्रपत्र 'एम' में दर्शाये गये शपथ पत्र के अनुसार खनिज की खपत/आपूर्ति से संबंधित रॉयल्टी जमा कर दिया हो अथवा उसका भुगतान कर दिया हो। यह मामला बगैर वैध परमिट के साधारण मिट्टी के निष्कासन से संबंधित है, जिसमें उपरोक्त नियमावली के नियम 40 (1) के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी का खनन अवैध है। अतः उपरोक्त नियमावली के नियम 40 (8) के तहत् अर्थदण्ड आरोप्य था। हालाँकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद खनन पदाधिकारी, भागलपुर एवं कैमुर ने कहा (मई 2016) कि अर्थदण्ड का भुगतान हेतु संबंधित संवेदकों के विरूद्ध जनवरी एवं अप्रैल 2016 के बीच सभी पाँच मामलों में मांग सृजित कर दिया गया था।

6.6 बालू घाटों की बंदोबस्ती पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से ₹ 47.88 करोड़ की मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी।

नई बालू नीति, 2013 के अनुसार बालू घाटों की बंदोबस्ती का एकरारनामा बंदोबस्तधारी के साथ कार्यादेश निर्गत होने के तिथि से 60 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र

[4] भागलपुर, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी।

में कार्यान्वित किया जाना है तथा निबंधित दस्तावेज, बंदोबस्ती राशि का तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा चार प्रतिशत की दर से निबंधन फीस का भुगतान करने के बाद प्रस्तुत करना है।

नौ जिला खनन कार्यालयों[5] में सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती संचिकाओं से हमने नवम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच पाया कि वर्ष 2015 में ₹ 737 करोड़ की बंदोबस्ती राशि पर इन बालू घाटों की बंदोबस्ती पाँच कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए की गयी थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारियों ने भुगतेय ₹ 22.11 करोड़ मुद्रांक शुल्क के विरूद्ध ₹ 2.83 करोड़ मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया था। पुनः हमने पाया कि नौ में से आठ बन्दोबस्तधारियों[6] ने बन्दोबस्त अवधि 2015–19 के लिए न तो बंदोबस्ती राशि पर निबंधन शुल्क ₹ 22.95 करोड़ का भुगतान किया और न ही एकरारनामा का निबंधन कराया जबकि एक बन्दोबस्तधारी[7] ने ₹ 5.65 करोड़ के निबंधन शुल्क का कम भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 47.88 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त एवं सितम्बर 2016) कि नीलामी राशि वार्षिक आधार पर भुगतेय थी और इसलिए कम वसूली नहीं हुई बल्कि यह वार्षिक आधार पर राजस्व का संग्रहण था। हालाँकि मामला निबंधन विभाग को उनके मंतव्य हेतु संदर्भित कर दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बालू घाटो की बंदोबस्ती पाँच वर्षो के लिए की गयी थी, अतः भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (घ) के प्रावधान, जो यह प्रावधित करता है कि वर्ष–दर–वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए अचल संपत्ति के लीज दस्तावेज का निबंधन किया जाएगा, के अनुसार एकरारनामा का निबंधन की जानी चाहिए थी।

6.7 बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से बन्दोबस्ती राशि की वसूली में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के फलस्वरूप रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली हुई।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 11 ए प्रावधित करता है कि लघु खनिज के रूप में बालू की बन्दोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा लोक नीलामी द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतम डाककर्त्ता को किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना (मार्च 2013) के अनुसार 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2013 की बन्दोबस्ती अवधि के लिए बन्दोबस्ती राशि का भुगतान एकमुश्त करनी है। पुनः नई बालू नीति, 2013 तथा उसके तहत् निर्गत अधिसूचना (दिसम्बर 2013) में प्रावधान है कि बन्दोबस्ती राशि का भुगतान तीन किस्तों[8] में की जानी है। उपरोक्त नियमावली का नियम 43 ए में बकाये लगान, रॉयल्टी अथवा फीस पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

---

5 बाँका, भागलपुर, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

6 **भागलपुर** : सैनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद; **बक्सर** : श्री कत्यानी कॉन्ट्रेक्टर्स (प्रा0) लिमिटेड, बिहटा, पटना; **कैमुर** : चैम्पियन ग्रुप ऑफ कम्पनीज, कैमुर; **लक्खीसरायः** राजनन्दनी प्रॉजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, बंदर बगीचा, पटना; **मधुबनीः** मो0 मसीहा लोकहा, मधुबनी; **मुंगेर** एन. एम. फुड प्रोडक्ट, श्री गंगानगर, राजस्थान; **मुजफ्फरपुर** : श्री उमेश कुमार, अहियापुर, मुजफ्फरपुर; **पटनाः** ब्रॉडसन कोमोडीटीज (प्रा0) लिमिटेड, आरा, भोजपुर।

7 बाँका : महादेव इनक्लेव (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान।

8 प्रथम किस्त – कार्यादेश निर्गत किये जाने से पूर्व बन्दोबस्ती राशि का 50 प्रतिशत,
द्वितीय किस्त – 15 अप्रैल तक बन्दोबस्ती राशि का 25 प्रतिशत, तथा
तृतीय किस्त – 15 सितम्बर तक बन्दोबस्ती राशि का 25 प्रतिशत।

- जिला खनन कार्यालय, गया में बालू घाट के बन्दोबस्ती की संचिकाओं की संवीक्षा से हमने पाया (जून 2015) कि बालू घाट की बन्दोबस्ती 1 मार्च 2014 से 31 दिसम्बर 2014 की अवधि के लिये ₹ 37.32 करोड़ में की गयी थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारी ने बन्दोबस्ती राशि का भुगतान पाँच दिनों से 149 दिनों के विलम्ब से किया था, परन्तु संबंधित खनन पदाधिकारी ने ₹ 43.22 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

- जिला खनन कार्यालय, वैशाली में बालू घाटों की बन्दोबस्ती की संचिकाओं की संवीक्षा से हमने पाया (फरवरी 2015) कि बालू घाट की बन्दोबस्ती 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2013 की अवधि के लिये ₹ 21 लाख में, कुल राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने की शर्त के साथ की गई थी। बालू घाट के बन्दोबस्तधारी ने ₹ 14.24 लाख का भुगतान 34 से 284 दिनों के विलम्ब से किया था तथा शेष ₹ 6.76 लाख का भुगतान जनवरी 2015 तक नहीं किया था। संबंधित खनन पदाधिकारी ने बकाए रॉयल्टी हेतु माँग सृजित नहीं किया तथा 31 जनवरी 2015 तक संगणित ₹ 4.87 लाख का ब्याज भी आरोपित नहीं किया था। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 11.62 लाख (बंदोबस्ती राशिः ₹ 6.76 लाख एवं ब्याजः ₹ 4.86 लाख) का था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2016) कि गया के मामले में चूककर्त्ता के विरूद्ध ₹ 43.22 लाख (वाद संख्या 396/2015–16) की वसूली हेतु नीलामवाद दायर कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध बन्दोबस्तधारी ने खान आयुक्त के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु अपील किया है, जबकि वैशाली के मामले में विभाग ने कहा कि नीलामवाद आरंभ करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

6.8 पृथक कॉरपस निधि के मद में राशि की वसूली नहीं किया जाना

पृथक कॉरपस निधि के मद में ₹ 13.26 लाख की राशि की वसूली संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 54, जैसा कि बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधित) नियमावली, 2014 के द्वारा संशोधित है, के साथ पठित नई बालू नीति, 2013 की शर्त 9 के अनुसार सफल डाककर्त्ता को बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर बालू उत्खनित क्षेत्रों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास हेतु बन्दोबस्ती राशि का दो प्रतिशत पृथक कॉरपस निधि के मद में वार्षिक जमा करना है।

दो जिला खनन कार्यालयों (भागलपुर एवं मधुबनी) में कैलेण्डर वर्ष 2015–19 हेतु बालू घाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित संचिकाओं तथा बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर की संवीक्षा के दौरान हमने नवम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच पाया कि इन जिलों में कैलेण्डर वर्ष 2015 के लिये बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु क्रमशः ₹ 4.90 करोड़ एवं ₹ 78.70 लाख तथा मधुबनी जिला में वर्ष 2016 के लिए ₹ 94.44 लाख की राशि की स्वीकृत्यादेश/कार्यादेश की स्वीकृति (मार्च एवं अगस्त 2015 के बीच) दी गई थी। बालू घाटों की बन्दोबस्ती की शर्तों के अनुसार दूसरे तथा उसके आगे के वर्षों में बन्दोबस्ती राशि पूर्व के वर्षों की बन्दोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों को स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर पृथक कॉरपस निधि के मद में बन्दोबस्ती राशि का दो प्रतिशत जमा करना था। परन्तु हमने पाया कि इन बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों ने पृथक कॉरपस निधि के मद

में ₹ 13.26 लाख[9] की अपेक्षित राशि का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2015), यहाँ तक कि तीन माह से अधिक बीत जाने तक भी नहीं किया था। संबंधित खनन पदाधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर 2016) कि राशि की वसूली कर ली जायेगी।

6.9 बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु शर्तों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाना

बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बगैर बालू के उत्खनन की अनुमति दी गई थी।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972, के नियम 11 जैसा कि बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधित) नियमावली, 2014 के द्वारा संशोधित है, के साथ पठित नई बालू नीति, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बालू घाटों की बन्दोबस्ती निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से पाँच वर्षों के लिये की जायेगी। बालू घाटों के सफल डाककर्त्ता सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि से 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिये 90 दिनों तथा 50 हेक्टेयर और अधिक क्षेत्र के लिये 120 दिनों के भीतर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सफल उच्चतम डाककर्त्ता पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तब उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा समाहर्त्ता/राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत पदाधिकारी दूसरे उच्चतम डाककर्त्ता को विहित समय के भीतर अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर देगें। पुनः सरकार ने बन्दोबस्तधारी से विहित समय के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के साक्ष्य में शपथ पत्र प्राप्त कर जनवरी 2015 से बालू का उत्खनन एवं प्रेषण हेतु अनुमति (दिसम्बर 2014) दिया।

बालू घाटों की बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा से हमने 15 जिला खनन कार्यालयों[10] में पाया (मई 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) कि पाँच कैलेण्डर वर्षों (2015–19) की अवधि के लिये बालू घाटों की बन्दोबस्ती निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से अक्टूबर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच 15 उच्चतम डाककर्त्ताओं को ₹ 164.80 करोड़ में, अनुवर्ती वर्षों में बंदोबस्ती राशि का 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की शर्त के साथ, दी गई। नवम्बर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश निर्गत की गई थी। बालू घाटों के बन्दोबस्तधारियों ने अपेक्षित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिये तथा उसके बाद संबंधित जिलों के समाहर्त्ताओं ने बालू के उत्खनन हेतु कार्यादेश निर्गत (दिसम्बर 2014 एवं अगस्त 2015 के बीच) कर दिया। पुनः संबंधित खनन पदाधिकारयों ने संबंधित बालू घाटों से बालू के प्रेषण हेतु ट्रांजिट पास भी निर्गत कर दिया। हालाँकि बंदोबस्तधारियों ने शपथ पत्र में दर्शाये गये विहित समय, यहाँ तक

---

[9] संगणना:

(राशि ₹ में)

जिला	बंदोबस्तधारी का नाम	वर्ष	बंदोबस्त राशि	दो प्रतिशत की दर से कॉरपस निधि हेतु वसूली योग्य राशि
भागलपुर	मेसर्स सैनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड	2015	4,90,00,000	9,80,000
मधुबनी	मो0 मसीहा	2015	78,70,000	1,57,400
		2016	94,44,000	1,88,880
कुल			**6,63,14,000**	**13,26,280**

[10] अरवल, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमुर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास एवं वैशाली (हाजीपुर)।

कि बालू घाटों की बंदोबस्ती के पहले वर्ष की समाप्ति के बाद भी संबंधित प्राधिकारियों को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने हेतु लीज को निरस्त तथा बन्दोबस्तधारियों के जमानत राशि को जब्त किये जाने की कार्रवाई करने हेतु समाहर्त्ता को निदेशित नहीं किया, जैसा कि बालू नीति के तहत् अपेक्षित था।

हमने पुनः पाया कि बन्दोबस्त बालू घाटों से बालू के उत्खनन हेतु कार्यादेश तीन जिलों[11] में अपेक्षित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र को सुनिश्चित किये बगैर अग्रेत्तर वर्ष के लिये पुनः निर्गत किया। यह न केवल बालू के अवैध उत्खनन को प्रोत्साहन देना था, बल्कि इसके कारण माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बालू घाटों से बालू के उत्खनन को रोकने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देना पड़ा (जनवरी 2016)। पुनः विभाग ने भी उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने हेतु संबंधित समाहर्त्ताओं/खनन पदाधिकारियों को बंदोबस्ती निरस्त करने हेतु निदेश निर्गत नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2016) कि वर्तमान समय में उचित प्राधिकारियों से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही बालू घाटों का संचालन हो रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जनवरी 2016 तक बालू घाटों का संचालन, नीति/नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये बगैर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र के ही हुआ था।

(धर्मेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांकः 14 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 17 फरवरी 2017

[11] मधुपरा, मधुबनी एवं पटना।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(संदर्भः कंडिकाः 2.4.8–प्रथम बुलेट)
सरकारी राजस्व का गबन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	निबंधन संख्या	क्रय की तिथि	निबंधन की तिथि	वाहन के वर्ग	विक्रय मूल्य	सकल वाहन भार	बैठने की क्षमता	कर	डीलर कोड	रसीद संख्या	रसीद की तिथि	अभ्युक्ति
1.	बीआर 22क्यू 6403	23.03.2011	26.12.2013	102	481100	1900	1	56289	कर	टीए19390	14.01.2015	रसीद संख्या टीए19346 से टीए19389 सॉफ्टवेयर के माध्यम से 14.01.2016 को जनित किया गया था। पुनः यह लेन–देन 14.01.2015 को कैश रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं था क्योंकि उस दिन सॉफ्टवेयर रसीद संख्या 7223 से 7289 जनित किया था। 14.01.2015 को प्रदर्शित राशि वही था जो उसी दिन के कैश रिपोर्ट में था। क्रम संख्या 2 में वर्णित वाहन का कर रसीद उसके क्रय तिथि से 351 दिन पहले की थी।
2.	बीआर 22 जीए 1790	31.12.2015	31.12.2015	102	548250	1760	1	24671	कर	टीए19391	14.01.2015	
3.	बीआर 22 जीए 2222	15.12.2015	15.12.2015	15	997061	2510	7	69794	कर	टीए18238	15.12.2015	रसीद संख्या टीए18160 से टीए18237 दिनांक17.12.2015 को जनित किया गया था। पुनः यह लेन–देन पूर्ववर्ती रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं था क्योंकि उस दिन सॉफ्टवेयर रसीद संख्या 18051 से 18098 जनित किया था। कैशबुक के आँकड़े वही थे जैसाकि कैश रिपोर्ट के पूर्ववर्ती प्रति में था।
4.	बीआर 22भी 1277	14.12.2015	15.12.2015	15	605809	1415	5	42407	कर	टीए18492	15.12.2015	
5.	बीआर 22क्यू 5435	30.07.2013	05.08.2013	105	597742	4450	3	21000	कर	टीए17714	04.12.2015	रसीद संख्या टीए17670 से टीए17713 दिनांक 05.12.2015 को जनित किया गया था। पुनः यह वाहन कार्यालय में रखे पूर्ववर्ती रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं था उस दिन प्रणाली द्वारा रसीद संख्या से 17596 से 17669 जनित किया गया था। कैशबुक के आँकड़े वही थे जैसाकि कैश रिपोर्ट के पूर्ववर्ती प्रति में था।
6.	बीआर 22क्यू 6313	05.02.2011	16.11.2013	102	399039	1755	1	46388	कर	टीए18789	17.08.2015	रसीद संख्या टीए18729 से टीए18788 दिनांक 31.12.2015 को जनित किया गया था। पुनः

7.	बीआर 22क्यू 6373	27.02.2013	04.12.2013	102	514524	1090	1	69075	कर	टीए18790	17.08.2015	पूर्ववर्ती रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। कैशबुक में आँकड़े इन वाहनों के राशि को हटा दिये जाने के बाद लिया गया था।
8.	बीआर 22क्यू 5762	11.09.2013	13.09.2013	102	416190	1755	1	56185	कर	टीए18791	17.08.2015	
9.	बीआर 22क्यू 5765	13.09.2013	20.09.2013	102	349524	1765	1	47186	कर	टीए18792	17.08.2015	
10.	बीआर 22वी 1515	28.07.2012	22.08.2015	15	649523	2510	7	45467	कर	टीए17063	22.08.2015	रसीद संख्या टीए16974 से टीए17062 दिनांक 21.11.2015 को जनित किया गया था। पुनः पूर्ववर्ती रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। कैशबुक में आँकड़े इन वाहनों के राशि को हटा दिये जाने के बाद लिया गया था।
11.	बीआर 22वी 8282	10.08.2012	22.08.2015	15	1171322	2450	7	81993	कर	टीए17064	22.08.2015	
12.	बीआर 22जीए 1420	28.03.2015	17.10.2015	102	348000	1765	1	46980	कर	टीए19577	31.08.2015	रसीद संख्या टीए19511 से टीए19576 दिनांक 19.01.2016 को जनित किया गया था। पुनः पूर्ववर्ती रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। कैशबुक में आँकड़े इन वाहनों के आँकड़ों को हटा दिये जाने के बाद लिया गया था।
13.	बीआर 22जीए 1485	28.03.2014	25.11.2015	102	465714	2010	1	62871	कर	टीए19578	31.08.2015	
14.	बीआर 22वी 7676	14.10.2015	14.10.2015	15	550000	2700	7	45467	कर	टीए16973	14.10.2015	रसीद संख्या टीए16944 से टीए16972 दिनांक 20.11.2015 को जनित किया गया था। पुनः यह वाहन कार्यालय में रखे पूर्ववर्ती रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं था। प्रणाली द्वारा रसीद संख्या 16088 से 16119 जनित किया गया था। कैशबुक के आँकड़े वही थे जैसाकि कैश रिपोर्ट के पूर्ववर्ती प्रति में था।
15.	बीआर 22क्यू 6314	27.10.2012	11.12.2013	102	491904	1090	1	64563	कर	टीए19130	08.12.2016	रसीद संख्या टीए19045 से टीए19132 दिनांक 08.01.2016 को जनित किया गया था। ये वाहन प्रणाली द्वारा जनित रिपोर्ट के प्रति में प्रदर्शित नहीं था।
16.	बीआर 22जीए 1482	11.10.2008	30.11.2015	102	406846	1745	1	38752	कर	टीए19131	08.12.2016	
17.	बीआर 22क्यू 7322	19.04.2013	25.03.2014	102	309000	2010	3	41715	कर	टीए19132	08.01.2016	रसीद संख्या टीए19130 दिनांक 08.12.2016 को जनित किया गया था।

18.	बीआर 22जीए 1072	12.09.2015	12.09.2015	102	400000	1900	2	18000	कर	टीए15321	18.09.2015	रसीद संख्या टीए15319 दिनांक 24.09.2015 को जनित किया गया था।
19.	बीआर 22जीए 1108	27.07.2015	27.07.2015	102	219048	780	1	14786	कर	टीए15375	24.09.2015	रसीद संख्या टीए15373 दिनांक 26.09.2015 को जनित किया गया था।
20.	बीआर 22क्यू 9215	22.12.2014	22.12.2014	102	480000	2010	1	21600	कर	टीए7280	09.01.2015	रसीद संख्या टीए7277 दिनांक 14.01.2015 को जनित किया गया था।
21.	बीआर 22क्यू 9394	10.01.2015	13.01.2015	102	496191	1815	1	22328	कर	टीए8821	13.01.2015	रसीद संख्या टीए8805 दिनांक 02.03.2015 को जनित किया गया था।.
22.	बीआर 22क्यू 8637	11.10.2014	16.10.2014	105	249834	1285	2	11000	कर	टीए3719	18.10.2014	रसीद संख्या टीए3717 दिनांक 20.10.2014 को जनित किया गया था।
23.	बीआर 22जे 9706	28.03.2015	08.04.2015	3	74256	285	2	5198	कर	टीए10446	08.04.2015	रसीद संख्या टीए10444 दिनांक 11.04.2015 को जनित किया गया था।
24.	बीआर 22जे 9683	15.05.2015	21.05.2015	3	48672	120	2	3407	कर	टीए11549	21-05-2015	रसीद संख्या टीए11548 दिनांक 22.05.2015 को जनित किया गया था।
25.	बीआर 22पी 7294	30.04.2015	25.05.2015	52	319468	1750	8	22363	कर	टीए11654	25-05-2015	रसीद संख्या टीए11652 दिनांक 26.05.2015 को जनित किया गया था।
26.	बीआर 22जीए 0469	20.05.2015	01.06.2015	105	464069	2960	2	16500	कर	टीए12034	05-06-2015	रसीद संख्या टीए12033 दिनांक 06.06.2015 को जनित किया गया था।
27.	बीआर 22जे 9816	28.05.2015	10.06.2015	3	34623	238	2	2424	कर	टीए12154	10-06-2015	रसीद संख्या टीए12152 दिनांक 11.06.2015 को जनित किया गया था।
28.	बीआर 22क्यू 8497	06.11.2009	16.09.2014	102	386462	2710	1	10307	कर	टीए3247	30-09-2014	रसीद संख्या टीए3246 दिनांक 07.10.2014 को जनित किया गया था।
29.	बीआर 22क्यू 8475	09.09.2014	09.09.2014	102	560000	2250	1	11200	कर	टीए3248	30-09-2014	
30.	बीआर 22बी 2626	02.05.2001	08.05.2001	52	500000	2350	11	6975	कर	टीए4285	01-11-2014	रसीद संख्या टीए4286 दिनांक 31.10.2014 को जनित किया गया था।
31.	बीआर 22क्यू 9737	26.02.2015	26.02.2015	102	214286	780	1	9643	कर	टीए9262	13-03-2015	रसीद संख्या टीए9259 दिनांक 14.03.2015 को जनित किया गया था।
32.	बीआर 22क्यू 9751	26.02.2015	26.02.2015	102	0	780	1	9643	कर	टीए9263	13-03-2015	

33.	बीआर 22पी 7142	18.02.2015	12.03.2015	18	1028426	2555	7	71990	कर	टीए9542	12-03-2015	रसीद संख्या टीए9541 दिनांक 20.03.2015 को जनित किया गया था।
34.	बीआर 22जीए 0469	20.05.2015	01.06.2015	105	464069	2960	2	16500	कर	टीए12034	05-06-2015	रसीद संख्या टीए12033 दिनांक 06.06.2015 को जनित किया गया था।
35.	बीआर 22पी 7758	18.10.2015	29.10.2015	51	180336	780	4	6000	कर	टीए16557	02-11-2015	रसीद संख्या टीए16556 दिनांक 03.11.2015 को जनित किया गया था।
कुल								**1140667**				

परिशिष्ट-II
(संदर्भः कंडिकाः 2.4.8–द्वितीय बुलेट)
सरकारी राजस्व का गबन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	रद्द रसीदों की संख्या	सन्निहित राशि	रद्द रसीदों की अवधि	निर्गत नये रसीद				रद्द रसीदों के विरूद्ध नये रसीद निर्गत नहीं किये गये थे लेकिन कर समाशोधित/स्मार्ट कार्ड निर्गत दर्शाया गया था		कुल हानि (9+11)
					नये रसीदों की संख्या	सन्निहित राशि	नये रसीदों की राशि	राशि में कमी	रसीदों की संख्या	सन्निहित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पश्चिमी चम्पारण	41	1173433	मार्च 2013 एवं जनवरी 2016	37	1155679	672232	483447	4	17754	501201
2.	सहरसा	16	409047	सितम्बर 2011 एवं दिसम्बर 2015	13	298492	202677	95815	3	110555	206370
3.	कैमूर	17	242236	मार्च 2013 एवं फरवरी 2016	11	179886	112443	67443	6	62350	129793
4.	पूर्णिया	6	83199	मई 2011 एवं मई 2015	1	1200	1200	0	5	81999	81999
5.	कटिहार	1	11250	अगस्त 2013	1	11250	9000	2250	0	0	2250
कुल		**81**	**1919165**		**63**	**1646507**	**997552**	**648955**	**18**	**272658**	**921613**

परिशिष्ट-III

(संदर्भः कंडिकाः 2.4.10.1)

वाहनों का घटे हुये बिक्री मूल्य पर निबंधन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	क्रय की तिथि	निबंधन तिथि	वाहनों की संख्या	विक्रय मूल्य जिस पर कर आरोपित किया गया	संग्रहित कर	वाहन डाटाबेस के अनुसार वास्तविक विक्रय मूल्य	विक्रय मूल्य में अंतर	वास्तविक भुगतेय कर	कर में अंतर
1.	सहरसा	फरवरी 2011 से मार्च 2016	मई 2011 से मार्च 2016	125	300.00	20.59	495.65	195.65	34.15	13.56
2.	पूर्णिया	दिसम्बर 2012 से अप्रील 2014	दिसम्बर 2012 से अप्रील 2014	2	8.22	0.57	10.01	1.79	0.69	0.12
3.	कटिहार	नवम्बर 2012 से अक्टूबर 2014	नवम्बर 2012 से अक्टूबर 2014	5	1.68	0.11	2.76	1.08	0.18	0.07
कुल				**132**	**309.9**	**21.27**	**508.42**	**198.52**	**35.02**	**13.75**

परिशिष्ट-IV

(संदर्भः कंडिकाः 2.4.10.3)

समान निबंधन संख्या वाले वाहनों का परिचालन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निबंधन संख्या	क्रय की तिथि	निबंधन की तिथि	मालिकों का नाम	मॉडल	चेसिस संख्या	ईंजन संख्या	जिला	से कर	तक कर
1.	बीआर05जी 8265	10/11/2003	25/11/2003	मंगे यादव	टाटा ट्रक	426921पीक्यूजेड717769	274315	बेतिया	25.11.2003	27.02.2013
	बीआर05जी 8265	20/12/2012	11/01/2013	अनिल चौधरी	एलपीटी1109एचईएक्स2 बीएसIII	एमएटी457403सी7एन43297	497टीसी92एनएक्सवाई865110	मोतिहारी	21/01/2013	11/04/2014
2.	बीआर05एम 1101	10/05/1990	15/05/1990	एस. खातून	टाटा ट्रक	357011934941	497एसपी21948103	बेतिया	01.01.2011	31.12.2015
	बीआर05एम 1101	28/08/2013	31/08/2013	जय प्रकाश साह	डिस्कवर 100	एमडी2ए51बीजेड0डीपीडी00736	पीएजेडपीडीडी79120	मोतिहारी	28/08/2013	27/08/2028
3.	बीआर05एम 1703	20/04/2001	15/05/2001	मो0 नूरैन खाँ	टाटा मॉडल 407	357011929007	497एसपी21930951	बेतिया	01.10.2013	31.03.2016
	बीआर05एम 1703	02/12/2013	04/12/2013	शैलेन्द्र कुमार	इलेक्ट्रा 350	एमई3यू3एस5सी0डीएल338032	यू3एस5सी0डीएल 338032	मोतिहारी	02.12.2013	01.12.2028

परिशिष्ट-V

(संदर्भ कंडिकाः 2.4.13.1)

एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

वाहन का प्रकार	सन्निहित कार्यालयों की संख्या	एकमुश्त कर तथा अर्थदण्ड की राशि जिसकी वसूली नहीं/कम हुई (₹ लाख में)	एकमुश्त कर का लागू दर	लेखापरीक्षा अवलोकन
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	नौ जिला परिवहन कार्यालय[1]	45.80	9.4.2010 से एक प्रतिशत; 1.4.2013 से दो प्रतिशत तथा 19.9.2014 से 4.5 प्रतिशत	अप्रील 2011 एवं मार्च 2016 के बीच निबंधित 10,976 ट्रैक्टरों में से 96 ट्रैक्टरों से ₹ 7.91 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई तथा 524 ट्रैक्टरों पर ₹ 37.89 लाख का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया/ कम आरोपण किया गया।
	छः जिला परिवहन कार्यालय[2]	215.68	तथैव	फरवरी 2013 एवं मार्च 2016 के बीच निबंधित 8,234 ट्रैक्टरों में से 334 ट्रैक्टरों के मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था।
	बेगुसराय	4.66	19.9.2014 से 4.5 प्रतिशत	16 सितम्बर 2014 एवं 7 अक्टूबर 2014 के बीच निबंधित 51 ट्रैक्टरों में से 38 ट्रैक्टरों पर वाहन डाटाबेस में संशोधित दर का निरूपण में विलम्ब के कारण संशोधन से पूर्व के दर पर एकमुश्त कर का आरोपण किया गया। अतः अंतर कर की राशि की वसूली नहीं हुई।

[1] बेगुसराय, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

[2] बेगुसराय, कैमूर, नालन्दा, पटना, रोहतास एवं पश्चिमी चम्पारण।

ट्रैक्टर (कृषि)	पश्चिमी चम्पारण	2.20	₹ 3,000 (25 एच.पी. तक) से 5000 (25 एच.पी. से उपर)	नवम्बर 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच निबंधित 511 कृषि ट्रैक्टरों में से कृषि प्रयोजन हेतु निबंधित 347 ट्रैक्टरों से वाणिज्यिक ट्रैक्टर हेतु विहित कर (31 मार्च 2013 तक लागत का एक प्रतिशत के दर पर कर) का आरोपण किये जाने के कारण एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।
मोटर/मैक्सी कैब	सात जिला परिवहन कार्यालय[3]	16.19	1.4.2013 से पाँच प्रतिशत तथा 19.9.2014 से सात प्रतिशत	अप्रील 2013 एवं फरवरी 2016 के बीच निबंधित 2,710 मैक्सी/कैब में से 30 वाहनों से ₹ 4.65 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई तथा 90 वाहनों पर ₹ 11.54 लाख का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया/ कम आरोपण किया गया।
	जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय तथा पूर्णिया	3.33	तथैव	19.9.2014 से कर का दर संशोधित किया गया था परन्तु 11 सितम्बर 2014 एवं 7 अक्टूबर 2014 के बीच निबंधित 44 में से 36 मैक्सी/कैबं पर वाहन डाटाबेस में संशोधित दर का निरूपण में विलम्ब के कारण संशोधन से पूर्व के दर पर एकमुश्त कर का आरोपण किया गया। अतः अंतर कर की राशि की वसूली नहीं हुई।
	जिला परिवहन कार्यालय, पटना	12.64	तथैव	मई 2015 एवं मार्च 2016 के बीच निबंधित 541 मैक्सी/कैब में से 11 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था।
तिपहिया वाहन	चार जिला परिवहन कार्यालय[4]	1.98	₹ 6,000 (पाँच सीटों वाले वाहन हेतु 10 वर्ष के लिए)	सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2015 के बीच निबंधित 7,636 तिपहिया वाहनों में

[3] बेगुसराय, कटिहार, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

[4] कैमूर, नालन्दा, पूर्णिया एवं पश्चिमी चम्पारण।

			₹ 9,000 (पाँच सीटों वाले वाहन हेतु 15 वर्ष के लिए) ₹ 9,000 (सात सीटों वाले वाहन हेतु 10 वर्ष के लिए)	से 35 तिपहियो वाहनों पर एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।
	सात जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय एवं पटना	35.10	₹ 13,500 (सात सीटों वाले वाहन हेतु 15 वर्ष के लिए)	अगस्त 2014 एवं मार्च 2016 के बीच निबंधित 4,539 तिपहिया वाहनों में से 128 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था।
हल्के माल वाहकों (3000 कि0ग्रा0 तक का सकल वाहन भार)	पाँच जिला परिवहन कार्यालय,[5]	35.20	1 अप्रैल 2011 के प्रभाव से ₹ 7,700 (1,000 कि0ग्रा0 से उपर सकल वाहन भार), 1,000 कि0ग्रा0 तक तथा 3,000 कि0ग्रा0 तक सकल वाहन भार वाले वाहनों के लिए ₹ 5,500 प्रति 1,000 कि0ग्रा0	जनवरी 2012 एवं फरवरी 2016 के बीच निबंधित 4,422 हल्के माल वाहकों (3,000 कि0ग्रा0 तक का सकल वाहन भार) में से 512 वाहनों पर एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।
वैयक्तिक वाहन (हल्के मोटर वाहन)	पाँच जिला परिवहन कार्यालय,[6]	4.07	1 अप्रैल 2011 के प्रभाव से वाहन के लागत का पाँच प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2012 के प्रभाव से ₹ चार लाख तक के लागत वाले वाहनों पर छः प्रतिशत एवं चार लाख से अधिक लागत वाले वाहनों पर सात प्रतिशत	अप्रैल 2011 एवं फरवरी 2016 के बीच निबंधित 50,971 हल्के मोटर वाहनों में से 148 वाहनों पर एकमुश्त कर का कम आरोपण किया गया था।
कुल		**376.85**		**2,329 वाहन**

[5] बेगुसराय, कैमूर, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चम्पारण।
[6] कैमूर, कटिहार, रोहतास, सहरसा एवं पश्चिमी चम्पारण।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भः कंडिकाः 2.6)

मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	निबंधित परिवहन वाहनोंकी संख्या	नमूना–जाँचित वाहनों की संख्या	त्रुटिकर्त्ता वाहनों की संख्या	अवधि जिसके लिए कर जमा नहीं किया गया था	कर			अर्थदण्ड	कर की वसूली नहीं की गई
						सड़क कर	ग्रीन कर	कुल		
1.	अरवल	99	99	63	मार्च 2011 एवं जनवरी 2015 के बीच	1687601	3160	1690761	3381522	5072283
2.	औरंगाबाद	1698	285	96	दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2015 के बीच	892877	26123	919000	1838000	2757000
3.	बाँका	263	161	18	फरवरी 2012 एवं मार्च 2015 के बीच	316272	17189	333461	666922	1000383
4.	भागलपुर	3864	385	9	फरवरी 2012 एवं मार्च 2015 के बीच	192501	0	192501	385002	577503
5.	भोजपुर	3412	180	8	जून 2013 एवं मार्च 2015 के बीच	103842	0	103842	207684	311526
6.	बक्सर	754	158	30	जनवरी 2012 एवं सितम्बर 2014 के बीच	360231	3488	363719	727438	1091157
7.	दरभंगा	3410	139	42	मई 2012 एवं जनवरी 2015 के बीच	424686	15149	439835	879670	1319505
8.	पूर्वी चम्पारण	3502	300	79	फरवरी 2013 एवं नवम्बर 2014 के बीच	845616	20185	865801	1731602	2597403
9.	गोपालगंज	1383	139	60	अप्रैल 2011 एवं अप्रैल 2015 के बीच	802496	280	802776	1605552	2408328
10.	जमुई	380	105	15	जनवरी 2012 एवं दिसम्बर 2014 के बीच	79084	3295	82379	164758	247137
11.	जहानाबाद	1121	250	21	मई 2012 एवं मार्च 2015 के बीच	261322	0	261322	522644	783966
12.	मधुबनी	298	79	26	अगस्त 2011 एवं जनवरी 2015 के बीच	278081	17599	295680	591360	887040
13.	मुजफ्फरपुर	23819	250	60	जनवरी 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच	813141	0	813141	1626282	2439423
14.	सारण (छपरा)	3849	401	38	अप्रैल 2013 एवं जुलाई 2015 के बीच	255666	1077	256743	513486	770229
15.	शेखपुरा	313	158	12	फरवरी 2013 एवं दिसम्बर 2014 के बीच	182719	0	182719	365438	548157
16.	सीतामढ़ी	543	393	64	जनवरी 2012 एवं अप्रैल 2015 के बीच	936196	50984	987180	1974360	2961540
17.	सीवान	2302	180	57	जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के बीच	825629	5971	831600	1663200	2494800
कुल		**51010**	**3662**	**698**		**9257960**	**164500**	**9422460**	**18844920**	**28267380**

परिशिष्ट-VII
(संदर्भः कंडिकाः 3.4.10)
मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की अनियमित छूट

(राशि ₹ में)

कार्यालयों का नाम	क्र. सं.	टोकन संख्या	डीड संख्या	दिनांक	डिसमिल में भूमि का क्षेत्रफल	दर प्रति डिसमल	भूमि का मूल्याकंन	आवश्यक मुद्रांक शुल्क	जमा मुद्रांक शुल्क	अंतर	आवश्यक निबंधन फीस	जमा निबंधन फीस	अंतर	आई शुल्क	कुल अंतर	लीज अवधि (वर्ष में)
जिला अवर–निबंधक सीवान	1.	9533	8965	29.06.2013	7.44	44000	327404	9822	0	9822	6548	0	6548	0	16370	30
	2.	7023	6608	16.05.2013	28.28	25000	706975	21209	0	21209	14140	0	14140	5000	40349	33
	3.	9667	9089	02.07.2013	10.04	46000	462024	13861	0	13861	9240	0	9240	0	23101	33
	4.	9802	9221	04.07.2013	10.00	60000	600000	18000	0	18000	12000	0	12000	5000	35000	33
	5.	9979	9386	08.07.2013	14.88	200000	2976000	89280	0	89280	59520	0	59520	5000	153800	33
	6.	9860	9277	05.07.2013	20.00	70000	1400000	42000	0	42000	28000	0	28000	5000	75000	33
	7.	1157	9569	12.07.2013	10.00	58800	588000	17640	0	17640	11760	0	11760	0	29400	33
	8.	7369	6935	24.05.2013	25.00	40500	1012500	30375	0	30375	20250	0	20250	0	50625	33
	9.	7367	6934	24.05.2013	25.00	40500	1012500	30375	0	30375	20250	0	20250	0	50625	33
	10.	7368	6936	24.05.2013	10.00	40500	405000	12150	0	12150	8100	0	8100	0	20250	33
	11.	6880	6480	14.05.2013	23.00	53500	1230500	36915	0	36915	24610	0	24610	5000	66525	33
	12.	10750	10116	24.07.2013	10.00	80000	800000	24000	0	24000	16000	0	16000	5000	45000	33
	13.	7712	7256	04.06.2013	10.00	39000	390000	11700	0	11700	7800	0	7800	5000	24500	33
	14.	7454	7016	27.05.2013	10.00	55775	557750	16733	0	16733	11155	0	11155	5000	32888	33
	15.	7818	7379	05.06.2013	10.05	57000	572622	17179	0	17179	11452	0	11452	0	28631	33
	16.	7997	7524	07.06.2013	7.44	41500	308802	9264	0	9264	6176	0	6176	0	15440	33
	17.	8066	7617	08.06.2013	10.00	56900	569000	17070	0	17070	11380	0	11380	0	28450	33
	18.	8181	7704	10.06.2013	22.32	138000	3080160	92405	0	92405	61603	0	61603	0	154008	33
	19.	8212	7731	10.06.2013	7.44	138000	1026720	30802	0	30802	20534	0	20534	0	51336	33

	20.	8719	8206	17.06.2013	10.00	46000	460000	13800	0	13800	9200	0	9200	0	23000	33
	21.	9195	865	26.06.2013	10.23	12000	122784	3684	0	3684	2456	0	2456	5000	11139	33
	22.	9445	8882	28.06.2013	10.05	52300	525406	15762	0	15762	10508	0	10508	0	26270	33
	कुल				**301.17**		**19134147**	**574026**	**0**	**574026**	**382682**	**0**	**382682**	**45000**	**1001707**	
अवर– निबंधक दानापुर	23.	7147	6829	12.06.2013	10.00	55000	550000	16500	1000	15500	11000	250	10750	0	26250	33
	24.	5916	5649	11.05.2013	10.00	200000	2000000	60000	1000	59000	40000	0	40000	0	99000	33
	25.	6576	6292	15.05.2013	10.00	170000	1700000	51000	1000	50000	34000	0	34000	0	84000	33
	26.	5642	5394	08.05.2013	10.00	52000	520000	15600	1000	14600	10400	250	10150	0	24750	33
	27.	5638	5393	08.05.2013	10.00	35000	350000	10500	1000	9500	7000	250	6750	0	16250	33
	28.	5690	5441	09.05.2013	10.00	70000	700000	21000	1000	20000	14000	0	14000	0	34000	33
	29.	5669	5425	09.05.2013	10.00	98000	980000	29400	1000	28400	19600	0	19600	0	48000	33
	30.	5646	5395	08.05.2013	10.00	98000	980000	29400	1000	28400	19600	250	19350	0	47750	33
	कुल				**80.00**		**7780000**	**233400**	**8000**	**225400**	**155600**	**1000**	**154600**	**0**	**380000**	
अवर– निबंधक पटना सिटी	31.	3765	4295	20.05.2013	10.94	60000	656250	19688	0	19688	13125	0	13125	0	32813	33
	32.	3887	3863	13.05.2013	10.00	250000	2500000	75000	0	75000	50000	0	50000	0	125000	33
	33.	4483	4406	03.06.2013	10.00	100000	1000000	30000	0	30000	20000	0	20000	0	50000	33
	कुल				**30.94**		**4156250**	**124688**	**0**	**124688**	**83125**	**0**	**83125**	**0**	**207813**	
कुल योग					**412.11**		**31070397**	**932114**	**8000**	**924114**	**621407**	**1000**	**620407**	**45000**	**1589520**	

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भः कंडिकाः 3.4.10)

मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस में अनियमित छूट

(राशि ₹ में)

कार्यालयों का नाम	क्र.सं.	टोकन संख्या	डीड संख्या	दिनांक	थाना सं0/ वार्ड सं0	क्षेत्रफल वर्ग फीट में	डिसमल में भूमि का क्षेत्रफल	दर प्रति डिसमिल	भूमि का मूल्यांकन	आवश्यक मुद्रांक शुल्क	जमा मुद्रांक शुल्क	अंतर	आवश्यक निबंधन फीस	जमा निबंधन फीस	अंतर	कुल अंतर	अवधि (वर्ष में)
जिला अवर–निबंधक मुजफ्फर पुर	1.	17659	16161	20.05.2013	281/49	6570	15	550000	8211500	246345	0	246345	164230	0	164230	410575	90
	2.	18902	17362	05.06.2013	281/49	55000	126	550000	69410000	2082300	0	2082300	1388200	0	1388200	3470500	90
	3.	21542	19902	29.06.2013	280	21780	50	250000	12375000	371250	0	371250	247500	0	247500	618750	90
	4.	22376	20686	06.07.2013	411/49	3000	7	550000	3745500	112365	0	112365	74910	0	74910	187275	90
	5.	22888	21199	11.07.2013	411/49	3000	7	550000	3745500	112365	0	112365	74910	0	74910	187275	90
	6.	26910	25074	29.08.2013	281/49	43560	99	550000	54450000	1633500	0	1633500	544500	0	544500	2178000	90
	7.	26916	25072	29.08.2013	281/49	23068	52	550000	28831000	864930	0	864930	288310	0	288310	1153240	90
	8.	26900	25075	29.08.2013	281/49	13603	31	550000	16995000	509850	0	509850	169950	0	169950	679800	90
	9.	29047	27083	27.09.2013	281/49	500	1	550000	627000	18810	0	18810	6270	0	6270	25080	90
	10.	35161	32697	17.12.2013	281/49	1440	3	550000	1815000	54450	0	54450	18150	0	18150	72600	90
	11.	35163	32698	17.12.2013	281/49	2064	5	550000	2601500	78045	0	78045	26015	0	26015	104060	90
	12.	35161	32697	1712.2013	281/49	1440	3	550000	1815000	54450	0	54450	18150	0	18150	72600	90
	13.	17206	16498	07.08.2014	281/49	87120	200	550000	110000000	3300000	0	3300000	1100000	0	1100000	4400000	90
	14.	20616	19723	25.09.2014	281/49	65340	150	550000	82500000	2475000	0	2475000	825000	0	825000	3300000	90
	15.	15059	14141	08.07.2014	281/49	43560	100	550000	55000000	1650000	0	1650000	550000	0	550000	2200000	90
	16.	16471	15757	28.07.2014	279	43560	100	250000	25000000	750000	0	750000	250000	0	250000	1000000	90
	17.	18771	17983	28.08.2014	280	10890	25	250000	6250000	187500	0	187500	62500	0	62500	250000	90
	18.	1935	2256	06.02.2014	411, 281/49	16335	38	550000	20625000	618750	0	618750	206250	0	206250	825000	90
	19.	2789	2677	12.02.2014	281/49	43560	100	550000	55000000	1650000	0	1650000	550000	0	550000	2200000	90

	20.	1939	2255	06.02.2014	411, 281/49	65340	150	550000	82500000	2475000	0	2475000	825000	0	825000	3300000	90
	21.	1944	2254	06.02.2014	281/49	6098	14	550000	7700000	231000	0	231000	77000	0	77000	308000	90
	22.	2052	1962	03.02.2014	279	43560	100	250000	25000000	750000	0	750000	250000	0	250000	1000000	90
	23.	2035	1961	03.02.2014	279	43560	100	250000	25000000	750000	0	750000	250000	0	250000	1000000	90
	24.	2037	1960	03.02.2014	279	2160	5	250000	1237500	37125	0	37125	12375	0	12375	49500	90
	25.	3507	3323	20.02.2014	281/49	5000	11	600000	6882000	206460	0	206460	68820	0	68820	275280	90
	26.	4610	4398	05.03.2014	281/49	21780	50	550000	27500000	825000	0	825000	275000	0	275000	1100000	90
	27.	6861	6424	27.03.2014	281/49	82868	190	550000	104626500	3138795	0	3138795	1046265	0	1046265	4185060	90
	28.	7185	6676	28.03.2014	280	88940	204	250000	51042500	1531275	0	1531275	510425	0	510425	2041700	90
	29.	8782	8205	15.04.2014	280	10890	25	250000	6250000	187500	0	187500	62500	0	62500	250000	90
	30.	8177	7621	03.04.2014	279	43560	100	250000	25000000	750000	0	750000	250000	0	250000	1000000	90
	31.	9939	9340	02.05.2014	281/49	3371	8	550000	4251500	127545	0	127545	42515	0	42515	170060	90
	32.	9945	9339	02.05.2014	281/49	21780	50	550000	27500000	825000	0	825000	275000	0	275000	1100000	90
	33.	332	358	09.01.2015	281/49	43560	100	500000	50000000	1500000	0	1500000	500000	0	500000	2000000	90
	34.	8769	8284	19.03.2013	281/49	5445	13	302500	3781250	113438	0	113438	75625	0	75625	189063	90
	35.	7592	7140	11.03.2013	281/49	43560	100	302500	30250000	907500	0	907500	605000	0	605000	1512500	90
	36.	7593	7139	11.03.2013	281/49	32670	74	302500	22460625	673819	0	673819	449213	0	449213	1123031	90
कुल							**2406**		**1059978875**	**31799367**	**0**	**31799367**	**12139583**	**0**	**12139583**	**43938949**	
जिला अवर–निबंधक भागलपुर	37.	13693	12859	15.11.2014		5000	11	500000	5740000	172200	0	172200	57400	0	57400	229600	90
	38.	6429	6106	21.05.2014		5000	11	500000	5740000	172200	0	172200	57400	0	57400	229600	90
	39.	8687	8251	03.07.2014		10000	23	500000	11480000	344400	0	344400	114800	0	114800	459200	90
	40.	8695	8252	03.07.2014		5000	11	500000	5740000	172200	0	172200	57400	0	57400	229600	90
	41.	9620	9110	22.07.2014		10000	23	500000	11480000	344400	0	344400	114800	0	114800	459200	90

	42.	6289	5972	19.05.2014		5000	11	500000	5740000	172200	0	172200	57400	0	57400	229600	90
	43.	532	483	18.01.2014		5000	11	500000	5740000	172200	0	172200	57400	0	57400	229600	90
	44.	4301	4038	31.03.2014		43560	100	500000	50000000	1500000	0	1500000	500000	0	500000	2000000	90
कुल							**201**		**101660000**	**3049800**	**0**	**3049800**	**1016600**	**0**	**1016600**	**4066400**	
अवर– निबंधक पटना सिटी	45.	1779	1716	12.03.2015			53	405000	21515625	193640	0	193640	64546	0	64546	258186	21
	46.	3292	3191	28.04.2015			17	495000	8518950	255568	0	255568	85189	0	85189	340757	90
	47.	3829	3692	15.05.2015			30	1170000	35100000	315900	0	315900	105300	0	105300	421200	25
	48.	3879	3773	18.05.2015			11	720000	8265600	74390	0	74390	24796	0	24796	99186	11
	49.	4488	4376	05.06.2015			16	720000	11376000	341280	0	341280	113760	0	113760	455040	30
	50.	4667	4551	10.06.2015			21	544500	11374605	341250	0	341250	113750	0	113750	455000	72
	51.	13	13	02.01.2014			43	550000	23375000	701250	0	701250	233750	0	233750	935000	69
	52.	172	153	10.01.2014			17	550000	9469350	280090	0	280090	94696	0	94696	374786	90
	53.	5285	5170	19.06.2014			23	100000	2296000	68870	0	68870	22956	0	22956	91826	75
	54.	5343	5225	21.06.2014			17	550000	9471000	284190	0	284190	94710	0	94710	378900	90
	55.	7357	7245	17.09.2014			41	200000	8200000	246000	0	246000	82000	0	82000	328000	60
	56.	7360	7246	17.09.2014			19	200000	3800000	114000	0	114000	38000	0	38000	152000	60
	57.	7678	7520	29.04.2014			19	125000	2401250	72037	0	72037	24012	0	24012	96049	30
	58.	9965	9765	31.12.2014			25	544500	13748625	412458	0	412458	137486	0	137486	549944	90
कुल							**352**		**168912005**	**3700923**	**0**	**3700923**	**1234951**	**0**	**1234951**	**4935874**	
जिला अवर– निबंधक बिहार शरीफ	59.	4603	4477	28.04.2014	23		11	525000	6026160	180785	0	180785	120523	0	120523	301308	90
	60.	11525	11263	25.07.2013	23		7	525000	3612000	108360	0	108360	72240	0	72240	180600	90
	61.	11524	11264	25.07.2013	23		8	525000	3974250	119228	0	119228	79485	0	79485	198713	90
	62.	11113	10853	17.07.2013	23		7	525000	3612000	108360	0	108360	72240	0	72240	180600	90
	63.	112505	11170	17.11.2014	23		6	525000	3013080	90392	30000	60392	30131	10000	20131	80523	90
कुल							**39**		**20237490**	**607125**	**30000**	**577125**	**374619**	**10000**	**364619**	**941744**	

अवर–निबंधक विक्रम	64.	337	324	20.01.2014	164		52	300000	15600000	140400	0	140400	46800	0	46800	187200	16
कुल							**52**		**15600000**	**140400**	**0**	**140400**	**46800**	**0**	**46800**	**187200**	
जिला अवर–निबंधक गया	65.	5065	4842	28.03.2014		9500	22	99966	2180258	65407	0	65407	21802	0	21802	87209	90
कुल							**22**		**2180258**	**65407**	**0**	**65407**	**21802**	**0**	**21802**	**87209**	
कुल							**3072**		**1368568628**	**39363022**	**30000**	**39333022**	**14834355**	**10000**	**14824355**	**54157375**	

परिशिष्ट-IX

(संदर्भः कंडिकाः 3.4.11.1)

खनन पट्टों में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	टोकन संख्या	डीड संख्या	दिनांक	लीज की अवधि (वर्ष में)	लीज क्षेत्रफल (एकड़ में)	नीलामी की राशि (₹ करोड़ में)	आवश्यक मुद्रांक शुल्क	सुरक्षा जमा (₹ करोड़ में)	सुरक्षा जमा पर आवश्यक मुद्रांक शुल्क (3 प्रतिशत)	कुल आवश्यक मुद्राक शुल्क	दिया गया मुद्रांक शुल्क	कम मुद्रांक शुल्क	आवश्यक निबंधन फीस	दिया गया निबंधन फीस	कम निबंधन फीस	कुल कम राजस्व
1.	3740	3569	22.02.2016	5	12.5	26.11	15666000	2.611	783000	16449300	15666100	783200	5222000	5222100	0	783200
2.	4268	4092	02.03.2016	5	12.5	42.21	25326000	4.221	1266300	26592300	1267300	25325000	8442000	423100	8018900	33343900
3.	4371	4197	04.03.2016	5	12.5	51	30600000	5.1	1530000	32130000	1531000	30599000	10200000	510000	9690000	40289000
4.	4565	4361	08.03.2016	5	12.5	40.03	24018000	4.003	1200900	25218900	1201900	24017000	8006000	400300	7605700	31622700
5.	4631	4426	09.03.2016	5	12.5	50.6	30360000	5.06	1518000	31878000	1518000	30360000	10120000	506000	9614000	39974000
6.	4710	4478	10.03.2016	5	12.5	18.5	11100000	1.85	555000	11655000	1101100	10553900	3700000	371045	3328955	13882855
कुल					**75**	**228.45**	**137070000**	**22.845**	**6853200**	**143923500**	**22285400**	**121638100**	**45690000**	**7432545**	**38257555**	**159895655**

परिशिष्ट-X
(संदर्भः कंडिकाः 4.4.11.2)
स्वीकृत कर के बकायों का न तो भुगतान किया गया न ही माँग की गई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	वर्ष	अधिनियम	भुगतेय कर	दिया गया कर	कम भुगतान	ब्याज (लेखापरीक्षा की तिथि तक गणना किया गया)	कुल
1.	भभुआ	सुधाकर राईस मिल/ 10180210044	2011-12	वैट	165532	0	165532	86904	252436
		श्री ओम शान्ति ईन्टरप्राईजेज/ 10185006022	2013-14	वैट	709328	424000	285328	94158	379486
2.	भागलपुर	मे0 आशियाना/10527215026	2013-14	वैट	1391619	903514	488105	175717	663822
		विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/10520423091	2013-14	वैट	2610972	2452627	158345	52253	210598
		यूटिलिटी पावरटेक लि0/ 10521427041	2013-14	वैट	365762	73170	292592	105333	397925
		एन0टी0पी0सी लि0/ 10521193271	2013-14	ईटी	1952204613	1950488895	1715718	0	1715718
		ए0बी0 सन्स एंड ऑटोमोटिव्स/ 10521731039	2013-14	वैट	20006037	19760847	245190	80912	326102
3.	दानापुर	मे0 एस0के0 ईण्टरप्राइजेज/ 10041447082	2012-13	वैट	8342310	5819500	2522810	1059580	3582390
			2013-14	वैट	7891292	5841000	2050292	492070	2542362
		मे0 एस0आर0 ईण्टरप्राइजेज/ 10044914074	2013-14	वैट	6271508	5543573	727935	174704	902639
		दुर्गा सिरामिक/10043121012	2013-14	वैट	2791479	2462540	328939	81412	410351
			2014-15	वैट	2664788	2046028	618770	120660	739430
		मे0 मार्बल बिहार/10041416042	2013-14	वैट	2950680	2229484	721196	183905	905101

		ऊर्जा ऑटोमोबाईल्स प्रा0लि0 / 10045698002	2014-15	वैट	4929031	1667312	3261719	636035	3897754
		मे0 प्रियदर्शी मोटर्स प्रा0लि0 / 10041941059	2011-12	वैट	80827235	79567557	1259678	245637	1505315
		बीएस मार्बल / 10044576012	2014-15	वैट	2665641	2140000	525641	102500	628141
		मयेल एवं फ्रेसर प्रा0लि0 / 10043366038	2014-15	वैट	7137647	6924005	213642	41660	255302
		कार्ल्सबर्ग इंडिया प्रा0लि0 / 100441695242	2014-15	ईटी	7078351	4818932	2259419	0	2259419
		माँ लक्ष्मी ईन्टरप्राईजेज / 10041096039	2014-15	वैट	3372215	2959775	412440	80426	492866
4.	दरभंगा	मे0 महालक्ष्मी स्टोर / 10383812074	2013-14	वैट	2637211	2250000	387211	133588	520799
		भवानी इन्फ्रा मटेरियल्स प्रा0 लि0 / /10387410017	2013-14	वैट	1471737	1130046	341691	117883	459574
5.	गया	जय माँ काली ऐजन्सी / 10210117082	2014-15	वैट	2302306	1238412	1063894	191500	1255394
		जुगनू ट्रेडिंग कम्पनी / 10200544057	2014-15	वैट	1031664	741076	290588	52305	342893
		दया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0 / 10200373046	2014-15	वैट	28608789	26818138	1790651	322317	2112968
		बृजनंदन ऑटोमोबाइल्स प्रा0 लि0 / 10206294070	2014-15	वैट	8650168	6057613	2592555	466659	3059214
		रामनंदी ऑटोमोबाइल्स / 10201599029	2014-15	वैट	41977371	40786721	1190650	214317	1404967
6.	हाजीपुर	राज ट्रेडर्स / 10294112017	2014-15	वैट	555405	0	555405	99973	655378
		ओम साई कोल डिपो / 10295786083	2013-14	ईटी	456209	215000	241209	0	241209
			2014-15	वैट	191780	2724	189056	34030	223086
		सरस्वती कम्पोनेन्ट्स मोटर्स प्रा0लि0 / 10295425034	2014-15	वैट	11580038	10400000	1180038	212406	1392444

		भवानी माँ ऑटोमाबाईल्स प्रा0लि0/10295985038	2014-15	वैट	735644	267708	467936	84229	552165
		अनामिका ऑटोमोबाईल्स प्रा0लि0 / 10295232025	2014-15	वैट	19375446	18968000	407446	73340	480786
		सरस्वती कंस्ट्रक्शन कं0 / 10296203016	2014-15	वैट	210582	38369	172213	30998	203211
		माँ अम्बे ट्रेडिंग / 10294355061	2014-15	वैट	18409718	18222166	187552	33759	221311
		न्यू राजेश ऐजन्सी / 10290404081	2014-15	वैट	9933270	9757119	176151	31707	207858
		एएफपी मेनुफैक्चरिंग कं0 प्रा0लि0 / 10294965003	2014-15	ईटी	1077883	588300	489583	0	489583
		स्वदेश प्लास्ट प्रा0लि0 / 10294424022	2014-15	ईटी	2401035	2174457	226578	0	226578
		परफेक्ट सेल्स एंड सर्विसेज / 10295051005	2014-15	ईटी	1530244	1308004	222240	0	222240
7.	किशनगंज	मे0 ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि0 / 10471657293	2012-13	वैट	25970708	22396165	3574543	0	3574543
		मे0 महावीर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज / 10470646086	2014-15	सीएसटी	212855	7000	205855	43229	249084
8.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 सत्यम ऑटोमोबाइल / 10306622093	2013-14	वैट	9170251	8402887	767364	253230	1020594
		मे0 आदित्य ईन्टरप्राईजेज / 10309518057	2013-14	वैट	2474258	1269960	1204298	379353	1583651
		मीमंसा एक्जिम सेल्स प्रा0लि0 / 10308143016	2013-14	वैट	1652694	927800	724894	228341	953235
		तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 / 10300521084	2013-14	ईटी	6904734	4074541	2830193	0	2830193
9.	पटना विशेष	मे0 आईभीआरसीएल लि0 / 10010565095	2013-14	ईटी	2191809	1245685	946124	0	946124

		मे0 डेल्को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि0 / 10010968086	2013-14	ईटी	531216	0	531216	0	531216
		मे0 स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लि0 / 10010060016	2013-14	वैट	211429797	210532961	896836	282503	1179339
		मे0 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 / 10011254034	2013-14	वैट	2291017	1020741	1270276	400137	1670413
		मे0 एचआईएल लि0 / 10010202024	2013-14	वैट	58697250	56697256	1999994	629998	2629992
		मे0 टाईड वाटर कं0 इंडिया लि0 / 10010205031	2013-14	वैट	83767566	82001556	1766010	529803	2295813
		मे0 एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लि0 / 10010909035	2013-14	सीएसटी	3080477	5500	3074977	968618	4043595
		मे0 लक्स इंडस्ट्रीज लि0 / 10011127084	2013-14	वैट	23311098	19030018	4281080	1284324	5565404
		मे0 राज रसोई / 10010496031	2013-14	वैट	1864746	1680510	184236	55271	239507
		मे0 ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्रा0लि0 / 10010865043	2013-14	वैट	22505471	21954230	551241	173641	724882
		मे0 कैडिला हेल्थ केयर लि0 / 10010456067	2013-14	वैट	37401904	34688538	2713366	854710	3568076
		मे0 कैडिला हेल्थ केयर लि0 / 10010455097	2013-14	वैट	36249289	35743373	505916	159364	665280
		मे0 एसबीपीडीसी लि0 / 10010050306	2013-14	ईडी	1121834556	901000000	220834556	0	220834556
		मे0 एनबीपीडीसी लि0 / 10010931231	2013-14	ईटी	206549031	173274621	33274410	0	33274410
		मे0 एनबीपीडीसी लि0 / 10010051394	2013-14	ईडी	499093387	456901750	42191637	0	42191637

		मे0 क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि0 / 10010003077	2013-14	ईटी	16600475	12234142	4366333	0	4366333
		मे0 आदानी विल्मर लि0 / 10010318036	2013-14	ईटी	4495988	3972784	523204	0	523204
		मे0 एसीसी लि0 / 10010002010	2011-12	ईटी	697912435	693436551	4475884	0	4475884
10.	पटना दक्षिणी	मे0 टॉर्क फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0 / 10129027014	2013-14	वैट	17274405	8298969	8975436	2961894	11937330
		मे0 गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग लि0 / 10120694045	2013-14	वैट	6011664	3399061	2612603	979726	3592329
		मे0 नेशनल ड्रग एजेन्सिज / 10590153049	2013-14	वैट	12606856	10080180	2526676	833803	3360479
		मे0 सिहं मोटर कार प्रा0लि0 / 10126082038	2013-14	वैट	10018386	8146671	1871715	617666	2489381
		मे0 उज्जवल आयरन एवं सीमेंट स्टोर / 10123850037	2013-14	वैट	1557577	570000	987577	340714	1328291
		मे0 उज्जवल मार्बल ग्रेनाईट सेनेट्री हाउस / 10125125018	2013-14	वैट	2489716	1552371	937345	309324	1246669
		मे0 एसआर अग्रवाल एवं कम्पनी / 10120367058	2013-14	वैट	1701641	1350807	350834	115775	466609
		मे0 के0आर0 स्टील ट्रेडर्स / 10120313029	2013-14	वैट	1190076	908650	281426	97092	378518
		मे0 साई मोटर्स / 10120578007	2013-14	वैट	5207917	4940768	267149	88159	355308
		मे0 कुन्दन ईन्टरप्राईजेज / 10121372075	2013-14	वैट	3625215	3414117	211098	69662	280760
		मे0 एशियन ईन्टरप्राईजेज / 10121365091	2013-14	वैट	712896	463936	248960	82157	331117
11.	पटना सिटी पूर्वी	मे0 स्पाईस ऑफ कुर्ग / 10062106029	2013-14	वैट	3228700	2399000	829700	248910	1078610

		मे0 लक्की ईन्टरप्राईजेज / 10062239093	2013-14	वैट	441067	20000	421067	126320	547387
		मे0 शिव डोमेस्टिक कोक प्रा0लि0 / 10060364022	2013-14	वैट	333075	0	333075	99922	432997
		मे0 एस.आर. सेल्स / 10060929047	2013-14	वैट	282983	0	282983	84894	367877
		मे0 सूर्योदय इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 / 10060224051	2013-14	सीएसटी	241978	61	241917	79832	321749
12.	पटना सिटी पश्चिमी	एसबीजी हेल्थ केयर / 10083805064	2013-14	वैट	2323233	290000	2033233	640468	2673701
		ट्रु पावर इन्टरनेशनल लि0 / 10083334035	2013-14	वैट	1878163	1495033	383130	120686	503816
		टाईगर सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रा0लि0 / 10083912071	2013-14	वैट	602027	185000	417027	131364	548391
		एसके फार्मा / 10082795036	2013-14	वैट	1287024	937652	349372	110052	459424
		मे0 एटलांटिक ल्यूब्रिकेन्ट्स स्पेशलिटिज प्रा0लि0 / 10081168097	2013-14	वैट	3087057	2809664	277393	87379	364772
		ओम इंटरप्राईजेज / 10083078011	2013-14	वैट	609771	330666	279105	87918	367023
		मे0 डिलक्स सर्जिकल / 10083913062	2013-14	वैट	282761	30500	252261	79462	331723
13.	पूर्णिया	श्री हनुमान ऐजेन्सी / 10490439033	2014-15	वैट	3212406	3031313	181093	38008	219101
14.	समस्तीपुर	मे0 ऐ के इंटरप्राईजेज / 10427839036	2013-14	वैट	3355060	3122098	232962	55910	288872
		डिप्यूटी चीफ मटेरियल मैनेजर / 1042102627	2013-14	वैट	40053156	33254828	6798328	1631599	8429927
			2013-14	सीएसटी	18250129	16642302	1607827	385878	1993705
		मे0 पशुपतिनाथ डिसट्रिब्यूटर्स प्रा0लि0 / 10427349081	2013-14	वैट	62082640	61392977	689663	165519	855182

		मे0 प्रिया मार्केटिंग एंड कं0 / 10423359071	2013-14	वैट	2335252	1882310	452942	108706	561648
		मे0 कृतिका राईस मिल प्रा0 लि0 / 10425911025	2013-14	वैट	402366	46864	355502	87986	443488
		मे0 मनपसंद बेवरेज प्रा0लि0 / 10426349060	2013-14	वैट	5419804	5148290	271514	65163	336677
		मे0 श्री नारायण टेलीसर्विसेज / 10425049023	2013-14	वैट	288913	88914	199999	47999	247998
		मे0 मो0 काजीम / 10421119050	2013-14	वैट	1325445	1050000	275445	66106	341551
		मे0 आनंद ट्रेडिंग कं0 / 10425662035	2014-15	वैट	587418	49600	537818	96807	634625
		मे0 कृषि ट्रेडर्स / 10423128017	2014-15	वैट	222932	25600	197332	35520	232852
		मे0 बिश्वनाथ शर्मा / 10422207002	2014-15	वैट	1769895	280000	1489895	268181	1758076
15.	सीतामढ़ी	मे0 अंचल इंटरप्राईजेज / 10341355077	2013-14	वैट	801700	587385	214315	70723	285038
		मे0 मनोज मशीनरी / 10341592048	2013-14	वैट	442434	145000	297434	64193	361627
		रोहित इंटरप्राईजेज / 10346835051	2013-14	वैट	238269	91000	147269	53017	200286
		सोनल कोल ट्रेडर्स / 10345627059	2013-14	वैट	299575	123489	176086	63390	239476
कुल					**5561787134**	**5158170257**	**403616887**	**23853283**	**427470170**

परिशिष्ट-XI

(संदर्भः कंडिकाः 4.4.11.3)

एरियर पर ब्याज तथा अर्थदण्ड नहीं लगाया

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल	व्यवसायी का नाम/टिन	लेखे का वर्ष	माँग पत्र की तिथि	माँग पत्र में माँग की राशि	माँग पत्र में कर एवं ब्याज	माँग पत्र में कर	माँग पत्र में रिकर्ड की गई व्यवसायी द्वारा भुगतान की तारीख	विलम्ब (माह में)	अर्थदण्ड @5 प्रतिशत (06/16 से माँग पत्र के एक माह बाद)	ब्याज @/1.5 प्रतिशत (06/16 से माँग पत्र के एक माह बाद)	कुल
1.	भभुआ	मे0 माँ मुंडेश्वरी एजेन्सी/ 10181548062	2012–13	29.11.14	392080	392078	326627	एनआर	18	352870	88189	441059
2.		मे0 जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स/10180055038	2012–13	16.07.15	99813	44470	26312	एनआर	10	22235	3947	26182
3.		मे0 जयसवाल इलेक्ट्रोनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स/10180055038	2010–11	16.07.15	127606	21869	21869	28.07.15	11	12028	3608	15636
4.		मे0 जयसवाल इलेक्ट्रोनिक एंड इलेक्ट्रिकल/10180055038	2011–12	16.07.15	234493	50317	33367	27.07.15	11	27674	5506	33180
5.		मे0 जयसवाल इलेक्ट्रोनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स/10180055038	2013–14	22.04.15	29998	19747	17277	22.05.15	13	12836	3369	16205
6.		मे0 अशोका स्मोकलेस कोल इन्डस्ट्रीज/10180452253	2012–13	20.07.15	125813	119812	96042	एनआर	10	59906	14406	74312
7.		मे0 कृष्णा इंटरप्राईजेज/ 10180077057	2010–11	03.07.15	3890560	3890460	3890460	एनआर	10	1945230	583569	2528799
8.		मे0 कृष्णा इंटरप्राईजेज/ 10180077057	2011–12	03.07.15	5948920	5943918	5943918	एनआर	10	2971959	891588	3863547
9.		मे0 कृष्णा इंटरप्राईजेज/ 10180077057	2012–13	03.07.15	6020650	6009146	6009146	एनआर	10	3004573	901372	3905945
10.		मे0 कृष्णा इंटरप्राईजेज/ 10180077057	2013–14	03.07.15	6141139	6138083	6138083	एनआर	10	3069042	920712	3989754

11.		मे0 अशोका सीमेंट स्टोर/ 10180249038	2010–11	13.08.15	1375583	7329749	7329749	13.09.15	9	3298387	989516	4287903
12.		मे0 अशोका सीमेंट स्टोर/ 10180249038	2012–13	13.08.15	2136566	2021316	2021316	13.09.15	9	909592	272878	1182470
13.		मे0 रवि ट्रेडर्स/1018084059	2014–15	21.12.15	72598	72598	72598	30.12.15	6	21779	6534	28313
14.		मे0 मानसी मिनी राईस मिल/ /10182548035	2014–15	31.12.15	65013	64313	56670	31.01.16	5	16078	4250	20329
15.		मे0 केशरी ट्रेडिंग को0/ 10180767018	2014–15	31.12.15	34777	34027	29980	31.01..16	5	8507	2249	10755
16.		मे0 अंजली ट्रेडर्स/10181818013	2014–15	31.12.15	297861	295611	295611	31.01.16	5	73903	22171	96074
17.		मे0 अमित सोल्भेक्स/10182735291 (ईटी)	2012–13	23.08.14	327112	327112	327112	22.09.14	21	343468	103040	446508
18.		मे0 माँ दुर्गे इंडेन/10180835015	2008–09	29.05.12	112437	2262	2262	15.06.12	48	5429	1629	7057
19.	भागलपुर	गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लि0 10525467044	2012–13	09.05.15	4416213	1117928	1099428	09.06.15	12	670757	197897	868654
20.		यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0/10528252005	2012–13	25.05.15	460884	472034	460884	24.06.15	12	283220	82959	366180
21.	दानापुर	तिरूपति इन्टरप्राईजेज/ 10041591030	2010–11	19.01.15	5333759	5333759	3242406	एनआर	16	4267007	778177	5045185
22.		श्री गजानन इन्टरप्राईजेज/ 10042952078	2010–11	12.11.13	2930640	0	0	एनआर	30	0	0	0
23.		श्री गजानन इन्टरप्राईजेज/ / 10042952078	2010–11	12.11.13	1447073	1447073	977752	एनआर	30	2170610	439988	2610598
24.		श्री गजानन इन्टरप्राईजेज/ 10042952078	2011–12	23.11.13	28586174	0	0	25.11.14	19	0	0	0
25.		श्री गजानन इन्टरप्राईजेज/ 10042952078	2011–12	23.11.13	6282675	6282675	2882565	25.11.14	19	5968541	821531	6790072

26.		प्रियदर्शी मोटर्स प्रा0लि0 / /10041941059	2011–12	15.07.14	6838735	6838735	2508013	31.07.14	23	7864545	865264	8729810
27.		प्रियदर्शी मोटर्स प्रा0लि0 / 10041941059	2012–13	02.05.15	70495246	20792369	16567625	25.07.15	10	10396185	2485144	12881328
28.		प्रियदर्शी मोटर्स प्रा0लि0 / 10041941059	2014–15	10.03.15	3854751	0	0	एनआर	14	0	0	0
29.		प्रियदर्शी मोटर्स प्रा0लि0 / 10041941059	2014–15	05.08.14	18442219	0	0	08.09.14	21	0	0	0
30.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2009–10	06.11.13	810380	810380	533675	30.11.13	30	1215570	240154	1455724
31.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2010–11	23.01.16	1185106	0	0	30.01.16	5	0	0	0
32.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2010–11	23.01.15	35691	35691	0	30.01.15	17	30337	0	30337
33.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2011–12	03.12.14	2770256	2720256	1767824	24.12.14	17	2312218	450795	2763013
34.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2011.12	23.01.15	32453	32453	0	30.01.15	16	25962	0	25962
35.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2012–13	03.12.14	3499644	3449644	2528310	24.12.14	17	2932197	644719	3576916
36.		एसके इन्टरप्राईजेज / 10041447082	2013–14	23.01.16	2050291	0	0	30.01.16	5	0	0	0
37.		डायनमिक इन्टरप्राईजेज / 10044007089	2012–13	27.09.13	10768193	10768193	9560916	03.02.14	28	15075470	4015585	19091055
38.		जेएमडी एलॉयज लि0 / डीएन–337(सी)	2001–02	16.04.06	12546455	12546455	12546455	30.04.06	121	75906053	22771816	98677869
39.		प्रियदर्शी पूर्णानद ऑटोमोबाईल्स / 10041982078	2010–11	17.01.15	692126	692126	692126	15.02.15	16	553701	166110	719811
40.		एक्वा सॉफ्टेक प्रा0लि0 / 10041343098	2009–10	27.12.13	411257	411257	287059	31.01.14	29	596323	124871	721193

41.		मॉलसन कूर्स कोबरा इंडिया प्रा0 लि0 10040518016	2012–13	26.03.16	9435146	9435146	9435146	26.04.16	2	943515	283054	1226569
42.	गया	नंदन फिल्म प्रा0 लि0 / 10202104011	2011–12	26.06.15	5100117	1707577	1130846	22.07.15	11	939167	186590	1125757
43.		नंदन फिल्म प्रा0 लि0 / 10202104011	2011–12	26.06.15	1980907	1921874	1776470	22.07.15	11	1057031	293118	1350148
44.	किशनगंज	बजरंगवली एग्रोटेक प्रा0लि0 / लि0/10471242151	2011–12	01.09.14	7500	0	0	एनआर	21	0	0	0
45.		बजरंगवली एग्रोटेक प्रा0लि0 / 10471242151	2011–12	01.09.14	9020	0	1520	एनआर	21	0	479	479
46.		बजरंगवली एग्रोटेक प्रा0लि0 / 10471242151	2011–12	01.09.14	14942	0	7442	एनआर	21	0	2344	2344
47.		आयशा एक्सपोर्ट / 10470382149	2012–13	18.05.15	792186	791436	513170	एनआर	12	474862	92371	567232
48.		अरिहंत सनिटेशन एवं मार्बल / 10470597198	2012.13	05.06.14	70241	70241	70241	एनआर	24	84289	25287	109576
49.		अरिहंत सनिटेशन एवं मार्बल / 10470597198	2012–13	23.05.14	5942	0	0	एनआर	25	0	0	0
50.		इन्सटालाशियोन्स इनावान्सा / 10471721002	2012–13	01.09.15	18443060	5084547	5084547	एनआर	9	2288046	686414	2974460
51.		इन्सटालाशियोन्स इनावान्सा / 10471721002	2011–12	28.07.15	1459799	1459799	1459799	एनआर	10	729900	218970	948869
52.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	साई सेल्स & सर्विसेज / 10306077244	2007–08	15.03.10	1915369	1853869	1404142	एनआर	74	6859315	1558598	8417913
53.		साई सेल्स & सर्विसेज / 10306077244	2007–08	15.03.10	2830034	2830033	2019788	एनआर	74	10471122	2241965	12713087
54.		साई सेल्स एंड सर्विसेज / 10306077244	2010–11	12.03.14	18022388	5578851	4147845	एनआर	26	7252506	1617660	8870166
55.		साई सेल्स एंड सर्विसेज / 10306077244	2011–12	20.05.15	1100451	1100451	736088	एनआर	12	660271	132496	792766

56.		साई सेल्स एंड सर्विसेज / 10306077244	2009–10	12.03.14	23709803	8651178	5019541	एनआर	26	11246531	1957621	13204152
57.	पटना सिटी पश्चिमी	पूजा इस्पात ट्रेडिंग प्रा0लि0 / 10082475206	2010–11	13.07.15	3079606	3079606	3079606	एनआर	10	1539803	461941	2001744
58.		सिंह सर्विसेज / 10080247082	2010–11	24.04.15	95473158	95473158	95473158	एनआर	13	62057553	18617266	80674819
59.		सत्गुरू एजेन्सीज / 10082723005	2011–12	03.08.15	991495	344867	215542	एनआर	9	155190	29098	184288
60.		सम्राट ऑटोमाबाइल्स / 10082041097	2010.–1	24.04.15	1921050	1921050	1413264	एनआर	13	1248683	275586	1524269
61.		स्मार्ट ऑटोमोबाइल्स / 10082041097	2011.–2	22.07.14	2494395	2444395	1880304	एनआर	22	2688835	620500	3309335
62.	पटना दक्षिणी	मे0 आरके इन्टरप्राईजेज / 10125704095	2009–10	03.10.13	8245134	3992072	3835161	एनआर	31	6187712	1783350	7971061
63.		मे0 केके इन्टरप्राईजेज / 10122417056	2010–11	26.05.15	6286247	6233997	6228997	एनआर	12	3740398	1121219	4861618
64.		जय एस टेक्नोलॉजी / 10129667074	2012–13	25.11.15	9716850	9716850	9716850	एनआर	6	2915055	874517	3789572
65.		सिंह बजाज ऑटो प्रा0लि0 / 10125076020	2009–10	03.01.13	5861068	1949342	1303908	एनआर	40	3898684	782345	4681029
66.		सिंह बजाज ऑटो प्रा0लि0 / 10125076020	2010–11	14.03.12	6083990	1753605	1445128	एनआर	50	4384013	1083846	5467859
67.		शिवम सेल्स / 10122550043	2008–09	26.05.15	1204446	1204446	579060	15.06.15	12	722668	104231	826898
68.		होटल औरेंज / 10121779062	2012–13	29.10.15	681240	231081	150053	28.11.15	7	80878	15756	96634
69.		होटल औरेंज / 10121779062	2013–14	29.10.15	5306525	1655246	1217093	28.1115	7	579336	127795	707131
70.		कौशल्या ईस्टेट प्रा0लि0 / 10126239080	2010–11	29.06.15	4212979	1404326	1404326	31.07.15	11	772379	231714	1004093
71.	पूर्णिया	मे0 इस्टर्न फूड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 / 10490624012	2009–10	17.07.14	1395873	1395873	798930	एनआर	22	1535460	263647	1799107
72.		मे0 इस्टर्न फूड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 / 10490624012	2010–11	17.07.14	2499900	2499900	1595624	एनआर	22	2749890	526556	3276446

73.		मे0 इस्टर्न फूड इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 / 10490624012	2011–12	17.07.14	613435	613434	441424	एनआर	22	674777	145670	820447
74.		मे0 सीमांचल मोटर्स प्रा0लि0 / 10496293079	2012–13	08.08.14	243535	243535	198804	एनआर	21	255712	62623	318335
75.		मे0 सीमांचल मोटर्स प्रा0लि0 / 10496293079	2013–14	08.08.14	1056935	1056935	100835	एनआर	21	1109782	31763	1141545
76.		मे0 सीमांचल मोटर्स प्रा0लि0 / 10496293079	2014–15	08.08.14	284221	284221	281407	एनआर	21	298432	88643	387075
77.		गुप्ता ट्रेडर्स / 10491177009	2011–12	22.08.15	461781	159633	100715	एनआर	9	71835	13597	85431
78.		अमित इंटरप्राईजेज / 10493732042	2012–13	18.06.15	625573	195608	142988	एनआर	11	107584	23593	131177
79.		बिरला टायर / 10491665016	2012–13	05.04.16	3254556	3254556	2113348	एनआर	1	162728	31700	194428
80.		काली रौलर / 10490608007	2011–12	10.02.16	1017307	1017307	601956	एनआर	3	152596	27088	179684
81.	समस्तीपुर	पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स / / 10427349081	2014–15	19.03.16	3312115	3307115	2550120	एनआर	2	330712	76504	407215
82.		पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स / 10427349081	2013–14	11.03.16	445951	395951	301027	एनआर	2	39595	9031	48626
83.		मो0 काजिम / 10421119050	2012–13	06.01.16	7608878	7605128	7605128	एनआर	4	1521026	456308	1977333
84.		प्रिया मार्केटिग / 10423359071	2013–14	20.02.16	588825	588825	452942	एनआर	3	88324	20382	108706
85.		कृतिका राईस मिल प्रा0लि0 / 10425911025	2013–14	18.02.16	69612	69612	12657	एनआर	3	10442	570	11011
86.		मे0 काजिम / 10421119050	2013–14	18.02.16	359175	359175	0	एनआर	3	53876	0	53876
87.		मे0 मनपसंद बिवरेजेज / 10426349060	2013–14	18.02.16	352969	352969	268515	एनआर	3	52945	12083	65029
88.		त्रियान्षु ट्रेडर्स / 10427535056	2013–14	06.01.16	513441	513441	513441	एनआर	4	102688	30806	133495
89.		एस.पी. इंजीनियरिंग / 10425370044	2012–13	06.11.14	133740	133767	53739	एनआर	18	120390	14510	134900
90.		त्रिमुर्ति कर्न्सन प्रा0लि0 / 10423479254	2012.–3	07.11.14	290146	290146	150407	एनआर	18	261131	40610	301741

91.		सिनियर सेक्शन इंजीनियर (इलेक्ट्रिक) डेभलपमेन्ट इसीआर समस्तीपुर 10426290009	2014–15	18.02.16	677565	338782	338782	एनआर	3	50817	15245	66062
92.		तारा ऑटोमोबाईल्स / 10424984026	2011–12	03.08.15	714674	650874	392047	एनआर	9	292893	52926	345820
93.		तारा ऑटोमोबाइल्स / 10424984026	2012–13	03.08.15	852324	788003	493956	एनआर	9	354601	66684	421285
94.		स्टार इक्यूपमेंट / 10427214035	2013–14	04.08.14	1407840	1352589	1097436	एनआर	21	1420218	345692	1765911
कुल					**476558699**	**305884338**	**269648700**			**292220388**	**76685902**	**368906289**

परिशिष्ट– XII
(संदर्भ कंडिकाः 4.4.11.7)
राजस्व के बकाये का भुगतान बिना ब्याज के किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	अधिनियम	भुगतेय कर	विलम्ब दिनों में	ब्याज लेखापरीक्षा के तारीख तक की गणना	कुल
1.	दानापुर	मे0 बालाजी मिनी स्टील री–रौलिग प्रा0लि0/ 10042455089	2014–15	वैट	7532361	12 से 317 दिन	972389	972389
		मे0 दुर्गा सेरामिक्स/10043121012	2014–15	वैट	1162700	80 से 308 दिन	120290	120290
		मे0 माँ लक्ष्मी ईन्टरप्राईजेज/10041096039	2014–15	वैट	2959775	12 से 100 दिन	101431	101431
		मे0 ख्याती मोटर्स//10042517016	2014–15	वैट	2806555	11 से 177 दिन	146456	146456
2.	गया	मे0 शिप्रा विवरेजेज प्रा0लि0/10212424077	2014–15	वैट	11398800	156 से 287 दिन	1039477	1039477
3.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 शशांक ऑटो प्रा0लि0/10308385069	2013–14	वैट	16650000	5 से 49 दिन	125425	125425
		मे0 सत्यम ऑटोमोबाईल्स/10306622093	2013–14	वैट	3076150	16 से 473 दिन	333568	333568
		मे0 बालाजी हुण्डयी ऑटो प्रा0लि0/ 10306353015	2013–14	वैट	15539041	4 से 166 दिन	249664	174108
		मे0 नारायणी ऐजेन्सी/10302934056	2013–14	वैट	14342092	7से 218 दिन	274098	274098
4.	पटना विशेष	मे0 पैन्टालून इंडिया रिटेल लि0/ 10011110069	2013–14	वैट	2000002	20 महिना	600000	600000
5.	पटना दक्षिणी	मे0 उज्जवल मार्बल ग्रेनाईट सेनेटरी हाउस/ 10125125018	2013–14	वैट	415000	513 से 589 दिन	114047	114047
		मे0 अग्रवाल ऐजेन्सी/10120317006	2013–14	वैट	7157090	9 से 657 दिन	612074	612074
		मे0 फैन्टसी सेल्स/10128085053	2013–14	वैट	3632059	5 से 283 दिन	164101	164101
		मे0 पटना मोटर्स/10125463080	2013–14	वैट	368181	22 से 11 दिन	123322	123322

6.	पटना सिटी	मे0 अनसूया ब्लेंडर्स प्रा0लि0 / 10061624002	2013–14	वैट	104278504	1 से 120 दिन	310302	310302
		मे0 बालमुकुन्द सिमेन्ट एंड रूफिंग लि0 / 10062098004	2013–14	वैट	17165490	3 से 158 दिन	298818	298818
		मे0 स्पाईसी बिवरेज प्रा0लि0 / 10062211054	2013–14	वैट	19000000	3 से 15 दिन	80000	80000
7.	समस्तीपुर	मे0 त्रिमुर्ति कन्सर्न प्रा0लि0 / 10423479060	2013–14	वैट	12217830	15 से 7 महिना 12 दिन	484092	484092
			2014–15	वैट	20491964	16 से 107 दिन	482755	482755
		मे0 प्रिंस ऑटो / 10426815037	2014.15	वैट	1626515	152 से 191 दिन	132182	132182
8	सीतामढ़ी	मे0 रिगा सुगर कं0 लि0 / 10347103064	2012-13	वैट	7563272	3 से 555 दिन	117958	117958
कुल					**271383381**		**6882449**	**6806893**

परिशिष्ट– XIII
(संदर्भ कंडिकाः 4.4.11.8)
गलत माँग सृजित किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन/वर्ष	आरोप्य कर/इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल	कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सृजित माँग	ऋण का कम निर्धारण	अभ्युक्ति
1.	दानापुर	मे0 माँ तारा ईन्टरप्राईजेज 10044007089 (वैट) 2012–13	8512359	5618157	25537077	39667593	6809887	32857706	डीलर द्वारा ₹ 17.02 करोड़ के स्टील एवं लोहा के आयात को छिपाया गया। अतः वह 5 प्रतिशत की दर से ₹ 3.97 करोड़ कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित देने का दायी है।
		मे0 डायनमिक ईन्टरप्राईजेज 10043878086 (वैट) 2012–13	9107068	5191028	27321204	41619300	शून्य	41619300	अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिए केवल माँग सृजित किया गया तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दावा को निरस्त किया जाना था और डीलर ब्याज तथा अर्थदण्ड देने का दायी है।
2.	समस्तीपुर	मे0 डिप्टी चीफ मटेरियल मनेजर (डिपोट) 10421026027 (ई.टी.) 2014–15	9624719	शून्य	9624719	19249438	9624719	9624719	निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर आरोपित किया गया परन्तु बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं कराने पर कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था हालाँकि, बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार व्यवसायी कर के समतुल्य अर्थदण्ड देने का दायी था।
कुल			**27244146**	**10809185**	**62483000**	**100536331**	**16434606**	**84101725**	

परिशिष्ट– XIV
(संदर्भ कंडिका: 4.4.11.9)
सुविधा का उपयोग करते हुये आयातित कोयला पर व्यसायियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	वास्तविक खरीद	लेखापित क्रय	छिपाव मूल्य	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल
1.	दानापुर	मे0 विकाश ब्रिक्स/10043402005	2014–15	4665420	0	4665420	233271	48987	699813	982071
2.	दरभंगा	मे0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी/10389450087	2013–14	27162181	0	27162181	1358109	468548	4074327	5900984
		मे0 राहुल ट्रेडर्स/ 10383495078	2013–14	11249138	0	11249138	562457	194048	1687371	2443876
		मे0 हरि ओम ईन्टरप्राईजेज/10381327031	2013–14	11175700	0	11175700	558785	192781	1676355	2427921
		मे0 हरि ओम ट्रेडर्स/10389024041	2013–14	6220659	0	6220659	311033	107306	933099	1351438
3.	गया	मे0 साई राम/10211848023	2014–15	12416238	0	12416238	535811	96445	1607433	2239689
		मे0 अरविंद कुमार/10207882037	2014–15	1997896	0	1997896	99894	17980	299682	417556
4.	समस्तीपुर	मे0 शेरावाली ट्रेडर्स/10428575008	2014–15	25513024	0	25513024	900651	162117	2701953	3764721
		मे0 विष्णु ब्रिक्स उद्योग/ 10428236052	2014–15	12240204	0	12240204	612010	110162	1836030	2558202
		मे0 पांडव ईन्टरप्राईजेज उद्योग/10426656013	2014–15	9242130	0	9242130	462107	83179	1386321	1931607
कुल				**121882590**	**0**	**121882590**	**5634128**	**1481553**	**16902384**	**24018065**

परिशिष्ट– XV
(संदर्भ कंडिकाः 4.6.1)
विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	वास्तविक बिक्री	बिक्री लेखापित किया गया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	कर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अन्तर जो पाया गया
1.	भभुआ	मे0 रूची सोया इंडस्ट्रीज लि0/10183396059	2013–14	खाद्य तेल/5	875433156	816501445	58931711	2946586	8839758 972373	12758717	टी.ए.आर.– IV एवं आर.टी. III
2.	पटना सिटी पूर्वी	मे0 पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0/ 10062052030	2013–14	अनुसूची–III /5	20900784	2507662	18393122	919656	2758968 331076	4009700	2013–14 प्रारंभिक मुद्रांक एवं 2012–13 का अंतिम मुद्रांक
3.	पटना विशेष	मे0 श्यामा पावर इंडिया लि0/10011056070	2013–14	अनुसूची– III/5 अनिर्दिष्ट सामग्री/13.5	129479463	94563246	34916217	3342318	10026954 1052830	14422102	आर.टी. III एवं विक्रय विवरणी
कुल					**1025813403**	**913572353**	**112241050**	**7208560**	**21625680 2356279**	**31190519**	

परिशिष्ट– XVI
(संदर्भ कंडिकाः 4.6.2)
क्रय आवर्त्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टिन	अवधि	सामग्री / दर (प्रतिशत में)	वास्तविक खरीद	बिक्री लेखापित किया गया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	कर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अन्तर जो पाया गया
1.	भभुआ	मे0 श्री राम ट्रेडर्स / 101085560080	2013–14	स्टोन चिप्स / 5	17021906	0	17021906	751095♠	2253285 247861	3252241	आर.टी. I एवं सुविधा
		मे0 माँ ताराचन्डी ट्रेडिंग कम्पनी / 10183170056	2013–14	स्टोन चिप्स / 5	3472446	0	3472446	173622	520866 57295	751783	आर.टी. I एवं सुविधा
		मे0 माँ जया ट्रेडर्स / 10185164055	2012–13	आयरन एवं स्टील / 5	26418281	0	26418281	1320914	3962742 435901	5719557	सुविधा विवरणों
			2013–14		17784776	0	17784776	889238	2667714 293448	3850400	
2.	गोपालगंज	मे0 यूनिक बाजार लि0 / 10285006022	2013–14	रेडिमेड गारमेंट / 5	33729482	19746492	13982990	699149	2097447 220232	3016828	आर.टी. I एवं सुविधा
3.	जमुई	मे0 बालाजी सीमेंट / 10540461060	2010–11	सिमेंट / 12.5 एवं 13.5	136921066	124451506	12469560	1558695	4676085 678032	6912812	आर.टी. III एवं टी.ए. आर.
			2011–12		92410752	84142517	8268235	1116212	3348636 284634	4749482	
4.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 आकाश कोल / 10309870090	2013–14	कोल / 5	20116416	0	20116416	1005821	3017463 331921	4355205	आर.टी. III एवं सुविधा
5.	पटना पश्चिमी	मे0 तनु ईन्टरनेशनल / 10143369056	2013–14	मेडिकल डिवाईस / 5	5192760	1456648	3736112	186805	560415 50437	797657	आर.टी. I एवं सुविधा

♠ ₹ एक लाख 20 मार्च 2014 को जमा किया गया था।

6.	सासाराम	मे0 अजीत कुमार सिंह/ 10247223051	2013–14	कोल/5	3768925	0	3768925	188446	565338 56534	810318	आर.टी. III एवं सुविधा
7.	सीवान	मे0 एस.के. कोल ट्रेडिंग/ 10356098088	2013–14	कोल/5	6462171	3893262	2568909	128445	385335 42386	556166	आर.टी. I एवं सुविधा
कुल					**363298981**	**233690425**	**129608556**	**8018442**	**24055326** **2698681**	**34772449**	

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ कंडिका: 4.6.3)

क्रय एवं विक्रय आँकड़ो की तिर्यक जाँच के दौरान पता लगे बिक्री आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	वास्तविक बिक्री	बिक्री लेखापित किया गया	मूल्य जिसका छिपाव किया गया	कर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अभियुक्ति
1.	दानापुर	मेसर्स अमरेन्द्र कुमार/ 100441100385	2013–14	27066868	0	27066868	1353343	4060029 324802	5738174	एक व्यवसायी द्वारा दर्शाया गया क्रय राशि का राज्य में निबंधित दूसरे व्यवसायी द्वारा दर्शायी गई विक्रय राशि के साथ तिर्यक जाँच।
2.	किशनगंज	मेसर्स शुभो इन्टरप्राईजेज/ 10472007047	2011–12	24936900	13467353	11469547	573477	1720431 301075	2594983	
			2012–13	21685639	0	21685639	949680	2849040 327640	4126360	
		मेसर्स ए.आर.के. निर्माण प्राईवेट लिमिटेड/ 10471820081	2012–13	4318539	0	4318539	215927	647781 74495	938203	
		मेसर्स के.जी.एन. सप्लाई कम्पनी/ 104719460014	2011–12	15916000	0	15916000	795800	2387400 417795	3600995	
			2012–13	2018458	0	2018458	100923	302769 34818	438510	
3.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स एसोसिएटेड इंडिया/ 10310265025	2012–13	10010280	0	10010280	474066	1422198 156442	2052706	
			2013–14	1930324	0	1930324	96516	289549 28955	415020	
4.	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स कोलोना ब्लेंडर्स एवं बॉटलर्स (आई.) प्राईवेट लिमिटेड/ 10060377020	2013–14	239024402	231407000	7617402	3808701	11426103 1199741	16434545	

5.	पटना पश्चिमी	मेसर्स जैन स्पेयर्स/ 10143516011	2012–13	8456230	0	8456230	422812	1268436 133186	1824434	
6.	समस्तीपुर	मेसर्स हसनपुर शुगर मिल्स/ 10420847062	2013–14	26475001	0	26475001	3574125	10722375 857790	15154290	
		मेसर्स त्रिमुर्ती कन्सर्न प्राईवेट लिमिटेड/ 10423479060	2013–14	120805699	114332023	6473676	323683	971049 80112	1374844	
7.	सारण	मेसर्स चितरंजन सिंह/ 10336186072	2012–13	17939981	5973254	11966727	598336	1795008 179500	2572844	
8.	सासाराम	मेसर्स इसोलक्स कोर्सन इण्डिया इंजीनियरिंग एवं कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड 10248264091	2013–14	3927064	0	3927064	196355	589065 58906	844326	
कुल				**524511385**	**365179630**	**159331755**	**13483744**	**4045123341 75257**	**58110234**	

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ कंडिका: 4.7)

कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	सामग्री	कर का आरोप्य/ आरोपित दर	राशि जिसपर दर का अंतर आरोपित किया गया	कर	ब्याज	कुल
1.	दानापुर	मेसर्स कृष्णा सॉफ्ट एक्सट्रूजन प्राईवेट लिमिटेड/ 10042312018	2010–11	थर्मोकोल, प्लेट और गिलास	12.5/4	37830130	3215561	2001686	5217247
			2011–12		13.5/5	25958634	2206484	976369	3182853
2.	कदमकुआँ पटना	मेसर्स अनुज डेयरी प्राईवेट लिमिटेड/ 10130263095	2011–12	पनीर	13.5/5	7885521	670269	321729	991998
			2012–13		13.5/5	10279908	873792	262138	1135930
3.	कटिहार	मेसर्स के.जी.एन.एम.सी. इंटरप्राईजेज/ 10455209038	2013–14	स्टोन चिप्स	13.5/5	1574720	133851	38148	171999
4.	पटना मध्य	मेसर्स हिल टॉप रेफ्रिजरेशन/ 10156439026	2013–14	हिटिंग भेंटिलेशन–सह–एयर कंडीशनिंग का संचालन एवं रख रखाव	13.5/5	88398097	7513838	2141444	9655282
5.	पटना विशेष	मेसर्स फ्यूचर वैल्यू रिटेल लिमिटेड/ 10010982057	2012–13	कला उत्पाद ब्रांडेड पनीर, दोहरी रजाई इत्यादि	13.5/5	14772975	1255703	738223	2229583
					13.5/0	1745608	235657		
		मेसर्स स्पेको बिटुमिन कम्पनी लिमिटेड/ 10011188046	2013–14	बिटुमिन इमल्शन	13.5/5	148112946	12589600	3776880	16366480
		मेसर्स दैकिन एयर कंडिशनिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 10011051018	2013–14	कॉपर पाईप्स	13.5/5	1400976	119083	35725	154808

6.	समस्तीपुर	मेसर्स मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड/ 10420605047	2010–11	सुधा मिन	4/0	8042032	321681	125455	447136
			2011–12	सुधा मिन	5/0	8846205	442310	92885	535195
			2012–13	सुधा मिन	5/0	16170088	808504	163722	972226
			2013–14	सुधा मिन	5/0	16860764	843038	202329	1045367
कुल						**416798178**	**33321784**	**11501704**	**44823488**

परिशिष्ट-XIX
(संदर्भ कंडिकाः 4.8.1)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	क्रय मूल्य जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ/अनुमति	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितता की प्रकृति
1.	बिहारशरीफ	मेसर्स शांति कन्सट्रक्शन एवं कम्पनी 10191705029	2012–13	155157114	13804286	13048662	755624	2266872 215352	3237848	कम्पाउन्डिंग व्यवसायियों से क्रयों पर आई.टी.सी. का दावा
2.	दानापुर	मेसर्स राम ट्रेडर्स 10041370064	2012–13	15898038	158981	0	158981	476943 69157	705081	आटा के क्रय पर आई.टी.सी. का दावा परंतु विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया
		मेसर्स कम्पिल्या बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड 10040906016	2013–14	9779600	1276740	25592	1251148	3753444 300275	5304867	उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर आई.टी.सी. का दावा
3.	कदमकुआँ	मेसर्स सी.डी. डिसट्रिब्यूटर्स 10132222052	2011–12	13485621	134856	34107	100749	302247 27202	430198	आटा के क्रय पर आई.टी.सी. का दावा परंतु विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया
			2012–13	15230657	152307	0	152307	456921 44550	653778	
4.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 10310825006	2013–14	8434104	418756	0	418756	1256268 131908	1806932	अनुसूची–IV के वस्तुओं के उत्पादन के मालों पर आई.टी.सी का उपयोग
5.	पटना मध्य	मेसर्स कृष्णा एजेन्सी 10150059049	2013–14	44501507	2243459	2036061	207398	शून्य 59108	266506	गलत संगणना के कारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आई.टी.सी. की अधिक अनुमति (अर्थदण्ड पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह चूक निर्धारण प्राधिकारी के स्तर हुई थी)
6.	पटना विशेष	मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड 10010066030	2013–14	919785650	46864777	46043936	820841	2462523 258565	3541929	मोटर वाहन/स्पेयर पार्ट्स पर आई.टी.सी. का लाभ

7.	सहरसा	मेसर्स जय श्री आयरन एवं स्टोर्स 10513858072	2012–13	311127143	21655999	21380156	275843	827529 99303	1202675	योजनान्तर्गत प्राप्त मालों के मूल्य आई.टी.सी. का उपयोग
8.	समस्तीपुर	मेसर्स प्रिंस ऑटो 10426815037	2013–14	3236446	397119	262855	134264	402792 32223	569279	ल्यूब्रिकेन्टस के क्रय पर आई.टी. सी का लाभ
कुल				**1496635880**	**87107280**	**82831369**	**4275911**	**12205539** **1237643**	**17719093**	

परिशिष्ट-XX
(संदर्भ कंडिका: 4.8.2)

क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच के दौरान पाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	वास्तविक क्रय/लेखापित क्रय	दावाकृत अधिक क्रय	अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1.	भभुआ	मेसर्स साकेत ईंटरप्राईजेज 10183397050	2011–12	6196405 9862203	3665798	494882	1484646	259813	2239341
2.	दानापुर	मेसर्स ग्रीन कंक्रीटेक्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड 10043345035	2012–13	508336 6531652	6023316	301166	903498	76797	1281461
			2013–14	2599007 13177889	10578882	848933	2546799	203744	3599476
3.	गाँधी मैदान	मेसर्स एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड 101111469039	2013–14	6180679 9050270	2869591	387828	1163484	110531	1661843
4.	खगड़िया	मेसर्स नवीन ईंटरप्राईजेज 10460629090	2013–14	6543510 6810280	266770	381225	1143675	120086	1644986
5.	मोतिहारी	मेसर्स अमीरलाल विष्णु प्रसाद 10270012062	2012–13	119521395 120628911	1107516	149245	447735	40296	637276
		मेसर्स श्री कृष्णा स्टोर 10277453018	2013–14	16535945 20864345	4328400	216420	649260	61680	927360
6.	पटना मध्य	मेसर्स रचना इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड 10152547002	2013–14	शून्य 38769029	38769029	1938451	5815353	552458	8306262
7.	पटना उतरी	मेसर्स मेहर फाउंडेशन एवं सिविल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड 10102606067	2012–13	शून्य 12472359	12472359	622267	1866801	168012	2657080
8.	पटना दक्षिणी	मेसर्स संजय कुमार सिंह 10121354033	2013–14	शून्य 23638020	23638020	1181901	3545703	407756	5135360
9.	पाटलीपुत्र	मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स 10050748029	2013–14	शून्य 10864945	10864945	543248	1629744	154826	2327818

10.	शाहाबाद (आरा)	मेसर्स जवाहर लाल यादव 10162137004	2013–14	255445 2783733	2528288	126412	379236	28442	534090
		मेसर्स गणेश ट्रेडर्स 10160108055	2012–13	15937715 16310921	373206	66336	199008	14926	280270
कुल				**174278437** **291764557**	**117486120**	**7258314**	**21774942**	**2199367**	**31232623**

परिशिष्ट-XXI
(संदर्भ कंडिका: 4.9.1)
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	राशि जो समायोजन के योग्य है	समायोजन लिया गया	मूल्यवर्द्धित कर का अधिक समायोजन	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ	रिकार्ड देखा गया
1.	कदमकुआँ	मेसर्स ट्यूडोर इंडिया लिमिटेड 10130362035	2012–13	5649466	6642726	993260	290529	1283789	वस्तुएँ बिक्री नहीं की गई थी परंतु वारंटी प्रतिस्थापना के रूप में उपयोगिता किया गया था	आरटी– III, टी.ए.आर. –IV, इटी–V इत्यादि
2.	पाटलीपुत्र	मेसर्स एंकर इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड 10050866034	2013–14	69783202	83533286	13750084	3918774	17668858	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था	आरटी–III, इटी–V इत्यादि
		मेसर्स ए.बी.बी. इंडिया लिमिटेड 10050285043	2013–14	1253300	1645894	392594	117778	510372	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था	आरटी– III, टी.ए.आर. –IV, इटी–V इत्यादि
3.	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स बालाजी पेपर कन्भर्टर्स 10061868037	2011–12	0	250105	250105	176324	426429	माइक्रो उद्योग के लिए प्रवेश कर वृद्धि उपलब्ध नहीं होगा	आरटी–III, सीएसटी-I इटी–V, टी.ए.आर.
			2012713	0	469117	469117	246286	715403		
			2013–14	0	800775	800775	252244	1053019		
4.	पटना विशेष	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 10010121029	2013–14	1814696531	1840419287	25722756	8102668	33825424	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था एवं वस्तुओं को अनुदानित दर पर बेचा जाना	आरटी-III, टी.ए.आर. –IV, इटी–V इत्यादि
		मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 10010116082	2013–14	2097642172	2112977008	15334836	4830473	20165309	वस्तुओं को अनुदानित दर पर बेचा जाना	आरटी–III, इटी–V इत्यादि
5.	पटना पश्चिमी	मेसर्स वेस्ट इंडिया इलेक्ट्रिकल्स 10140187068	2013–14	395064	626891	231827	64332	296159	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था	आरटी–III, इटी–V इत्यादि
		मेसर्स हर्ष इलेक्ट्रिकल्स 10140822030	2013–14	680240	907598	227358	64797	292155	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था	आरटी–III, इटी–V इत्यादि
कुल				**3990099975**	**4048272687**	**58172712**	**18064205**	**76236917**		

परिशिष्ट-XXII
(संदर्भ कंडिका: 4.9.2)
केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	समायोजन योग्य मूल्य	केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत समायोजन	केन्द्रीय बिक्री कर से अधिक समायोजन	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ	रिकार्ड देखा गया
1.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स मल्होत्रा इंजीनियरिंग वर्क्स 10310592012	2012–13	शून्य	3772876	3772876	1188456	4961332	केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से प्रवेश कर का समायोजन जो कि अनुश्रेय नहीं था	आरटी–V, व्यवसायी का विवरण, भुगतान विवरण
2.	पटना मध्य	मेसर्स स्पीडक्राफ्ट्स लिमिटेड 10157235047	2013–14	शून्य	1705618	1705618	486101	2191719	केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से प्रवेश कर का समायोजन जो कि अनुश्रेय नहीं था	आरटी–III, इटी–V, टी. ए.आर.-IV, भुगतान विवरण
3.	पटना पश्चिमी	मेसर्स कृष पोली पैक प्राईवेट लिमिटेड 10144528012	2013–14	शून्य	434563	434563	117332	551895	केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से प्रवेश कर का समायोजन जो कि अनुश्रेय नहीं था	आरटी–III, इटी–V, टी. ए.आर.-IV, भुगतान विवरण, केन्द्रीय बिक्री कर वार्षिक रिटर्न
कुल					**5913057**	**5913057**	**1791889**	**7704946**		

परिशिष्ट– XXIII
(संदर्भ कंडिका: 4.10)
रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	क्रय मूल्य जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया/अनुमति दिया गया	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/ गलत लाभ लिया जाना	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितताओं की प्रकृति
1.	पटना मध्य	मेसर्स पूजा प्रिंटेक प्राईवेट लिमिटेड 10151375048	2012–13	16235977	811799	672172	139627	418881 64927	623435	कर योग्य वस्तुओं की खपत से करमुक्त वस्तुओं का विनिर्माण/बिक्री।
			2013–14	19072466	953623	308700	644923	1934769 183803	2763495	
2.	पटना विशेष	मेसर्स नीलकमल लिमिटेड 10010289033	2013–14	92078360	15662505	12430305	3232200	9696600 1018143	13946943	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का संगणना नहीं किया जाना।
3.	शाहाबाद (आरा)	मेसर्स सिमिलिया रिसर्च लेबोरेट्री 10160106018	2012–13	12625582	663402	598595	64807	194421 26247	285475	अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट का कम संगणना।
			2013–14	16480645	897537	838503	59034	177102 13283	249419	
कुल				**156493030**	**18988866**	**14848275**	**4140591**	**12421773** **1306403**	**17868767**	

परिशिष्ट– XXIV
(संदर्भ कंडिका: 4.11)
कटौतियों की गलत अनुमति/अधिक लाभ लिया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	अमान्य कटौतियों के मद	दर (प्रतिशत में)	ऐसे कटौतियों की राशि	अनुमान्य कटौती	अधिक अनुमत्त कटौतियाँ जिसपर कर आरोप्य था	दावा किये गये अधिक/ अनुमत्त कटौतियों पर कर	देखे गए अभिलेख
1.	बिहारशरीफ	मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड/ 10193370002	2010–11	उप संवेदक को लाभ/रियायती का भुगतान	4,12.5	236816354	211774492	25041862	1640242	आरटी– III , टी.ए. आर.–I, सब–कॉन्ट्रैक्टर का कर–निर्धारण आदेश
2.	कटिहार	मेसर्स अशोक कुमार/ 10450692022	2013–14	सकल लाभ एवं ओवरहेड	5,13.5	35196397	26988387	8208010	563890	आरटी– III, टी.ए. आर.–I, पी एंड एल
		मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद पोद्दार/ 10450555058	2013–14	सकल लाभ एवं ओवरहेड	5,13.5	28539162	20187983	8351179	573726	आरटी– III, टी.ए. आर.–I, पी एंड एल लेखे
3.	पटना मध्य	मेसर्स शिव किशोर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड/ 10156317057	2013–14	सकल लाभ एवं स्थापना व्यय	5,13.5	116089522	80098324	35991198	3326739	आरटी– III, टी.ए. आर.–I विवरणों
4.	पटना विशेष	मेसर्स एस,पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड/ 10010629018	2012–13	मरम्मत एवं रख रखाव, कामगारों को भोजन, किराया, यात्रा व्यय, स्त्रोत पर कर की कटौती इत्यादी	5,13.5	1150975971	1124404797	26571174	1631679	आरटी– III, कर–निर्धारण आदेश
			2013–14		5, 13.5	1093292497	845595344	247697153	15921972	आरटी– III, टी.ए. आर.–IV,
5.	सासाराम	मेसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड/ 10241669050	2009–10	सकल लाभ	4, 12.5	225273281	130039397	95233884	4735410	आरटी– III, टी.ए.आर. –I विवरणों
कुल						**2886183184**	**2439088724**	**447094460**	**28393658**	

परिशिष्ट– XXV
(संदर्भ कंडिका: 4.14)
स्वीकृत कर का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	भुगतेय कर	कर भुगतान किया गया	कम भुगतान	ब्याज	कुल
1.	औरंगाबाद	मेसर्स मोहम्द नाकिब अहमद/ 10172191054	2011–12	5877897	4785500	1092397	655438	1747835
			2012–13	6225344	5200500	1024844	430434	1455278
2.	बिहारशरीफ	मेसर्स गणेश इंटरप्राईजेज/ 10193449067	2012–13	1550733	1100000	450733	128459	579192
3.	कदमकुआँ	मेसर्स भगवती पेपर प्रोडक्ट/ 10133092079	2012–13	909789	0	909789	272937	1182726
4.	कटिहार	मेसर्स रॉयल ट्रेडिंग कम्पनी/ 10455378069	2013–14	4898970	4250000	648970	155753	804723
5.	मोतिहारी	मेसर्स राज ट्रेडर्स/ 10271276069	2012–13	395952	100000	295952	84346	380298
6.	मुंगेर	मेसर्स चीफ वर्क मैनेजर/ 10560445097	2012–13	48235016	41968989	6266027	2161779	8427806
		मेसर्स कदरू/ 10562106028	2012–13	345000	0	345000	124200	469200
7.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स मुजफ्फरपुर टिम्बर/ 10311573070	2013–14	4437022	3819100	617922	185376	803298
8.	पाटलिपुत्रा	मेसर्स ओकाया पावर प्राईवेट लिमिटेड/ 10051219058	2013–14	17361217	16454152	907065	258514	1165579
9.	पटना मध्य	मेसर्स बिकानेर स्वीट्स एंड पेस्ट्री शॉप/ 10154696096	2013–14	2823323	2743506	79817	22748	102565

		मेसर्स ट्राईकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड/ 10154876028	2013–14	745087	541749	203338	57951	261289
		मेसर्स इंडिया मार्केटिंग/ 10150282052	2013–14	3848282	3606600	241682	67067	308749
		मेसर्स वन एंड ओनली फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड/ 10155858017	2013–14	2515687	2096204	419483	119553	539036
		मेसर्स प्रोपर कन्सट्रक्शन वर्क्स/ 10152136013	2013–14	2096963	1409680	687283	195876	883159
		मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड/ 10157595098	2013–14	7881373	1300000	6581373	1875691	8457064
10.	पटना उत्तरी	मेसर्स श्यामा सर्जिकल एंड केमिकल/ 10100983063	2013–14	1709498	56860	1652638	471002	2123640
		मेसर्स गंगोत्री आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड/ 10100734064	2013–14	31621386	22283989	9337397	2521097	11858494
11.	पटना पश्चिमी	मेसर्स इंडस्ट्रीयल मशीनरी एंड सर्विसेज/ 10145350030	2013–14	2786518	2219378	567140	161635	728775
12.	सासाराम	मेसर्स सत्या इंटरप्राईजेज/ 10245531008	2013–14	7480593	6564016	916577	274973	1191550
13.	शाहाबाद (आरा)	मेसर्स विजय इंजीनियरिंग वर्क्स/ 10160313016	2012–13	725033	541488	183545	74336	257881
		मेसर्स गोल्डेन फूटवियर/ 10164282039	2012–13	477347	229104	248243	100538	348781
			2013–14	479212	294112	185100	41647	226747

		मेसर्स मृत्युंजय मार्बल / 10161644050	2012.–13	286749	92778	193971	78558	272529
			2013–14	711629	228050	483579	108805	592384
		मेसर्स प्रसाद मोटर्स / 10160060040	2012–13	1306026	1140673	165353	66968	232321
			2013–14	1381938	610449	771489	173585	945074
		मेसर्स रोहित ऑटोमोबाईल्स / 10162268051	2013–14	19086209	18850771	235438	52974	288412
14.	सीवान	मेसर्स जिमी एजेन्सी / 10350276070	2013–14	3414528	2200000	1214528	382576	1597104
		मेसर्स प्रतीक ऑटोमोबाईल्स / 10355628050	2013–14	51800200	51406504	393696	118109	511805
कुल				**233414521**	**196094152**	**37320369**	**11422925**	**48743294**

परिशिष्ट– XXVI
(संदर्भ कंडिकाः 4.15)
विलम्ब से कर के भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	भुगतेय कर	कर राशि का विलम्ब से भुगतान	विलम्ब दिनों में	लेखापरीक्षा की तिथि तक आरोप्य ब्याज
1.	कदमकुआँ	मेसर्स मोदी रेवलॉन प्राईवेट लिमिटेड 10130287054	2012–13	1961206	1961206	490 दिनों से 578 दिनों के बीच	501858
2.	मोतिहारी	मेसर्स श्री मंगल मोटर्स 10270060077	2012–13	46109774	19813766	3 दिनों से 315 दिनों के बीच	663426
		मेसर्स श्री आर.सी. ईन्टरप्राईजेज 10270195004	2012–13	103252145	30312125	3 दिनों से 429 दिनों के बीच	422993
3.	पाटलिपुत्रा	मेसर्स गिनि मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड 10050098027	2013–14	50877687	23579691	4 दिनों से 218 दिनों के बीच	405970
		मेसर्स प्रनोड रिकार्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 10050261084	2013–14	1243365310	28750844	5 दिनों से 99 दिनों के बीच	780325
		मेसर्स फुड कॉरपोशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) लिमिटेड 10050225097	2013–14	813686958	17865037	160 दिनों से 240 दिनों के बीच	1472704
4.	पटना उत्तरी	मेसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन 10106401077	2011–12	1687059	1687059	165 दिनों से 255 दिनों के बीच	163206
			2012–13	4502190	4501831	138 दिनों से 408 दिनों के बीच	517964
5.	शाहाबाद (आरा)	मेसर्स जेनरल मोटर्स 10160177022	2012–13	6971277	49776822	7 दिनों से 304 दिनों के बीच	68781
			2013–14	15461481	15411471	10 दिनों से 282 दिनों के बीच	797107
कुल				**2287875087**	**193659852**		**5794334**

परिशिष्ट–XXVII
(संदर्भ कंडिका: 4.16)
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	सामाग्री	क्रय का मूल्य	दर (प्रतिशत में)	क्रय कर जो लगाया जाना था	ब्याज	कुल
1.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स न्यूट्रीक्राफ्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 10312702053	2012–13	आर.आर.बी, डी. ओ.आर.बी	11474176	5	573708	197929	771637
		मेसर्स अनमोल फीड्स प्राईवेट लिमिटेड 10311871054	2012–13	आर.आर.बी, डी. ओ.आर.बी दवा, सोया	16953142	5	847656	292441	1140097
2.	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स पारले बिस्किट्स प्राईवेट लिमिटेड 10060425035	2013–14	मैदा	510591373	1	5105914	1608363	6714277
कुल					**539018691**		**6527278**	**2098733**	**8626011**

परिशिष्ट– XXVIII
(संदर्भ कंडिका: 4.17)
अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	वस्तुओं का मूल्य जिसपर कर भुगतान किया जाना	कर जिसपर अधिभार भुगतेय हुआ	अधिभार का दर (प्रतिशत में)	अधिभार भुगतेय
1.	कटिहार	मेसर्स जे.एम. सेल्स एंड मार्केटिंग 10454796069	2013–14	7954722	2386416	15	357962
		मेसर्स खान ब्रदर्स 10455391049	2013–14	6981900	2094570	15	314186
2.	खगड़िया	मेसर्स लक्ष्मी स्टोर्स 10464017096	2013–14	5514404	1635778	15	245367
3.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स जगदीश चौधरी एंड संस 10300312049	2013–14	6829057	2048718	15	307308
4.	पटना विशेष	मेसर्स जी.टी.सी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10010380019	2013–14	81022992	24306898	15	3646035
5.	पटना दक्षिणी	मेसर्स माँ अम्बे ट्रेडर्स 10590355074	2013–14	6330981	1899294	15	284894
		मेसर्स आर.के. इंटरप्राईजेज 10125704095	2013–14	8087802	2426341	15	363951
6.	समस्तीपुर	मेसर्स चेतन एजेन्सीज 10420056027	2013–14	4225645	1267693	15	190154
		मेसर्स अशोक एजेन्सी 10422500039	2013–14	5631446	1689434	15	253415
कुल				**132578949**	**39755142**		**5963272**

परिशिष्ट– XXIX
(संदर्भ कंडिका: 4.19)
आयातित मूल्य का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	वास्तविक क्रय / लेखापित क्रय	छिपाव	सामग्री / दर (प्रतिशत में)	देय प्रवेश कर	दिया गया प्रवेश कर	अंतर	अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अंतर
1.	भागलपुर	मेसर्स यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लमिटेड 10524475248	2012–13	12907031 / 3986593	8920438	आयरन और स्टील, डीजी सेट्स/5	490136	0	490136	1470408	1960544	वैट के त्रैमासिक रिटर्न एवं ई.टी., सुविधा विवरणों
2.	दानापुर	मेसर्स सरस्वती ट्रेडर्स 10044310078	2013–14	24324056 / शून्य	24324056	कोल/5	1216202	870000	346202	1038606	1384808	बिना रिटर्न दाखिल किए सुविधा का उपयोग करना
		मेसर्स कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 10044469005	2012–13	4134797 / 2047704	2087093	इलेक्ट्रिकल गुड्स/8	166967	0	166967	500901	667868	आर.टी.–III, इ.टी.–V, सुविधा विवरण, क्रय विवरणी
3.	कटिहार	मेसर्स बालाजी ट्रेडिग कम्पनी 10455550073	2013–14	3435191 / शून्य	3435191	कोल/5	171760	0	171760	515280	687040	बिना रिटर्न दाखिल किए सुविधा का उपयोग करना
4.	खगड़िया	मेसर्स माँ कत्यायनी कोल ट्रेडर्स 10464977089	2013–14	7332149 / 2990400	4341749	कोल/5	217087	0	217087	651261	868348	वैट के त्रैमासिक रिटर्न एवं ई.टी., सुविधा विवरणों
5.	पटना विशेष	मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड 10011056070	2013–14	73498259 / 54235562	19262697	इलेक्ट्रिकल टावर/8	1541016	0	1541016	4623048	6164064	रिटर्न एवं क्रय आवर्त में आयात मूल्य का अंतर
6.	पूर्णिया	मेसर्स रहमान ट्रेडिंग कम्पनी 10496743006	2013–14	55373958 / शून्य	55373958	कोल/5	2768698	1170000	1598698	4796094	6394792	बिना रिटर्न दाखिल किए सुविधा का उपयोग करना

		मेसर्स ए.के. स्टोन सप्लायर्स 10497219087	2013–14	12808640 शून्य	12808640	स्टोन चिप्स/5	640432	485000	155432	466296	621728	बिना रिटर्न दाखिल किए सुविधा का उपयोग करना
7.	सहरसा	मेसर्स आर्या मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड 10515691065	2012–13	11386496 6354239	5032257	आयरन स्टील/4 और 5	568725	254170	314555	943665	1258220	आर.टी.–III, इ.टी.–V, सुविधा विवरणों,
कुल				**205200577 69614498**	**135586079**		**7781023**	**2779170**	**5001853**	**15005559**	**20007412**	

परिशिष्ट–XXX
(संदर्भ कंडिका: 4.20)
प्रवेश कर का कम आरोपण किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	सामग्री/ दर (प्रतिशत में)	वस्तुओं का मूल्य जिस पर प्रवेश कर आरोपित किया जाना था	आरोपित किया जाने वाला प्रवेश कर	आरोपित प्रवेश कर	प्रवेश कर का कम आरोपण
1.	भभुआ	मेसर्स सोमा ईन्टरप्राइजेज लिमिटेड/ 10183652083	2011–12	डीजी सेट, बिल्डिंग मैटेरियल, ल्यूब्रिकेन्ट, टी.एम.टी., एम.एस, प्लेट	15684731	1151944	0	1151944
2.	गया	मेसर्स बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड/ 10200572090	2013–14	इलेक्ट्रिकल्स गुड्स, कोल, प्लास्टिक गुड्स,जी.आई. पाईप/8 एवं 5	21515463	1089991	91506	998485
3.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स ए इनविरॉन एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/10314110035	2012–13	बिजली का वितरण/8	60063757	4805100	0	4805100
4.	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स पारले बिस्किट्स प्राईवेट लिमिटेड/10060425035	2012–13	सी. बॉक्सेज/4	5094411	203776	0	203776
5.	पटना उत्तरी	मेसर्स एलाईड कॉमर्शियल एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड/ 10101616085	2012–13	इलेक्ट्रिकल गुड्स/8	14984059	1198725	803878	394847
6.	पटना दक्षिणी	मेसर्स एप्लाइड सोलर टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड/10127179059	2012–13	बिजली के वितरण में उपयोग सामान/8	176149754	14091980	10686508	3405472
7.	पटना विशेष	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ 10010121223	2012–13	पेट्रो प्रोडक्ट्स, एस.के.ओ./16 एवं 8	4309182809	512651902	0	512651902
			2013–14	पेट्रो प्रोडक्ट्स, एस.के.ओ./16 एवं 8	3150203106	258397871	0	258397871
8.	पटना पश्चिमी	मेसर्स इटालियन इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड/10146026057	2012–13	पिगमेंट एवं कलरिंग मैटेरियल/8	8359438	668755	0	668755
कुल					**7761237528**	**794260044**	**11581892**	**782678152**

परिशिष्ट– XXXI
(संदर्भ कंडिका: 4.21)
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	सामग्री	आरोप्य कर का दर आरोपित दर (प्रतिशत में)	आयात मूल्य	भुगतेय कर का अंतर
1.	औरंगाबाद	मेसर्स एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड/ 10172368296	2013–14	एल्यूमिनियम पैनल, केबल वायर इत्यादि	8/4	19435120	777405
2.	बाढ़	मेसर्स बाढ़ एसटीपीपी/ 10020385278	2013–14	विद्युत का उत्पादन एवं वितरण हेतु उपकरण एवं प्लॉट	8/5	37740000	1132200
3.	पटना विशेष	मेसर्स बी.एस.ई.बी./ 10010013068	2012–13	इलेक्ट्रीकल गुड्स	8/4	28863801	1154552
4.	शाहाबाद (आरा)	मेसर्स बालाजी ईंटरप्राजेज/ 10161467025	2013–14	कंडक्टर्स	8/5	155385070	4661552
कुल						**241423991**	**7725709**

परिशिष्ट– XXXII
(संदर्भ कंडिका: 4.23)
प्रवेश कर के तहत् निबंधन नहीं लिए व्यवसायियों से प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	सामग्री/प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	वस्तुओं का मूल्य	देय प्रवेश कर	वैट के विरूद्ध प्रवेश कर का समायोजन	लगाया जाने वाला प्रवेश कर	अर्थदण्ड	कुल
1.	भभुआ	मेसर्स अभय ब्रिक्स/ 10180682046	2013–14	कोल/5	8728390	436420	0	436420	436420	872840
		मेसर्स ए.के.एस ब्रिक्स/ 10184245081	2013–14	कोल/5	5802631	290132	0	290132	290132	580264
2.	गांधी मैदान	मेसर्स डी.जी. सर्विस सिस्टम/ 10110856014	2012–13	जेनसेट एंड लुब्रिकेन्ट/8	14753655	1180292	1180292	0	1180292	1180292
		मेसर्स कूल कंट्रोल/ 10110729041	2012–13	एयर कंडिशनर/5	10245528	512276	512276	0	512276	512276
3.	कदमकुआँ	मेसर्स अम्हारा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड़/ 10131851093	2010–11	बिटुमिन/4	11671799	466872	0	466872	466872	933744
4.	कटिहार	मेसर्स एन.जे.एम.सी./ 10450109052	2013–14	लुब्रिकेन्ट एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इत्यादि/8	6591135	527291	0	527291	527291	1054582
5.	पटना मध्य	मेसर्स एमको शॉपी/ 10150460047	2013–14	बैट्री/12	12805080	1536610	1536610	0	1536610	1536610
6.	सासाराम	मेसर्स श्री हरि ओम जी राइस मिल/ 10241391048	2012–13	डीजी सेट/8	1951000	156080	0	156080	156080	312160
			2013–14	डीजी सेट, स्वीच गियर/8	4105685	328455	0	328455	328455	656910
कुल					**76654903**	**5434428**	**3229178**	**2205250**	**5434428**	**7639678**

परिशिष्ट– XXXIII
(संदर्भ कंडिका: 4.24)
स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टिन	अवधि	आयात मूल्य	प्रवेश कर स्वीकृत	प्रवेश कर भुगतान किया हुआ	कम भुगतान
1.	बाढ़	मेसर्स बाढ़ एसटीपीपी/ 10020385278	2013–14	11293982012	939114483	933941892	5172591
2.	फारबिसगंज	मेसर्स एसभीइसी कंस्ट्रक्षन लिमिटेड/ 10442190249	2012–13	51908664	2981237	1861802	1119435
3.	गाँधी मैदान	मेसर्स स्वास्तिक ईटरप्राइजेज/ 10111195080	2012–13	814913650	8596546	5629891	2966655
4.	मोतिहारी	मेसर्स प्रसाद हार्डवेयर स्टोर्स/ 10273600092	2012–13	13483486	1077044	680258	396786
5.	पाटलिपुत्रा	मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बिवरेज प्राईवेट लिमिटेड/ 10050081052	2012–13	49720903	2319451	975017	1344434
		मेसर्स भारती इनफाटेल लिमिटेड/ 10050418224	2012–13	1181991940	75406515	28370766	47035749
कुल				13406000655	1029495276	971459626	58035650

परिशिष्ट– XXXIV
(संदर्भ कंडिकाः 5.5)
स्थापना प्रभार का कम प्रेषण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	प्रोजेक्ट का नाम	मौजा की संख्या, जहाँ प्राक्कलन तैयार किया गया था	अवधि	क्षतिपूर्ति की राशि	लगाये जाने एवं संग्रहित किये जाने योग्य स्थापना शुल्क की राशि	कोषागार में जमा किये गये स्थापना शुल्क की राशि	कम वसूली
1.	भागलपुर	पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट	6	2010–11 से 2015–16	6665026002	1333005201	522752381	810252820
		विजयधाट, भागलपुर कोशी नदी के उपर पुल	5	2011–12 से 2013–14	299861088	59994837	34966291	25028546
2.	भोजपुर (आरा)	शकदी नासीरगंज सड़क परियोजना	34	2012–13	236841866	48064044	0	48064044
		पटना बक्सर फोर लेन	55	2010–11	1113042233	217139534	33671971	183467563
		बबुरा–डोरीगंज ब्रिज एप्रोच सड़क	6	2012–13 से 2013–14	252029039	50405808	0	50405808
कुल			**106**		**8566800228**	**1708609424**	**591390643**	**1117218781**

परिशिष्ट–XXXV
(संदर्भ कंडिकाः 5.7)
आकस्मिक प्रभार की अधिक वसूली

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	प्रोजेक्ट का नाम	मौजा की संख्या	सन्निहित अवधि	क्षतिपूर्ति की राशि	आरोपित किये जाने वाले आकस्मिक शुल्क की राशि	आरोपित आकस्मिक शुल्क की राशि	आरोपित आकस्मिक शुल्क की अधिक राशि
1.	भागलपुर	पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट	6	2010–11 से 2015–16	665026002	200000	1200000	1000000
2.	भोजपुर	बबुरा–डोरीगंज ब्रिज एप्रोच सड़क	6	2011–12 एवं 2012–13	252029039	200000	1260145	1060145
		शक्कदी–नासरीगंज सड़क	34	2012–13	236841866	200000	1180046	980046
		पटना बक्सर फोर लेन	55	2010–11	1113042233	200000	3195051	2995051
कुल			**101**		**2266939140**	**800000**	**6835242**	**6035242**

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विवरण
ए.एम.सी.	एनुअल मेन्टेनेंस क्लाउज (वार्षिक रखरखाव)
ब्रेन	बिहार रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन्टरानेट
बी.एस.ई.डी.सी.	बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन
बीस्वान	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क
डी.सी.बी. रजिस्टर	डिमांड, कलेक्सन बैलेंस रजिस्टर (माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी)
डी.सी.	डाटा सेन्टर
डी.आर.सी.	डिजास्टर रिकवरी केन्द्र
डी.बी.ए.	डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर
आई.टी.	इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी)
एम.एम.पी.सी.टी.	वाणिज्य–कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना
एन.आई.सी.	नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर
एन.ई.जी.पी.	नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान (राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना)
पैन	परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (स्थायी लेखा संख्या)
सुविधा	सिम्पलिफाईड यूजेज ऑफ वेहिकल्स इनफॉरमेशन हार्मोनाईज्ड एप्लीकेशन (कम्प्यूटरीकृत चेकपोस्ट प्रबंधन मॉड्यूल)
एस.डी.ए.	स्टेट डेजिग्नेटेड एजेन्सी
एस.एल.ए.	सर्विस लेवल एग्रीमेंट
एस.डी.डी.	सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट
एस.आर.एस.	सॉफ्ट्वेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन
टी.सी.एस.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस
टीन	टैक्सपेयर आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (करदाता पहचान संख्या)
यू.आर.एस.	यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन
वैटमीस	वाणिज्य–कर विभाग में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in